रजिस्ट्री सं. डी एल--33001/96 REGISTERED No. DL—33001/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 6, 1996 (आषाढ़ 15, 1918)
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY, 6 1996 (ASADHA 15, 1918)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग IV
[PART IV]

गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं
[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies.]

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC

BY ORDER
Controller of Publication

CHANGE OF NAMES

I, hitherto known as MAHADEV HARIBA PALGHARE S/o H. G. PALGHARE, employed as Compositer (Skilled) in Ordnance Factory Dehuroad, residing at the Madhuban Society, Survey No. 14, Sangavi, Dist. Pune, Maharastra State have changed my name and shall hereafter be known as MAHADEO HARIBHAU PADOLGHARE.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MAHADEO HARIBA PALGHARE
Signature (in existing old name)

I, hitherto known as BABRUWAHAN NAGOBAJI KUTRE S/o late Shri NAGOBAJI KUTRE, employee as Examinar (SK) in the Ordanance Factory, Chanda (MS) residing at the Bhadrawat Distt. Chandrapur (MS) have changed my name and shall hereafter be known as as MAHADEO HARIBHAU PADffALGHARE.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BABRUWAHAN NAGOBAJI KUTRE
Signature (in existing old name)

I, hitherto known as VISHVANATH SITARAM WAGHMARE S/o SITARAM GOVINDA WAGHMARE, employed as Machinist in Caseshop Section Ordanance Factory, Varangaon residing at (present address) at and post Varangaon Taluka-Bhusawal Dist—Jalgaon (MS) have changed my sirname and shall hereafter be kpown as VISHVANATH SITARAM MALI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VISHVANATH SITARAM WAGHMARE
Signature (in existing old name)

I, hitherto known as PRABHAKAR SHANKAR TELI S/o SHANKAR HONA TELI, employed as E/PR Opr. In Caseshop Section Ordnance Factory Varangaon residing at (present address) at and post Varangaon Taluka-Bhusawal Dist—Jalgaon (M.S.) have change my Surname and shall hereafter be known as PRABHAKAR SHANKAR CHAUDHRI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRABHAKAR SHANKAR TELI
Signature (in existing old name)

I, hitherto known as BAHORAN S/o Shri KALLOO, Student in the C.S.A. Uni. Kanpur, residnig at the R. N-37 'A' Block C. S. Uni. Kanpur-208002, have changed my name and shall hereafter be known as PUSHPENDRA SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BAHORAN
Signature (in existing old name)

I, hitherto known as KAILASH S/o Late Sh. BHAGWAN DASS, employed as Assistant Manager in the Oriental Insurance Company Limited, residing at the B-3/123B, Lawrence Road, Delhi-110035 have changed my name and shall hereafter be known as KAILASH KUMAR KANOJIA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KAILASH
Signature (in existing old name)

"PUBLIC NOTICE"

I, RAMESH CHAND S/o Sh. K. M. SHARMA, R/o 292, Masjid Moth, New Delhi-49, do hereby declare that my futher's name in Delhi Board & Delhi University, Enrolment No. D B(E)-258/87, Roll No. 161283 wrongly recorded as "Sh. A. M. SHARMA" instead of "Sh. K. M. SHARMA" and read as "RAMESH CHAND S/o Sh. K. M. SHARMA".

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAMESH CHAND
Signature

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम नियमावली तथा उपविधियों को सेबिकृत एवं संशोधित करने के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 की धारा 9 (4) के अंतर्गत अधिसूचना ।

कम्पनी अधिनियम 1956
शेयरों द्वारा परिसीमित कंपनी
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
के
संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम

I. कंपनी का नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है ।

II. कंपनी का पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में स्थित होगा ।

III. जिन उद्देश्यों के लिए कंपनी की स्थापना की गयी है वे हैं —

क. कंपनी द्वारा उसके निगमन पर पूरे किये जाने वाले मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं —:

1. सार्वजनिक हित में, सभी प्रकार की प्रतिभूतियों (जिसमें प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 के अधीन परिभाषित सभी प्रतिभूतियां तथा मुद्रा बाजार लिखतों सहित किसी प्रकार के अन्य सभी लिखत शामिल होंगे) में सौदों को सुकर बनाना, उनका संवर्धन करना, उनमें सहायता देना, उनको विनियमित करना और उनका प्रबंधन करना तथा उच्च स्तरीय सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिभूतियों के व्यापार, समाशोधन एवं निपटान के लिए विशिष्ट, उन्नत, स्वचालित और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करना तथा पारदर्शी, उचित तथा निर्बाध रीति में व्यापार को सुनिश्चित करना जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अथवा भारत के बाहर के निवेशकगण आसानी से हिस्सा ले सकें ।

2. स्टॉक एक्सचेंज, मुद्रा बाजारों, वित्तीय बाजारों, प्रतिभूति बाजारों, पूंजी बाजारों के संबंध में ऐसी सभी गतिविधियों के लिए सभी कार्रवाई आरंभ करना, सुकर बनाना और अपने हाथ में लेना जो बेहतर निवेशक सेवा और सुरक्षा के लिए आवश्यक होंगे । ऐसी कार्रवाइयों में निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं, किन्तु वे सीमित नहीं हैं : निवेशक के लिए उच्च चल निधि (प्रतिभूतियों के विस्तार और गहराई दोनों दृष्टियों से) सुनिश्चित करना, एक्सचेंज में आसानी से पहुंच की व्यवस्था करना, अंतर बाजार सौदों को सुकर बनाना और सामान्य रूप से कम लागत पर, शीघ्रतापूर्वक तथा कुशल रीति से प्रतिभूतियों में संव्यवहारों को सुकर बनाना ।

3. निवेशक, आम जनता तथा अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित में स्वस्थ बाजार को सहायता देना, उसका विकास, संवर्धन करना और उसे बनाये रखना और उनके बीच तथा निवेशकों के साथ तथा सामान्य रूप से वित्तीय प्रतिभूतियों, मुद्रा एवं पूंजी बाजार में उच्च कोटि की व्यावसायिकता प्रारंभ करना ।

ख. मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति, में प्रासंगिक अथवा आनुषंगिक होने वाले उद्देश्य ।

4. प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों की परिभाषा के अंतर्गत प्रतिभूतियों में खरीद, बिक्री, सौदे एवं संव्यवहारों के कारोबार के प्रबंधन के उद्देश्य के लिए मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के रूप में एक्सचेंज को मान्यता दिलाने के लिए भारत सरकार को आवेदन करना और मान्यता प्राप्त करना ।

5. माध्यम तथा रीति, शर्तें, जिनके अध्यधीन स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार किये जाएंगे, को विनियमित करने के लिए नियमावली, उपविधि एवं विनियमावली तथा एक्सचेंज के सदस्यों के आचरण के नियम बनाना और उनका प्रवर्तन करना । इसमें सदस्यता व्यापार, निपटान, समितियों का गठन, प्राधिकार के प्रत्यायोजन से जुड़े सभी पहलू तथा एक्सचेंज से संबंधित सामान्य विविध मामले शामिल हैं और साथ ही साथ सदस्यों के लिए आचरण संहिता और व्यवसाय नीतिशास्त्र, समय-समय पर ऐसे नियमों, उपविधि एवं विनियमों को अथवा उनमें से किसी को संशोधित अथवा परिवर्तित करना तथा ऊपर वर्णित उद्देश्यों के लिए कोई नवीन संशोधित

अथवा अतिरिक्त नियम, उपविधि अथवा विनियम बनाना भी शामिल है ।

6. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में विवादों को निपटाना तथा व्यापारिक प्रणालियों, व्यवहारों, प्रयोगों, व्यापार के संचालन में परंपरा अथवा सौजन्यता तथा कारोबार के सभी प्रश्नों का निर्णय करना ।

7. संस्था के अंतर्नियम तथा एक्सचेंज के नियमों एवं उपविधि की शर्तों के अनुरूप एक्सचेंज अथवा कंपनी के सदस्यों से प्रतिभूति जमाराशियां, प्रवेश शुल्क, निधि अभिदान, अभिदान निर्धारित, प्रभारित, वसूल करना और प्राप्त करना और साथ ही जमाराशियां मार्जिन, जुर्माना, तदर्थ लेवी तथा अन्य प्रभार निर्धारित, प्रभारित और वसूल करना ।

8. एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा प्रभारित किये जानेवाले कमीशन तथा दलाली और अन्य प्रभारों के मान को विनियमित और तय करना ।

9. विवाचन द्वारा विवादों के समाधान को सुकर बनाना अथवा ऐसी शर्तों पर तथा ऐसे मामलों में विवाचकों अथवा निर्णायकों को नामित करना जैसा समीचीन हो, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय विवाचन पैनल स्थापित करना तथा प्रतिभूतियों में किये गए सभी संव्यवहारों से संबंधित अथवा उसमें से उत्पन्न होने वाले अथवा उसके बारे में अथवा उससे जुड़े और एक्सचेंज के सदस्यों के बीच और एक्सचेंज के सदस्यों तथा ऐसे व्यक्तियों के बीच जो एक्सचेंज के सदस्य नहीं हैं किन्तु एक्सचेंज के संघटक हैं, विवादों के विवाचन सहित, सभी विवादों एवं दावों के विवाचन के लिए उनकी सेवाएं उपलब्ध कराना, और ऐसे विवाचकों, क्षेत्रीय विवाचन पैनलों अथवा स्थानीय पैनलों को पारिश्रमिक दिलाना तथा ऐसी विवाचन कार्यवाहियों, विवाचकों के शुल्क, ऐसे विवाचन के खर्चों, तथा अन्य संबद्ध मामलों तथा उनकी प्रक्रियाओं को विनियमित करने तथा अधिनिर्णयों का प्रवर्तन कराने तथा सामान्य रूप से विवादों का निपटारा करने तथा प्रतिभूतियों में व्यापार और कारोबार के अनुप्रयोग, आचार अथवा सौजन्यता के सभी प्रश्नों का निर्णय करने के लिए नियम, उपविधि एवं विनियम बनाना ।

10. निःशुल्क अथवा अन्य किसी रूप में संग्रहण, धनराशि, प्रतिभूतियों तथा सभी प्रकार की प्रतिभूतियों अथवा दस्तावेजों के लिए तिजोरियों, स्ट्रांग कक्षों तथा अन्य निधानों को किराए पर अथवा अन्य किसी रूप में निपटाने के उद्देश्य से स्वयं अथवा किसी अन्य कम्पनी अथवा व्यक्ति अथवा सरकार के विभाग अथवा प्राधिकरण के सहयोग अथवा जरिए से सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के अभिरक्षक अथवा डिपाजिटरी के रूप में कार्य करना ।

11. कम्पनी के उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के लिए समाशोधन गृह की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए स्थापना और अनुरक्षण करना अथवा व्यवस्था करना अथवा अभिकर्ता नियुक्त करना अथवा स्टाक धारिता एवं समाशोधन निगम-डिपाजिटरी समाशोधन गृह अथवा प्रभाग बनाए रखना और उसके कार्यव्यवहार तथा प्रशासन पर नियंत्रण रखना और विनियमित करना ।

12. सरकार के साथ ऐसी व्यवस्थाएं करना जो वांछनीय हों तथा ऐसी सरकार से ऐसी शक्तियां, अधिकार, अनुज्ञापत्र, विशेषाधिकार अथवा रियायतें प्राप्त करना जो इस बहिर्नियम में उल्लेखित उद्देश्यों के लिए आवश्यक एवं वांछनीय हों ।

13. किसी डिबेंचर, डिबेंचर स्टाक अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा दायित्वों को अंगीभूत अथवा सुरक्षित बनाने वाले किन्हीं विलेखों के लिए न्यासी के रूप में कार्य करना और अन्य किसी न्यास को हाथ में लेना और निष्पादित करना और साथ ही निष्पादक, प्रशासक, रिसीवर, अभिरक्षक तथा न्यास निगम का पदभार लेना अथवा उसकी शक्तियों का प्रयोग करना ।

14. किसी शेयर, स्टाक, प्रतिभूतियों, प्रमाणपत्रों अथवा अन्य दस्तावेज अथवा ऐसे न्यास के उद्देश्य के लिए विनियोजित अन्य आस्तियों पर आधारित अथवा उनका प्रातिनिधित्व करने वाले अधिमानित और आस्थागित अथवा अन्य विशेष स्टाक, प्रतिभूतियों, प्रमाणपत्र अथवा अन्य दस्तावेज जारी करने के लिए किसी न्यास का गठन करना और ऐसे अधिमानित, आस्थागित अथवा अन्य विशेष स्टाक, प्रतिभूतियों, प्रमाणपत्रों अथवा दस्तावेजों का निपटान और विनियमन करना और आवश्यक होने पर उपक्रम करना और निष्पादित करना ।

15. किसी राज्य अथवा प्राधिकरण केन्द्रीय अथवा राज्य स्थानीय नगरपालिका अथवा अन्य किसी से व्यवस्थाएं निष्पादित करना जो कम्पनी के उद्देश्यों अथवा उनमें से किसी के लिए सहायक हों और ऐसे किसी सरकार अथवा प्राधिकरण से ऐसे रियायतें, अनुदान अथवा डिक्रियां, अधिकार अथवा किसी प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त करना जो कम्पनी ठीक समझती हो अथवा जिससे कम्पनी लाभ उठा सकती हो और कार्य का पालन करना, विकास करना, पूरा करना और प्रयोग करना तथा ऐसी व्यवस्थाओं, रियायतों, अनुदानों, डिक्रियों, अधिकारों अथवा विशेषाधिकारों से लाभ उठाना ।

16. व्यापार के संबंध में सांख्यिकीय अथवा अन्य जानकारी प्राप्त करना, एकत्र करना, सुरक्षित रखना, प्रसार अथवा बिक्री करना, एक पुस्तकालय बनाए रखना तथा एक्सचेंज के संबंध में अथवा उसके उद्देश्यों के विकास में किसी समाचार पत्र, जर्नल, पत्रिका, पुस्तिका, आधिकारिक वार्षिका, दैनिक अथवा अन्य आवधिक उद्धरण सूचियां अथवा अन्य कार्यों का मुद्रण, प्रकाशन, उपक्रम, प्रबंधन करना और उन्हें जारी रखना ।

17. व्यापार, बैंकिंग, वाणिज्य, वित्त अथवा कम्पनी प्रशासन अथवा स्टाक, शेयरों तथा इसी प्रकार की प्रतिभूतियों के कारोबार अथवा उनसे संबंधित कार्यों में लगे हुए अथवा लगने वाले व्यक्तियों के तकनीकी एवं व्यावसायिक ज्ञान को सुधारना एवं उन्नत बनाना और उसके लिए व्याख्यानों की व्यवस्था करना और कक्षाएं आयोजित करना और परीक्षा अथवा अन्य तरीके से ऐसे व्यक्तियों की सक्षमता की परीक्षा लेना और प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा प्रदान करना और छात्रवृत्तियों, अनुदानों एवं अन्य धर्मदानों का गठन एवं स्थापना करना और ऐसे तकनीकी अथवा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और गठन करना और उन्हें चलाना और उनका प्रशासन देखना ।

18. ऐसे अन्य संघ चाहे वह निगमित हो अथवा न हो, का सदस्य बनने के लिए अभिदान देना और उन्हें सहयोग देना, जिसका उद्देश्य एक्सचेंज द्वारा दिखाये गये हितों को संवर्धित करना अथवा सामान्य वाणिज्यिक एवं व्यापार हितों का संवर्धन हो और ऐसे संघ से ऐसी जानकारी प्राप्त करना और उन्हें देना जो एक्सचेंज के उद्देश्यों को विकसित करे अथवा व्यापार अथवा उसमें निहित किसी हित की रक्षा के लिए उपायों को संवर्धित करे ।

19. भारत में अथवा विदेशों में एक्सचेंजों की स्थापना एवं संगठन के लिए एक परामर्शी अथवा अनुसंधान प्रभाग की स्थापना करना अथवा उसके प्रबंधन में हिस्सा लेना, और प्रतिभूतियों तथा उनके विपणन के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करना और एक्सचेन्ज के व्यापार की घटनाओं एवं लक्षणों पर परामर्श देना तथा कम्पनी के उद्देश्यों के विकास के लिए अभिदान के जरिए अथवा सहकारिता सिद्धांत पर भारत अथवा विदेश में किसी अन्य एक्सचेंज के साथ संघ शुरू करना ।

20. ऐसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, कम्पनी अथवा निगम के साथ जो ऐसे किसी व्यवसाय अथवा उद्यम में लगा हो अथवा रुचि रखता हो अथवा संलग्न होने वाला हो अथवा शुरू करने अथवा संचालित करने में रुचि लेने वाला हो, जिसको करने के लिए अथवा संचालित करने के लिए यह कम्पनी प्राधिकृत है अथवा जिससे कम्पनी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल सकता हो, के साथ कोई भागीदारी अथवा भागीदारी, सहकारिता अथवा हित संघ के रूप में व्यवस्था शुरू करना ।

21. कम्पनी की ओर से तथा कम्पनी के हितों की रक्षा के लिए प्रतिभूतियां धारित करने के लिए न्यासी (एकल अथवा निगम) नियुक्त करना ।

22. इस कम्पनी के उद्देश्यों के समान अथवा आंशिक रूप से उसके समान उद्देश्य रखने वाली किसी कम्पनी अथवा कम्पनियों अथवा संघों के साथ समामेलन करना ।

23. इसमें दिये गये उद्देश्यों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से विकसित करने के लिए तथा ऐसी किसी कम्पनी में अथवा कम्पनी के शेयरों, डिबेंचरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को लेने अथवा अन्य प्रकार से प्राप्त, धारण करने और निपटान करने तथा ऐसी किसी कम्पनी को उपदान देने अथवा अन्य प्रकार से सहायता अथवा प्रबंधन करने अथवा स्वामित्व प्राप्त करने के लिए, ऐसे उपक्रम अथवा कम्पनी अथवा अन्य किसी कम्पनी के लचीलेपन के साथ अथवा लचीलेपन के बिना कोई उपक्रम अथवा कोई संपत्ति चाहे चल अथवा अचल, प्राप्त करने के उद्देश्य से कम्पनियों अथवा सभी प्रकार की भागीदारी का गठन, संवर्धन करना, सहायता देना अथवा संगठन करना अथवा उनके गठन, संघटन, संवर्धन, सहायता, आयोजन तथा सहयोग अथवा सहायता देने में सहयोग और सहायता देना ।

24. कम्पनी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत अथवा विश्व के किसी हिस्से में प्रधान, अभिकर्ता, न्यासी, संविदाकार अथवा अन्य रूप में और बाद में अकेले अथवा अन्य के साथ तथा अभिकर्ताओं, संविदाकारों, न्यासियों अथवा अन्य के द्वारा अथवा के जरिए कार्य करना ।

25. अपने व्यवसाय तथा अपने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए भारत में अथवा भारत से बाहर कार्यालय, शाखाएं तथा एजेंसियां स्वामित्व में लेना, स्थापित करना अथवा प्राप्त करना और अनुरक्षित रखना ।

26. उसे प्रदत्त सभी अथवा किसी निकाय शक्तियों, अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का प्रयोग करना और भारत संघ तथा उसके किसी अथवा सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों, अधीन क्षेत्रों, उपनिवेशों, पराश्रित देशों उसकी सभी अथवा किसी शाखा में तथा किसी अथवा सभी दूसरे देशों तथा इस उद्देश्य के लिए और उसमें स्थित एजेंसियों में जैसा सुविधाजनक हो, अपना कारोबार संचालित करना ।

27. किसी सामान्य अथवा उपयोगी उद्देश्य अथवा निधि अथवा संस्थान के लिए अभिदान, अंशदान, दान अथवा अनुदान अथवा धनराशि की गारंटी देना तथा किसी संघ, संस्था अथवा गतिविधि को आर्थिक रूप से अथवा अन्य तरीके से सहायता देना ।

28. ऐसी निधियों (दलाल सुरक्षा निधि अथवा निवेशक सुरक्षा निधि अथवा कोई अन्य निधि), न्यासों, सुविधाओं की स्थापना करना और सहायता देना अथवा उनकी स्थापना एवं सहयोग में सहायता देना जो विशेष रूप से कम्पनी के तथा सामान्य रूप से पूंजी तथा वित्तीय बाजार के प्रयोजनों एवं उद्देश्यों को उन्नत और विकसित करने के लिए निर्धारित किये गये हैं ।

29. इसमें तथा संस्था के अंतर्नियम तथा एक्सचेंज की नियमावली, उप-विधि और विनियमावली में निर्दिष्ट किसी उद्देश्य के लिए कम्पनी की निधियों अथवा अन्य चल संपत्ति में से भुगतान अथवा संवितरण करना तथा बांड, डिबेंचर, अथवा अन्य परक्राम्य अथवा हस्तांतरणीय दस्तावेजों को आहरित, स्वीकार, पृष्ठांकित, भुनाई और निष्पादन करना ।

30. पूंजी तथा प्रतिभूति बाजारों की खोज, जांच, परीक्षण, अन्वेषण एवं परीक्षा के उद्देश्य से पूंजी के नियोजन के लिए रास्तों एवं अवसरों का पता लगाना और निर्धारण करना तथा कंपनी के व्यवसाय के लिए अभियान, कन्वीशन तथा अन्य अभिकर्ताओं को प्रेषित करना और नियोजित करना ।

31. कंपनी के उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के लिए आवश्यक होने पर ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी रीति में तथा प्रतिभूति सहित अथवा प्रतिभूति रहित जैसाकि समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा, उधार लेना, किसी रूप में ऋण जुटाना, जमाराशियां प्राप्त करना, ऋणग्रस्तता निर्मित करना, अनुदान अथवा अग्रिम (ब्याजमुक्त अथवा ब्याज सहित), इक्विटी ऋण प्राप्त करना अथवा कोई धनराशि जुटाना और विशेष रूप से डिबेंचरों, डिबेंचर स्टाक, बान्डों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के निर्गम द्वारा जुटाना परंतु सदा ही और यह अभिव्यक्त रूप से ऐसे किसी उधार अथवा धनराशि संग्रहण की मूल शर्त घोषित है, यह कि सभी मामलों में तथा सभी परिस्थितियों में ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार उधार ली गयी अथवा जुटायी गयी धनराशियों के संबंध में मूलधन अथवा ब्याज अथवा अन्य किसी प्रकार की राशि

का दावा करता है वह केवल कंपनी की निधियों, संपत्तियों तथा अन्य आस्तियों में से ही ऐसे भुगतान के लिए दावा करने का हकदार होगा और इस प्रकार उधार ली गयी अथवा जुटायी गयी धनराशियों के अंतर्गत और उनके संबंध में किये गये किसी प्रकार के दावों और मांगों की भरपाई और जवाबदेही के लिए केवल कंपनी ही दायी समझी जाएगी और निदेशक बोर्ड के कोई एक अथवा एक से अधिक सदस्य अथवा कंपनी के सदस्य, उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारियों तथा समनुदेशितों की व्यक्तिगत निधियां, संपत्तियां तथा अन्य आस्तियां दायी नहीं होंगी और वे इस प्रकार उधार ली गयी अथवा जुटायी गयी धनराशियों के अंतर्गत अथवा के संबंध में किसी भी रूप में व्यक्तिगत दायिता वहन नहीं करेंगे अथवा किसी दावे अथवा मांग अथवा प्रभार के लिए स्वयं जिम्मेदार अथवा दायी नहीं होंगे तथा उस स्थिति में जब उपरोक्त अनुसार भुगतान के लिए दावा करने वाले सभी व्यक्तियों के दावों को पूरा करने में कंपनी की निधियां, संपत्तियां तथा अन्य आस्तियां अपर्याप्त होंगी, ऐसे व्यक्ति का अधिकार उन निबंधन एवं शर्तों जिन पर इस प्रकार का उधार लिया गया है अथवा राशि जुटायी गयी है, के अनुसार कंपनी की निधियों, संपत्तियों तथा अन्य आस्तियों पर उसके हिस्से अथवा अंश तक सीमित रहेगा और वह इससे ज्यादा किसी राशि के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

32. कंपनी की उन धनराशियों को, जिनकी तत्काल आवश्यकता नहीं होगी, ऐसी प्रतिभूति में अथवा पर ब्याज के साथ अथवा बिना ब्याज के और ऐसे अन्य निवेशों में निवेश करना, उधार अथवा अग्रिम देना जैसाकि कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए ।

33. कंपनी के सभी अथवा किसी प्रयोजन के लिए विनिमय पत्र, वचन पत्र, चेक, लदान पत्र, वारंट, डिबेंचर तथा प्रतिभूति सहित अथवा प्रतिभूति के बिना अन्य परक्राम्य लिखतों को आहरित करना, बनाना, स्वीकारना, भुनाना, निष्पादित, जारी, परक्रामण करना और बिक्री करना तथा साथ ही वचन-पत्रों को आहरित और पृष्ठांकित करना और उनका परक्रामण करना तथा साथ ही ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जैसा कंपनी ठीक समझे, प्रतिभूति सहित अथवा प्रतिभूति बिना भुनाई के जरिए अग्रिम लेना और प्राप्त करना तथा साथ ही ऐसी शर्तों तथा प्रतिभूतियों पर जैसाकि कंपनी कालोचित समझे, कंपनी की सामग्रियों अथवा अन्य माल अथवा अन्य किसी चीज पर कोई धनराशि अथवा धनराशियां अग्रिम देना ।

34. ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, जैसा कंपनी अनुमोदित करे, उधारराशि पर अथवा अन्य पर धनराशि प्राप्त करना तथा अन्य के ऋणों और संविदाओं के संबंध में गारंटियां तथा क्षति-पूर्तियां देना ।

35. किसी ऋण अथवा दायित्व अथवा बाध्यता को ऐसी रीति से प्रतिभूत अथवा उन्मोचित करना जैसा उचित समझा जाए और विशेष रूप से दस्तावेजों और सभी अथवा किसी आस्ति अथवा संपत्ति (वर्तमान एवं भविष्यत्) तथा कंपनी की मांगी न गयी पूंजी को बंधक अथवा प्रभारित करके अथवा सृजन के जरिए और ऐसे निबंधनों पर, जैसा कालोचित समझा जाए, डिबेंचर, डिबेंचर स्टाक, अथवा किसी अन्य प्रकार की प्रतिभूतियां जारी करके अथवा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आकलित प्रदत्त शेयरों के निर्गम के जरिए प्रतिभूत अथवा उन्मोचित करना ।

36. गारंटियां देना, तथा प्रत्येक प्रकार की गारंटी तथा प्रति गारंटी कारोबार को चलाना और उसमें संव्यवहार करना और विशेष रूप से किसी प्रकार की मूलधन राशियों, ब्याज अथवा डिबेंचरों, बान्डों, डिबेंचर-स्टाक, बंधक, प्रभार, संविदा, दायित्व और प्रतिभूतियों के द्वारा प्रतिभूत अथवा के अधीन भुगतान की जानेवाली ब्याज अथवा अन्य धनराशियों की अदायगी करना और उनपर लाभांशों की अदायगी करना तथा पूंजी स्टाक तथा सभी प्रकार और कोटियों के शेयरों की खरीदी करना ।

37. किसी अन्य कंपनी के स्टाक, शेयरों एवं प्रतिभूतियों में सशर्त अथवा बिना शर्त अभिदान के लिए उपक्रम करना और अभिदान करना ।

38. मूल अभिदान, निविदा, क्रय, विनिमय अथवा अन्य रीति से अन्य प्रकार के शेयर, स्टाक, डिबेंचर, डिबेंचर स्टाक, बान्ड, दायित्व अथवा प्रतिभूतियां प्राप्त करना और उनके लिए सशर्त अथवा अन्य रीति से अभिदान करना और उसके अभिदान को गारंटी देना और कंपनी के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए इनके स्वामित्व से प्रदत्त अथवा स्वामित्व के अनुषंगी सभी अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग करना और प्रवर्तन करना ।

39. कम्पनी अथवा उसके सदस्यों और कम्पनी के किसी अन्य उद्देश्य के लिए समुचित भवन (नों) अथवा परिसरों का परिनिर्माण, निर्माण, विस्तार एवं अनुरक्षण करना, ऐसे किसी भवन अथवा भवनों में स्थान को परिवर्तित करना, जोड़ना, उपांतरण, तब्दीली करना अथवा हटाना अथवा बदलना अथवा प्रतिस्थापित करना अथवा उसमें वृद्धि करना ।

40. क्रय के द्वारा, पट्टा अथवा किराया खरीद अथवा विक्रेता साख पर अथवा अन्य रीति से कोई चल अथवा अचल संपत्ति तथा कम्पनी के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अथवा सुविधाजनक होने वाले किसी अधिकारी अथवा विशेषाधिकार

के प्राप्त करना और विशेष रूप से कोई भूमि, भवन, सुखाचार अथवा सुरक्षित जमा कक्ष अथवा डिपाजिटरी अथवा अभिरक्षण सेवाएं प्राप्त करना ।

41. किसी अन्य कम्पनी के किसी स्टाक, शेयरों अथवा प्रतिभूतियों, अंशतः अथवा पूर्णतया प्रदत्त, सहित ऐसे प्रतिफलों के लिए जैसाकि उचित समझा जाए, कम्पनी के व्यापारिक कार्यों, निवेशों, सपत्ति, आस्तियों, अधिकारों एवं प्रभारों अथवा उनके किसी हिस्से को विक्रय करना, बीमा कराना, बंधक रखना, विनियम करना, पट्टे, किराये, अवर-पट्टा अथवा उप-पट्टे पर देना, अनुज्ञापत्र, सुखाचार तथा उनपर अन्य अधिकार प्रदान करना, सुधार करना, प्रबंध करना, विकास करना तथा उससे लाभ उठाना तथा किसी अन्य रीति से संव्यवहार करना अथवा उनका निपटान करना ।

42. कम्पनी के प्रयोजनों के हित में अथवा कम्पनी के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए कम्पनी के किसी कर्मचारी अथवा अन्य अभ्यर्थी को भारत में अथवा विदेश में प्रशिक्षण देना अथवा प्रशिक्षण के लिए अदायगी करना ।

43. मकान अथवा निवास गृहों के निर्माण अथवा निर्माण में अंशदान करके अथवा पेंशन, भत्ते, बोनस अथवा अन्य भुगतानों को मंजूर करके अथवा समय-समय पर भविष्य निधि तथा संघ, संस्थाएं, निधियां अथवा न्यास निर्मित करके, उनमें अभिदान अथवा अंशदान करके तथा शिक्षा और मनोरंजन के स्थान, अस्पताल तथा दवाखानों, चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करके अथवा उनमें अभिदान अथवा अंशदान करके तथा अन्य प्रकार की सहायता देकर, जैसाकि कम्पनी द्वारा उचित समझा जाए, कम्पनी के कर्मचारियों अथवा भूतपूर्व कर्मचारियों तथा उनकी पत्नियों एवं परिवारों अथवा आश्रितों अथवा ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदारों के कल्याण के लिए व्यवस्था करना ।

44. कंपनी के हित में तथा हित के लिए किये गये किसी कार्य अथवा किये जाने के लिए आदेशित किसी कार्य अथवा उनके पदों के निर्वाह अथवा जिससे संबंधित कर्तव्यों के निष्पादन में हुई किसी प्रकार की हानि अथवा क्षति अथवा दुर्भाग्य के संबंध में कार्यवाहियों, लागतों, क्षतियों, दावों एवं मांगों के विरुद्ध कंपनी के अधिकारियों, निदेशकों, प्रवर्तकों तथा कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति करना ।

45. ऐसे सभी कार्य करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों अथवा उनमें से किसी के लिए आनुषंगिक अथवा सहायक हों ।

अन्य उद्देश्य :

46. किसी कंपनी अथवा उपक्रम के कारोबार अथवा परिचालनों के प्रबंधन, पर्यवेक्षण अथवा नियंत्रण में हिस्सा लेना और उस प्रयोजन के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक सेवाएं देना तथा प्रशासक अथवा किसी अन्य हैसियत से कार्य करना, और प्रतिफल अथवा अन्य के लिए निदेशक, प्रशासक अथवा सलाहकार अथवा अन्य विशेषज्ञ अथवा एजेंट नियुक्त करना और उन्हें पारिश्रमिक देना ।

और यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि :

(क) उपरवर्णित अनुसार कंपनी के मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रासंगिक अथवा आनुषंगिक उद्देश्य उसमें उल्लेखित कंपनी के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी प्रासंगिक अथवा अनुषंगिक होंगे ।

(ख) 'कंपनी' शब्द उस स्थिति को छोड़कर जब इन खंडों में इस कंपनी के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, उसमें कोई भागीदारी अथवा अन्य व्यक्तियों का निकाय चाहे निगमित हो या निगमित न हो, भारत में अथवा अन्य देश में अधिवासित हो, शामिल समझा जाएगा ।

(ग) इस खंड के विभिन्न उप-खंड तथा उसकी सभी शक्तियां संचित रूप में होंगी और किसी भी स्थिति में किसी एक उपखंड को किसी उप खंड की विशिष्टता से न तो संकुचित अथवा सीमित किया जाए अथवा न ही किसी उप खंड में किसी सामान्य अभिव्यक्ति को उसी उप खंड में अभिव्यक्ति की किसी विशिष्टता से अथवा उसी प्रकार के किसी निर्माण भूमिका के अनुप्रयोग से अथवा अन्य रीति से संकुचित अथवा सीमित किया जाए ।

(घ) इस खंड में प्रयुक्त शब्द 'भारत' जब तक कि संदर्भ के विरुद्ध न हो उसमें भारत संघ में समय-समय पर समाविष्ट सभी भूभाग शामिल होंगे ।

4. सदस्यों की दायेता परिसीमित है ।

5. कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 25,00,00,000 रुपए (पचीस करोड़ रुपये) है जो 10 रुपये (दस रुपये) प्रत्येक के 2,50,00,000 (दो करोड़ पचास लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है और कंपनी की पूंजी में वृद्धि करने तथा कमी करने का अधिकार प्राप्त है ।

हम, विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम, पते, विवरण तथा व्यवसाय इसमें वर्णित हैं, इस संस्था के बहिर्नियम के अनुसरण में कंपनी बनने के लिए इच्छुक हैं तथा हम क्रमशः हमारे नामों के समक्ष दर्शाये गये अनुसार कंपनी की पूंजी में से शेयरों को लेने के लिए सहमत हैं ।

अभिदाता का नाम, पता एवं विवरण	प्रत्येक अभिदाता द्वारा लिये गये शेयरों की संख्या	हस्ताक्षर	साक्षी
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आई० डी० बी० आई० टॉवर, कफ परेड, मुंबई–400005 इसके निम्नलिखित कार्यपालक निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया : डॉ० रामचंद्र हनमंत पाटील (सुपुत्र एच० आर० पाटील)	ईक्विटी शेयर एक		ह/ वी० नारायण मूर्ति (सुपुत्र—वी० दक्षिणा मूर्ति) द्वारा—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आईडीबीआई टॉवर, कफ परेड, मुंबई–400 005.
2. दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० 163, बैकबे रेक्लेमेशन, मुंबई–400020 इसके निम्नलिखित प्रबंध निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया : श्री भुपेन्द्रनाथ विद्यानाथ भार्गव (सुपुत्र विद्यानाथ भार्गव)	एक		
3. भारतीय साधारण बीमा निगम सुरक्षा बिल्डिंग, 170, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई–400020 इसके निम्नलिखित अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया : श्री शंकर वेंकिटसुब्रा मणि (सुपुत्र पी० शंकर अय्यर)	एक		
4. भारतीय जीवन बीमा निगम योगक्षेम, मुंबई–400020 इसके निम्नलिखित मुख्य निवेश द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया : श्री बलदेव राज गुप्ता (सुपुत्र हंसराज गुप्ता)	एक		
5. श्री जी० श्रीराम मूर्ति सुपुत्र स्व० श्री सातैयाह द्वारा–भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आई० डी०बी०आई० टॉवर, कफ परेड, मुंबई–400005 व्यवसाय : नौकरी	एक		
6. श्री अरिन्द्रजीत लाहिड़ी सुपुत्र स्व० श्री एम० एल० लाहिड़ी द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आई० डी०बी० आई० टॉवर, कफ परेड, मुंबई–400005 व्यवसाय : नौकरी	एक		
7. श्री रवि नारायण सुपुत्र स्व० श्री धरम नारायण द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आई० डी० बी० टॉवर कफ परेड, मुंबई–400005 व्यवसाय : नौकरी	एक		

जे० रविचंद्रन
कम्पनी सचिव
एवं सहायक उपाध्यक्ष (विधि)
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

शेयरों द्वारा परिसीमित कम्पनी

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ

इंडिया लिमिटेड

के

संस्था के बहिर्नियम एवं अन्तर्नियम

कम्पनी अधिनियम 1956 की प्रथम अनुसूची में तालिका 'क' में अन्तर्विष्ट विनियम कम्पनी पर लागू नहीं होंगे किन्तु कम्पनी के प्रबंधन तथा उनके सदस्यों एवं प्रतिनिधियों द्वारा अनुपालन के लिए विनियम, विशेष संकल्प द्वारा अथवा जैसाकि कंपनी अधिनियम 1956 में विनिर्दिष्ट अनुसार जैसा इन अनुच्छेदों में अन्तर्विष्ट है, उसके विनियमों के निरसन अथवा परिवर्तन, अथवा उसमें अधिकत्व के सन्दर्भ में कम्पनी की सांविधिक शक्तियों के किसी प्रयोग के अध्यधीन होंगे ।

निर्वचन :

1. इस विनियम में निम्नलिखित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का निम्नलिखित अर्थ होगा जब तक कि वह विषय अथवा संदर्भ द्वारा अपवर्जित न किया गया हो :

(क) 'अधिनियम' अथवा 'उक्त अधिनियम' से कंपनी अधिनियम 1956 अभिप्रेत होगा तथा उसमें तत्समय प्रवृत्त प्रत्येक सांविधिक उपांतरण अथवा प्रतिस्थापन शामिल है ।

(ख) 'उप-विधि', 'निगमावली' तथा 'विनियमावली' से तत्समय प्रवृत्त एक्सचेंज की उपविधि, निगमांवली तथा विनियमावली अभिप्रेत होंगी ।

स्पष्टीकरण : 'नियमावली' में कंपनी के संस्था के बहिर्नियम तथा अंतर्नियम समाविष्ट होंगे ।

(ग) 'कंपनी' से 'नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड' अभिप्रेत होगा ।

(घ) 'एक्सचेंज' से कंपनी का एक अथवा अधिक उपक्रम अभिप्रेत होगा जहां एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्यों द्वारा प्रतिभूतियों में सौदे संचालित किए जाएंगे।

(ङ) 'कार्यपालिका समिति' से एक्सचेन्ज के दैनंदिन काम-काज के प्रबंधन के लिए इस विनियम में विनिर्दिष्ट रीति में तथा उसके अनुसरण में बोर्ड द्वारा गठित अथवा नियुक्त समिति (यों) होगा : कार्यपालिका समिति के सदस्य को 'कार्यपालिका समिति सदस्य' कहा जाएगा ।

(च) 'बोर्ड', 'निदेशक बोर्ड' अथवा 'निदेशक' से संयुक्त रूप से कम्पनी का निदेशक बोर्ड अथवा कंपनी के निदेशक अभिप्रेत होगा ।

(छ) 'कंपनी के सदस्य' अथवा 'सदस्यों' से समय-समय पर कंपनी के शेयरों के विधिवत पंजीकृत धारक अभिप्रेत होना और इसमें कम्पनी के संस्था के बहिर्नियम के अभिदाता समाविष्ट होंगे ।

(ज) 'कार्यालय' से तत्समय कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अभिप्रेत होगा ।

(झ) 'रजिस्टर' से अधिनियम की धारा 150 के अनुसरण में रखा जानेवाला सदस्यों का रजिस्टर अभिप्रेत होगा ।

(ञ) 'एससीआर अधिनियम' से प्रतिभूति संविदा विनियमन) अधिनियम 1956 अभिप्रेत होगा तथा उसमें तत्समय प्रवृत्त उसके सांविधिक उपांतरण अथवा पुनर्अधिनियम समाविष्ट होंगे ।

(ट) 'मुद्रा' से तत्समय के लिए कंपनी की सामान्य मुद्रा अभिप्रेत होगा ।

(ठ) 'सेबी अधिनियम' से भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 अभिप्रेत होगा तथा उसमें तत्समय प्रवृत्त उसके सांविधिक उपांतरण अथवा पुनर्अधिनियम समाविष्ट होंगे ।

(ड) 'एक्सचेंज का व्यापारिक सदस्य' अथवा 'व्यापारिक सदस्य' से एक्सचेंज का सदस्य अभिप्रेत होगा ।

स्पष्टीकरण : एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्यों की एक से अधिक श्रेणी हो सकती है जैसाकि बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा । एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्य की कंपनी के सदस्य के रूप में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा । यह जरूरी नहीं है कि एक 'व्यापारिक सदस्य' कंपनी का सदस्य हो ।

(ढ) 'लेखन' में मुद्रण, टंकण अक्षरमुद्रण तथा लेखन के लिए अन्य सामान्य विकल्प समाविष्ट होंगे ।

(ण) 'वर्ष' से 'कंपनी का वित्तीय वर्ष' अभिप्रेत होगा ।

2. (क) व्यक्तियों का अर्थ रखने वाले शब्दों में कंपनियों, निगम, फर्मों, संयुक्त परिवार अथवा संयुक्त निकाय, व्यक्तियों के परिसंघ, सोसाइटी, न्यास, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं, किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्था अथवा बैंक अथवा कंपनी की सहायक संस्थाएं शामिल हैं ।

(ख) पुलिंग वाचक शब्दों के अंतर्गत स्त्रीलिंग तथा विलोमतः तथा कंपनियों, निगमों, फर्मों इत्यादि के मामले में नपुंसक लिंग शामिल होंगे ।

(ग) एकवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन तथा विलोमतः समाविष्ट समझा जाएगा ।

(घ) जब तक कि इस विनियम में अन्यथा परिभाषित न हो अथवा जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षा न हो अथवा अन्यथा दर्शाया न गया हो, इस विनियम में आने वाले किसी शब्द अथवा अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जैसाकि कंपनी अधिनियम 1956 तथा एसआरसीआर अधिनियम तथा सेबी अधिनियम अथवा

उनके किसी उपांतरणों अथवा पुनर्अधिनियमों अथवा उनके अधीन बनाये गये किसी नियम में दिया गया है ।

(ङ) पार्श्व टिप्पण इसके अर्थान्वयन को प्रभावित नहीं करेंगे ।

शेयरपूंजी :

3. पूंजी—कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 25,00,00,000/- रुपये (पच्चीस करोड़ रुपये) है जो कि प्रत्येक 10/- रुपए (दस रुपए) मूल्य के 2,50,00,000 (दो करोड़ पचास लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है ।

4. सदस्यों, डिबेंचर धारकों आदि के रजिस्टर—कंपनी अधिनियम की धारा 150, 151 तथा 152 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर, सदस्यों की अनुक्रमणिका, डिबेंचर धारकों का रजिस्टर तथा डिबेंचर-धारकों की अनुक्रमणिका रखने के लिए कार्रवाई करेगी ।

5. सदस्यों एवं डिबेंचर-धारकों आदि के रजिस्टर का निरीक्षण—सदस्यों के रजिस्टर, सदस्यों की अनुक्रमणिका, डिबेंचर धारकों का रजिस्टर एवं अनुक्रमणिका अधिनियम की धारा 159 के अधीन तैयार किए गए सभी वार्षिक विवरणियां, धारा 161 के अधीन उसके साथ संलग्न करने के लिए आवश्यक प्रमाणपत्रों एवं दस्तावेजों की प्रतियों सहित केवल उस स्थिति को छोड़कर जब अधिनियम अथवा इस विलेख के उपबंधों के अधीन सदस्यों अथवा डिबेंचर धारकों के रजिस्टर बंद हों, कारोबार के समय के दौरान [illegible] किसी सदस्य अथवा डिबेंचर धारकों के निःशुल्क निरीक्षण तथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी राशि की अदायगी करने पर जैसाकि प्रत्येक निरीक्षण के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाए, निरीक्षण के लिए खुला रहेगा । ऐसा कोई सदस्य अथवा व्यक्ति अधिनियम द्वारा निर्धारित राशि की अदायगी करके उक्त दस्तावेजों के उद्धरण ले सकता है ।

6. कंपनी द्वारा रजिस्टर का उद्धरण आदि भेजा जाना—[illegible] ऐसी राशि की अदायगी करने पर जैसाकि अधिनियम में [illegible] किया जाएगा, अधिनियम के अधीन रखे जाने के लिए [illegible] सदस्यों के रजिस्टर, सदस्यों की अनुक्रमणिका, डिबेंचर-[illegible] का रजिस्टर एवं अनुक्रमणिका अथवा उनके किसी हिस्से की प्रति को अनुरोध किये जाने पर किसी सदस्य, डिबेंचर-[illegible] अथवा अन्य व्यक्ति को भेजेगी । कंपनी द्वारा अनुरोध [illegible] करने के दिन के बाद से प्रारंभ होने वाले, गैर-कारोबारी दिवसों को छोड़कर दस दिनों की अवधि के अंदर प्रति भेजी जाएगी ।

7. आबंटन पर निर्बंधन—बोर्ड आबंटन के बारे में अधि-[illegible] की धारा 69 तथा 70 में अंतर्निहित निर्बंधन का पालन [illegible] तथा आबंटन के बारे में अधिनियम की धारा 75 के लिए [illegible] उपबंध अनुसार विवरणियां बनाएगा ।

8. शेयर बोर्ड नियंत्रण [illegible]—अधिनियम एवं इस विलेख के उपबंधों के अध्यधीन [illegible] कंपनी की पूंजी में शेयर [illegible] पूंजी का भाग [illegible] शेयरों सहित) [illegible] में होंगे जो उन्हें अथवा उनमें से किसी को ऐसे [illegible] और ऐसे अनुपात में तथा ऐसे निबंधन एवं शर्तों [illegible] पर अथवा प्रीमियम पर अथवा (अधिनियम की धारा 79 के उपबन्धों के अनुपालन के अध्यधीन) बट्टा पर तथा ऐसे समय पर जैसा वे समय-समय पर उचित एवं उपयुक्त समझा जाए, आबंटित कर सकते हैं अथवा अन्य निपटान कर सकते हैं।

[illegible] शेयरों की मांग करने का विकल्प अथवा अधिकार साधारण बैठक में कंपनी की मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा ।

9. बोर्ड शेयरों को पूर्णतया समादत्त अथवा आंशिक समादत्त शेयर के रूप में आबंटित कर सकता है—अधिनियम तथा इस विलेख के उपबंधों के अध्यधीन बोर्ड कंपनी को बेची गयी किसी संपत्ति अथवा अंतरित माल अथवा आपूर्ति की गयी मशीनरी अथवा दी गयी सेवाओं के लिए भुगतान अथवा आंशिक भुगतान के रूप में कंपनी की पूंजी में से शेयर आबंटित अथवा जारी कर सकता है और इस प्रकार आबंटित किये जाने वाले शेयर पूर्ण [illegible] शेयरों अथवा आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के रूप में जारी किए जाएं ।

10. शेयरों की स्वीकृति—कंपनी में शेयरों के लिए किसी आवेदन पर स्वयं अथवा आवेदक की ओर से हस्ताक्षर करने के बाद उसमें किसी शेयर का आबंटन इस विलेख के अर्थ में शेयरों की स्वीकृति होगी, तथा कोई व्यक्ति जो इस प्रकार अथवा अन्यथा कोई शेयर स्वीकार करता है और जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में है वह इस विलेख के प्रयोजन से सदस्य होगा ।

11. जमा एवं काल आदि तत्काल भुगतान किए जाने वाले ऋण होंगे—वह धनराशि (यदि कोई) जिसे बोर्ड उसके द्वारा किसी शेयर के आबंटन पर, आबंटित किसी शेयर के [illegible] जमा, काल अथवा अन्यथा रूप में अदा करने के लिए [illegible] अथवा निर्देश देगा, सदस्यों के रजिस्टर पर आबंटिती का नाम ऐसे शेयरों के धारक के रूप में प्रविष्ट होने पर [illegible] आबंटिती द्वारा कंपनी को देय तथा बकाया ऋण हो जाएगा, तथा तदनुसार उसे उसकी अदायगी करनी होगी ।

12. शेयरों पर किस्तें—यदि किसी शेयर के [illegible] शर्तों द्वारा उसकी राशि अथवा निर्गम [illegible] अथवा उसका अंश किस्तों में अदायगी योग्य [illegible] पर ऐसी प्रत्येक किस्त उस व्यक्ति द्वारा जो [illegible] समय-समय पर ऐसे शेयर का पंजीकृत धारक [illegible] निर्धारित प्रतिनिधि द्वारा कंपनी को अदा करनी होगी ।

13. एक ही श्रेणी के शेयरों पर काल [illegible] हों—जहां भाग और शेयर पूंजी के लिए [illegible] किए जाने हैं, वहां ऐसे [illegible] आधार पर [illegible] आने वाले सभी शेयरों पर किए जाएंगे । [illegible] प्रयोजन के लिए [illegible] अदायगियां [illegible] नहीं समझे जाएंगे ।

14. [illegible]

[illegible] में किसी डेवाली नाम, रिसीवर अथवा प्रशासक, पार्टीगन [illegible]

अथवा अन्य दावा अथवा हित की किसी अन्य व्यक्ति की ओर से मान्यता देने के लिए आबद्ध नहीं है चाहे इसे उसकी अभिव्यक्त अथवा निहित नोटिस प्राप्त हुई हो अथवा न हुई हो ।

15. कम्पनी की निधियों को कम्पनी के शेयरों के क्रय अथवा उन पर उधार देने के लिए प्रयुक्त न किया जाए—अधिनियम की धारा 77 द्वारा अनुमत सीमा को छोड़कर कम्पनी की निधियों का कोई हिस्सा कम्पनी के शेयरों के क्रय अथवा शेयरों की प्रतिभूति पर उधार देने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा ।

16. सदस्यों की देयता—प्रत्येक सदस्य कम्पनी को उसके शेयर अथवा शेयरों द्वारा निरूपित पूंजी के हिस्से को, जो तत्समय उस पर अदत्त होगा, ऐसी राशियों में तथा ऐसे समय अथवा समयों पर तथा ऐसी रीति में अदा करेगी जैसाकि बोर्ड समय-समय पर उसके भुगतान के लिए अपेक्षा करेगा अथवा निर्धारित करेगा ।

17. न्यास मान्यता प्राप्त नहीं—सक्षम न्यायक्षेत्र के न्यायालय के आदेश अथवा इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, किसी न्यास की अभिव्यक्त अथवा निहित अथवा प्रलक्षित, नोटिस को कम्पनी के सदस्यों के अथवा डिबेंचर-धारकों के रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं की जाएगी ।

हामीदारी कमीशन :

18. शेयरों के नियोजन के लिए कमीशन—(1) कम्पनी किसी भी समय किसी व्यक्ति को कम्पनी के किसी शेयर, डिबेंचर अथवा डिबेंचर स्टाक अथवा किसी अन्य प्रतिभूति के लिए अभिदान करने अथवा अभिदान के लिए सहमत होने (निरपेक्ष रूप से अथवा सशर्त) पर अथवा कम्पनी के किसी शेयर, डिबेंचर अथवा डिबेंचर स्टाक अथवा किसी अन्य प्रतिभूति को अभिदान प्राप्त करने अथवा अभिदान प्राप्त करने के लिए सहमत होने (निरपेक्ष रूप से अथवा सशर्त) पर कमीशन का भुगतान कर सकती है, किन्तु यदि शेयरों के संबंध में पूंजी में से इस प्रकार कमीशन की अदायगी की जाएगी अथवा भुगतान देय होगी तो सांविधिक शर्तों एवं अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा और कमीशन की राशि अथवा दर अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट दरों से अधिक नहीं होगी । कमीशन की अदायगी अथवा भरपाई नकद अथवा कम्पनी के शेयरों, डिबेंचरों अथवा डिबेंचर स्टाक के रूप में की जाएगी ।

(2) कम्पनी ऐसे शेयरों के निर्गम पर ऐसी दलाली की अदायगी भी कर सकती है जैसाकि अधिनियम के अधीन अनुमति दी जाए ।

प्रमाणपत्र :

19. प्रमाणपत्र कैसे जारी किए जाएं—शेयरों के स्वत्वाधिकार के प्रमाणपत्र कम्पनी की मुद्रा अंकित कर जारी किए जाएंगे तथा उस पर दो निदेशकों अथवा विधिवत गठित मुख्तारनामा के अधीन निदेशकों की ओर से कार्य कर रहे व्यक्तियों अथवा इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे । ऐसे शेयरों के प्रमाणपत्र की मण्डर्गी हस्ताक्षर की धारा 113 के उपबंधोंके अध्यधीन अधिनियम की धारा 153 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार यथास्थिति आबंटन के बाद तीन महीनों के अन्दर अथवा ऐसे शेयरों के अन्तरण के पंजीकरण के लिए आवेदन के बाद दो महीनों के अंदर की जाएगी, परन्तु सदा ही यह कि इन अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए भी शेयर के स्वत्वाधिकार के प्रमाणपत्र अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के इस प्रकार के अन्य उपबंधों के अनुसार निष्पादित और जारी किए जाएं जैसाकि तत्समय अथवा समय-समय पर प्रवृत्त होंगे ।

20. प्रमाणपत्रों के लिए सदस्य का अधिकार—प्रत्येक सदस्य अदायगी किए बिना उसके नाम पर पंजीकृत प्रत्येक श्रेणी अथवा संवर्ग, सभी शेयरों के लिए एक प्रमाणपत्र अथवा, यदि निदेशक अनुमोदन करें (ऐसे शुल्क अथवा शुल्कों की अदायगी करने पर अथवा निदेशकों के विवेक पर शुल्क की अदायगी के बिना जैसाकि निदेशक समय-समय पर निर्धारित करेंगे) प्रत्येक श्रेणी के लिए एक अथवा अधिक शेयरों के लिए प्रत्येक के कई प्रमाणपत्रों के लिए हकदार होगा । शेयरों के प्रत्येक प्रमाणपत्र में ऐसे विवरण अंतर्विष्ट होंगे और ऐसे फार्म में होगा जैसाकि कम्पनी (प्रमाणपत्रों का निर्गम) नियमावली, 1960 अथवा उसके प्रतिस्थापन अथवा उपांतरण में बनायी गयी किसी अन्य नियमावली में विनिर्दिष्ट किया जाए । जहां पर सदस्य ने अपनी धारिता में समाविष्ट शेयरों के हिस्से को अंतरित कर दिया है वहां वह शेष बचे शेयरों के लिए बिना प्रभार के प्रमाणपत्र के लिए हकदार होगा ।

21. विकृत, खोये अथवा नष्ट हुए प्रमाणपत्रों के स्थान पर नये प्रमाणपत्र जारी करना—(1) निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रमाणपत्र का नवीकरण किया जाए अथवा डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी किया जाए :

(क) यदि ऐसे प्रमाणपत्र(त्रों) के बारे में यह साबित कर दिया गया हो कि वह खो गया है अथवा नष्ट हो गया है, अथवा

(ख) कम्पनी को विकृत अथवा कटे-फटे अथवा फटे रूप में सौंपा गया हो, अथवा

(ग) उसके पृष्ठभाग पर पृष्ठांकन अथवा अंतरण के लिए आगे और स्थान न बचा हो ।

(2) प्रमाणपत्र जारी करने अथवा नवीकरण करने अथवा उसका डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने की रीति, प्रमाणपत्र (नए अथवा नवीकृत) अथवा उसके डुप्लीकेट का फार्म, सदस्यों के रजिस्टर अथवा नवीकृत अथवा डुप्लीकेट प्रमाणपत्रों के रजिस्टर में प्रविष्ट किये जाने वाले ब्यौरे, शुल्क जिसकी अदायगी पर, निबंधन एवं शर्तें जिसके आधार पर प्रमाणपत्र का नवीकरण किया जाए अथवा उसका डुप्लीकेट जारी किया जाए ऐसी होंगी जैसाकि कम्पनी (शेयर प्रमाणपत्र निर्गम) नियमावली 1960 अथवा उसके प्रतिस्थापन अथवा उपांतरण में बनाये गये अन्य नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

मांग :

22. मांग—सदस्यों द्वारा धारित शेयरों पर अदत्त सभी धनराशियों के संबंध में तथा उसके आबंटन की शर्तों के अनुसार निर्धारित समयों पर भुगतान न किये जाने पर निदेशक समय-समय पर ऐसी मांग (काल) कर सकता है जैसा वे उचित समझेंगे तथा ऐसे सदस्य को इस प्रकार की जाने वाली प्रत्येक मांग पर निदेशकों द्वारा निर्धारित व्यक्ति को तय किये गये स्थान और समयों पर अदायगी करनी होगी । काल की अदायगी को किस्तों में भुगतान योग्य किया जाए ।

23. मांग की नोटिस—कोई मांग (काल) की उस समय मांगा गया समझा जाएगा जब ऐसे काल को प्राधिकृत करने वाला निदेशकों का संकल्प पारित किया गया हो तथा सदस्यों द्वारा सदस्यों के रजिस्टर में ऐसी तारीख को अथवा निदेशकों के विवेक पर ऐसी परवर्ती तारीख को देय किया जाए जैसाकि निदेशकों द्वारा निश्चित किया जाए ।

24. भुगतान के समय को निर्दिष्ट करते हुए प्रत्येक मांग की कम से कम चौदह दिन की नोटिस दी जाएगी परन्तु ऐसी मांग के लिए समय से पहले निदेशक सदस्यों को लिखित रूप में नोटिस देते हुए इसका प्रतिसंहरण कर सकता है ।

25. बोर्ड समय-विस्तार कर सकता है—कृपा एवं अनुग्रह के रूप में किये गये विस्तार को छोड़कर निदेशक किसी काल की अदायगी के लिए निश्चित किये गये समय में अपने विवेकानुसार समय-समय पर विस्तार कर सकते हैं तथा सभी सदस्यों अथवा किसी सदस्य के लिए जिसे निदेशक ऐसे विस्तार के लिए हकदार समझें ऐसे समय को विस्तारित कर सकते हैं ।

26. संयुक्त धारकों की देयताएं—शेयर के संयुक्त धारक उसके संबंध में किए गए सभी कालों की अदायगी के लिए संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से दायी होंगे ।

27. मांग के अनुसार राशि की अदायगी निश्चित समय पर अथवा किस्तों में की जाए—यदि किसी शेयर के निर्गम की शर्तों द्वारा अथवा अन्यथा किसी निश्चित समय पर अथवा निश्चित समयों पर किस्तों के जरिए भुगतानयोग्य की गयी है, चाहे शेयर की राशि के कारण अथवा प्रीमियम के जरिए, तो ऐसी प्रत्येक राशि अथवा किस्त उस प्रकार देय होगी जैसाकि निदेशकों द्वारा मांग की गयी हो तथा जिसके लिए समुचित नोटिस दी गयी है और तद्नुसार कालों के संबंध में इसमें अंतर्विष्ट सभी उपबंध ऐसी राशि अथवा किस्तों से संबंधित होंगी ।

28. मांग अथवा किस्त पर ब्याज कब देय होगी—यदि किसी काल अथवा किस्त के संबंध में देय राशि उसके भुगतान के लिए नियत दिन से पहले अदा नहीं की जाती है, तो तत्समय शेयर के धारक अथवा आवंटिती को जिसके संबंध में मांग की गयी है अथवा किस्त बकाया होगी, भुगतान के लिए नियत दिन से वास्तविक रूप से भुगतान किये जाने के समय तक उस राशि पर उस दर से ब्याज अदा करना होगा जैसाकि निदेशक समय-समय पर निर्धारित करेगा किन्तु निदेशक ऐसे ब्याज की अदायगी को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से माफ कर सकते हैं ।

29. आंशिक भुगतान जब्ती को निवारित नहीं करता—किसी शेयर के संबंध में किये गये कालों अथवा बकाया धनराशियों के लिए कम्पनी के पक्ष में न तो कोई निर्णय न ही कोई डिक्री न ही उसके अधीन कोई अदायगी अथवा भरपाई न ही किसी शेयर के संबंध में मूलधन अथवा ब्याज के जरिए सदस्य से समय-समय पर प्राप्त होने वाली किसी राशि के हिस्से की प्राप्ति न ही किसी धनराशि के संबंध में कम्पनी द्वारा प्रदत्त कोई दण्ड-मोचन इसमें उपबंध किये गये अनुसार ऐसे शेयरों की जब्ती को निवारित करेगा ।

30. मांग की प्रत्याशा में किये गये भुगतान पर ब्याज लगाया जाएगा—निदेशक यदि उचित समझें तो ऐसे किसी सदस्य से जो उसके द्वारा धारित शेयरों पर देय वास्तविक रूप से मांगी गयी राशि से अधिक धनराशियों की पूरी राशि अथवा उसके किसी हिस्से को अग्रिम के तौर पर देना चाहता है, प्राप्त कर सकता है तथा इस प्रकार अग्रिम के रूप में अदा की गयी धनराशि पर उन शेयरों पर जिनके संबंध में अग्रिम प्रदान किया गया है, समय-समय पर कालों से अधिक होने वाली राशि के लिए कम्पनी ऐसी दर पर ब्याज अदा करेगी जिस दर के लिए अग्रिम के रूप में राशि प्रदान करने वाला सदस्य तथा निदेशक सहमत होंगे तथा निदेशक किसी भी समय सदस्य को एक माह की लिखित नोटिस देकर इस प्रकार अग्रिम के रूप में दी गयी राशि की चुकौती कर सकता है ।

31. सदस्य सदस्यता के विशेषाधिकारों के लिए तब तक हकदार नहीं है जब तक कि सभी मांगों (कालों) की अदायगी न कर दी गयी हो—कोई भी सदस्य किसी प्रकार का लाभांश पाने अथवा सदस्य के रूप में विशेषाधिकार का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने अकेले किसी और व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर पर तत्समय देय सभी कालों की ब्याज एवं अन्य व्ययों यदि कोई हों, के साथ अदायगी न कर दी हो ।

32. यदि मांग अथवा किस्त की अदायगी न की गयी हो तो नोटिस अवश्य दी जाए—यदि कोई सदस्य किसी शेयर के संबंध में किसी काल की पूरी राशि अथवा उसके भाग अथवा किस्त अथवा देय अन्य राशि मूलधन अथवा ब्याज के जरिए उसके भुगतान के लिए नियत दिन से पूर्व अदायगी करने में असफल रहता है तो निदेशक उसके बाद ऐसी किसी अवधि के दौरान जिस अवधि के दौरान काल अथवा किस्त अथवा उसका कोई हिस्सा अथवा अन्य धनराशियां अवत्त रहती है अथवा उसके संबंध में निर्णय अथवा डिक्री पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से असंतोषकारी रहता है, ऐसे सदस्य अथवा प्रेषण के द्वारा शेयर के लिए हकदार व्यक्ति (यदि कोई हो) से अवत्त रहे । ऐसे काल अथवा किस्त अथवा उसके हिस्से अथवा अन्य धनराशियों को उपचित होने वाली ब्याज तथा इस प्रकार की गैर-अदायगी के कारण कम्पनी द्वारा चुकाये गये अथवा वहन किये गये सभी खर्चों (विधिक अथवा अन्यथा) को अदायगी के लिए आदेश देते हुए नोटिस तामील कर सकता है ।

33. नोटिस का फार्म—नोटिस में ऐसे एक दिन का जो नोटिस की तारीख से चौदह दिनों से कम नहीं होगा और स्थान अथवा स्थानों का उल्लेख होगा जब और जहां उपरोक्त अनुसार ऐसे काल अथवा किस्त अथवा उसके हिस्से अथवा अन्य धनराशियों तथा उपरोक्त अनुसार ब्याज एवं खर्चों की अदायगी की जाए । नोटिस में इस बात का भी उल्लेख होगा कि निर्धारित समय को तथा स्थान पर अथवा उससे पहले अदायगी न होने की स्थिति में वह शेयर जिसके संबंध में काल किया गया है अथवा किस्त देय है जब्त किये जाने के लिए दायी होगा ।

34. भुगतान में चूक किये जाने पर शेयर जब्त किए जाएं—यदि उपरोक्त अनुसार ऐसी किसी नोटिस की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाता है ऐसे किसी शेयर को जिसके संबंध में नोटिस दी गयी है उसके बाद उसके संबंध में सभी कालों अथवा किस्तों, ब्याज तथा व्ययों अथवा देय राशि की अदायगी के पहले, निदेशकों द्वारा इस आशय का संकल्प पारित करके जब्त किया जा सकता है । ऐसी जब्ती में अधिनियम की धारा 205-क के अध्यधीन जब्त किये गये शेयरों के संबंध में घोषित किये गये किंतु वास्तव में भुगतान न किये गये सभी लाभांश शामिल होंगे ।

35. सदस्यों के रजिस्टर में जब्ती की प्रविष्टि की जाए—जब कोई शेयर इस प्रकार जब्त किया जाएगा तो जब्ती की तारीख के साथ उसकी प्रविष्टि सदस्यों के रजिस्टर में की जाएगी ।

36. जब शेयर कम्पनी की संपत्ति होंगे और बेचा जाएगा—इस प्रकार जब्त किये गये शेयर कम्पनी की संपत्ति समझे जाएंगे तथा इन्हें मूलधारक अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी रीति से बेचा, पुनर्आबंटित अथवा अन्यथा निपटान किया जाए जैसा निदेशक उचित समझें ।

37. जब्ती को रद्द करने का अधिकार—निदेशक इस प्रकार जब्त किये गये शेयर को बेचे, पुनर्आबंटित अथवा अन्यथा निपटान किये जाने से पूर्व किसी भी समय जब्ती को ऐसी शर्तों पर जैसा वे उचित समझें रद्द कर सकते हैं ।

38. शेयरधारक जब्ती के समय भी बकाया धनराशि तथा ब्याज की अदायगी करने के लिए दायी होंगे—कोई सदस्य जिसका शेयर जब्त कर लिया गया है, जब्ती के होते हुए भी कम्पनी को सभी कालों, किस्तों, ब्याजों, व्ययों तथा उस पर बकाया अथवा जब्ती के समय ऐसे शेयर के संबंध में जब्ती के समय से लेकर भुगतान के समय तक ऐसी दरों पर जैसा निदेशकों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उस पर देय ब्याज के साथ अन्य राशियों की अदायगी के लिए दायी होगा तथा कम्पनी को तत्काल अदायगी करेगा तथा निदेशक यदि उचित समझें तो पूरी अथवा उसके हिस्से की अदायगी को प्रवर्तित करा सकते हैं किन्तु ऐसा करने के लिए वे किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं होंगे ।

39. शेयरों पर कम्पनी का ग्रहणाधिकार—कम्पनी का अपने पूर्णतया समादत्त शेयरों पर कोई ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा । आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के मामले में कम्पनी को ऐसे शेयरों के मामले में केवल मांगी गयी अथवा निर्धारित समय में देय सभी धनराशियों के लिए प्रथम एवं सर्वोपरि ग्रहणाधिकार प्राप्त रहेगा। अधिनियम की धारा 205 के अध्यधीन ऐसे शेयरों के संबंध में समय-समय पर घोषित किये गए सभी लाभांशों पर भी यह ग्रहणाधिकार लागू होगा । जब तक कि अन्यथा सहमति न दी गयी हो, शेयरों के अंतरण के पंजीकरण ऐसे शेयरों पर कम्पनी के ग्रहणाधिकार, यदि कोई हों, के अधित्याग के रूप में कार्य करेगा ।

40. बिक्री के द्वारा ग्रहणाधिकार को प्रवृत्त करना—ऐसे ग्रहणाधिकार को प्रवृत्त कराने के प्रयोजन से निदेशक उसके अध्यधीन शेयरों को ऐसी रीति में बिक्री कर सकते हैं जैसाकि वे उचित समझें, किन्तु तब तक कोई बिक्री नहीं की जाए जब तक कि कतिपय राशि जिसके संबंध में ग्रहणाधिकार विद्यमान है वर्तमान में देय न हो न ही तब तक जब तक कि ऐसे व्यक्ति अथवा प्रेषण के द्वारा हकदार व्यक्ति (यदि कोई हों) पर बिक्री के आशय की नोटिस लिखित रूप में तामील न की गयी हो और उसने ऐसी नोटिस के बाद सात दिनों के लिए वर्तमान में देय राशि की अदायगी में उसने चूक न की हो ।

41. बिक्री से प्राप्त आय का अनुप्रयोग—ऐसी बिक्री की लागतों की अदायगी के बाद ऐसी किसी बिक्री की निवल प्राप्तियों को ऋण अथवा देयता की भरपाई के लिए प्रयुक्त किया जाएगा जिसके संबंध में ग्रहणाधिकार विद्यमान है, जब तक कि वह वर्तमान में देय न हो तथा शेष बची राशि को सदस्य को अथवा इस प्रकार बेचे गये शेयरों के प्रेषण के लिए हकदार व्यक्ति (यदि कोई हो) को अदा किया जाए ।

42. जब्ती प्रमाणपत्र—कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक अथवा सचिव के हस्ताक्षर से लिखित रूप में इस आशय का प्रमाणपत्र कि शेयर के संबंध में कॉल किया गया था, तथा इस आशय के लिए निदेशकों के संकल्प की अवधि शेयर की जब्ती की गयी थी, ऐसे शेयर के लिए हकदार सभी व्यक्तियों के विरुद्ध उसमें वर्णित तथ्य का निर्णायक साक्ष्य होगा ।

43. क्रेता का हक तथा जब्त शेयरों का आबंटन—कम्पनी शेयर के लिए उसकी किसी बिक्री, पुनर्आबंटन अथवा अन्य प्रकार के निपटान पर प्रतिफल को प्राप्त कर सकती है और वह व्यक्ति जिसे ऐसे शेयर को बेचा, पुनर्आबंटित अथवा निपटान किया गया है शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत किया जाए और ऐसा व्यक्ति प्रतिफल के अनुप्रयोग, यदि कोई हो, को देखने के लिए आबद्ध नहीं होगा न ही शेयर की जब्ती, बिक्री, पुनर्आबंटन अथवा अन्य निपटान के संदर्भ में कार्यवाहियों में किसी अनियमितता अथवा अवैधता से शेयर के स्वत्वाधिकार से उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा और बिक्री से अपकृत किसी व्यक्ति का उपचार सिर्फ कम्पनी को क्षति में तथा कम्पनी के विरुद्ध होगा ।

44. जब्ती के उपबंधों का अनुप्रयोग—जब्ती के लिए इस विनियम का उपबंध किसी ऐसी राशि की अदायगी न किये जाने के मामले में लागू होगा जो शेयर जारी की शर्तों के द्वारा निर्धारित समय पर देय होगा जैसे कि वह विधिवत् किये गये तथा अधिसूचित काल के नाते देय हो गया था ।

शेयरों का अंतरण एवं प्रेषण :

45. अंतरण फार्म—किसी शेयर के अंतरण का लिखत अधिनियम की धारा 108(1-ए) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए फार्म में लिखित रूप में होगा ।

46. अंतरण के लिखत का निष्पादन—अंतरण का प्रत्येक ऐसा लिखत अंतरणकर्ता एवं अंतरिती दोनों द्वारा निष्पादित किया जाएगा तथा अंतरणकर्ता ऐसे शेयर का तब तक धारक समझा जाएगा जब तक कि अंतरिती का नाम इस संबंध में सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं कर लिया जाता ।

47. कम्पनी, शेयरों के अंतरणकर्ता तथा अंतरिती को अधिनियम की धारा 108 की उप धारा (1), (1-ए) तथा (1-बी) के उपबंधों का पालन करना होगा ।

48. अंतरण लिखत हक के प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जाए—अंतरण का प्रत्येक लिखत विधिवत स्टाम्प लगाकर पंजीकरण के लिए प्रस्तुत करना होगा और उसके साथ संबंधित शेयर प्रमाणपत्र तथा ऐसे साक्ष्य जो अंतरणकर्ता के स्वत्वाधिकार शेयर अंतरित करने के लिए उसके अधिकार को प्रमाणित करने हेतु तथा सामान्य रूप से ऐसी शर्तों तथा विनियमों के अंतर्गत तथा अध्यधीन जैसाकि बोर्ड समय-समय पर विनिर्दिष्ट करेगा, बोर्ड को अपेक्षित होंगे तथा अंतरण का प्रत्येक पंजीकृत लिखत, विधि के उपबंधों के अध्यधीन निदेशक बोर्ड के आदेश द्वारा नष्ट किए जाने तक कम्पनी की अभिरक्षा में रहेगा ।

49. मृत सदस्य के शेयरों का हक—उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के निष्पादक अथवा प्रशासक अथवा धारक अथवा मृत (दो अथवा अधिक संयुक्त धारकों में से नहीं) व्यक्ति का विधिक व्यक्ति ही ऐसे सदस्य के नाम में पंजीकृत शेयरों पर कोई स्वत्वाधिकार रखने वाले व्यक्ति के रूप में कम्पनी द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे तथा कम्पनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के ऐसे निष्पादक अथवा प्रशासक अथवा धारक अथवा विधिक प्रतिनिधियों को तब तक मान्यता देने के लिए आबद्ध नहीं होगी जब तक कि उन्होंने पहले भारत संघ में विधिवत न्यायालय से वसीयत प्रमाणपत्र अथवा प्रशासन पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र अथवा यथास्थिति अन्य विधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त न किया हो परन्तु किसी मामले में जहां बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझता है, क्षतिपूर्ति अथवा अन्यथा शर्तों पर जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेक पर आवश्यक समझे, वसीयत प्रमाणपत्र अथवा प्रशासन

पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने की शर्त को छोड़ सकेगा तथा अनुच्छेद 51 के अधीन ऐसे व्यक्ति का नाम पंजीकृत कर सकता है जो मृत सदस्य के नाम में दर्ज शेयरों के लिए सदस्य के रूप में पूर्ण हकदार होने का दावा करता है ।

50. शेयरों के एक अथवा अधिक संयुक्तधारकों का दिवाला अथवा परिसमापन—सदस्यों के रजिस्टर में किसी शेयर के संयुक्त धारकों के रूप में एक अथवा अधिक व्यक्तियों के दिवाला अथवा परिसमापन की स्थिति में बचा हुआ अथवा बचे हुए धारक ही ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें कम्पनी ऐसे शेयर में कोई स्वत्वाधिकार अथवा हित रखने वाले व्यक्ति के रूप में मान्यता देगी किन्तु इसमें अंतर्विष्ट किसी बात को दिवाला अथवा परिसमापन के अधीन व्यक्ति द्वारा अन्य-व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से धारित शेयरों पर किसी देयता से उसकी संपदा को निर्मुक्त करने के लिए नहीं लिया जाएगा ।

51. अंतरण के अलावा अन्य रीति से शेयरों के हकदार व्यक्तियों का पंजीकरण—इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, किसी सदस्य के दिवाला अथवा परिसमापन के परिणामस्वरूप, इन अनुच्छेदों के अनुसार अंतरण के अलावा अन्य विधि-सम्मत तरीके से शेयरों के लिए हकदार बनने वाला व्यक्ति, बोर्ड की सहमति से, जो देने के लिए किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं रहेगा और ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कि इन अनुच्छेदों के अधीन जिसके संबंध में वह कार्य करने के लिए प्रस्ताव कर रहा है, चरित्र का निर्वाह करता है अथवा बोर्ड उसके स्वत्वाधिकार को पर्याप्त समझता है तो उसे शेयरों के धारक के रूप में पंजीकृत कर सकता है अथवा उसके द्वारा नामित तथा निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी व्यक्ति को ऐसे शेयरों के धारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति का चयन कर सकता है ।

परन्तु तिस पर भी उस व्यक्ति को जो अपने नामिती को पंजीकृत कराने के लिए चयन करेगा उसे इस अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अपने नामिती के पक्ष में अंतरण का लिखत निष्पादित करके चयन को सिद्ध करना होगा, तथा जब तक वह ऐसा नहीं करता, ऐसे शेयरों के संबंध में किसी देयता से वह मुक्त नहीं होगा ।

52. अंतरण अथवा प्रेषण पर शुल्क—कम्पनी में किसी शेयर को अंतरित करने प्रेषण करने के संबंध में कम्पनी को कोई शुल्क देय नहीं होगा ।

53. अंतरण का रजिस्टर रखा जाए—कम्पनी एक बही रखेगी जिसे 'अंतरण रजिस्टर' कहा जाएगा तथा उसमें किसी शेयर के प्रत्येक अंतरण अथवा प्रेषण के ब्यौरों को उचित रूप में और स्पष्ट रूप में दर्ज किया जाएगा ।

54. अंतरण बहियों का समापन—बोर्ड को यह अधिकार रहेगा कि वह कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय वाले जिले में प्रसार वाले कुछ समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए सात दिनों की पूर्व नोटिस देकर अंतरण बहियों, सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिबेंचर धारकों के रजिस्टर को ऐसे समय पर अथवा ऐसे समयों पर तथा ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए, जोकि एक बार में तीस दिनों से अनधिक तथा प्रत्येक वर्ष में समग्र रूप से पैंतालीस दिनों से अनधिक हो जैसा वह कालोचित समझे, बंद कर सकता है ।

55. निदेशक अंतरणों को पंजीकृत करने से इन्कार कर सकता है—कम्पनी अधिनियम की धारा 111 के उपबंधों के अध्यधीन, इन अनुच्छेदों के अधीन कम्पनी को प्राप्त किसी शक्ति के अनुसरण में अथवा अन्यथा, बोर्ड किसी शेयर के, अथवा उसके लिए प्राप्त अधिकार को विधि के प्रयोग से प्रेषण को अथवा उसमें निहित सदस्य के हित को, अथवा कम्पनी के डिबेंचर को अंतरित करने से इन्कार कर सकता है तथा कम्पनी उस तारीख से जब यथास्थिति अंतरण का लिखत, अथवा ऐसे प्रेषण की सूचना, कम्पनी के सुपुर्द की गयी थी, दो माह के अंदर ऐसे इन्कार के कारणों को स्पष्ट करते हुए, अंतरिती तथा यथास्थिति, अंतरणकर्ता अथवा ऐसे प्रेषण की सूचना देने वाले व्यक्ति को इन्कार की नोटिस भेजेगी ।

परन्तु अंतरण के पंजीकरण के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि अंतरणकर्ता अकेले अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के साथ, केवल उस स्थिति को छोड़कर जब शेयरों पर कम्पनी का ग्रहणाधिकार हो, कम्पनी का ऋणी है ।

56. विधि प्रवर्तन के द्वारा प्रेषण के जरिए शेयरों पर अधिकार—अनुच्छेद 48 में अंतर्विष्ट कोई प्रावधान कम्पनी के किसी व्यक्ति को जिसे विधि के प्रचालन से कम्पनी में शेयर के अधिकार को प्रेषित किया गया है, शेयर धारक के रूप में पंजीकृत करने की किसी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

57. विधिक प्रतिनिधि द्वारा अंतरण—कम्पनी में किसी मृत सदस्य के शेयरों अथवा अन्य हित को उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा किया गया अंतरण उसी प्रकार वैध होगा जैसाकि अंतरण के लिखत के निष्पादन के समय वह सदस्य रहा होता, हालांकि विधिक प्रतिनिधि स्वयं एक सदस्य नहीं है ।

58. अंतरण करने से इन्कार का कम्पनी का अधिकार—इस विलेख में वर्णित कुछ भी किसी शेयर के अंतरण को पंजीकृत करने से इन्कार करने की कम्पनी की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

59. जब तक अंतरिती को रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं कर लिया जाता तब तक अंतरणकर्ता दायी रहेगा—अंतरणकर्ता ऐसे शेयर का तब तक धारक समझा जाएगा जब तक कि उसके संबंध में अंतरिती का नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नहीं कर लिया जाता ।

60. अंतरण की अभिरक्षा—पंजीकरण के बाद अंतरण लिखत कम्पनी द्वारा रख लिया जाएगा और उसकी अभिरक्षा में रहेगा। सभी अंतरण लिखतों को जिन्हें निदेशक पंजीकरण करने से नकार दें, उन्हें मांगे जाने पर जमा करने वाले व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा । निदेशक कम्पनी के पास पड़े अंतरण लिखतों को ऐसी अवधि के बाद जैसा वे निर्धारित करें, नष्ट करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं ।

61. नोटिस के निरादर के लिए कम्पनी दायी नहीं—कम्पनी शेयर के प्रतीयमानतः विधिक स्वामी (जैसाकि सदस्यों के रजिस्टर में दर्शाया गया है अथवा दिखायी दे रहा है) द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले किसी शेयर के अंतरण को पंजीकृत करने पर, अथवा पंजीकरण प्रभावी करने पर जिससे उसी शेयर में अथवा उसके संबंध में साम्य हेतु मूलक अधिकार, स्वत्वाधिकार अथवा हित रखने वाले अथवा दावा करने वाले व्यक्तियों को हुई हानि चाहे भले ही कम्पनी को ऐसे साम्य मूलक अधिकार,

स्वत्वाधिकार अथवा हित अथवा ऐसे अंतरण के पंजीकरण को निवारित करने वाली नोटिस की जानकारी रही हो और उसने ऐसी नोटिस अथवा उसके संदर्भ को कम्पनी की किसी बही में प्रविष्ट किया हो, उसके परिणामस्वरूप किसी प्रकार की देयता, अथवा उत्तरदायित्व को वहन नहीं करेगी और कम्पनी किसी साम्यमूलक स्वत्वाधिकार अथवा हित के बारे में उसे दी गयी किसी नोटिस का आदर अथवा पालन अथवा कार्यान्वयन करने के लिए आबद्ध नहीं होगी अथवा उसके लिए आवश्यक नहीं होगा अथवा ऐसा करने के लिए मना करने अथवा उपेक्षा करने पर उस पर कोई देयता नहीं आएगी, भले ही उसने कम्पनी की किसी बही में प्रविष्टि की हो अथवा संदर्भित किया हो किन्तु निदेशक उचित समझे तो कम्पनी तिस पर भी ऐसी किसी नोटिस का आदर करने और पालन करने के लिए स्वतंत्र रहेगी ।

62. डिबेंचरों का अंतरण—इन अनुच्छेदों के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित कम्पनी के डिबेंचरों के आबंटन तथा अंतरण अथवा अधिकार की विधि द्वारा प्रेषण पर लागू होंगे ।

63. अंतरण तथा अन्यक्रम अधिकारों पर प्रतिबंध—

(अ) उपर्युक्त अनुच्छेदों में उपबंधित अनुसार तथा अनुच्छेद 53 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सदस्य शेयर का अंतरण करने के लिए स्वतंत्र रहेगा ।

(आ) इसके आगे उपबंधित को छोड़कर कम्पनी में तब तक कोई शेयर अंतरित नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके आगे प्रदत्त पूर्वक्रय के अधिकार समाप्त न हो गए हों ।

(इ) प्रत्येक सदस्य जो किसी शेयर को अंतरित करना चाहता हो (इसके आगे विक्रेता कहा गया है) उसे अपने अभिप्राय की लिखित नोटिस बोर्ड को देनी होगी । नोटिस में वह मूल्य निर्विष्ट होगा जिस पर विक्रेता नोटिस में संदर्भित शेयरों को बेचने का प्रस्ताव कर रहा है और नोटिस में क्रेता का नाम भी उल्लिखित होगा । बोर्ड को यह विवेकाधिकार रहेगा कि वह उस मूल्य को स्वीकार करे अथवा न करे । यदि बोर्ड नोटिस में उल्लिखित मूल्य को स्वीकार नहीं करता है तो उसका निर्धारण तत्समय के कम्पनी के लेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा जो अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में उस मूल्य को प्रमाणित करेगा जो उसकी राय में इच्छुक विक्रेता और इच्छुक क्रेता के बीच उस शेयर की उचित बिक्री कीमत है । लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणन ऐसी नोटिस में शेयरों के विक्रय मूल्य के बारे में निश्चायक होगा । बोर्ड द्वारा स्वीकार की गयी अथवा निर्धारित की गयी कीमत शेयरों का उचित मूल्य होगा और इसके आगे उसे 'उचित मूल्य' के रूप में उल्लिखित किया गया है । नोटिस बोर्ड को उचित मूल्य पर शेयरों की बिक्री के लिए विक्रेता का एजेन्ट बनायेगी ।

(ई) बोर्ड बेचे जानेवाले शेयरों की संख्या तथा शेयरों के उचित मूल्य के बारे में कंपनी के सभी सदस्यों को शक्काम नोटिस देगा और उनमें से प्रत्येक को आमंत्रित करेगा कि वे उक्त नोटिस की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर लिखित रूप में बताएं कि क्या वह किसी शेयर को खरीदने का इच्छुक है, यदि हां तो वह उक्त शेयरों की कितनी अधिकतम संख्या खरीदना चाहता है ।

(उ) उपर्युक्त इक्कीस दिनों की समाप्ति पर बोर्ड उक्त शेयरों को उस सदस्य को अथवा उन सदस्यों में आबंटित करेगा जिन्होंने उपरोक्त अनुसार खरीदने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की थी परन्तु कोई भी सदस्य शेयरों की उस अधिकतम संख्या से अधिक शेयर खरीदने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसने उपरोक्त अनुसार अधिसूचित की हो । यदि उपलब्ध शेयरों से ज्यादा शेयर खरीदने की इच्छा कई सदस्य प्रकट करेंगे तो निदेशक अपने विवेकानुसार और ऐसी रीति में जैसा वे ठीक समझें, यह निर्णय कर सकते हैं कि किस सदस्य अथवा किन सदस्यों को शेयर बेचे जाएं तथा निदेशकों का निर्णय अंतिम होगा । ऐसा आबंटन किये जाने पर उचित मूल्य के भुगतान पर विक्रेता शेयर को क्रेता अथवा क्रेताओं को अंतरित करने के लिए/आबद्ध होगा और यदि वह ऐसा करने में चूक करता है तो बोर्ड ले सकता है और क्रय राशि के लिए विक्रेता की ओर से उचित अदायगी कर सकता है तथा क्रेता का नाम रजिस्टर में उसके द्वारा खरीदे गये शेयरों के अंतरण द्वारा धारक के रूप में दर्ज कर सकता है ।

(ऊ) इस अनुच्छेद के खंड (उ) के अधीन उक्त शेयरों की संपूर्ण मात्रा की बिक्री न हो पाने की स्थिति में विक्रेता उक्त इक्कीस दिनों के समाप्त होने के बाद छः कैलेंडर माहों के अंदर किसी भी समय बेचे न जा सके शेयरों को किसी भी व्यक्ति को (अनुच्छेद 53 तथा इसमें वर्णित लागू अन्य सभी अनुच्छेदों के अध्यधीन) तथा उन शेयरों को किसी भी मूल्य पर किंतु इस अनुच्छेद 63 के खंड (इ) के अधीन निर्धारित उचित मूल्य से कम पर नहीं, अंतरित कर सकता है ।

(ए) (क) इसमें वर्णित अनुच्छेद 63 के खंड (आ) तथा (ऊ) ऐसे व्यक्ति को किए गए अंतरण पर लागू नहीं होंगे जो पहले से कम्पनी का सदस्य है न ही ऐसे अंतरण पर लागू होंगे जो निगमित निकाय द्वारा अपनी पैतृक कम्पनी अथवा किसी सहायक कम्पनी को किया गया हो परन्तु ऐसा अंतरण प्रयोजन के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अनुमोदित हो । इस अनुच्छेद में उल्लिखित अपवादों के अन्दर आनेवाला कोई अंतरण जिस पर भी अनुच्छेद 53 के उपबंधों के अध्यधीन होगा ।

(ख) इस खण्ड के उप-खण्ड (क) के प्रयोजन के लिए एक कंपनी दूसरी कंपनी की सहायक कंपनी समझी जाएगी यदि दूसरी कंपनी प्रथम उल्लिखित कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी के सामान्य मूल्य में आधे से अधिक हिस्से को धारित करती हो ।

शेयरों का स्टाक में परिवर्तन :

64. शेयरों का स्टाक में परिवर्तन तथा पुनर्परिवर्तन—निदेशक कम्पनी की साधारण बैठक में संकल्प की मंजूरी के साथ किसी समादत्त शेयर को स्टाक में परिवर्तित कर सकते हैं तथा किसी स्टाक को किसी गुणज के समादत्त शेयरों में परिवर्तित कर सकते हैं । जब किसी शेयर को स्टाक में परिवर्तित किया गया हो तो ऐसे स्टाक के विभिन्न धारकों को तत्पश्चात उनमें उनके संबंधित हितों अथवा ऐसे हित में किसी हिस्से को उसी रीति से तथा उन्हीं विनियमों के अध्यधीन अंतरित करना होगा जैसाकि

तथा जिन विनियमों के अध्यधीन कम्पनी की पूंजी में पूर्णतया समादत्त शेयर अंतरित किए जाएं अथवा उसके निकट की रीति में जैसा परिस्थितियां अनुमति दें ।

65. स्टाक धारकों के अधिकार—स्टाक उसके धारकों को कम्पनी की बैठक में मतदान के संबंध में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए क्रमशः वही विशेष सुविधाएं एवं लाभ प्रदान करेगा जैसाकि कम्पनी की पूंजी में उसी श्रेणी के समकक्ष राशि के वे शेयर प्रदान करते जिन शेयरों से इस प्रकार के स्टाक को परिवर्तित किया गया है किन्तु इस प्रकार की कम्पनी के लाभ में अथवा परिसमापन पर कम्पनी की अस्तियों में हिस्सेदारी को छोड़कर ऐसी विशेष सुविधाएं एवं लाभ ऐसे शेयरों द्वारा आबंटित स्टाक द्वारा प्रदान नहीं किए जाएंगे यदि मौजूदा शेयरों ने ऐसी विशेष सुविधाएं तथा लाभ प्रदान किए हों । ऐसा परिवर्तन इस प्रकार परिवर्तित किए गए शेयरों के साथ जुड़े हुए किसी अधिमान अथवा अन्य विशिष्ट सुविधाओं को प्रभावित नहीं करेगा अथवा उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा । उपर्युक्त को छोड़कर इसमें अंतर्विष्ट सभी उपबंध, जब तक परिस्थितियां स्वीकृति दें, स्टाक और साथ ही साथ शेयरों पर भी लागू होंगे ।

पूंजी में वृद्धि, कमी तथा परिवर्तन :

66. पूंजी में वृद्धि—कम्पनी समय-समय पर साधारण बैठक में ऐसी राशि के शेयर जैसा वह कालोचित समझे जारी करके अपनी प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि कर सकती है ।

67. आगे और पूंजी का निर्गम—नये शेयर (उपरोक्त अनुसार पूंजी में वृद्धि के परिणामस्वरूप) अधिनियम तथा इस विलेख के उपबंधों के अध्यधीन कम्पनी द्वारा साधारण बैठक में अथवा निदेशकों द्वारा अनुच्छेद 8 तथा 9 के उपबन्धों तथा निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार उनकी शक्तियों के अधीन जारी किए जाएं अथवा निपटाए जाएं :

(अ) (1) ऐसे नये शेयर उन व्यक्तियों को प्रस्ताव किए जाएंगे जो प्रस्ताव की तारीख को कम्पनी की इक्विटी के धारक हैं तथा ये शेयर उस तारीख को ऐसे शेयरों पर प्रदत्त पूंजी के अनुपात में, जैसा परिस्थितियां अनुमति दें, जारी किए जाएंगे,

(2) उपरोक्त के लिए नोटिस के जरिए प्रस्ताव किया जाएगा जिसमें प्रस्ताव किए गए शेयरों की संख्या तथा समय सीमा, जो प्रस्ताव की तारीख से पन्द्रह दिनों से कम नहीं होगी, जिसके अंदर यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो उसे अस्वीकार किया गया समझा जाएगा, का उल्लेख किया जाएगा,

(3) उपरोक्त अनुसार प्रस्ताव में संबंधित व्यक्ति द्वारा उसे प्रस्ताव किए गए शेयरों अथवा उनमें से किसी को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्यागने के प्रयोक्तव्य अधिकारी को समाविष्ट समझा जाएगा तथा उप-खंड (3) में संदर्भित नोटिस में इस अधिकार का विवरण समाविष्ट होगा ।

(4) उपरोक्त अनुसार नोटिस में उल्लिखित समयावधि की समाप्ति के बाद अथवा जिस व्यक्ति को ऐसी नोटिस दी गयी है उससे इस आशय की पूर्व सूचना प्राप्त होने पर कि उस व्यक्ति ने उसे प्रस्ताव किए गए शेयरों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है, निदेशक बोर्ड उनका ऐसी रीति में निपटान कर सकता है जैसा वे कम्पनी के लिए सबसे अधिक लाभदायी समझें,

(आ) खंड (अ) के उप खंड (3) की किसी बात को निम्नानुसार नहीं समझा जाएगा :—

(1) वह समय बढ़ाना जिसके अंदर प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिए, अथवा

(2) किसी व्यक्ति को इस आधार पर त्यजन अधिकार को दूसरी बार प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करना कि उस व्यक्ति ने जिसके पक्ष में पहले त्यजन किया गया था उसने त्यजन में अंतर्विष्ट शेयरों को लेने से इन्कार कर दिया है ।

68. साधारण बैठक के नियंत्रणाधीन शेयर—अनुच्छेद 8 के अधीन निदेशकों को प्रयोजन के लिए प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त तथा शक्तियों का अल्पीकरण किए बिना कम्पनी साधारण बैठक में अधिनियम की धारा 81 के उपबंधों के अनुसार यह निर्धारण कर सकती है कि कोई शेयर (चाहे वे कम्पनी की मूल पूंजी का भाग बनते हों अथवा न बनते हों), ऐसे व्यक्तियों को (कम्पनी के सदस्य अथवा डिबेंचरधारक हों अथवा न हों) ऐसे अनुपात में तथा ऐसे निबंधन तथा शर्तों पर तथा प्रीमियम पर अथवा सममूल्य पर अथवा (अधिनियम की धारा 79 के उपबंधों के अनुपालन के अध्यधीन) बट्टे पर, जैसा साधारण बैठक निर्धारण करे, प्रस्तावित किए जाएंगे ।

69. मूल पूंजी के समान—निर्गम की शर्तों अथवा इस विलेख में जब तक अन्यथा उपबंधित हो को छोड़कर अतिरिक्त शेयर के निर्गम के जरिए जुटायी गयी पूंजी मूल पूंजी का हिस्सा समझी जाएगी तथा काल तथा किस्तों की अदायगी अंतरण एवं प्रेषण, जब्ती, ग्रहणाधिकार, अभ्यर्पण, मतदान तथा अन्यथा के संदर्भ में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन होगी ।

70. पूंजी को कम करना—कम्पनी विधि द्वारा दिए गए प्राधिकार अनुसार समय-समय पर विशेष संकल्प के जरिए अपनी शेयर पूंजी (पूंजी मोचन रिजर्व खाता सहित यदि कोई हो) को कम कर सकती है तथा विशेष रूप से वह किसी समादत्त शेयर पूंजी की इस आधार पर चुकौती कर सकती है कि पुनः उसे आहूत किया जाएगा अथवा अन्यथा तथा यदि और जब तक आवश्यक होगा तदनुसार अपनी शेयर पूंजी अथवा अपने शेयरों की राशि को कम करके अपने बहिर्नियम को परिवर्तित कर सकती है ।

71. विभाजन एवं उप-विभाजन—कम्पनी साधारण बैठक में सामान्य संकल्प के द्वारा अपने बहिर्नियम की शर्तों को निम्नानुसार परिवर्तित कर सकती है :—

(क) अपने सभी अथवा उनमें से किसी शेयर को अपने मौजूदा शेयरों से बड़ी राशि के शेयरों में समेकित करना और विभाजित करना ।

(ख) ऐसा होने पर भी इस संबंध में अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन बहिर्नियम में मूल रूप से नियियत किए गए की तुलना में शेयरों अथवा उनमें से किसी को कम राशि के शेयरों में उप-विभाजित करना। इस विलेख के अध्यधीन वह संकल्प जिसके द्वारा किसी शेयर को उप विभाजित किया गया है, यह निर्धारण कर सकता है कि इस प्रकार के उप विभाजन के फलस्वरूप शेयरों के धारकों के बीच ऐसे एक या दो शेयरों को दूसरे अथवा ऐसे अन्य शेयरों के ऊपर कोई अधिमान अथवा लाभ अन्यथा दिया जाए।

(ग) ऐसे शेयरों को रद्द करना जो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी साधारण बैठक की तारीख को नहीं लिए गए हैं अथवा लेने के लिए सहमति नहीं दी गयी है तथा इस प्रकार रद्द किए गए शेयरों की राशि को घटाना।

संयुक्त धारक :

72. संयुक्त धारक—जहां दो अथवा अधिक व्यक्ति किसी शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत हैं। जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में प्रथमतः लिखा गया है वह व्यक्ति निम्नलिखित तथा अनुच्छेदों में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों के अध्यधीन कम्पनी से संबंधित मामलों के लिए एकमात्र धारक समझा जाएगा :—

(क) कम्पनी किसी शेयर के संयुक्त धारकों के रूप में चार से अधिक व्यक्तियों को पंजीकृत करने से इन्कार करने के लिए हकदार होगी।

(ख) किसी शेयर के संयुक्त धारक ऐसे सभी मांगों तथा अन्य भुगतानों के लिए जो ऐसे शेयर के संबंध में किए जाने हैं, अलग-अलग तथा संयुक्त रूप से दायी होंगे।

(ग) इस प्रकार के किसी संयुक्त धारक (कों) की मृत्यु पर, उत्तरजीवी ही कम्पनी द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति होंगे जिनका शेयर पर कोई स्वत्वाधिकार होगा किन्तु निदेशक मृत्यु के ऐसे साक्ष्य की अपेक्षा कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें तथा इसमें अंतर्विष्ट किसी बात को मृत व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति (यों) के साथ संयुक्त रूप से धारित शेयरों पर किसी दायित्व से मृत संयुक्त धारक की संपदा को मुक्त किए जाने के रूप में नहीं लिया जाएगा।

(घ) ऐसे संयुक्त धारकों में से कोई एक ऐसे शेयर के संबंध में देय किसी लाभांश अथवा अन्य धनराशियों के लिए प्रभावी रसीदें दे सकेगा।

(ङ) केवल वही व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में संयुक्त धारकों में से एक के रूप में सबसे प्रथमतः दर्ज होगा वही व्यक्ति ऐसे शेयर के संबंध में कम्पनी से प्रमाणपत्र को सुपुर्द किए जाने अथवा दस्तावेज प्राप्त करने (जिस अभिव्यक्ति में अनुच्छेद 188 में उल्लिखित सभी दस्तावेज समाविष्ट समझी जाएंगी) के लिए हकदार होगा और ऐसे व्यक्ति को दी गयी कोई नोटिस अथवा तामील किया गया दस्तावेज सभी संयुक्त धारकों पर तामील किया गया समझा जाएगा।

(च) ऐसे शेयरों के संबंध में दो या अधिक संयुक्त धारकों में से कोई एक किसी बैठक में व्यक्तिगत रूप से अथवा अटार्नी के जरिए अथवा प्राक्सी के जरिए मतदान कर सकता है जैसेकि वह उनके लिए एकमात्र हकदार हो और यदि ऐसे संयुक्त धारकों में से एक से ज्यादा धारक किसी बैठक में व्यक्तिगत रूप से अथवा प्राक्सी द्वारा अथवा अटार्नी द्वारा उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार उपस्थित व्यक्तियों में से वह व्यक्ति जिसका नाम ऐसे शेयरों के संबंध में रजिस्टर में पहले अथवा उच्चतर (जैसी स्थिति हो) दर्ज होगा केवल वही व्यक्ति इसके संबंध में मतदान करने के लिए हकदार होगा किन्तु अन्य संयुक्त धारक अटार्नी द्वारा अथवा प्राक्सी द्वारा उपस्थित होने वाले संयुक्त धारक पर अधिमान देकर मतदान करने के लिए हकदार होंगे भले ही अटार्नी द्वारा अथवा प्राक्सी द्वारा उपस्थित होने वाले ऐसे संयुक्त धारक का नाम ऐसे शेयरों के संबंध में रजिस्टर में पहले अथवा उच्चतर स्थान (जैसी भी स्थिति हो) दर्ज हो।

उधार लेने की शक्तियां :

73. शर्तें जिन पर धनराशि उधार ली जाए—अधिनियम की धारा 58 अ, 292 और 293 के अध्यधीन बोर्ड समय-समय बोर्ड की बैठक में पारित संकल्प के द्वारा कालों के अग्रिम के रूप में अथवा अन्यथा, सदस्यों से जमाराशियां स्वीकार कर सकेगा अथवा उधार ले सकेगा अथवा जनता से जमाराशियां स्वीकार कर सकता है और सामान्य रूप से ऐसी राशि अथवा राशियों की अदायगी को ऐसी रीति से तथा ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर जैसाकि वे सभी दृष्टि से उचित समझें, जुटा सकें और प्रतिभूत कर सकेंगे और विशेष रूप से बान्डों, स्थायी अथवा मोचनीय डिबेंचरों अथवा डिबेंचर स्टाक को निर्गम के द्वारा अथवा कम्पनी की इस समय के लिए अनाहूत पूंजी सहित कम्पनी की सभी सम्पत्ति अथवा उसके हिस्से को बंधक अथवा प्रभार अथवा वचन पर अन्य प्रतिभूति के जरिए राशियां जुटा सकेगा।

74. बान्ड, डिबेंचर इ-निदेशकों के नियंत्रण के अधीन होंगे—कम्पनी द्वारा जारी किए गए अथवा जारी किए जाने वाले बान्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टाक अथवा अन्य प्रतिभूतियां निदेशकों के नियंत्रण के अधीन होंगे जो उन्हें ऐसे निबंधन और शर्तों पर तथा ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रतिफल के लिए जो वे कम्पनी के लिए लाभदायक समझें, जारी कर सकेंगे।

75. प्रतिभूतियां इक्विटी से मुक्त समनुदेशनीय की जाएं—डिबेंचर, डिबेंचर स्टाक, बान्ड अथवा अन्य प्रतिभूतियां कम्पनी और उस व्यक्ति के बीच जिसे वे जारी की गयी हैं, किसी इक्विटी के बिना समनुदेशित की जा सकेंगी।

76. बट्टा आदि पर अथवा विशेष सुविधाओं के साथ निर्गम—कोई बान्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टाक अथवा अन्य प्रतिभूतियां बट्टे प्रीमियम अथवा अन्यथा पर तथा शेयरों के आवंटन, उन्मोचन, प्रतिदान के बारे में, कम्पनी की साधारण बैठकों में भाग लेने निदेशकों की नियुक्ति तथा अन्यथा के संबंध में किसी विशेष सुविधा के साथ जारी किए जा सकेंगे।

77. न मांगी गयी पूंजी को बंधक रखना—यदि कम्पनी की किसी अनाहूत पूंजी को समाविष्ट किया गया है अथवा किसी बंधक अथवा अन्य प्रतिभूति के जरिए प्रभारित किया गया है तो निदेशक ऐसी अनाहूत पूंजी के संबंध में सदस्यों पर काल करने के लिए उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में ऐसा बंधक अथवा प्रतिभूति निष्पादित की गयी है अथवा उसके लिए न्यासी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेंगे तथा कालों के विषय में इसमें इससे पूर्व अंतर्विष्ट उपबंध आवश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसे प्राधिकार के अधीन किए गए कालों पर लागू हो सकेंगे तथा ऐसे प्राधिकार का प्रयोग सशर्त अथवा बिना शर्त तथा तत्समय अथवा समाश्रित रूप से और बोर्ड की शक्ति के अपवर्जन अथवा अन्यथा से प्रयोक्तव्य बनाया जा सकेगा तथा यदि अभिव्यक्त किया गया हो तो समनुदेशनीय होगा ।

78. क्षतिपूर्ति दी जाए—यदि निदेशक अथवा उनमें से कोई अथवा कोई अन्य व्यक्ति मूल रूप से कम्पनी से प्राप्य किसी राशि के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी बनेगा तो निदेशक क्षतिपूर्ति के जरिए कम्पनी की सभी अथवा किसी हिस्से पर अथवा उसे प्रभावित करने वाले किसी बंधक, प्रभार अथवा प्रतिभूति को निष्पादित कर सकेगा अथवा निष्पादित करने के लिए कार्रवाई कर सकेगा ताकि उपरोक्त अनुसार ऐसी दायता के संबंध में किसी क्षति से दायी बनने वाले निदेशक अथवा व्यक्ति को सुरक्षित किया जा सके ।

79. प्रभारों का रजिस्टर रखा जाए—बोर्ड अधिनियम की धारा 143 के उपबंधों के अनुसार कम्पनी की सम्पत्ति को विशेष रूप से प्रभावित करने वाले सभी बंधकों, डिबेंचरों तथा प्रभारों का उचित रजिस्टर रखने के लिए कार्रवाई करेगा, और बंधकों और प्रभारों के पंजीकरण के संबंध में तथा लेनदारों और सदस्यों को प्रभारों के रजिस्टर तथा प्रभार सृजित करने वाले लिखतों की प्रतियों का निरीक्षण करने के संबंध में उक्त अधिनियम की अपेक्षाओं का विधिवत अनुपालन करेगा । कम्पनी के सदस्य अथवा लेनदार के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा प्रभारों के रजिस्टर के प्रत्येक निरीक्षण के लिए ऐसी राशियां देय होंगी जैसाकि अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

बैठकें :

80. वार्षिक साधारण बैठक—(क) (1) कम्पनी अन्य बैठकों के अतिरिक्त नीचे उल्लिखित उपबंधों के अनुसार तथा अंतरालों पर एक साधारण बैठक आयोजित करेगी जिसका नाम 'वार्षिक साधारण बैठक' होगा ।

(2) कम्पनी की वार्षिक साधारण बैठक, कम्पनी द्वारा प्रथम वार्षिक साधारण बैठक के पश्चात वित्तीय वर्ष, जिसमें प्रथम वार्षिक साधारण बैठक आयोजित की गयी थी, के समाप्त होने के छः महीनों के अंदर आयोजित की जाएगी, और उसके पश्चात प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद छः महीनों के अंदर कम्पनी द्वारा वार्षिक साधारण बैठक आयोजित की जाएगी ।

(3) एक वार्षिक साधारण बैठक तथा अगली बैठक के बीच पंद्रह महीनों से ज्यादा की अवधि व्यपगत नहीं होगी ।

(ख) प्रत्येक वार्षिक साधारण बैठक ऐसे दिन को जोकि सार्वजनिक अवकाश न हो, कारोबार के समय आहूत की जाएगी, और यह बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में अथवा उस शहर के अंदर जहां पंजीकृत कार्यालय अवस्थित है, किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जाएगी और बैठक बुलाने वाली नोटिसों में इसे वार्षिक साधारण बैठक के रूप में विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा ।

81. सामान्य साधारण बैठक—वार्षिक साधारण बैठक के अतिरिक्त सभी सामान्य बैठकें असाधारण साधारण बैठकें कही जाएंगी ।

82. असाधारण साधारण बैठक बुलाना—(क) बोर्ड जब भी उचित समझेगा और कम्पनी के ऐसी संख्या के सदस्यों, जैसाकि इसके आगे निर्दिष्ट किया गया है, अध्यपेक्षा करने पर तत्काल कम्पनी की असाधारण साधारण बैठक बुलाने के लिए कार्रवाई करेगा और इस प्रकार की अध्यपेक्षा के मामले में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे ।

(ख) अध्यपेक्षा में वे विचारार्थ मामले उपवर्णित होंगे जिनके लिए बैठक आहूत की जाएगी और अध्यपेक्षाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित होगी और कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाएगा ।

(ग) अध्यपेक्षा इसी प्रकार के कई दस्तावेजों के रूप में हो सकेगी और प्रत्येक पर एक अथवा अधिक अध्यपेक्षाकर्ताओं के हस्ताक्षर होने चाहिए ।

(घ) किसी मामले के संबंध में बैठक की अध्यपेक्षा के लिए हकदार कम्पनी के सदस्यों की संख्या अध्यपेक्षा जमा करने की तारीख को ऐसी संख्या होगी जो उस मामले के संबंध में मताधिकार की तारीख को कम्पनी की ऐसी समादत्त पूंजी के एक बटे दस हिस्से से कम नहीं होगी ।

(ङ) जहां दो अथवा अधिक सुभिन्न मामले अध्यपेक्षा में उल्लेखित हैं, वहां ऐसे प्रत्येक मामले के संबंध में खंड (घ) के उपबंध अलग-अलग लागू होंगे और तदनुसार अध्यपेक्षा केवल मामलों के संबंध में वैध होगी जिनके बारे में उप-खण्ड में उल्लेखित शर्त पूरी की गयी है ।

(च) यदि बोर्ड किसी मामले के बारे में वैध अध्यपेक्षा जमा किये जाने की तारीख से इक्कीस दिनों के अंदर उन मामलों पर विचार करने के लिए अध्यपेक्षा की तारीख से पैंतालीस दिनों के अंदर किसी दिन को बैठक आहूत करने के लिए विधिवत कार्रवाई नहीं करता तो यह बैठक ऐसे अध्यपेक्षाकर्ताओं द्वारा आहूत की जा सकेगी जो समादत्त शेयर पूंजी के मूल्य का अधिकांश हिस्सा अथवा खंड (घ) में निर्दिष्ट किये गये अनुसार ऐसी समादत्त शेयर पूंजी का कम से कम एक-दशांश हिस्सा, जो भी कम हो, के धारक हों, तथापि बोर्ड इस खण्ड के प्रयोजन के लिए ऐसी बैठक के मामले में जहां किसी संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में प्रस्तावित किया जाना है, उसके लिए ऐसी नोटिस दे सकेगा जैसाकि अधिनियम द्वारा अपेक्षित है ।

(छ) अध्यपेक्षाकर्ताओं अथवा उनमें से किसी के द्वारा खंड (च) के अधीन आहूत की बैठक :

(1) यथाशिक्य उसी रीति में आहूत की जाएगी जैसेकि बोर्ड द्वारा बैठकें आहूत की जाएंगी, किन्तु ।

(2) अध्यपेक्षा जमा करने की तारीख से तीन महीनों की अवधि समाप्त होने के बाद आयोजित नहीं की जाएगी किन्तु इस उप-खंड (2) में अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह

उपरोक्त अनुसार तीन महीने की अवधि समाप्त होने के पहले विधिवत प्रारंभ की बैठक को स्थगित करके उस अवधि की समाप्ति के बाद किसी दिन को आहूत करने में निर्धारित करती है,

(ज) जहां दो अथवा अधिक व्यक्ति कम्पनी में किसी शेयर अथवा हित को संयुक्त रूप से धारित करते हों, बैठक आहूत करने की अध्यपेक्षा अथवा नोटिस पर यदि उनमें से किसी एक अथवा केवल एक के हस्ताक्षर हों तो इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए वे वही बल और प्रभाव रखेंगी जैसे कि यदि सभी ने हस्ताक्षर किये होते तो रखती ।

(झ) बैठक आहूत करने में बोर्ड की असफलता के कारण अध्यापेक्षाकर्ताओं द्वारा वहन किए गए उचित व्ययों की कम्पनी द्वारा अध्यापेक्षाकर्ताओं को प्रतिपूर्ति की जाएगी और इस प्रकार प्रतिपूर्ति की गयी राशि चूक करने वाले ऐसे निदेशकों को उनकी सेवाओं के लिए फीस अथवा अन्य पारिश्रमिक के रूप में कम्पनी द्वारा चुकायी जाने वाली अथवा देय होने वाली किसी राशि में से कम्पनी द्वारा रख ली जाएगी ।

83. बैठक की नोटिस—(क) कम्पनी की साधारण बैठक लिखित रूप में कम से कम इक्कीस दिनों की नोटिस देते हुए आहूत की जा सकेगी ;

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि की तुलना में कम दिनों की नोटिस देकर साधारण बैठक आहूत की जा सकेगी यदि उसके लिए निम्नलिखित द्वारा सहमति प्रदान की गयी हो :—

(1) वार्षिक साधारण बैठक के मामले में उसमें मतदान करने के लिए हकदार सभी सदस्यों द्वारा और

(2) अन्य किसी बैठक के मामले में कम्पनी के ऐसे सदस्यों द्वारा जो कम्पनी की समादत्त शेयर पूंजी के ऐसे भाग का कम से कम पंचानबे प्रतिशत हिस्सा धारित करते हों जो उन्हें बैठक में मतदान करने का अधिकार देता है ।

परन्तु जहां कम्पनी के सदस्य बैठक में प्रस्ताव किये जाने वाले पूर्वर्ती संकल्प अथवा संकल्पों के संबंध में हिसाब में लिए पर नहीं, वहां वे सदस्य इन उप खंडों के प्रयोजनों के लिए पूर्वर्ती संकल्प अथवा संकल्पों के संबंध में हिसाब में लिए जाएंगे और पश्चातवर्ती के संबंध में नहीं ।

84. नोटिस की तामील की विषयवस्तु तथा रीति और वे व्यक्ति जिन पर इसे तामील किया जाए—(क) कम्पनी की बैठक की प्रत्येक नोटिस में बैठक का स्थान तथा दिन और घंटा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और वहां संव्यवहार किये जाने वाले काम काज का विवरण अंतर्विष्ट होगा,

(ख) कम्पनी की प्रत्येक बैठक की नोटिस निम्नलिखित को दी जाएगी :

(1) कम्पनी के प्रत्येक सदस्य को ऐसी रीति में जैसा अधिनियम की धारा 53 में प्राधिकृत किया गया है,

(2) किसी सदस्य की मृत्यु अथवा दिवाला के परिणामस्वरूप शेयर के लिए हकदार व्यक्तियों को, उसके नाम द्वारा अथवा मृत सदस्य के प्रतिनिधि के अभिधान द्वारा अथवा दिवालिया व्यक्ति के समनुदेशितों को अथवा इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति को पहले से डाक महसूल दिए गए पत्र के जरिए इस प्रकार का दावा करने के लिए हकदार व्यक्तियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए भारत में दिए गए पते, यदि कोई हो पर नोटिस भेजकर अथवा जब तक ऐसा पता उपलब्ध न कराया गया हो, नोटिस को ऐसी रीति में देकर जैसाकि कह दी गयी होती यदि मृत्यु अथवा दिवाला घटित न हुआ होता, और

(3) कम्पनी के तत्समय के लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों को उस रीति में जैसाकि कम्पनी के किसी सदस्य अथवा सदस्यों के मामले में अधिनियम की धारा 53 में प्राधिकृत किया गया है ।

(ग) ऐसे सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति को जिसे इसे दिया जाना चाहिए, नोटिस देने में आकस्मिक लोप अथवा उनके द्वारा नोटिस की अप्राप्ति बैठक में कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं बनाएगी ।

85. साधारण बैठकों में कारोबार—(क) वार्षिक साधारण बैठक के मामले में बैठक में संव्यवहार किए जाने वाले सभी कामकाज विशिष्ट समझे जाएंगे किन्तु निम्नलिखित से संबंधित कामकाज अपवाद होंगे :—

(1) लेखे, तुलनपत्र तथा निदेशक बोर्ड और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना,

(2) लाभांश की घोषणा,

(3) सेवानिवृत्त हो रहे निदेशकों के स्थान पर निदेशकों की नियुक्ति, और

(4) लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक का निर्धारण ।

(ख) किसी अन्य बैठक के मामले में सभी कामकाज विशिष्ट समझे जाएंगे ।

(ग) जहां संव्यवहार किये जाने वाले काम काज की कोई मद उपरोक्त अनुसार विशिष्ट समझी जाएगी वहां बैठक की नोटिस के साथ एक विवरण संलग्न होगा जिसमें विशेष रूप से प्रत्येक निदेशक और प्रबंधक, यदि कोई हो, के उसमें निहित सरोकार अथवा हित सहित काम काज की ऐसी मदों के संबंध में सभी सारवान तथ्यों का ब्यौरा होगा ।

परन्तु जहां उपरोक्त अनुसार कम्पनी की बैठक में संव्यवहार किये जाने वाले विशेष कामकाज की कोई मद किसी अन्य कम्पनी में संदेय रकमों को अथवा उसे प्रभावित करती है और

यदि ऐसी अन्य कम्पनी में कम्पनी के निदेशक और प्रबंधक, यदि कोई हों, की शेयर हितबद्धता हो जोकि ऐसी अन्य कम्पनी की समादत्त पूंजी के बीस प्रतिशत से कम न हो तो शेयरधारिता हित का परिमाण भी उस विवरण में दिया जाएगा ।

(घ) जहां कारोबार की किसी मद में बैठक द्वारा किसी दस्तावेज को अनुमोदन प्रदान करना समाविष्ट होगा, उपरोक्त अनुसार विवरण में वह समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट किया जाएगा जहां दस्तावेज का निरीक्षण किया जा सकता है ।

86. साधारण एवं विशिष्ट संकल्प—(1) साधारण बैठक में कोई संकल्प सामान्य संकल्प होगा जब उस बैठक के लिए अधिनियम के अधीन अपेक्षित नोटिस विधिवत दी गयी हो, जिसमें मतदान के लिए हकदार सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा जहां प्राक्सी के लिए अनुमति हो वहां प्राक्सी के जरिए संकल्प के पक्ष में (अध्यक्ष के निर्णायक मत, यदि कोई हो, सहित) डाले गये मत (हाथ उठाकर, अथवा मतदान के जरिए, जैसी भी स्थिति हो) मतदान के लिए हकदार तथा वोट करने वाले सदस्यों द्वारा संकल्प के विरूद्ध डाले गये मत यदि कोई हों, से अधिक हों ।

(2) कोई संकल्प विशेष संकल्प होगा, जब :

(क) संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में प्रस्ताव करने का आशय साधारण बैठक आहूत करने वाली नोटिस अथवा संकल्प के बारे में सदस्यों को दी गयी अन्य सूचना में विधिवत विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

(ख) अधिनियम के अधीन अपेक्षित साधारण बैठक की नोटिस विधिवत दी गयी हो, और

(ग) मतदान करने के लिए पात्र सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा जहां प्राक्सी के लिए अनुमति हो वहां प्राक्सी द्वारा संकल्प के पक्ष में (हाथ उठाकर अथवा मतदान के जरिए, जैसी स्थिति हो) डाले गये मत, मतदान के लिए हकदार तथा मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा संकल्प के विरूद्ध डाले गये मतों, यदि कोई हो, की संख्या से तीन गुनी संख्या से कम न हो ।

87. विशेष नोटिस की आवश्यकतावाला संकल्प—(1) जहां, इस अधिनियम में अथवा इस विलेख में अंतर्विष्ट किसी उपबंध के जरिए, किसी संकल्प की विशेष नोटिस अपेक्षित है, संकल्प का प्रस्ताव करने के आशय की नोटिस बैठक जिसमें इसका प्रस्ताव किया जाना है से कम से कम चौदह दिन पहले कम्पनी को दी जाएगी किन्तु इसमें वह दिन जिस दिन नोटिस तामील की गयी है अथवा तामील की गयी मान ली गयी है तथा बैठक का दिन समाविष्ट नहीं होगा ।

(2) कम्पनी ऐसे किसी संकल्प का प्रस्ताव करने के आशय की नोटिश उसे प्राप्त होने पर तत्काल अपने सदस्यों को उसी रीति में संकल्प की नोटिस देगी जैसेकि वह बैठक की नोटिस देती है, अथवा यदि यह व्यवहार्य न हो तो वह, उन्हें इसकी नोटिस बैठक से कम से कम सात दिन पहले समुचित प्रसार संख्याबल समाचार पत्र में विज्ञापन के द्वारा अथवा उस विलेख में अनुमत अन्य माध्यम से देगी ।

साधारण बैठक में कार्यवाहियां :

88. साधारण बैठक में गणपूर्ति—व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पांच सदस्य साधारण बैठक के गणपूर्ति, होंगी और जब तक कामकाज के प्रारंभ में अपेक्षित गणपूर्ति नहीं होगी तब तक ऐसी किसी साधारण बैठक में कोई कारबार नहीं होगा ।

89. पीठ के रिक्त होने पर अध्यक्ष के चुनाव तक सीमित कारोबार—किसी साधारण बैठक में पीठ के रिक्त होने पर अध्यक्ष के चुनाव के अलावा किसी अन्य कारबार पर चर्चा नहीं की जाएगी ।

90. बोर्ड का अध्यक्ष प्रत्येक साधारण बैठक में पीठ ग्रहण करने के लिए हकदार होगा । यदि किसी बैठक में कोई अध्यक्ष नहीं होगा अथवा यदि किसी बैठक में वह ऐसी बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित समय के बाद पंद्रह मिनट के अंदर उपस्थित नहीं होगा, अथवा वह बैठक के लिए अध्यक्षता करने हेतु अनिच्छुक है और उसको ऐसा करने में चूक करने पर उपस्थित सदस्य निदेशकों में से किसी एक पीठ ग्रहण करने के लिए चुन सकते हैं और यदि उपस्थित निदेशकों में से कोई भी पीठ ग्रहण करने के लिए इच्छुक नहीं है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुन सकेंगे ।

91. गणपूर्ति न होने पर कार्यवाही—यदि किसी साधारण बैठक को आयोजित करने के लिए निर्धारित समय से आधा घण्टा से अधिक व्यतीत हो जाने पर गणपूर्ति उपस्थित न हो और यदि बैठक शेयर धारकों की मांग पर बुलाई गई हो तो वह भंग हुई मानी जाएगी परन्तु किसी अन्य मामले में अगले सप्ताह के उसी दिन और उसी समय तथा स्थान में अथवा किसी अन्य ऐसे दिन ऐसे समय और स्थान में किए जाने के लिए स्थगित की गई मानी जाएगी जिसको निदेशकगण निर्धारित करें । यदि ऐसी स्थगित बैठक में उसे आयोजित करने के लिए तय समय से आधा घण्टा अधिक व्यतीत हो जाने पर गणपूर्ति उपस्थित नहीं रहती तो उसमें उपस्थित गणपूर्ति हो और वे उस कारबार का संव्यवहार कर सकते हैं जिसके लिए बैठक बुलाई गई थी ।

92. स्थगित बैठक—अध्यक्ष बैठक की सहमति से किसी भी बैठक को एक समय से दूसरे समय के लिए और एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर आयोजित किए जाने के लिए स्थगित कर सकता है परन्तु जिस बैठक का स्थगन हुआ है उसमें संव्यवहार किए जाने वाले कारबार को छोड़कर किसी अन्य कारबार का संव्यवहार नहीं किया जाएगा । स्थगित बैठक की कोई सूचना देना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि बैठक तीस दिनों से अधिक के लिए स्थगित नहीं होती ।

93. जहां मतदान की मांग न की जाए वहां पारित करने अथवा संकल्प का साक्ष्य क्या होगा—किसी साधारण बैठक में मतदान के लिए रखे गए किसी संकल्प का निर्णय हाथ उठाकर किया जाएगा बशर्ते (हाथ उठाकर किए जाने से पहले अथवा उसके परिणाम की घोषणा किए जाने पर) मतदान की मांग इसके पश्चात् दर्शाए गए तरीके से की गई हो तथा जब तक मतदान की ऐसी मांग न की गई हो तब तक अध्यक्ष द्वारा की गई यह घोषणा कि हाथ उठाकर किए गए मतदान सर्वसम्मति अथवा विशिष्ट बहुमत से संकल्प स्वीकृत हो गया है अथवा अस्वीकृत हो गया है तथा कम्पनी की कार्यवृत्त-पुस्तक में इस आशय की की गई प्रविष्टि ऐसे संकल्प के पक्ष अथवा उसके विरुद्ध निर्णायक साक्ष्य होगी ।

94. मतदान के लिए मांग—(अ) परिणाम घोषित होने पर अथवा उसके पहले अथवा किसी संकल्प पर हाथ उठाकर किए जाने वाले मतदान में बैठक का अध्यक्ष अपने प्रस्ताव से चुनाव का आदेश दे सकता है और किसी सदस्य अथवा सदस्यों के व्यक्तिगत रूप से अथवा प्राक्सी के द्वारा उपस्थित होने पर और कम्पनी में शेयर धारित होने पर, मांग किए जाने पर, आदेश दे सकता है।

(1) जो संकल्प पर मत देने की शक्ति प्रदान करती है जो उस संकल्प की कुल मतदान शक्ति के दसवें भाग से कम न हो; अथवा

(2) जिस पर कम से कम रुपए पचास हजार की कुल राशि चुकता की गई हो।

(ब) मतदान की मांग किसी भी समय उस व्यक्ति द्वारा वापस ली जा सकती है जिसने मतदान की मांग की थी।

95. मतदान करने का समय—(अ) अध्यक्ष के चुनाव अथवा स्थगन के किसी प्रश्न पर चुनाव की मांग किए जाने पर वह तत्काल ही बिना किसी स्थगन के किया जाएगा।

(ब) किसी अन्य प्रश्न पर मतदान की मांग किए जाने पर मतदान किया जाएगा, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, जो ऐसी मांग किए जाने के समय से अड़तालीस घण्टों के बाद का न हो।

96. अपने मताधिकार को पृथक रूप से प्रयोग करने का सदस्यों का अधिकार—कम्पनी की किसी बैठक में किए जाने वाले मतदान में, एक से अधिक मत का हकदार सदस्य अथवा उसका प्राक्सी अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो उसकी ओर से मतदान करता हो, यथास्थिति, उसके लिए इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी कि वह अपने सभी मतों का उपयोग करे अथवा जिन मतों का उपयोग करता है उनको वह एक ही ढंग से दे।

97. मतांकन में संवीक्षक—(अ) जहां मतदान कराया जाता है वहां बैठक का अध्यक्ष मतदान में दिए गए मतों की संवीक्षा और उसके संबंध में उसे रिपोर्ट देने के लिए दो संवीक्षाकर्ता नियुक्त करेगा।

(ब) अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह मतदान का परिणाम घोषित होने से पहले किसी संवीक्षाकर्ता को उसके पद से हटा दे और उसके इस प्रकार हटाए जाने अथवा अन्य किसी कारण से संवीक्षाकर्ता के पद की रिक्तियां भर ले।

(स) इस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त दोनों संवीक्षाकर्ताओं में से एक सदैव बैठक में उपस्थित सदस्य (जो कम्पनी का अधिकारी अथवा कर्मचारी न हो) होगा बशर्ते कि ऐसा सदस्य उपलब्ध हो और नियुक्त किए जाने के लिए राजी हो।

98. मतदान कराने की रीति और उसका परिणाम—(अ) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन बैठक के अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह ऐसी विधि का विनियमन करे जिसके आधार पर मतदान कराया जाना हो।

(ब) मतदान का परिणाम उस बैठक का निर्णय माना जाएगा जिसमें संकल्प पर मतदान कराया गया था।

99. मतों के बराबर होने की स्थिति में प्रस्ताव का निर्णय कैसे किया जाए—मतों के बराबर होने के मामले में, चाहे हाथ उठाकर हुआ हो अथवा मतदान द्वारा, बैठक के अध्यक्ष के पास हाथ उठाकर अथवा जहां मतदान की मांग की गई हो, दोनों के समय उस मत या उन मतों के अतिरिक्त निर्णायक मत होगा जिसका वह सदस्य के रूप में हकदार होगा।

100. मतदान के लिए मांग अन्य कारोबार के संव्यवहार को निवारित नहीं करती—केवल ऐसे प्रश्न को छोड़कर जिस पर मतदान की मांग की गई हो, मतदान की मांग से किसी कारबार संव्यवहार के लिए बैठक की कार्रवाई में कोई रुकावट नहीं होगी।

101. साधारण बैठकों के कार्यवृत्त—कम्पनी साधारण बैठक की सभी कार्यवाहियों का कार्यवृत्त प्रविष्टियां करने के लिए रखी गई बहियों में प्रविष्ट करने के लिए बनवाएगा और प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त में उसकी कार्यवाहियों का उचित और ठीक-ठीक सारांश दिया जाएगा। किसी भी बैठक में अधिकारियों की की गई सभी नियुक्तियां उसके कार्यवृत्त में शामिल की जाएंगी। ऐसी कोई भी बैठक जिसमें कार्यवाही हुई हो, अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है अथवा ऐसे अध्यक्ष की मृत्यु हो जाने अथवा उसकी असमर्थता की स्थिति में इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित होगी और वह कार्यवाही का साक्ष्य होगी।

102. कार्यवृत्त की बहियों का निरीक्षण—साधारण बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त दर्शाने वाली बही कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में रखी जाएगी और किसी भी सदस्य के निरीक्षण के लिए बिना किसी खर्च के प्रत्येक कार्य दिवस में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 2 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

103. कार्यवृत्त की प्रतियां—किसी भी सदस्य को कम्पनी से अनुरोध करने के सात दिनों के अंदर उपरिलिखित किसी भी कार्यवृत्त की प्रति अधिनियम द्वारा विहित प्रभार अदा करके प्राप्त करने का अधिकार होगा।

सदस्यों के मत :

104. (अ) कम्पनी के उपस्थित प्रत्येक सदस्य का हाथ उठाकर किए जाने वाले मतदान में व्यक्तिगत रूप से या प्राक्सी द्वारा दिए जाने वाले मत के लिए एक मत होगा।

(ब) मतदान में व्यक्तिगत रूप से अथवा अटर्नी अथवा प्राक्सी के माध्यम से या कार्पोरेशन होने पर प्रतिनिधि अथवा प्राक्सी के रूप में उपस्थित कम्पनी के प्रत्येक सदस्य का मतदान-अधिकार कम्पनी की चुकता शेयर पूंजी में उसके शेयर के अनुपात में होगा।

105. निगमों द्वारा मतदान—कोई भी सदस्य जो निगम है उसके निदेशकगण के संकल्प से सम्यक रूप से प्राधिकृत अथवा अधिनियम के अनुच्छेद 187 के उपबंधों के अध्यधीन ऐसे निगम के किसी शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत उपस्थित प्रतिनिधि हाथ उठाकर मतदान कर सकता है मानो कि वह कम्पनी का एक सदस्य हो। ऐसे निगम के किसी निदेशक अथवा उसके शासकीय निकाय के किसी सदस्य द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और उसके द्वारा प्रमाणित ऐसे संकल्प की सत्यापित प्रतिलिपि बैठक में प्रस्तुत करने पर उसकी नियुक्ति की वैधता के पर्याप्त साक्ष्य के रूप में कम्पनी द्वारा उसे स्वीकार किया जायेगा।

106. जब तक मांगों (कालों) की अदायगी न की गयी हो कोई सदस्य मतदान नहीं करेगा—अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी सदस्य को साधारण बैठक में व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी प्राक्सी के द्वारा अथवा अटर्नी अथवा उनके नाम से रजिस्ट्रीकृत शेयरों के संबंध में प्राक्सी अथवा अटर्नी के

रूप में उपस्थित होने अथवा मतदान करने का अधिकार नहीं होगा जिन ऐसे सदस्यों पर कोई मांगे अथवा अन्य राशियां एक महीने से अधिक समय से कंपनी को देय हों ।

107. प्राक्सी की अर्हता—(अ) कम्पनी की बैठक में भाग लेने और मतदान के अधिकारों कंपनी के किसी भी सदस्य को किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह सदस्य हो या नहीं) अपना प्राक्सी नियुक्त करने और अपने बदले मतदान करने का हक होगा परन्तु इस प्रकार नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(ब) कंपनी की बैठक बुलाने की प्रत्येक नोटिस में यथोचित-युक्त प्रमुखता से यह विवरण होगा कि बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार सदस्य को बैठक में उपस्थित होने और अपने बदले में मतदान करने के लिए प्राक्सी नियुक्त करने का अधिकार होगा और उस प्राक्सी के लिए सदस्य होना जरूरी नहीं होगा ।

108. प्राक्सी अथवा अटर्नी द्वारा मतदान किया जा सकता है—मतदान या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अटर्नी अथवा प्राक्सी द्वारा अथवा निगम के मामले में पूर्वोक्त रीति से सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है ।

109. प्राक्सी के लिखत का निष्पादन—प्राक्सी को नियुक्त करने वाला लिखत नियुक्तिकर्ता अथवा उसके अटर्नी के हस्ताक्षर से होगा और यदि ऐसा नियुक्तिकर्ता कोई कंपनी या निगम हो तो उसकी सामान्य मुहर अथवा उस कंपनी या निगम द्वारा यथाविधि प्राधिकृत किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर अथवा उसके अटर्नी जो उसका नियुक्तिकर्ता है, के हस्ताक्षर से होगी ।

110. नियुक्ति के लिखत का जमा कराया जाना और निरीक्षण—(1) कोई भी व्यक्ति तब तक प्राक्सी के रूप में काम नहीं कर सकता जब तक कि उसकी नियुक्ति की लिखत अथवा मुख्तारनामा अथवा अन्य कोई प्राधिकार जिसके अंतर्गत वह हस्ताक्षरित हो अथवा मुख्तारनामा की नोटरीय रूप से प्रमाणित प्रति उस बैठक के आयोजित किए जाने से अड़तालीस घण्टे पहले कंपनी के कार्यालय में जमा नहीं करा दी जाती जिसमें प्राक्सी की लिखत में निर्दिष्ट व्यक्ति मतदान का प्रस्ताव करता हो और इसके अभाव में प्राक्सी नियुक्त करने वाली लिखत विधिमान्य नहीं होगी । कोई मुख्तारनामा अथवा अटर्नी नियुक्त करने वाली लिखत अथवा उसकी नोटरीय रूप से प्रमाणित प्रति जब तक उस बैठक के आयोजित किए जाने से अड़तालीस घण्टे पहले या तो कंपनी के अभिलेख में पंजीकृत नहीं करा दी जाती या उपरोक्त बैठक के आयोजित किए जाने से अड़तालीस घण्टे पहले कार्यालय में जमा नहीं करा दी जाती जिसमें अटर्नी का मतदान करने का विचार हो, तब तक किसी अटर्नी को मतदान का अधिकार नहीं होगा ।

(2) मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार कंपनी के अभिलेख में रजिस्ट्रीकृत होने पर भी कंपनी बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पहले किसी सदस्य अथवा उस अटर्नी को लिखत नोटिस द्वारा मूल मुख्तारनामा अथवा अटर्नी प्रस्तुत करने की मांग कर सकती है और जब तक कि वह उसके आधार पर बैठक के लिए निर्धारित समय से अड़तालीस घण्टे पहले कंपनी में जमा नहीं करा दी जाती अटर्नी को उस बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा बशर्ते कि निदेशकगण अपने पूर्ण विवेक से उसे प्रस्तुत और जमा न करने की माफी नहीं दे देंगे ।

(3) कंपनी की बैठक में मतदान का अधिकार प्रत्येक सदस्य बैठक शुरू होने के लिए निर्धारित समय से चौबीस घण्टे पूर्व किसी संकल्प का प्रस्ताव रखने का हकदार होगा और बैठक के निष्कर्ष की समाप्ति पर कामकाज के दौरान किसी भी समय कंपनी को सौंपी गई प्राविसयों का निरीक्षण कर सकता है बशर्ते कि इस प्रकार के निरीक्षण के आशय की लिखत नोटिस कम से कम तीन दिन पहले कंपनी को दे दी गई हो ।

111. लिखत की अभिरक्षा—यदि नियुक्ति की ऐसी कोई लिखत प्राक्सी की नियुक्ति के उद्देश्य तक सीमित है अथवा कंपनी की बैठक में मतदान के लिए प्रतिस्थापित की जाती है तो वह स्थाई तौर पर या ऐसे समय तक के लिए कंपनी की अभिरक्षा में रहेगी जैसा निदेशक तय करें और यदि इसमें अन्य उद्देश्य समाविष्ट हों तो उसकी एक प्रति, जो मूल से परीक्षित हो, कंपनी की अभिरक्षा में रखे जाने के लिए कंपनी को सुपुर्द की जायेगी ।

112. प्राक्सी नियुक्त करने वाला लिखत—प्राक्सी की प्रत्येक लिखत चाहे वह विनिर्दिष्ट बैठक के लिए हो अथवा अन्यथा उसके नियुक्तिकर्ता अथवा लिखित रूप से प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में होगी यदि ऐसा नियुक्तिकर्ता कोई निगम हो तो उसकी सामान्य मुहर के अधीन अथवा किसी अधिकारी या उसके यथाविधि प्राधिकृत अटर्नी के हस्ताक्षर से होगी और यथास्थिति अनुमत अधिनियम की अनुसूची 9 में विनिर्दिष्ट निकटस्थ स्वरूप में होगी ।

113. सदस्यों की मृत्यु आदि के होते हुए भी प्राक्सी द्वारा दिए गए मतों की वैधता—प्राक्सी को लिखत के अनुसार दिया गया मत प्रधान सदस्य की पहले मृत्यु हो जाने अथवा प्राक्सी का प्रतिसंहरण अथवा कोई मुख्तारनामा जिसके अधीन उन शेयरों के संबंध में प्राक्सी पर हस्ताक्षर किए गए थे जिस पर मतदान होना है, विधिमान्य होगा बशर्ते कि बैठक से पहले कार्यालय में मृत्यु, प्रतिसंहरण अथवा हस्तांतरण की कोई सूचना लिखित रूप में न प्राप्त हुई हो ।

114. मतों पर आपत्तियां उठाने के लिए समय—बैठक में अथवा मतदान में जो मत दिया जाएगा उसे छोड़कर किसी भी मत की वैधता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की जाएगी और ऐसी बैठक अथवा मतदान में व्यक्तिगत रूप से अथवा नामंजूर न किये गए प्रतिनिधि द्वारा दिया गया प्रत्येक ऐसी बैठक अथवा मतदान, जो भी हो, के सभी उद्देश्यों के लिए वैध माना जाएगा।

115. किसी मत की वैधता के लिए बैठक का अध्यक्ष निर्णायक होगा—किसी भी बैठक के अध्यक्ष, ऐसी बैठक में दिये गये प्रत्येक मत की वैधता के एक मात्र निर्णायक रहेंगे । मतदान लेते समय उपस्थित अध्यक्ष, ऐसे मतदान में दिये गये प्रत्येक मत की वैधता के एक मात्र निर्णायक रहेंगे ।

निदेशक :

116. निदेशकों की संख्या—कम्पनी के सदस्यों की साधारण सभा द्वारा यदि अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाता तो सरकारी निदेशकों, डिबेंचर निदेशक (यदि हो तो) और प्रबंध निदेशक सहित निदेशकों की संख्या तीन से कम अथवा अठारह से अधिक नहीं होगी और निदेशकों की संख्या केन्द्र सरकार के अनुमोदन से अठारह से ऊपर बढ़ायी जा सकेगी ।

117. इसके पश्चात् नाम-निर्देशित व्यक्ति कम्पनी के प्रथम निदेशक हैं :—

(1) रामचन्द्र हनमंत पाटील

(2) भूपेन्द्र नाथ विद्यानाथ भार्गव

(3) शंकरा वंकिटासुब्रा मणि

118. सरकारी निदेशक—(क) भारत सरकार कम्पनी के निदेशक बोर्ड में समय-समय पर निदेशक नामोंदिष्ट कर सकेगी जिनकी संख्या तीन से अधिक नहीं होगी । इस अनुच्छेद के अधीन नियुक्त निदेशकों को इसमें 'सरकारी निदेशक' के तौर पर संदर्भित किया गया है । सरकारी निदेशक आवर्तन क्रम से निवृत्त होने की शर्त के अध्यधीन नहीं होंगे अथवा केंद्र सरकार को छोड़कर किसी अन्य द्वारा उन्हें पद से नहीं हटाया जाएगा । उपरोक्त शर्त के अध्यधीन, सरकारी निदेशक कम्पनी के किसी अन्य निदेशक को मिलने वाले अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के ही हकदार होंगे तथा उन्हीं कर्तव्यों के अधीन होंगे ।

डिबेंचर निदेशक—(ख) कम्पनी को दिये गये ऋण अथवा कम्पनी के डिबेंचर निर्गम को आधारित करने वाले किसी ऋण करार अथवा न्यास विलेख में ऋणदाताओं/डिबेंचर-धारकों के लिए और उनकी ओर से निदेशक को, (इस प्रस्तुतियों में डिबेंचर निदेशक संदर्भित है) उसमें प्रावधान की गई ऐसी अवधि के लिए, जो अवधि डिबेंचरों या उसमें कोई एक की राशि बकाया हो अथवा ऋण बाकी हो, की मियाद से अधिक न हो, नियुक्ति और ऐसे निदेशकों का निष्कासन (त्याग-पत्र, मृत्यु के कारण, बरखास्तगी अथवा अन्यथा रिक्त हुए स्थान पर डिबेंचर निदेशक की रिक्त स्थान पर नियुक्ति, के लिए प्रावधान किये जा सकते हैं । डिबेंचर निदेशक आवर्तन क्रमानुसार निवृत्त होने की शर्त के अध्यधीन नहीं होगा ।

119. प्रबंध निदेशक—(1) इस अधिनियम के प्रावधान और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन, निदेशक बोर्ड समय-समय पर अपने निकाय या किसी एक अथवा अधिक को, ऐसी अवधि के लिए जो एक समय पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, और ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अध्यधीन जो वे उचित समझें कम्पनी के प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध निदेशकों के पद पर नियुक्त अथवा पुनर्नियुक्त कर सकेंगे ।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन प्रबन्ध निदेशक जब तक अपने पद पर आसीन रहता है, तब तक अनुच्छेद (3) के अध्यधीन, आवर्तन क्रमानुसार निवृत्ति की शर्त के अध्यधीन नहीं होगा, परन्तु त्याग-पत्र एवं निष्कासन के मामले में कम्पनी की अन्य निदेशकों की तरह उन्हीं उपबन्धों के अध्यधीन होगा और यदि किसी कारणवश वह निदेशक पद छोड़ देता है तो स्वयमेव ही और तुरन्त प्रभाव से वह प्रबंध निदेशक के पद पर नहीं रहेगा ।

(3) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, निदेशक, समय-समय पर, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा प्रयोज्य ऐसी शक्तियां, ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर और ऐसे प्रतिबंधों पर जो उन्हें उचित लगें, सामान्यिक रूप से अथवा उनके अधिकारों को छोड़कर अन्यथा रूप से, प्रबन्ध निदेशक (रों) को प्रदान और सपुर्द कर सकते हैं और समय-समय पर ऐसे सभी अथवा कोई अधिकार रद्द कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं अथवा परिवर्तन कर सकते हैं ।

120. वैकल्पिक निदेशक—(1) इस अधिनियम के अनुच्छेद 113 के अध्यधीन निदेशक बोर्ड, निदेशक के स्थान पर काम करने के लिए (इस उपबन्ध में इसके पश्चात जिसे मूल निदेशक कहा गया है) उसकी सूचना पर अथवा अन्यथा, जिसकी उस राज्य में अनुपस्थिति की अवधि तीन महीनों से कम न हो जिसमें सामान्य तौर पर निदेशक की बैठकें आयोजित होती हैं, स्थानापन्न निदेशक नियुक्त कर सकता है ।

(2) धारा (क) के अध्यधीन नियुक्त स्थानापन्न निदेशक, निदेशक मूल निदेशक जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, को अनुक्रमे अवधि से अधिक समय के लिए पद पर नहीं रहेगा और जिस राज्य में निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतया आयोजित होती हैं उस राज्य में यदि और जब मूल निदेशक वापस आता है तो स्थानापन्न निदेशक अपना पद छोड़ देगा ।

(3) यदि मूल निदेशक के पद की अवधि, उसके उपर्युक्त राज्य में वापस आने से पहले निश्चित की जाती है तो दूसरी नियुक्ति के अभाव में, निवृत्त होने वाली निदेशकों की अपने आप पुनर्नियुक्ति से सम्बन्धित कोई भी प्रावधान मूल निदेशक पर लागू होगा और न कि स्थानापन्न निदेशक पर ।

121. निदेशकों की अर्हता—किसी भी निदेशक को कम्पनी के कोई शेयर अथवा अर्हता शेयरों की धारणा करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

122. इस अधिनियम के प्रयोज्य उपबंधों एवं इस विलेख तथा कम्पनी और निदेशक के बीच हुए किसी अनुबंध के अध्यधीन निदेशकों—प्रबंध निदेशक को मिलाकर को देय पारिश्रमिक समय-समय पर कम्पनी द्वारा साधारण सभा में निर्धारित किया जाएगा और यह पारिश्रमिक निर्धारित वेतन और/अथवा परिलब्धियां अथवा कमीशन के मुनाफे पर कमीशन अथवा ऐसे मुनाफे में सहभागिता अथवा इनमें से किसी भी सभी तरीकों से जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबन्धित नहीं है तय किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा के अध्यधीन, निदेशक उसके द्वारा उपस्थित, निदेशक बोर्ड अथवा उसकी समिति की प्रत्येक बैठक के लिए शुल्क के तौर पर पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है ।

123. जो निदेशक उस स्थान के वास्तविक निवासी नहीं है जहां बैठक आयोजित हुई वे अतिरिक्त प्रतिकर प्राप्त कर सकते हैं—जो उस स्थान का वास्तविक निवासी नहीं है जहां निदेशक बोर्ड की बैठक आयोजित होती है और जो कम्पनी के अनुरोध पर कम्पनी की बैठक में उपस्थित रहने के उद्देश्य से अथवा कम्पनी के कारोबार के लिए उस स्थान पर आएगा—ऐसे किसी निदेशक को यात्रा, होटल और अन्य खर्च के लिए जो निदेशकों के विचार में न्यायोचित क्षतिपूर्ति हो ऐसी राशि लेने की अनुमति और इस राशि का भुगतान निदेशक बोर्ड कर सकता है । और यदि किसी निदेशक को कम्पनी के कारोबार के लिए उसके सामान्य निवास स्थान से बाहर जाने अथवा रहने के लिए कहा जाता है तो यह कम्पनी के कारोबार के संबंध में यात्रा अथवा अन्य हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा ।

124. अतिरिक्त सेवाएं देने वाले निदेशक को विशेष पारिश्रमिक—यदि किसी निदेशक को अतिरिक्त सेवाएं अथवा विशेष परिश्रम अथवा प्रयत्न करने के लिए कहा जाता है (जिस अभिव्यक्ति में निदेशकों द्वारा गठित किसी समिति के सदस्य के तौर पर निदेशक द्वारा किया गया काम सम्मिलित है) तो निदे-

शक बोर्ड ऐसे निदेशक को उन विशेष सेवाओं अथवा विशेष परिश्रमों अथवा प्रयत्नों के लिए ऐसे विशेष पारिश्रमिक की व्यवस्था कर सकता है । जो या तो निश्चित राशि अथवा अन्य रूप में होगा, जो भी इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, निदेशक बोर्ड द्वारा निश्चित किया जा सकता है ।

125. अतिरिक्त निदेशक—निदेशकों को इस विलेख के अध्यधीन, किसी भी समय और समय-समय पर, निदेशक बोर्ड में आकस्मिक रिक्त स्थान भरने के लिए अथवा अतिरिक्त निदेशक के तौर पर किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार होगा, परन्तु इस तरह की किसी भी समय कुल संख्या उपर्युक्तानुसार निश्चित की गयी अधिकतम संख्या से ऊपर नहीं होगी, परन्तु इस तरह अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त निदेशक कम्पनी की आगामी वार्षिक साधारण बैठक की तारीख तक ही पद पर बना रहेगा और तब पुनर्नियुक्ति के लिए हकदार होगा और इस तरह आकस्मिक रिक्त स्थान भरने के लिए नियुक्त निदेशक जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति हुई है, अगर वह स्थान रिक्त न हुआ होता तो, जिस तारीख तक वह निदेशक पद पर बना रहता उस तारीख तक ही अतिरिक्त निदेशक पद पर बना रहेगा ।

126. किसी बात के होते हुए भी निदेशक कार्य कर सकते हैं—उस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, कार्यशील निदेशक उनके संगठन में रिक्त स्थान न होने के बावजूद कार्य जारी रख सकते हैं, परन्तु इस तरह की यदि वह संख्या निर्धारित न्यूनतम संख्या से कम पड़ती है तो आकस्मिक प्रसंगों में अथवा रिक्त स्थानों को भरने के उद्देश्य से अथवा कम्पनी की साधारण बैठक बुलाने के लिए इन स्थितियों को छोड़कर, जब तक वह संख्या न्यूनतम संख्या से कम है तब तक निदेशक, कार्य नहीं करेंगे और वे अनुच्छेद 145 के उपबंधों के तहत आवश्यक गणपूर्ति के अभाव के बावजूद इस तरह कार्य कर सकते हैं ।

127. पद छोड़ने वाले निदेशक—(1) इस अधिनियम की धारा 283(2) के उपबंधों के अध्यधीन निदेशक का पद रिक्त जाना जाएगा यदि—

(क) किसी सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा उसे विकृत चित्त का घोषित किया जाता है ।

(ख) वह दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत होने के लिए आवेदन करता है, अथवा

(ग) वह न्यायनिर्णीत दिवालिया हो, अथवा

(घ) नैतिक अधमता से युक्त किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया जाता है और उसके संबंध में, उसे छः माह से अनधिक अवधि के कारावास का दण्डादेश दिया जाता है ।

(ङ) वह उसके द्वारा अकेले अथवा अन्य के साथ संयुक्त रूप से धारित शेयरों के बारे में ऐसे किये गये कालों की अदायगी के निर्धारित अंतिम तारीख से छः माह के अंदर किसी काल की अदायगी करने में असफल रहता है तब तक कि केन्द्र सरकार ने सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के जरिए इस प्रकार की असफलता से उत्पन्न हुई निरर्हता को हटा न दिया हो, अथवा

(च) वह लगातार निदेशकों की तीन बैठकों में अथवा लगातार तीन महीनों के लिए निदेशकों की ऐसी बैठकों, जो भी अवधि लंबी हो, में निदेशक बोर्ड से अनुपस्थिति छुट्टी प्राप्त किए बिना अनुपस्थित रहा हो, अथवा

(छ) वह (स्वयं अथवा उसके फायदे के लिए अथवा उसके लेखे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा) अथवा कोई फर्म जिसमें वह एक भागीदार है अथवा कोई निजी कम्पनी जिसका वह एक निदेशक है । अधिनियम की धारा 295 के उल्लंघन में कम्पनी से ऋण अथवा ऋण के लिए गारंटी अथवा प्रतिभूति स्वीकार करता है, अथवा

(ज) वह अधिनियम की धारा 299 के उल्लंघन में कार्य करता है, और

(झ) वह अधिनियम की धारा 203 के अधीन न्यायालय के आदेश द्वारा निरर्हित हो जाता है, अथवा

(ञ) वह धारा 284 के अनुसरण में कम्पनी के सामान्य संकल्प द्वारा उसके पद की अवधि के समाप्त होने से पहले हटा दिया जाता है, अथवा

(ट) वह कम्पनी अथवा निदेशकों को संबोधित लिखित नोटिस के द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देता है, अथवा

(ठ) वह उसका रिश्तेदार अथवा भागीदार अथवा कोई फर्म जिसमें वह अथवा उसके रिश्तेदार भागीदार है अथवा कोई निजी कम्पनी जिसका वह एक निदेशक अथवा सदस्य है, अधिनियम की धारा 314 के उल्लंघन में कम्पनी अथवा उसकी किसी सहायक संस्था के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है, अथवा

(ड) कम्पनी में उसके द्वारा कोई पद अथवा अन्य रोजगार धारित करने के आधार पर निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने पर, वह कम्पनी के ऐसे पद अथवा रोजगार में नहीं रहता है ।

(2) उप खंड (1) के खंड (ग), (घ) और (झ) में किसी के बात के अन्यथा होने पर भी, उन खण्डों में संदर्भित निरर्हता निम्न के लिए प्रभावी नहीं होगी :

(क) न्यायनिर्णयन अथवा दण्डादेश अथवा आदेश की तारीख से तीस दिनों के लिए,

(ख) जहां उपरोक्त अनुसार न्यायनिर्णयन, दण्डादेश अथवा दोषसिद्धियां जिसके परिणामस्वरूप दण्डादेश अथवा आदेश दिया गया हो, के विरुद्ध तीस दिनों के अन्दर कोई अपील अथवा याचिका की गयी है, ऐसी अपील अथवा याचिकाओं के निपटाए जाने की तारीख से सात दिनों की समाप्ति तक, अथवा

(ग) जहां उपरोक्त अनुसार सात दिनों के अन्दर न्यायनिर्णयन, दण्डादेश, दोषसिद्धि अथवा आदेश के संबंध में आगे कोई और अपील अथवा याचिका की जाती है और यदि स्वीकार कर लिए जाने पर अपील अथवा याचिका के फलस्वरूप निरर्हता हटा दी जाती है, ऐसी और अपील अथवा याचिका के निपटाए जाने तक ।

128. हित का प्रकटीकरण—(क) कंपनी का प्रत्येक निदेशक, जो किसी भी प्रकार से, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा अथवा उसकी ओर से की गयी अथवा की जाने वाली संविदा अथवा व्यवस्था अथवा प्रस्तावित संविदा अथवा

व्यवस्था से संबद्ध अथवा हितबद्ध है, उसे निदेशक बोर्ड की बैठक में अपनी संबद्धता अथवा हितबद्धता की प्रकृति को प्रकट करना होगा ।

(ख) (1) प्रस्तावित संविदा अथवा व्यवस्था के मामले में खंड (क) के अधीन निदेशक द्वारा किये जाने के लिए अपेक्षित प्रकटीकरण बोर्ड की उस बैठक में किए जाएंगे जिसमें संविदा अथवा व्यवस्था करने के प्रश्न पर सबसे पहले विचार किया गया है अथवा यदि निदेशक उस बैठक की तारीख को प्रस्तावित संविदा अथवा व्यवस्था से संबद्ध अथवा हितबद्ध न रहा हो तो उसके इस प्रकार संबद्ध अथवा हितबद्ध हो जाने के बाद आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में,

(2) अन्य किसी संविदा अथवा व्यवस्था के मामले में अपेक्षित प्रकटीकरण निदेशक के संविदा अथवा व्यवस्था में संबद्ध अथवा हितबद्ध होने के बाद आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में किए जाएंगे ।

(ग) (1) खंड (क) तथा (ख) के प्रयोजन के लिए निदेशक बोर्ड को दी गयी इस आशय की सामान्य नोटिस कि वह विनिर्दिष्ट कंपनी निकाय का निदेशक अथवा सदस्य है अथवा विनिर्दिष्ट फर्म का सदस्य है और उसे नोटिस की तारीख के बाद उस कम्पनी निकाय अथवा फर्म के साथ की जाने वाली किसी संविदा अथवा व्यवस्था से संबद्ध अथवा हितबद्ध समझा जाए, इस प्रकार की गयी किसी संविदा अथवा व्यवस्था के लिए संबद्धता अथवा हितबद्धता का पर्याप्त प्रकटन समझा जाएगा ।

(2) इस प्रकार की कोई सामान्य नोटिस उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी जिसमें वह दी गयी है, किन्तु उसे एक बार में एक वित्तीय वर्ष की और अवधियों के लिए, उस वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में जिसमें वह अन्यथा समाप्त हो जाती, नयी नोटिस के जरिए, नवीकृत किया जा सकेगा ।

(3) ऐसी कोई सामान्य नोटिस और नवीकरण तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि वह बोर्ड की बैठक में न दिया गया हो अथवा संबंधित निदेशक यह निश्चित करने के लिए समुचित कदम नहीं उठाता कि इसके दिये जाने के बाद इसे बोर्ड की पहली बैठक में प्रस्तुत किया गया है और पढ़ा गया है ।

(घ) इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह कम्पनी के निदेशक को कम्पनी के साथ किसी संविदा अथवा व्यवस्था में कोई संबद्धता अथवा हितबद्धता रखने से निर्बन्धित करने वाले किसी विधि शासन के प्रवर्तन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

(ङ) इस अनुच्छेद की कोई बात कंपनी तथा किसी अन्य कंपनी के बीच की गयी अथवा की जानेवाली ऐसी संविदा अथवा व्यवस्था पर लागू नहीं होगी जहां कम्पनी के निदेशकों में से कोई अथवा दो अथवा अधिक निदेशक दूसरी कंपनी में समादत्त शेयर पूंजी के दो प्रतिशत से अनाधिक हिस्सा धारित करते हों ।

(च) इस अनुच्छेद के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित कार्यपालिका सदस्य पर लागू होंगे जो कार्यपालिका समिति की बैठक में अपनी हितबद्धता की प्रकृति को प्रकट करेगा ।

129. हितबद्ध निदेशक बोर्ड की कार्यवाहियों में भाग नहीं ले सकते अथवा मतदान नहीं कर सकते—(1) कम्पनी का कोई भी निदेशक, यदि वह संविदा अथवा व्यवस्था प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार से संबद्ध अथवा हितबद्ध है तो वह निदेशक के रूप में कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी की ओर से ऐसी की गयी अथवा की जाने वाली किसी संविदा अथवा व्यवस्था की चर्चा में न तो भाग ले सकता है अथवा न ही उस पर मतदान कर सकता है, न ही उसकी उपस्थिति को ऐसी किसी चर्चा अथवा मतदान के समय गणपूर्ति के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा, और यदि वह मतदान करता है तो उसका मत शून्य हो जाएगा ।

(2) यह अनुच्छेद निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा :—

(क) किसी हानि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की कोई संविदा जो निदेशकों को अथवा उनमें से किसी एक अथवा अधिक को कम्पनी के लिए प्रतिभू बनने अथवा होने के कारण उठानी पड़ सकती है,

(ख) नियमित कम्पनी अथवा निजी कम्पनी जो नियमित कम्पनी की सहायक कम्पनी हो, के साथ की गयी अथवा की जाने वाली किसी संविदा अथवा व्यवस्था, जिसमें उपरोक्त अनुसार निदेशक की हितबद्धता एकमात्र रूप से—

(1) ऐसी कम्पनी के उसके निदेशक तथा उसमें ऐसी संख्या अथवा मूल्य से अनधिक शेयरों के धारक के रूप में होने पर हो जैसाकि उसके निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए उसे अर्हित बनाने के लिए अपेक्षित है तथा उसे कम्पनी द्वारा ऐसे निदेशक के रूप में नामित किया गया है, अथवा

(2) उसके ऐसा सदस्य होने पर हो जो ऐसी अन्य कम्पनी की समादत्त शेयर पूंजी के 2% (दो प्रतिशत) से अनाधिक हिस्से का धारक है ।

130. निदेशकगण कम्पनी द्वारा प्रवर्तित कम्पनियों के निदेशक हो सकते हैं—कोई निदेशक, कम्पनी द्वारा प्रवर्तित किसी कम्पनी का, अथवा जिसमें कम्पनी का विक्रेता, सदस्य के रूप में अथवा अन्यथा हिताधिकार निहित है, निदेशक हो सकता है अथवा निदेशक बन सकता है और अधिनियम के प्रावधानों तथा इन विनियमों के अध्यधीन ऐसा निदेशक ऐसी कम्पनी के निदेशक अथवा सदस्य के रूप में प्राप्त किसी लाभों के लिए दायित्वाधीन नहीं होगा ।

निदेशकों का आवर्तन :

131. निदेशकगण आवर्तन के द्वारा वार्षिक रूप से निवृत्त होंगे—कम्पनी की प्रथम वार्षिक साधारण बैठक से भिन्न प्रत्येक वार्षिक साधारण बैठक में तत्समय आवर्तन से निवृत्ति के लिए दायी ऐसे निदेशकों के एक-तिहाई निदेशक अथवा यदि उनकी संख्या तीन अथवा तीन के गुणज में नहीं है तब एक-तिहाई से निकटतम संख्या तक पद से निवृत्त होंगे ।

132. निवृत्त होने वाले निदेशक—प्रत्येक वार्षिक साधारण बैठक में आवर्तन से निवृत्त होने वाले निदेशक वे होंगे जो अपनी अंतिम नियुक्ति से उक्त पद पर दीर्घतम काल के लिए पदासीन हैं, परन्तु उन व्यक्तियों के बीच जो एक ही दिन निदेशक बने हैं, परन्तु उन व्यक्तियों के बीच जो एक ही दिन निदेशक बने किसी करार के अधीन और उसके अभाव में लाट द्वारा किया जाएगा ।

133. निवृत्त रहे निदेशक पुनः चुनाव के लिए पात्र—निवृत्त होने वाले निदेशक पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होंगे ।

134. कम्पनी द्वारा रिक्ति को भरा जाना—कम्पनी उस वार्षिक साधारण बैठक, जिसमें पूर्वोक्त ढंग से निदेशक निवृत्त होते हैं उनकी रिक्ति उक्त रिक्त पद में निवृत्त होने वाले निदेशक अथवा किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी ।

135. निवृत्त हो रहे निदेशक तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उत्तराधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो जाती—यदि निवृत्त निदेशक का पद उस प्रकार नहीं भरा जाता है और बैठक ने रिक्त पद को न भरने का स्पष्ट रूप से संकल्प नहीं किया है तो बैठक अगले सप्ताह में उसी दिन उसी स्थान और उसी समय तक अथवा यदि उक्त दिन सार्वजनिक छुट्टी का दिन है तो अगले उत्तरवर्ती दिन, जो सार्वजनिक छुट्टी का दिन नहीं है, तक उसी स्थान पर और समय तक स्थगित हो जाएगी और यदि स्थगित बैठक में भी रिक्ति को न भरने का स्पष्ट रूप में संकल्प नहीं किया गया हो तो निवृत्त होने वाला निदेशक स्थगित बैठक में पुनः नियुक्त समझा जाएगा जब तक कि—

(1) उक्त बैठक में अथवा पूर्ववर्ती बैठक में ऐसे निदेशक की पुनः नियुक्ति के लिए संकल्प बैठक के समक्ष न रखा गया और गिर गया है ।

(2) निवृत्त होने वाले निदेशक ने कम्पनी को अथवा उसके निदेशक बोर्ड को संबोधित लिखित नोटिस द्वारा उसी तरह पुनः नियुक्ति के लिए अपनी अनिच्छा अभिव्यक्त न की गयी हो ।

(3) वह नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं है अथवा निरर्हित है ।

(4) अधिनियम के किसी उपबंधों के फलस्वरूप उसकी नियुक्ति अथवा पुनः नियुक्ति के लिए विशेष अथवा संकल्प की आवश्यकता न हो ।

(5) अनुच्छेद 136 के उप-अनुच्छेद (2) के परन्तुक मामले पर लागू न हो ।

136. निदेशकों की नियुक्ति के लिए एकल रूप से मतदान किया जाए—(1) कम्पनी की प्रत्येक वार्षिक साधारण बैठक में एकल संकल्प द्वारा कम्पनी के निदेशकों के रूप में दो या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव न किया जाएगा, जब तक कि इस प्रकार किया जाने वाला संकल्प उसके विरुद्ध कोई मत दिए बिना बैठक द्वारा प्रथमतः सहमत नहीं किया जाता है ।

(2) इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (1) के उल्लंघन में प्रस्तावित संकल्प शून्य हो जाएगा चाहे उसे इस प्रकार प्रस्तावित करते समय आक्षेप किया गया हो या न हो, बशर्ते जहां इस प्रकार प्रस्तावित संकल्प पारित किया जाता है, दूसरी नियुक्ति के अभाव में निवृत्त होने वाले निदेशकों की स्वचालित पुनः नियुक्ति के लिए उपबंध लागू नहीं होगा ।

(3) इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए व्यक्ति की नियुक्ति के अनुमोदन हेतु अथवा नियुक्ति के लिए व्यक्ति के नामांकन के लिए प्रस्ताव उसकी नियुक्ति हेतु प्रस्ताव के रूप में समझा जाएगा।

137. निदेशक पद के लिए खड़े होने हेतु निवृत्त हो रहे निदेशकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के अधिकार—(1) कोई व्यक्ति, जो निवृत्त होने वाला निदेशक नहीं है, किसी साधारण बैठक में निदेशक के पद के निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होंगे, जब तक कि वह या उसका प्रस्ताव करने का आशय रखने वाला कोई दूसरा सदस्य, बैठक से कम से कम 14 पूर्ण दिन पहले, निदेशक के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी/अभ्यर्थिता की सम्मति देते हुए अथवा उक्त पद के लिए उम्मीदवार/अभ्यर्थी के रूप में उनका प्रस्ताव करने वाले ऐसे सदस्य के आशय संबंध अपने हस्ताक्षर में लिखित रूप में नोटिस, पांच सौ रुपए की जमाराशि के साथ, जिसे ऐसे व्यक्ति को अथवा ऐसे सदस्य को, जैसा भी मामला हो, वापस लौटाया जाएगा, यदि उक्त व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने में सफल होता है, कार्यालय में नहीं देता है ।

(2) कम्पनी निदेशक के पद के लिए व्यक्ति की अभ्यर्थिता अथवा उक्त पद के लिए अभ्यर्थी के रूप में ऐसे व्यक्ति का प्रस्ताव करने वाले सदस्य के आशय के बारे में अपने सदस्यों को बैठक से सात दिन पहले व्यक्तिगत नोटिस देकर सूचित करेगी परन्तु यह कि पूर्वोक्त अनुसार सदस्यों को व्यक्तिगत नोटिस देना कम्पनी के लिए आवश्यक नहीं होगा यदि कम्पनी ऐसी अभ्यर्थिता अथवा आशय को बैठक से सात दिन पहले, जहां कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, उस स्थान पर परिचालित कम से कम दो समाचार-पत्रों में विज्ञापन देती है, जिसमें से एक अंग्रेजी भाषा में और दूसरा उक्त स्थान की क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित होता है ।

138. निदेशकों को हटाना—(क) कम्पनी किसी निदेशक को (जो सरकारी निदेशक अथवा प्रथम निदेशक अथवा अधिनियम की धारा 408 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक नहीं है) उसके पद की अवधि की समाप्ति से पूर्व साधारण संकल्प द्वारा हटा सकेगी ।

(ख) इस अनुच्छेद के अधीन किसी निदेशक को हटाने के लिए अथवा उस प्रकार हटाये गये निदेशक के स्थान पर किसी दूसरे की नियुक्ति के लिए उस बैठक, जिसमें उसे हटाया जाता है, के किसी संकल्प का विशेष नोटिस आवश्यक होगा ।

(ग) इस अनुच्छेद के अधीन किसी निदेशक को हटाने के संकल्प के नोटिस की प्राप्ति पर कम्पनी उसकी एक प्रति संबंधित निदेशक को तत्काल भेजेगी तथा निदेशक (चाहे वह कम्पनी का सदस्य है या नहीं है) बैठक में संकल्प सुना जाने का हकदार होगा ।

(घ) जहां इस अनुच्छेद के अधीन किसी निदेशक को हटाने के लिए संकल्प का नोटिस दिया जाता है और संबंधित निदेशक कम्पनी को उस संबंध में लिखित रूप में अभ्यावेदन करता है (समुचित अवधि के भीतर) और कम्पनी के सदस्यों को उनकी अधिसूचना का अनुरोध करता है तो कम्पनी जब तक कि ऐसा करने के लिए उसके द्वारा अभ्यावेदन अत्यधिक विलम्ब से प्राप्त नहीं करती है तो :—

(1) कम्पनी के सदस्यों को दिये गये संकल्प के किसी नोटिस में किये गये अभ्यावेदनों के तथ्य का विवरण देगी; और

(2) कम्पनी के प्रत्येक सदस्य को, जिन्हें अधिवेशन का नोटिस भेजा गया है (चाहे कम्पनी द्वारा अभ्यावेदन पहले अथवा बाद में प्राप्त किया गया हो), अभ्यावेदनों की प्रति भेजेगी और यदि अभ्यावेदन अत्यधिक विलम्ब से पहुंचने के कारण अथवा कम्पनी की

चूक के कारण पूर्वकथित अनुसार अभ्यावेदनों की प्राप्ति नहीं भेजी जाती है तो निदेशक (मौखिक रूप में सुने जाने के उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) अपेक्षा करेगा कि अभ्यावेदनों को अधिवेशन में पढ़ा जाएगा परन्तु यह कि अभ्यावेदनों की प्रतियां भेजने की आवश्यकता नहीं होगी और अधिवेशन में अभ्यावेदनों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी यदि कंपनी अथवा कोई दूसरा व्यक्ति जो व्यथित होने का दावा करता है, इनमें से कोई एक आवेदन करने पर, न्यायालय इस बात से संतुष्ट होता है कि इस खंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का मानहानिकारण बात के लिए अनावश्यक प्रचार पाने हेतु दुरूपयोग किया जा रहा है ।

(ङ) इस अनुच्छेद के अधीन किसी निदेशक को हटाये जाने से, यदि उसे साधारण बैठक में कम्पनी द्वारा अथवा बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया है तो, निर्मित रिक्ती को उसी बैठक में, जिसमें उसे हटाया जाना है, उसके स्थान पर दूसरे निदेशक की नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा बशर्ते, इस अनुच्छेद के खंड (ख) के अधीन आशयित नियुक्ति का विशेष नोटिस दिया गया है । उसी प्रकार नियुक्त निदेशक उसी तारीख तक जिस तक उसका पूर्वाधिकारी पद धारित करता यदि वह पूर्वकथित अनुसार हटाया नहीं जाता, पद धारित करता ।

(च) यदि इस रिक्ति को इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (ङ) के अधीन नहीं भरा जाता है तो उसे अनुच्छेद 125 के उपबंधों, जहां तक वे लागू होंगे, के अनुसार आकस्मिक रिक्ति के रूप में भरा जाएगा और तदनुसार सभी उपबंध लागू होंगे, बशर्ते कि निदेशक, जिसे पद से हटाया गया था, उसे बोर्ड द्वारा निदेशक के रूप में पुन: नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

139. (1) प्रत्येक सदस्य हर वर्ष ऐसी तारीख, जो कि बोर्ड द्वारा तत्समय के लिए समय-समय पर निर्धारित की जाएगी, तक अगली वार्षिक साधारण बैठक में बोर्ड पर नियोजित किये जाने के लिए अपने अभ्यर्थी के नाम की सूचना लिखित रूप में देगा ।

(2) इस अनुच्छेद के अंतर्गत लेख अथवा नोटिस दिया गया है ऐसा केवल तभी समझा जाएगा, यदि वह ऐसे सदस्य के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित हो और जिसके साथ हटाये जाने अथवा नियुक्ति को प्रभावी बनाने संबंध बोर्ड के ऐसे सदस्य द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित प्रति हो ।

(3) अनुच्छेद 136 से 138 के उपबंधों (दोनों सम्मिलित) को इस अनुच्छेद 139 के उपबंधों के अधीन तथा के अनुसार पढ़ा जाएगा ।

निदेशकों की कार्यवाहियां :

140. निदेशकों की बैठक—निदेशक कामकाज निपटाने, स्थगित करने और अन्यथा के लिए एक साथ मिलेंगे, वे जैसा उचित समझेंगे उसी प्रकार उनकी बैठकों और कार्यवाहियों का विनियमन करेंगे परन्तु यह कि बोर्ड की बैठक हर तीन महीने में कम से कम एक बार आयोजित होगी और प्रत्येक वर्ष में कम से कम ऐसी चार बैठकें आयोजित होंगी ।

141. बैठक कब आयोजित की जाए—कम्पनी का अध्यक्ष किसी भी समय और निदेशकों द्वारा याचिकत किये जाने वाले प्रबंधक या सचिव अन्य अधिकारी निदेशक के अनुरोध पर निदेशकों की बैठक आयोजित करेगा ।

142. बैठक की नोटिस—कम्पनी के बोर्ड की प्रत्येक बैठक का नोटिस तत्समय भारत में प्रत्येक निदेशक को और अन्य प्रत्येक निदेशक को भारत में उसके सामान्य पते पर लिखित रूप में दिया जाएगा ।

143. बोर्ड का अध्यक्ष—निदेशक अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे और उस अवधि, जिसके लिए वह पद धारित करेगा, का अवधारण करेंगे । बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता ऐसे अध्यक्ष द्वारा, यदि वह उपस्थित हो तो, की जाएगी परन्तु यदि निदेशकों की किसी बैठक में, जब बैठक आयोजित करने के लिए नियुक्त समय पर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है तब और उस मामले में बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निदेशक उस समय उपस्थित निदेशकों में से एक को चुनेंगे ।

144. प्रबन्ध मंडल की बैठक में उठे प्रश्न का निर्णय कैसे किया जाए—किसी बैठक में उठने वाले प्रश्नों का मतों के बहुमत द्वारा निर्णय किया जाएगा और मतों की समानता के मामले में बैठक के अध्यक्ष का मत (चाहे अध्यक्ष की नियुक्ति इन विलेखों के आधार पर हुई है अथवा ऐसी बैठक में निदेशक अध्यक्षता कर रहा हो) द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

145. गणपूर्ति तथा अधिकारों के प्रयोग की इसकी सक्षमता—कम्पनी ने निदेशक बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति उसकी कुल संख्या के एक-तिहाई (एक-तिहाई में शामिल किसी भाग को एक के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा) अथवा दो निदेशक इसमें से जो भी उच्चतर है, होगी परन्तु यह कि जब किसी बैठक में हितबद्ध निदेशकों की संख्या कुल संख्या के दो-तिहाई से अधिक अथवा समान होती है तब बैठक में उपस्थित वे निदेशक, जो हितबद्ध नहीं है, जो दो से कम नहीं है, ऐसे समय के दौरान गणपूर्ति होगी और परन्तु यह और कि पूर्वोक्त उपबंध लागू नहीं होगा जब कम्पनी द्वारा और उसकी ओर से निदेशक के साथ अथवा किसी फर्म के साथ, जिसका निदेशक सदस्य है अथवा किसी निजी कम्पनी, जिसका निदेशक या सदस्य निम्न के लिए कोई संविदा या व्यवस्था करता है—

(क) कम्पनी के डिबेंचरों अथवा शेयरों में अभिदान अथवा हामीदारी; अथवा

(ख) किसी दूसरी कम्पनी के शेयरों अथवा डिबेंचरों की खरीद या बिक्री; अथवा

(ग) कम्पनी द्वारा ऋण ।

इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए :—

(1) 'कुल संख्या' से अधिनियम के अनुसरण में किये गये निर्धारण अनुसार निदेशकों की संख्या में से उस समय रिक्त निदेशकों की संख्या यदि कोई हो, घटाने के बाद कम्पनी के निदेशकों की कुल संख्या अभिप्रेत है ।

(2) "हितबद्ध निदेशक" से ऐसा निदेशक अभिप्रेत है जिसकी उपस्थिति को अधिनियम की धारा 300 के कारण बोर्ड की बैठक के समय गणपूर्ति होने के प्रयोजन से किसी मामले पर चर्चा अथवा मतदान के लिए गणना में नहीं लिया जा सकता है ।

146. गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक के लिए प्रक्रिया—(क) यदि कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में आयोजित नहीं की

या सकी, जब तक ऐसी बैठक में उपस्थित निदेशक अन्यथा निर्णय न करें, वह बैठक स्वयमेव ही अगले सप्ताह के उसी दिन तथा उसी समय और स्थान तक के लिए स्थगित हो जाएगी, अथवा यदि वह दिन सार्वजनिक अवकाश का दिन रहता है तो ऐसे निकटतम उत्तरवर्ती दिन जो सार्वजनिक अवकाश नहीं है, के उसी समय और स्थान के लिए स्थगित हो जाएगी ।

(ख) अनुच्छेद 141 के उपबंधों का केवल इस तथ्य के कारण से उल्लंघन किया गया नहीं माना जाएगा कि बोर्ड की बैठक जो उस अनुच्छेद के निबंधनों के अनुपालन में आहूत की गयी थी, गणपूर्ति के अभाव में आयोजित नहीं की जा सकी ।

147. बोर्ड द्वारा समिति नियुक्त की जाए—अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन निदेशक अपनी शक्तियों में से किसी व्यक्ति को अपने निकाय के सदस्य अथवा सदस्यों अथवा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जिसे वे उपयुक्त समझें, से मिलकर बनने वाली समितियों को प्रत्यायोजित कर सकेंगे और वे समय-समय पर इस प्रकार के प्रत्यायोजन को रद्द कर सकेंगे। इस प्रकार गठित की गई कोई समिति समय-समय पर उस पर निदेशकों द्वारा अधिरोपित किए जानेवाले विनियमों के अनुरूप इस प्रकार प्रत्यायोजित की गई शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी । जहां संदर्भ के अनुसार ग्राह्य हो, एक्सचेंज की कार्यपालिका समिति कम्पनी की समिति के रूप में समझी जाएगी।

148. समिति की बैठकें किस प्रकार संचालित की जाएं—निदेशकों की बैठक और कार्यवाही को विनियमित करने के लिए ऐसी किसी समिति की बैठकें एवं कार्यवाही इस विलेख के उपबंधों से शासित होगी जहां तक कि वे उनपर लागू होंगी और वे अंतिम पूर्ववर्ती अनुच्छेद में बनाए गए किसी विनियम द्वारा अधिक्रांत नहीं हैं।

149. नियुक्ति में दोष के होते हुए भी बोर्ड अथवा समितियों के कृत्य वैध होंगे—बोर्ड अथवा उसकी समिति अथवा निदेशक के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए सभी कार्य वैध होंगे यद्यपि बाद में यह पता लगे कि इस प्रकार के निदेशकों में किसी एक अथवा अधिक अथवा उपरोक्त अनुसार कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति दोष अथवा निर्हरता के कारण अवैध है अथवा उसकी नियुक्ति को इस विलेख की अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी उपबंध के आधार पर समाप्त कर दिया गया है परंतु इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी निदेशक की नियुक्ति को कंपनी को अवैध दर्शाये जाने पर अथवा समाप्त किए जाने के बाद ऐसे निदेशक द्वारा किए गए सभी कृत्यों को वैधता प्रदान करती है।

150. परिचालन द्वारा संकल्प—किसी भी संकल्प को परिचालन के जरिए बोर्ड अथवा उसकी समिति द्वारा विधिवत पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जबतक संकल्प को आवश्यक कागजातों, यदि कोई हों, के साथ प्रारूप के रूप में उस समय भारत में समिति के सभी निदेशकों अथवा सभी सदस्यों (जिनकी संख्या बोर्ड अथवा समिति, यथास्थिति, की बैठक के लिए विधारित गणपूर्ति की संख्या से कम न हो) को तथा अन्य सभी निदेशकों अथवा सदस्यों को भारत में उनके सामान्य पते पर न भेजी गई हो और उस समय भारत में मौजूद ऐसे निदेशकों द्वारा अथवा संकल्प पर मतदान करने के लिए हकदार उनमें से बहुतांश निदेशकों द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

151. निदेशकों एवं समितियों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त—कम्पनी निदेशक बोर्ड और बोर्ड की सभी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्तों को इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध बहीं अथवा बहियों में विधिवत् दर्ज कराने के लिए कार्यवाई करेगी । कार्यवृत्तों में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे :—

(क) बैठक की कार्यवाहियों का निष्पक्ष और सही संक्षेप,

(ख) निदेशक बोर्ड अथवा बोर्ड की किसी समिति की बैठक में उपस्थित निदेशकों के नाम,

(ग) बोर्ड और बोर्ड की समिति द्वारा किए गए सभी आदेश और अधिकारियों तथा निदेशक समितियों की सभी नियुक्तियां,

(घ) बोर्ड और बोर्ड की समितियों की बैठकों के सभी संकल्प एवं कार्यवाहियां, और

(ङ) बोर्ड अथवा बोर्ड की समिति की बैठक में पारित किए गए प्रत्येक संकल्प के मामले में संकल्प से असम्मत होने वाले अथवा सहमत न होने वाले निदेशकों, यदि कोई हों, के नाम ।

152. किसके द्वारा कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए जाएं तथा ऐसे कार्यवृत्त का प्रभाव—बोर्ड अथवा बोर्ड को किसी समिति की किसी बैठक का कोई कार्यवृत्त जिसके बारे में यह अभिप्रेत है कि वह अधिनियम की धारा 193 के उपबंधों के अनुसार ऐसी बैठक के अध्यक्ष अथवा अगली उत्तरवर्ती बैठक के अध्यक्ष द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित है, सभी प्रयोजनों, चाहे जो भी हों के लिए, संकल्प के वास्तविक रूप से पारित होने तथा इस प्रकार दर्ज की गयी कार्यवाहियों के वास्तविक एवं नियमित संव्यवहार अथवा घटना और बैठक की नियमितता, जिसमें उसके होने का आभास होगा, का साक्ष्य होगा ।

153. अधिनियमन के उपबंध—निदेशक अधिनियम की धारा 159, 295, 297, 299, 303, 305, 307 और 308 के उपबंधों का उस सीमा तक अनुपालन करेंगे जिस विस्तार तक वे लागू होंगे ।

निदेशकों की शक्तियां :

154. निदेशकों में निहित कंपनी की सामान्य शक्तियां—अधिनियम और इस विलेख के उपबन्धों के अध्यधीन कंपनी के कामकाज का प्रबंधन निदेशकों द्वारा किया जाएगा जो ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे और ऐसे सभी कृत्य और काम कर सकेंगे जैसाकि कंपनी अपने संस्था के बहिर्नियम अथवा अन्यथा द्वारा प्रयोग के लिए प्राधिकृत है और इस विलेख अथवा साधारण बैठक में कंपनी को प्रयोग करने अथवा करने के लिए अपेक्षित अथवा निर्देशित करने वाली संविधि द्वारा नहीं किया जाएगा, किन्तु तथापि यह अधिनियम के उपबंधों और संस्था के बहिर्नियम और इस विलेख और कम्पनी द्वारा साधारण बैठक में समय-समय पर बनाए गए किसी विनियम जो बहिर्नियम से असंगत न हों, के अध्यधीन होगा, परन्तु ऐसा कोई विनियम निदेशकों के ऐसी किसी पूर्व कृत्य को अविधिमान्य नहीं करेगा जोकि वैध रहा होता यदि ऐसा विनियम न बनाया गया होता।

155. केवल बोर्ड द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली कतिपय शक्तियां—बोर्ड कम्पनी की ओर से निम्नलिखित शक्तियों का

प्रयोग कर सकेगा और वह ऐसा केवल बैठकों में पारित संकल्पों के साधनों के जरिए ही कर सकेगा :—

(क) शेयरधारकों के शेयरों पर अवत्त राशि के संबंध में शेयरधारकों पर काल करने की शक्ति,

(ख) डिबेंचर जारी करने की शक्ति,

(ग) डिबेंचरों के अलावा अन्यथा धनराशियां उधार लेने की शक्ति,

(घ) कंपनी की निधियों को निवेश करने की शक्ति, और

(ङ) ऋण देने की शक्ति ।

परन्तु बोर्ड बैठक में पारित संकल्प के द्वारा किसी निदेशक समिति, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक अथवा कम्पनी के अन्य कोई मुख्य अधिकारी अथवा शाखा कार्यालय के मामले में, अन्य कोई मुख्य अधिकारी को अधिनियम की धारा 292 की उप धारा क्रमशः (2), (3) और (4) में विनिर्दिष्ट सीमा तक खंड (ग), (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट शक्तियों को, ऐसी शर्तों पर जैसा कि बोर्ड निर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकता है ।

156. कतिपय शक्तियों के प्रयोग के लिए कम्पनी की सहमति आवश्यक—बोर्ड साधारण बैठकों में कम्पनी की सहमति के बिना निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकेगा :—

(क) कम्पनी के उपक्रम को पूर्ण रूप से, अथवा संपूर्ण के पर्याप्त हिस्से की बिक्री, पट्टे पर देना अथवा अन्यथा निपटान करना अथवा जहां एक से अधिक उपक्रम का स्वामित्व रखती है, ऐसे उपक्रम का पूर्ण रूप से अथवा संपूर्ण के पर्याप्त हिस्से की बिक्री करना,

(ख) किसी निदेशक पर बकाया किसी ऋण का प्रेषण करना अथवा चुकौती के लिए जमा देना,

(ग) खंड (क) में संदर्भित अनुसार ऐसे किसी उपक्रम के संबंध में अथवा ऐसे किसी उपक्रम के लिए प्रयुक्त किसी परिसर अथवा संपत्तियों के अनिवार्य अधिग्रहण के संबंध में प्राप्त क्षतिपूर्ति को न्यास प्रतिभूतियों के अलावा निवेश करना और जिसके बिना वह कारबार नहीं चला सकता हो अथवा केवल कठिनाई के साथ चला सकता हो अथवा पर्याप्त समय के बाद ही चला सकता हो ।

(घ) धनराशि उधार लेना जहां उधार ली जाने वाली धनराशियां कम्पनी द्वारा पहले ही उधार ली गयी (कारबार के साधारण अनुक्रम में कम्पनी के बैंकरों से प्राप्त अस्थायी ऋणों को छोड़कर) राशि, कम्पनी समावत्त पूंजी तथा उसके मुक्त आरक्षित निधियों अर्थात वे आरक्षित निधियां जो किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए अलग से नहीं रखी गयी हैं, के योग से बनने राशि से अधिक होगी ।

(ङ) ऐसे धर्मादा तथा अन्य निधियों में जो कम्पनी के कारबार अथवा उसके कर्मचारियों के कल्याण से प्रत्यक्षतः न जुड़ी हों, ऐसी राशि का अंशदान देना जिनका योग, किसी वित्तीय वर्ष में 50,000/- रुपये अथवा अधिनियम की धारा 349 और 350 के उपबंधों के अनुरूप निर्धारित किये गये अनुसार ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान के औसत निवल लाभों के पांच प्रतिशत, जो भी ज्यादा हो, से अधिक हो ।

157. निदेशकों को प्रदत्त विशिष्ट शक्तियां—अनुच्छेद 154 द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्तियों और इस विनियम द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किन्तु अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन एतद्द्वारा यह अभिकल्प रूप से घोषित किया जाता है कि बोर्ड को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी :—

(1) कम्पनी के प्रवर्तन, बनाव, स्थापना और पंजीकरण के लिए मूल रूप से तथा प्रासंगिक रूप से वहन किये जाने वाले खर्चों, प्रभारों और व्ययों को अदा करना ।

(2) विदेश में उपयोग हेतु प्राधिकारिक मुद्रा रखना ।

(3) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विदेशी रजिस्टर रखना ।

(4) कम्पनी के लिए ऐसे संपत्ति अधिकार अथवा विशेषाधिकार जिसे प्राप्त करने के लिए कम्पनी प्राधिकृत है, ऐसे मूल्य पर तथा सामान्य रूप से ऐसे निबंधन और शर्तों पर जैसा वे उचित समझें, खरीदना अथवा अन्यथा प्राप्त करना ।

(5) अपने विवेकानुसार कम्पनी द्वारा प्राप्त की गयी किसी संपत्ति अथवा अधिकार अथवा कम्पनी को दी गयी सेवाओं के लिए, पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से नकद में, अथवा शेयरों, बान्डों, डिबेंचरों, डिबेंचर स्टाक अथवा कम्पनी की अन्य प्रतिभूतियों में अदायगी करना और ऐसे शेयर पूर्णतया समावत्त अथवा ऐसी राशि को उस पर समावत्त के रूप में जमा करके जैसी सहमति हो, जारी किए जा सकेंगे और ऐसे बान्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टाक अथवा अन्य प्रतिभूतियां कम्पनी की सभी संपत्ति अथवा उसके किसी हिस्से पर और उसकी न मांगी गयी पूंजी पर विशेष रूप से भारित हो सकती हैं अथवा भारित नहीं हो सकती है ।

(6) कम्पनी के सभी भवन, मशीनरी, सामानों, भंडारणों, उपज और अन्य चल संपत्ति अथवा उसके किसी हिस्से को पृथक-पृथक अथवा संयुक्त रूप से अग्नि अथवा अन्यथा से होने वाली हानि अथवा क्षति के विरुद्ध ऐसी अवधि के लिए और ऐसी सीमा तक जैसा वे उपयुक्त समझें, बीमा कराना और बीमाकृत किये रखना, और साथ ही कम्पनी द्वारा आयातित अथवा निर्यातित सभी माल, उपज, मशीनरी तथा वस्तुओं को अथवा उनके किसी हिस्से का भी बीमा कराना और इस शक्ति के अनुसरण में क्रियान्वित की गयी किन्हीं बीमा पालिसियों की बिक्री, समनुदेशन, अभ्यर्पण करना अथवा उन्हें बंद करना ।

बैंक खाते खोलना—(7) किसी बैंक अथवा बैंकरों के पास अथवा किसी कम्पनी, फर्म अथवा व्यष्टि के पास खाते खोलना और समय-समय पर इसमें धनराशि जमा करना और धनराशि आहरित करना जैसा निदेशक उचित समझें ।

संविदाओं को प्रतिभूत करना—(8) कम्पनी द्वारा की गयी किसी संविदा अथवा वचनबंध की पूर्णता को कम्पनी की सभी अथवा किसी संपत्ति को बंधक अथवा प्रभार के द्वारा और तत्समय के लिए उसकी अदत्त पूंजी को ऐसी अन्य रीति से जैसा वे उचित समझें, प्रतिभूत करना ।

शर्तें संलग्न करना—(9) कम्पनी के साथ की गयी किसी संविदा अथवा कम्पनी द्वारा प्राप्त की गयी किसी संपत्ति अथवा कम्पनी को दी गयी सेवाओं की अदायगी के प्रतिफल अथवा प्रतिफल के रूप में जारी किये जाने वाले किसी शेयरों पर उनके अंतरण के संबंध में ऐसी शर्तें लगाना जैसा वे उचित समझें ।

शेयरों के अभ्यर्पण को स्वीकार करना—(10) किसी सदस्य से ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसी कि सहमति होगी, उसके शेयरों अथवा स्टाक उसके किसी हिस्से के अभ्यर्पण का स्वीकार करना ।

न्यासी नियुक्त करना—(11) कम्पनी के स्वामित्व की किसी संपत्ति अथवा जिसमें उसका हित निहित हो, अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकार करने अथवा कम्पनी के लिए न्यास के अधीन धारित करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों (चाहे वह निगमित हो अथवा न हो) की नियुक्ति करना और कृत्य और काम करना और निष्पादित करना जो ऐसे किसी न्यास के संबंध में अपेक्षित हों और ऐसे न्यासी अथवा न्यासियों के लिए पारिश्रमिक हेतु व्यवस्था करना ।

विधित कार्यवाहियां संस्थित करना तथा प्रतिरक्षा करना—(12) कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के विरुद्ध अथवा उसके अधिकारियों अथवा कम्पनी के कामकाज से संबंधित अन्यथा व्यक्ति के विरुद्ध किसी विधिक कार्यवाही को स्थापित, संचालित, प्रतिरक्षा, शमन करना अथवा उसका अधित्याग करना और साथ ही कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के विरुद्ध देय किसी ऋण अथवा किसी दावे अथवा मांगों की तुष्टि की अदायगी के लिए शमन करना और समय की अनुमति देना ।

विवाचन के लिए निर्देशित करना—(13) कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के विरुद्ध किये गये किसी दावे अथवा मांग को विवाचन को निर्देशित करना और अधिनियमों का अनुपालन और संपादन करना ।

दिवाला के मामलों में कार्य करना—(14) शोधन अक्षमता और दिवाला से संबंधित सभी मामलों में कम्पनी की ओर से कार्य करना ।

रसीदें देना—(15) कम्पनी को देय धनराशियों के लिए और कम्पनी के दावों और मांगों के लिए रसीदें, निर्मुक्ति और अन्य उन्मोचन बनाना और देना ।

बिलों आदि की पूछताछ को प्राधिकृत करना—(16) समय-समय पर यह निर्धारित करना कि कम्पनी की ओर से बिलों, टिप्पणों, रसीदों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों, चेकों, लाभांश वारंटों, निर्मुक्तियों, संविदाओं और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन हकदार होगा ।

धनराशियां निवेश करना—(17) कम्पनी की उन धनराशियों को जिनकी उसके प्रयोजनों के लिए तुरन्त आवश्यकता नहीं है, ऐसी प्रतिभूतियों में और ऐसी रीति में जैसा वे ठीक समझें, निवेश करना और उनका व्यवहार करना और समय-समय पर ऐसे निवेशों में परिवर्तन करना और उनकी वसूली करना ।

कर्मचारियों के कल्याण आदि के लिए व्यवस्था करना—(18) कम्पनी के कर्मचारियों अथवा भूतपूर्व कर्मचारियों और उनकी पत्नियों, और परिवार अथवा आश्रितों अथवा ऐसे व्यक्तियों के संबंधियों के कल्याण के लिए, मकानों अथवा आवासों का निर्माण करके अथवा उनके निर्माण में अंशदान करके अथवा अनुदानों के द्वारा अथवा धन, पेंशन, भत्ते, बोनस अथवा अन्य भुगतानों के द्वारा अथवा भविष्य निधि और अन्य संघों, संस्थाओं, निधियों अथवा न्यासों को सृजित करके और समय-समय पर उनमें अभिदान और अंशदान करके और शिक्षा एवं मनोरंजन के स्थानों, अस्पताल एवं दवाखानों, चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं तथा अन्य सहायता के जरिए जैसा कम्पनी उपयुक्त समझे, व्यवस्था करना ।

धर्मादा निधि आदि के लिए अभिदान करना—(19) अधिनियम की धारा 293 के उपबंधों के अध्यधीन किसी राष्ट्रीय, धर्मादा, हितकारी, सार्वजनिक, सामान्य अथवा उपयोगी उद्देश्य के लिए अथवा किसी प्रदर्शनी अथवा किसी संस्था, क्लब, सोसाइटी अथवा निधि में अभिदान करना अथवा धनराशि की गारंटी देना ।

आरक्षित निधि स्थापित करना—(20) निदेशक किसी लाभांश को संस्तुत करने से पहले कम्पनी के लाभों में से ऐसी राशि को जो वे आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए अथवा साधनीय अधिमान शेयरों अथवा डिबेंचरों का चुकौती करने के लिए अथवा लाभांशों की अदायगी के लिए अथवा लाभांशों के समतुलन के लिए अथवा कम्पनी की संपत्ति के किसी हिस्से की मरम्मत, सुधार विस्तार अथवा अनुरक्षण के लिए अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जैसा निदेशक अपने पूर्ण विवेक से कम्पनी के हितों के लिए सहायक समझें, अवक्षयण अथवा अपक्षयण निधि अथवा रिजर्व के रूप में अथवा आरक्षित निधि अथवा निक्षेप निधि अथवा अन्य विशेष निधि हेतु उचित समझें, अलग रख सकेंगे और निदेशक इस प्रकार अलग रखी गयी विभिन्न धनराशियों को अथवा ऐसे निवेशों पर निवेश के लिए अपेक्षित मात्रा तक (अधिनियम द्वारा अधिरोपित निबंधनों के अध्यधीन) जैसाकि निदेशक उपयुक्त समझें, निदेशक निवेश कर सकेंगे और समय समय पर ऐसे निवेशों का व्यवहार और उनमें परिवर्तन कर सकेंगे और उनका निपटान कर सकेंगे और उसकी समग्र राशि अथवा उसके किसी भाग को ऐसी रीति में ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसाकि निदेशक (उपरोक्त अनुसार निबंधनों के अध्यधीन) जैसाकि वे अपने पूर्ण विवेक से कम्पनी के हितों के लिए सहायक समझें कम्पनी के फायदे के लिए प्रयोग और व्यय कर सकेंगे, इस बात के होते हुए भी कि, उन मामलों पर जिन पर निदेशक ऐसी राशि का प्रयोग करेंगे अथवा उसे अथवा उसके हिस्से को व्यय करेंगे, ऐसे मामले हो सकेंगे जिनके संबंध में अथवा जिन पर कम्पनी की पंजीकृत धनराशि उचित रूप में प्रयोग की गयी हो अथवा व्यय की गयी हो और निदेशक रिजर्व अथवा किसी निधि को ऐसी विशेष निधियों में विभाजित कर सकते हैं और किसी राशि को एक निधि से दूसरी निधि में अंतरित कर सकते हैं जैसा कि निदेशक उचित समझें और वे अवक्षयण निधि सहित उपरोक्त सभी अथवा उनमें से किसी के संघटन से बनी आस्तियों को कम्पनी के कारबार में अथवा साधनीय अधिमान शेयरों एवं डिबेंचरों की खरीद अथवा चुकौती के लिए विनियोजित कर सकेंगे और यह कि उसे अन्य आस्तियों से अलग रखने के लिए आबद्ध हुए बिना और उस पर ब्याज की अदायगी के लिए आबद्ध हुए बिना, तथापि, निदेशक उन्हें प्राप्त शक्ति से, अपने विवेकानुसार अदा करने का निर्देश दे सकते हैं अथवा ऐसी निधि में ऐसी दर से ब्याज जमा करने के लिए अनुमति दे सकते हैं जैसाकि निदेशक उचित समझें ।

अधिकारियों आदि को नियुक्त करना—(21) ऐसी विशेष समिति अथवा समितियाँ, तकनीशियनों और परामर्शदाताओं अथवा ऐसे प्रबंधकों, अधिकारियों, लिपिकीय कर्मचारियों, और एजेंट को स्थायी, अस्थायी अथवा विशेष सेवाओं के लिए नियुक्त करना और अपने विवेक पर हटाना अथवा निलंबित करना और उनकी शक्तियाँ एवं कर्तव्यों को निर्धारित करना और उनके वेतन और परिलब्धियों का निर्धारण करना, ऐसे मामलों में और ऐसी धनराशियों में जैसा वे उपयुक्त समझें, प्रतिभूति की अपेक्षा करना और साथ ही ऊपर कथित बातों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समय-समय पर भारत में किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कम्पनी के कामकाज के प्रबंधन और संव्यवहार के लिए, ऐसी रीति में जैसा वे उचित समझें, उपबंध कर सकेंगे और निम्नलिखित उप-अनुच्छेद 22 एवं 23 में अंतर्विष्ट उपबंध, इस उप-अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्तियों पर, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे ।

स्थानीय विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करना—(22) ऐसी किसी स्थानीय विधि की अपेक्षाओं का अनुपालन करना जोकि उनकी राय में उसका पालन करना कम्पनी के हित में आवश्यक अथवा समीचीन होगा ।

स्थानीय बोर्ड स्थापित करना—(23) भारत में अथवा किसी अन्य स्थान पर किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कम्पनी के किन्हीं कामकाज के प्रबंधन के लिए समय-समय पर और किसी भी समय कोई स्थानीय बोर्ड स्थापित करना और किसी स्थानीय बोर्ड के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करना और उनका पारिश्रमिक नियत करना और समय-समय पर तथा किसी भी समय किन्तु अधिनियम की धारा 292 एवं 293 तथा इस विलेख के उपबंधों के अध्यधीन तत्समय निदेशकों में निहित किन्हीं शक्तियों, प्राधिकारों एवं विवेकाधिकारों को इस प्रकार नियुक्त किसी व्यक्ति को प्रत्यायोजित करना और ऐसे किसी स्थानीय बोर्ड के तत्समय के सदस्यों को, अथवा उनमें से किसी को उसमें होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए और रिक्तियों के होते हुए भी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करना और ऐसी नियुक्ति अथवा प्रत्यायोजन, ऐसे निबंधनों पर और ऐसी शर्तों के अध्यधीन किए जा सकेंगे । जैसाकि निदेशक उपयुक्त समझें और निदेशक किसी भी समय इस प्रकार नियुक्त किसी भी व्यक्ति को हटा सकेंगे और ऐसे किसी प्रत्यायोजन को निष्प्रभावी बना सकेंगे अथवा उसे परिवर्तित कर सकेंगे । ऐसे प्रतिनिधियों को निदेशक द्वारा तत्समय उनमें निहित शक्तियों, प्राधिकारों एवं विवेकाधिकारियों को पूर्ण रूप से अथवा उनमें से किसी को उप-प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा ।

(24) किसी भी समय और समय-समय पर किन्तु अधिनियम की धारा 292 और 293 और अनुच्छेद 147 के अध्यधीन मुख्तारनामे के द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शक्तियाँ, प्राधिकार एवं विवेकाधिकार (जो इस विलेख के अधीन निदेशकों में निहित अथवा प्रयोज्य शक्तियों, प्राधिकार एवं विवेकाधिकार से अधिक नहीं होंगी) के साथ और ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसा निदेशक समय-समय पर उचित समझें, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को कम्पनी के अटर्नी अथवा अटर्नियों के रूप में नियुक्त करना और इस प्रकार की कोई नियुक्ति (यदि निदेशक उचित समझें) उपरोक्त अनुसार स्थापित किसी स्थानीय बोर्ड के सदस्यों अथवा सदस्यों में से किसी एक के पक्ष में अथवा किसी कम्पनी अथवा फर्म के सदस्यों, निदेशकों, नामितियों अथवा प्रबंधकों के पक्ष में अथवा निदेशकों द्वारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः नामित किए गए किसी व्यक्तियों के परिवर्तनीय निकाय के पक्ष में किया जा सकेगा और ऐसे मुख्तारनामे में ऐसे अटर्नी के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा अथवा सुविधा के लिए ऐसी शक्तियाँ अंतर्विष्ट होंगी जैसाकि निदेशक उचित समझें ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन—(25) सामान्य रूप से अधिनियम और इन अनुच्छेदों के उपबंधों के अध्यधीन निदेशकों में निहित शक्तियों, प्राधिकारों और विवेकाधिकार को किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी अथवा व्यक्तियों के परिवर्तनीय निकाय को प्रत्यायोजित करना ।

प्रतिनिधियों द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन—(26) उपरोक्त अनुसार ऐसे प्रतिनिधि अथवा अटर्नी को निदेशकों द्वारा तत्समय उसमें निहित सभी अथवा किसी शक्तियों, प्राधिकारों एवं विवेकाधिकार को उप-प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा ।

संविदा करना—(27) ऐसी सभी वार्ताएं और संविदाएं करना और ऐसी सभी संविदाओं को पुनः समनुदेशित और परिवर्तित करना और कम्पनी के नाम में और कम्पनी की ओर से ऐसे सभी कार्य, विलेख और कार्य निष्पादित करना और कराना जैसा वे उपरोक्त मामलों में से किसी के लिए अथवा किसी के संबंध में अथवा अन्यथा कम्पनी के प्रयोजन के लिए समीचीन समझें ।

(28)) एक्सचेंज के सदस्यों, सूचीबद्धता की इच्छुक कम्पनियों और एक्सचेंज पर किसी भी नाम से अभिहित प्रतिभूतियों के सौदों में भाग लेनेवाले अन्य सहभागियों के लिए नियमावली, विनियमावली, उप विधियां और आचरण संहिता बनाना, संशोधित करना, परिवर्तित करना, रूपांतरित करना और उनका प्रवर्तन करना किन्तु इस खंड के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग बोर्ड सम्यक् रूप से बुलायी गयी बोर्ड की बैठक में उपस्थित और वोट देने वाले निदेशकों में से तीन-चौथाई बहुमत होने पर ही किया जा सकेगा ।

158. **बोर्ड की शक्तियां**—इन अनुच्छेदों और एससीआर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सेबी अधिनियम एवं उसके अधीन नियम एवं विनियम अथवा सेबी के अन्य निदेशों के उपबंधों के अध्यधीन बोर्ड को एक्सचेंज के परिचालनों और एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्यों द्वारा किए जाने वाले प्रतिभूति संव्यवहारों के परिचालनों को आयोजित करने, अनुरक्षण करने, नियंत्रित करने, प्रबंध करने, विनियमित करने और सुकर बनाने की शक्ति प्राप्त होगी ।

(2) इन अनुच्छेदों और एससीआर अधिनियम और उसके अधीन नियमों तथा सेबी अधिनियम एवं उसके अधीन नियमों अथवा सेबी के अन्य निदेशों के उपबंधों के अध्यधीन बोर्ड को एक्सचेंज के कारोबार के संचालन, व्यापारिक सदस्यों के परस्पर व्यापारिक सदस्यों के बीच साथ ही साथ व्यापारिक सदस्यों और ऐसे व्यक्तियों के बीच जो व्यापारिक सदस्य नहीं हैं के बीच कारबार एवं संव्यवहार के संचालन से संबंधित किसी अथवा सभी मामलों के लिए और ऐसे सभी संव्यवहारों को नियंत्रित, परिभाषित और विनियमित करने के लिए और ऐसे कृत्य और काम करने के लिए जो एक्सचेंज अथवा कम्पनी के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं, समय-समय पर नियम, उप-विधियां और विनियम बनाने की शक्ति और व्यापक प्राधिकार प्राप्त होगी ।

(3) ऊपर कही गयी बातों की सामान्यतया पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड को, अन्य प्रयोजनों के बीच में, निम्नलिखित सभी अथवा उनमें से किसी मामले के लिए नियम, उप विधियां तथा विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त रहेगी :—

(क) एक्सचेंज की सदस्यता के लिए प्रवेश हेतु शर्तें ।

(ख) एक्सचेंज के कारबार का संचालन ।

(ग) एक्सचेंज के नियमों, उप-विधियों, विनियमों अथवा प्रथा के अध्यधीन सभी प्रकार की प्रतिभूतियों में किए गए सभी संव्यवहार और सभी संविदाओं से संबंधित सभी मामलों सहित एक्सचेंज के कारबार के संबंध में व्यापारिक सदस्यों के आचरण ।

(घ) व्यापारिक सदस्यों में परस्पर अथवा व्यापारिक सदस्यों और उनके संघटकों के बीच की जाने वाली संविदा का फार्म शर्तें और संविदा के निष्पादन का समय, प्रकार और रीति ।

(ङ) एक्सचेंज पर सौदों के लिए प्रतिभूतियों की ग्राह्यता हेतु शर्तें और उद्धरण ।

(च) एक्सचेंज पर कारबार संव्यवहार करने के लिए समय, स्थान और आचरण ।

(छ) एक्सचेंज के नियमों, उपविधियों और विनियमों अथवा सामान्य अनुशासन की अवज्ञा अथवा उल्लंघन के लिए दण्ड सहित व्यापारी सदस्य का निष्कासन अथवा निलंबन ।

(ज) एक्सचेंज की व्यापारी सदस्यता से किसी व्यापारी सदस्य की चूककर्ता या निलंबन अथवा त्यागपत्र या बहिष्कार के रूप में घोषणा और इसके परिणाम ।

(झ) कमीशन अथवा दलाली के लिए मापमान जिसे व्यापारी सदस्य प्रभारित कर सकता है ।

(ञ) एक्सचेंज की व्यापारी सदस्यता में प्रवेश के लिए शर्तें, चंदा अथवा प्रवेश के लिए अभिदान या इसे जारी रखना ।

(ट) किसी विकल्प में संव्यवहार के लिए समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार व्यापारी सदस्य द्वारा देय प्रभार ।

(ठ) व्यापारी सदस्य की वित्तीय स्थिति, कारबार आचरण और सौदों का अन्वेषण ।

(ड) व्यापारी सदस्यों और व्यक्तियों के मध्य परस्पर उत्पन्न विवादों, शिकायतों, दावों का निपटान जो व्यापारी सदस्य नहीं हैं इनके साथ-साथ व्यापारी सदस्यों और व्यक्तियों जो समय-समय पर लागू नियमों, उप विधियों और विनियमों तथा एक्सचेंज की प्रथा जिसमें नियमों, उपविधियों और विनियमों तथा एक्सचेंज की प्रथा के अनुसार विवाचन द्वारा निपटान शामिल है, के अधीन किए गए प्रतिभूतियों के किसी संव्यवहार से संबद्ध व्यापारी सदस्य नहीं हैं ।

(ढ) समाशोधन गृह (गृहों) अथवा समाशोधन के लिए अन्य व्यवस्थाओं की स्थापना और कार्यविधि ।

(ण) एक्सचेंज के किसी उद्देश्यों के लिए समिति अथवा समितियों की नियुक्ति ।

(4) बोर्ड एक्सचेंज के सभी या किसी भी कार्य का प्रबंध करने के लिए इसमें निहित सभी या किन्हीं शक्तियों को कार्यपालन समिति (यों) अथवा किसी भी व्यक्ति को सौंपने के लिए सशक्त होगा ।

(5) इन विलेखों और इसके अंतर्गत तैयार किया गया प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम और नियमों और इसके अधीन सेबी अधिनियम और नियमों अथवा किसी सेबी निदेशों के उपबंधों के अधीन बोर्ड उसके द्वारा बनाए गए नियमों, उपविधियों और विनियमों को बदलने, संशोधन करने अथवा निरसन या उसमें जोड़ने के लिए सशक्त होगा ।

कार्यपालिका समिति :

159. (क) बोर्ड एक्सचेंज के समस्त कामकाज अथवा इसके हिस्से का प्रबंध करने के लिए एक या अधिक कार्यपालक समिति (यों) का गठन अथवा इनको सशक्त करेगा ।

(ख) ऐसी कार्यपालक समिति में होंगे :

(1) कम्पनी का प्रबंध निदेशक ।

(2) दो से अनधिक व्यक्ति जिनका नामांकन केन्द्र सरकार/भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड करेगा ।

(3) बोर्ड द्वारा इस बारे में चार व्यक्ति नामित किए जाएंगे (जिसमें कम्पनी के दो स्थायी कर्मचारी शामिल होंगे) जो कम्पनी में वरिष्ठ प्रबंधन हैसियत वाले हों ।

(4) बोर्ड द्वारा इस बारे में नामित चार से अनधिक व्यापारी सदस्य ।

(5) भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से बोर्ड द्वारा वित्त, लेखांकन, विधि अथवा अन्य विषय के क्षेत्र में प्रतिष्ठित ऐसे वैयक्तिक व्यक्ति और इन्हें जन प्रतिनिधि कहा जाएगा ।

(ग) कार्यपालक समिति की अधिकतम संख्या 15 (पन्द्रह) होगी ।

(घ) कम्पनी का प्रबंध निदेशक कार्यपालक समिति का पदेन अध्यक्ष और एक्सचेंज का मुख्य कार्यपालक होगा ।

(ङ) बोर्ड एक्सचेंज के कामकाज को करने के संबंध में समय-समय पर निदेश देगा और यह निदेश एक्सचेंज और कार्यपालक समिति पर बाध्यकारी होंगे । यदि किसी समय बोर्ड संतुष्ट है कि मौजूद परिस्थितियों जो ऐसा करने के लिए जनहित में इसे आवश्यक बना देगी, बोर्ड कार्यपालक समिति को अधिक्रांत और/या समाप्त कर देगा और बोर्ड अपने विवेक में उचित समझ से ऐसी शक्तियों और ऐसी शर्तों पर नयी कार्यपालक समिति की नियुक्ति और पुनर्गठन करेगा ।

(ख) कार्यपालक समिति बोर्ड द्वारा प्रत्योजित की गयी और ऐसी प्रत्यायोजन की सीमा तक सभी ऐसी शक्तियां और सभी ऐसे कार्य और कृत्य जैसी बोर्ड द्वारा प्रयुक्त अथवा की जाती है, के निबंधन और शर्तों के अधीन होगा ।

मुद्रा :

160. मुद्रा इसकी अभिरक्षा और उपयोग—कम्पनी के उद्देश्यों के लिए बोर्ड सामान्य मुद्रा उपलब्ध करेगी और समय-समय पर इसे नष्ट करने और इसके स्थान पर नयी मुद्रा प्रतिस्थापित करने की शक्ति इसे होगी और बोर्ड कुछ समय के लिए मुद्रा हेतु सुरक्षित अभिरक्षा उपलब्ध करेगी और मुद्रा का उपयोग केवल बोर्ड अथवा निदेशकों की समिति के प्राधिकारी द्वारा अथवा प्राधिकार के अधीन के अलावा कभी उपयोग नहीं की जाएगी और यह एक निदेशक की उपस्थिति में अथवा अन्य कोई व्यक्ति जो कम से कम इस संबंध में प्राधिकृत हो वह उस प्रत्येक लिखत पर हस्ताक्षर करेगा जिस पर मुद्रा लगाई गयी है बशर्ते कि शेयरों के प्रमाणपत्र समय-समय पर लागू कम्पनी (शेयर प्रमाणपत्रों का निर्गम) नियमों में दिए गए अनुसार ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर के अधीन हो । अन्यथा उपबंधित के सिवाय अधिनियम द्वारा स्पष्ट बताए गए दस्तावेज अथवा कार्यवाहियां जिन पर कम्पनी द्वारा अभिप्रमाणन आवश्यक है निदेशक अथवा सचिव अथवा अन्य अधिकारी जिसे बोर्ड द्वारा इस बारे में प्राधिकृत किया गया है हस्ताक्षर करेगा और यह इसकी मुद्रा के अंतर्गत होना नहीं है ।

161. विदेश में मुद्रा—कम्पनी अधिनियम की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयुक्त करेगी और ऐसी शक्तियां तदनुसार निदेशक में विहित होगी ।

लाभांश :

162. लाभों का विभाजन—कम्पनी का लाभ, किसी विशेष अधिकार के अधीन उससे संबंधित संस्था के बहिर्नियम अथवा इन विलेखों द्वारा सृजित किए जाने के लिए सृजित था प्राधिकृत है और अधिनियम के उपबंधों के अधीन और इन विलेखों की सदस्यों के बीच क्रमशः उनके द्वारा धारित शेयरों में प्रदत्त पूंजी की राशि के अनुपात में विभाजित की जाएगी ।

163. ब्याज पर अग्रिम रूप से प्रदत्त पूंजी पर लाभांश अर्जित नहीं होगा—जहां पूंजी कॉल्स के अग्रिम रूप में इस आधार पर प्रदत्त है कि इस पर ब्याज लगेगा, ऐसी पूंजी जब तक ब्याज लगेगा, लाभों में सहभागिता का अधिकार (लाभांश के लिए) प्रदान नहीं करेगा ।

164. प्रदत्त राशि के अनुपात में लाभांश—कम्पनी प्रत्येक शेयर पर प्रदत्त अथवा प्रदत्त के रूप में जमा राशि जहां अन्य के अलावा कुछ शेयरों पर प्रदत्त अथवा प्रदत्त के रूप में जमा बड़ी राशि के अनुपात में लाभांश अदा करेगी ।

165. कंपनी साधारण बैठक में लाभांश की घोषणा करेगी—कंपनी साधारण बैठक में लाभों में सदस्यों के संबंधित अधिकारों और हितों के अनुसार उन्हें प्रदत्त किए जाने वाले लाभांश की घोषणा करेगा और भुगतान का समय तय करेगी ।

166. निदेशकों आदि द्वारा अनुशंसित से अधिक लाभांश देय नहीं होगा—निदेशकों द्वारा अनुशंसित से अधिक लाभांश घोषित नहीं किया जा सकता किन्तु अधिनियम की धारा 205 के उपबंधों के अधीन साधारण बैठक में कम्पनी कम लाभांश की घोषणा कर सकती है, और कम्पनी के विरुद्ध लाभांश पर ब्याज नहीं लगेगा । कम्पनी के निवल लाभों की राशि के लिए निदेशकों की घोषणा निर्णायक होगी ।

167. अंतरिम लाभांश—निदेशक समय-समय पर कम्पनी की न्यायसंगत स्थिति के उनके निर्णय के अनुसार ऐसा अंतरिम लाभांश सदस्यों को अदा करेगी ।

168. अनुच्छेद 58 के अधीन अंतरण पूरा होने तक लाभांशों का प्रतिधारण—निदेशक शेयरों पर देय लाभांशों को रोक कर रख सकता है, जिन शेयरों के संबंध में कोई व्यक्ति उसमें दिए गए अनुच्छेद 57 के अधीन अंतरण करने का अधिकार है, जब तक ऐसा व्यक्ति ऐसे शेयरों के संबंध में सदस्य बनता है ।

169. कंपनी का ऋणी रहने के दौरान कोई सदस्य लाभांश प्राप्त नहीं करेगा तथा उसकी प्रतिपूर्ति के लिए कंपनी का अधिकार—अधिनियम की धारा 205 के अधीन कोई सदस्य उसके शेयर या शेयरों के संबंध में किसी ब्याज का लाभांश का भुगतान प्राप्त करने का हकदार है जब तक ऐसे शेयरों के अथवा अन्यथा किसी भी तरह चाहे एकल या संयुक्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ या संबंध में उससे कंपनी को प्राप्त अथवा बाकी कोई राशि है और निदेशक कंपनी को उससे ऐसी प्राप्य धन की सभी राशियां किसी सदस्य को देय ब्याज या लाभांश से काट सकती है ।

170. शेयरों का अंतरण अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाए—शेयरों का अंतरण उस पर घोषित किसी लाभांश के अधिकार को अंतरण के पंजीकरण से पूर्व नहीं देता है, कोई भी सदस्य लाभांश प्राप्त नहीं करेगा जब कि कम्पनी का ऋणी है और उस पर प्रतिपूर्ति के कंपनी का अधिकार है ।

171. लाभांश के संदर्भ में विशेष उपबंध—नकद के सिवाय कोई लाभांश अदा नहीं किया जाएगा बशर्ते कि इस अनुच्छेद में किसी बात के होने पर भी यह माना जाएगा कि पूर्णतः प्रदत्त बोनस शेयरों को जारी करने के उद्देश्य हेतु अथवा कंपनी की सदस्यों द्वारा धारित किन्हीं शेयरों पर कुछ समय के लिए अदत्त किसी राशि को अदा करने कंपनी के लाभों अथवा आरक्षितियों के पूंजीकरण को निषिद्ध करेगा ।

172. लाभांशों का प्रेषण कैसे किया जाए—नकद में अदा किया जानेवाला कोई लाभांश चेक या वारंट द्वारा अदा किया जाएगा जिसे हकदार सदस्य या व्यक्ति अथवा संयुक्त धारक के मामले में संयुक्त धारिता के संबंध में रजिस्टर में उनमें से पहले नाम वाले के पंजीकृत पते पर डाक के जरिये भेजा जाएगा । प्रत्येक ऐसा चेक व्यक्ति जिसे भेजा जाता है उसके आदेश पर देय वाला होगा । किसी चेक या वारंट के प्रेषण में खो जाने अथवा किसी चेक या वारंट के कूटरचित पृष्ठांकन अथवा किसी अन्य तरीके से उसकी कपटपूर्ण या अनुचित वसूली द्वारा उसके हकदार सदस्य या व्यक्ति के लाभांश हानि के लिए कंपनी दायी या उत्तरदायी नहीं होगी ।

173. दावा नहीं किए गए अथवा असंदत्त लाभांश—(क) यदि कंपनी द्वारा घोषित लाभांश को लाभांश के भुगतान के हकदार किसी शेयर धारक को घोषणा की तारीख से 42 दिनों के भीतर अदा या इसका दावा नहीं किया जाता है तो कंपनी उक्त बयालीस दिनों की अवधि की समाप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर किसी अनुसूचित बैंक में 'क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड' का अदत्त लाभांश खाता नामक विशेष खाता इस बारे में खोलेगी और अदत्त या अदावी बचे ऐसे लाभांश की कुल राशि का अंतरण ऐसे खाते में करेगी ।

(ख) कंपनी के अदत्त लाभांश खाते में अंतरित कोई राशि जो ऐसे अंतरण की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या अदावी रहती है, कंपनी द्वारा केन्द्र सरकार के सामान्य राजस्व खाते में अंतरित की जाए, इस प्रकार सामान्य राजस्व खाते में अंतरित किसी राशि का दावा शेयरधारक दिये राशि प्राप्त है, द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

174. लाभांश तथा काल साथ में—अधिनियम की धारा 205 ए के अधीन लाभांश घोषित करने वाली कोई साधारण सभा ऐसी राशि जैसी बैठक तय करती है के लिए शेयरों पर अदत्त मुद्रा के संबंध में सदस्यों से मांग कर सकती है किन्तु इस प्रकार कि प्रत्येक सदस्य मांग उसे अदा किये जाने वाले लाभांश से अधिक न हो ताकि मांग को उसी समय पर अदा किया जा सके चूंकि लाभांश, और लाभांश को यदि कंपनी और सदस्यों के बीच इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सके कि इसे मांग के समक्ष मुजराई की जा सके ।

पूंजीकरण :

175. पूंजीकरण—(अ) कोई भी साधारण बैठक यह संकल्प करेगी कि अविभाजित लाभों (कंपनी की किसी पूंजीगत आस्ति की उगाही जहां विधि द्वारा अनुमत है) तथा उसके मूल्य में हुई वृद्धि से उत्पन्न होने वाले लाभ तथा अधिशेष सहित का हिस्सा बननेवाला कोई धन, निवेश या अन्य आस्तियां जो कंपनी की आरक्षित या आरक्षित निधियों या कोई अन्य निधि अथवा कंपनी के पास स्थायी जमा है और लाभांश के लिए उपलब्ध है या शेयरों के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम के रूप में है और शेयर प्रीमियम खाते में स्थायी जमा है का पूंजीकरण निम्न रूप में करेगी :

(1) कम्पनी के पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयरों, डिबेन्चरों, डिबेन्चर स्टाक, बांडों अथवा अन्य उत्तरदायित्वों के निर्गम और वितरण द्वारा अथवा,

(2) कंपनी के शेयरों के जमा द्वारा जिन्हें निर्गमित किया गया और पूर्ण या उस पर राशि का कोई हिस्सा अदत्त बकाया है सहित पूर्ण रूप से प्रदत्त नहीं है ।

(आ) उपर्युक्त (अ) (1) के अन्तर्गत ऐसा निर्गम और संवितरण और उपर्युक्त (अ) (2) के अधीन अदत्त शेयर पूंजी के जमा के बारे में ऐसे भुगतान को सदस्यों या उनके किसी वर्ग या उनमें से कोई इसके बारे में हकदार है के मध्य या के पक्ष में किये जाएंगे और यह उनके संबंधित अधिकारों और हितों के अनुसार होंगे और उनके द्वारा क्रमश: धारित शेयरों पर प्रदत्त पूंजी की राशि के अनुपात में होंगे जिनके संबंध में ऐसा संवितरण (अ) (1) के अधीन या उपर्युक्त (अ) (2) के अधीन भुगतान को इस आधार पर करेगा कि ऐसे सदस्य पूंजी के रूप में इसके लिए हकदार बनेंगे ।

(इ) निदेशक किसी ऐसे संकल्प को प्रभावी करेगा और ऊपर उल्लिखित अनुसार आरक्षित लाभों या आरक्षित निधियों या लेखों में अन्य कोई निधि के ऐसे हिस्से और शेयरों, डिबेंचरों या डिबेन्चर स्टाक, बान्डों के लिए पूर्ण भुगतान कराने के उद्देश्य के लिए अथवा शेयरों पर अदत्त कोई राशि जिन्हें जारी किया गया और उक्त (अ) (2) के अन्तर्गत पूर्ण रूप से प्रदत्त नहीं है, पूर्ण या इसके हिस्से में अदा करने के उद्देश्य हेतु उपर्युक्त (अ) (1) अथवा (जैसा भी मामला हो) के अंतर्गत इस प्रकार संवितरित कंपनी के अन्य दायित्वों पर लागू करेगा ।

बशर्ते कि ऐसा संवितरण या भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक निदेशकों द्वारा अनुशंसित नहीं है और यदि अनुशंसित है, ऐसा संवितरण और भुगतान उक्त पंजीकृत राशि में ऐसे सदस्यों के हित के पूर्ण संतुष्टि तक ऊपर उल्लिखित अनुसार उनके द्वारा स्वीकृत होगा । ऐसे किसी संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य हेतु निदेश किसी भी कठिनाई को जैसा वे समीचीन समझें ऊपर उल्लिखित अनुसार संवितरित या भुगतान के संबंध में उठेगी, निपटायेगा और विशेष रूप से वे भाग प्रमाणपत्र जारी करेगा और किसी विशिष्ट परिसंपत्तियों के संवितरण के लिए मूल्य निर्धारित करेगा और अभिनिर्धारित करेगा कि ऐसे निर्धारित मूल्य के आधार किसी सदस्य को नकद भुगतान किया जाए और ऐसे किसी नकद शेयरों, डिबेंचरों, डिबेन्चर स्टाक, बान्डों या उन ट्रस्टों पर ट्रस्टियों में अन्य दायित्वों जिसके लिए हकदार व्यक्ति हेतु जैसा निदेशकों को समीचीन लगता है और सामान्यता जैसा वे उचित समझें ऐसे शेयरों, डिबेन्चरों, डिबेन्चर स्टाकों, बान्डों या अन्य दायित्वों और भाग प्रमाणपत्रों या अन्यथा की स्वीकृति, आबंटन और बिक्री के लिए व्यवस्था करेगा ।

बशर्ते यह भी कि अधिनियम और इन विलेखों के उपबंधों के अधीन ऐसे मामलों में जहां कंपनी के कुछ शेयर हैं पूर्णतया प्रदत्त हैं और अन्य आंशिक रूप से प्रदत्त हैं केवल ऐसे पूंजीकरण को पूर्णतया प्रदत्त शेयरों के संबंध में अदा शेयरों के वितरण द्वारा और आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों पर पूर्ण या आंशिक अदत्त देयताओं के जमा द्वारा परन्तु ऐसे कि पूर्णतया प्रदत्त शेयरों और आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों के धारकों के मध्य ऐसे अदा शेयरों के भुगतान में आवेदित राशियों में और आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों पर देयताओं को निर्वापित या इनमें कमी करने में हो, को मौजूदा क्रमश: पूर्णतया प्रदत्त और आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों पर पहले ही प्रदत्त या प्रदत्त के रूप में जमा की तुलना में राशि के अनुपात में यथानुपात आवेदित करेगा ।

(ई) जब आवश्यक माना जाये उचित करार अधिनियम के अनुसार दायर किया जाएगा और बोर्ड कंपनी के शेयरों के धारकों की ओर से ऐसे करार पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करेगा जिन्हें ऐसे पूंजीकरण और ऐसी नियुक्ति के पूर्व जारी किया जाएगा, प्रभावी होगी ।

लेखे :

176. लेखे—बोर्ड निम्न के लिए सही लेखे कारित करेगा (क) कंपनी द्वारा प्राप्त, किन्हीं मदों की सभी राशियां और जिनके संबंध में ऐसी प्राप्तियां और व्यय होते हैं (ख) कंपनी द्वारा मालों की सभी बिक्रियां और खरीद और (ग) कंपनी की परिसम्पत्तियां, जमाएं और देयताएं और सामान्यतया इसकी सभी वाणिज्यिक, वित्तीय और अन्य कार्यों, संव्यवहार और वचनबद्धता और कंपनी की सही वास्तविक स्थिति और हालात दर्शाने के लिए आवश्यक सभी अन्य मामले और लेखे अंग्रेजी

में और अधिनियम की धारा 209(3) में दी गयी पद्धति में रखे जाएंगे और लेखा बहियां पंजीकृत कार्यालय या भारत में ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में रखे जाएंगे बशर्ते जैसा बोर्ड उचित समझे, कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अधीन रखे जाएंगे और कारबार घंटों के दौरान निदेशकों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे ।

177. सदस्यों द्वारा कम्पनी के लेखे और बहियों का निरीक्षण—बोर्ड कंपनी के लेखों और बहियों अथवा इनमें से किसी के सदस्यों जो निदेशक नहीं है, के निरीक्षण के लिए कब और किस सीमा तक और किस समय और स्थान पर और किन शर्तों, और विनियमों के अधीन खुला रखना है इसे समय-समय पर अभिनिर्धारित करेगा और किसी सदस्य (जो निदेशक नहीं है) को कंपनी के लेखे या बहियों या दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार विधि द्वारा प्रदत्त या निदेशकों द्वारा या साधारण बैठक में कंपनी द्वारा प्राधिकृत के सिवाय नहीं होगा ।

178. लेखा विवरण तथा रिपोर्ट साधारण बैठक में प्रस्तुत की जाए, तुलनपत्र प्रत्येक सदस्य पर तामील करना—प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार बोर्ड वार्षिक साधारण सभा में पूर्ववर्ती लेखे की अवधि से अब तक के लिए लाभ-हानि लेखा कंपनी के समक्ष रखेगी और कंपनी की सम्पत्तियों और दयेताओं के सार वाला बैठक से 6 महीने से अनधिक अवधि का अद्यतन तुलन पत्र या ऐसे मामले में जहां बैठक के आयोजन हेतु समय सीमा विस्तार की मंजूरी दी गयी है ऐसे विस्तारित समय तक और ऐसा प्रत्येक तुलन पत्र अधिनियम की धारा 217 द्वारा अध्यपेक्षित अनुसार निदेशकों की रिपोर्ट (इसके साथ संलग्न हो) के साथ होना चाहिए जिसमें कम्पनी की स्थिति और हालत और जो आरक्षित निधि, सामान्य आरक्षित और आरक्षित लेखे के लिए उनके द्वारा अलग रखी राशि (यदि कोई है) विशेष तुलन पत्र में या अनुवर्ती तुलन पत्र में विशेष रूप से दर्शायी जाने वाली है, होनी चाहिए ।

179. तुलनपत्र एवं लाभ-हानि लेखा के फार्म तथा विषय वस्तु—कंपनी का प्रत्येक तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा को कम्पनी के कार्यकलापों का वास्तविक और सही दृष्टिकोण देना चाहिए और अधिनियम की धारा 211 के उपबंधों के अधीन, अधिनियम की अनुसूची 4 के क्रमशः भाग 1 और 2 में दिए गये फार्मों में अथवा इसके समीप जैसा स्थितियां रहती है, होने चाहिए ।

180. तुलनपत्र तथा अन्य दस्तावेजों का अभिप्रमाणन, उनकी प्रतियां सदस्यों को भेजी जाए—तुलनपत्र और लाभ व हानि लेखा पर प्रबंधक अथवा सचिव यदि कोई हो और कंपनी के कम से कम दो निदेशकों इसमें से एक प्रबंध निदेशक यदि नियुक्त किया गया है या जब कुछ समय के लिए केवल एक निदेशक भारत में है, ऐसे निदेशक और प्रबंधक या सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगा परन्तु बाद वाले मामले में संबंधित निदेशक को इसके लिए कारण स्पष्ट करते हुए इसके द्वारा हस्ताक्षरित विवरण तुलनपत्र के साथ संलग्न करना होगा । तुलनपत्र और लाभ व हानि लेखा को इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार बोर्ड की ओर से उन पर हस्ताक्षर करने के पूर्व और इस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए उनको प्रस्तुत करने से पूर्व बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने चाहिए । लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को तुलनपत्र और लाभ व हानि के साथ संलग्न करना होगा अथवा रिपोर्ट के संदर्भ में तुलनपत्र और लाभ व हानि लेखा के बाद में शामिल करना होगा ।

(2) लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की प्रति के साथ लेखा परीक्षित तुलन पत्र और लाभ व हानि लेखा की प्रतियां अधिनियम की धारा 219 के उपबंधों के अधीन बैठक के न्यूनतम 21 दिन पूर्व, जिसमें इसे कंपनी के सदस्यों के समक्ष रखना है, कम्पनी के प्रत्येक सदस्य को, कम्पनी द्वारा जारी किन्हीं डिबेंचरों के धारकों के लिए प्रत्येक ट्रस्टी को चाहे ऐसा सदस्य अथवा ट्रस्टी कम्पनी की साधारण बैठक की सूचनाओं के लिए हकदार है अथवा नहीं है, उसे और ऐसे सभी सदस्यों अथवा ट्रस्टियों को छोड़कर सभी अन्य व्यक्तियों जो व्यक्ति इसका हकदार है, भेजी होगी और इसकी एक प्रति इस बैठक से कम से कम इक्कीस दिन पूर्व की अवधि के दौरान कम्पनी के सदस्यों द्वारा निरीक्षण हेतु कार्यालय में उपलब्ध करनी होगी ।

181. तुलनपत्र तथा लाभ-हानि लेखा और लेखा परीक्षक रिपोर्ट की प्रतियां फाइल की जाएं—साधारण बैठक में कम्पनी के समक्ष तुलन पत्र और लाभ व हानि लेखा रखे जाने के बाद प्रबंधक अथवा सचिव द्वारा अथवा अधिनियम की धारा 220 द्वारा अपेक्षानुसार हस्ताक्षरित इसकी तीन प्रतियां, अधिनियम की धारा 159 और 161 की अपेक्षाओं के अनुसार अध्यपेक्षित विवरणों के साथ अधिनियम की धारा 220 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कम्पनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल करना होगा) ।

लेखा परीक्षा :

182. लेखा परीक्षित किए जानेवाले लेखे—प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार कम्पनी के लेखों को संतुलित और लेखा परीक्षित किया जाएगा तथा लाभ और हानि लेखा और तुलन पत्र की शुद्धता एक अथवा अधिक लेखा परीक्षकों अथवा लेखा परीक्षकों द्वारा अभिनिश्चित की जाएगी ।

183. लेखा परीक्षकों की नियुक्ति एवं अर्हताएं—कम्पनी प्रत्येक वार्षिक साधारण बैठक में सनदी लेखाकार अथवा लेखाकारों को उक्त बैठक की समाप्ति से अगली वार्षिक साधारण बैठक तक पद धारण करने के लिए परीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त करेगी और उनकी नियुक्ति के सात दिनों के अंदर इसकी सूचना इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक लेखा परीक्षक को दी जाएगी और निम्नलिखित उपबंध प्रभावी होंगे, अर्थात् :—

(1) यदि किसी लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति वार्षिक साधारण बैठक में नहीं की जाती है तो कम्पनी उसके सात दिनों के अंदर इस तथ्य की नोटिस केन्द्र सरकार को देगी जो

वर्तमान वर्ष के लिए कम्पनी का लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकेगी और उसकी सेवाओं के लिए उसे अदा किया जाने वाला पारिश्रमिक नियत कर सकेगी ।

(2) निदेशक लेखा परीक्षक के पद में होनेवाली किसी आकस्मिक रिक्ति को सनदी लेखाकार की योग्यता वाले व्यक्ति को नियुक्त करके भर सकेंगे जो अगली वार्षिक साधारण बैठक की समाप्ति तक ऐसे पद को धारित करेगा किन्तु जब ऐसी रिक्ति बनी रहती है, उत्तरजीवी या बने रहे लेखा परीक्षक (यदि कोई हों) कार्य कर सकेंगे ।

परन्तु जहां ऐसी रिक्ति लेखा परीक्षक के त्याग-पत्र द्वारा कारित होती है, वह रिक्ति कम्पनी द्वारा केवल साधारण बैठक में ही भरी जाएगी ।

(3) कोई निगमित निकाय, कम्पनी का निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी अथवा उसका भागीदार अथवा ऐसा निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी के रोजगार में कोई व्यक्ति अथवा अन्य व्यक्ति जो एक हजार रुपए से अधिक राशि के लिए कम्पनी का ऋणी है अथवा जिसने किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को कम्पनी के प्रति ऋणग्रस्तता के संबंध में एक हजार रुपए से अधिक राशि के लिए कोई गारंटी दी हो अथवा प्रतिभूति उपलब्ध की हो, वह कम्पनी का लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(4) यदि कोई व्यक्ति लेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने पर खंड (3) के अधीन निरर्हित होता है तो उसके बारे में समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

(5) निवृत्त हो रहे लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 224 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन पुनः नियुक्त किए जाएंगे ।

(6) निवृत्त हो रहे लेखा परीक्षक के अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी वार्षिक साधारण बैठक में लेखा परीक्षक के पद के लिए नियुक्त किए जाने के लिए सक्षम नहीं होगा जब तक कि लेखा परीक्षक के पद पर उस व्यक्ति की नियुक्ति के संबंध में संकल्प की विशेष नोटिस अधिनियम की धारा 190 के अनुसार बैठक से कम से कम चौदह दिन पहले कम्पनी के किसी सदस्य द्वारा न दी गयी हो और कम्पनी ऐसी नोटिस की एक प्रति निवृत्त हो रहे लेखा परीक्षक को भेजेगी और अधिनियम की धारा 190 के अनुसार उसको नोटिस सदस्यों को देगी और अधिनियम की धारा 225 के अन्य सभी उपबंधों का पालन किया जाएगा । इस उप-अनुच्छेद के उपबंध ऐसे संकल्प पर भी लागू होंगे जिसमें कहा गया हो कि निवृत्त हो रहा लेखा परीक्षक पुनः नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

184. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक—कम्पनी के लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक कंपनी द्वारा साधारण बैठक में नियत किया जाएगा किन्तु किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किए गए लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निदेशकों द्वारा नियत किया जा सकेगा और जहां उसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा इसके ठीक पहले के अनुच्छेद 186 के खंड (1) के अनुसरण में की गई हो, उसका पारिश्रमिक केन्द्र सरकार द्वारा नियत किया जाएगा ।

185. लेखा परीक्षक, उनकी शक्तियां एवं कर्त्तव्य—(1) कम्पनी के प्रत्येक लेखा परीक्षक को कम्पनी की बहियों तथा लेखों और वाउचरों के लिए सभी समय पहुंच का अधिकार प्राप्त रहेगा और वह कम्पनी निदेशकों और अधिकारियों से ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण की अपेक्षा करने के लिए हकदार होगा जो लेखा परीक्षकों के कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक होंगे और लेखा परीक्षक उनके द्वारा परीक्षित लेखों पर और प्रत्येक तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखे पर और ऐसे अन्य सभी दस्तावेजों पर जो अधिनियम द्वारा तुलन पत्र अथवा लाभ और हानि लेखे का एक भाग अथवा उसके साथ संलग्न किए जाने योग्य घोषित किया गया है, जो उनके कार्यकाल के दौरान साधारण बैठक में कम्पनी के समक्ष पेश किए गए हैं, शेयर धारकों को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और रिपोर्ट में कथन होगा कि क्या उनकी राय में और उनकी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार उन्हें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखे अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी अपेक्षित रीतियों में देते हैं और निम्न के बारे में सही और स्पष्ट चित्र देते हैं : (1) तुलन पत्र के मामले में, उसके वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी के कार्यकलाप की स्थिति और (2) लाभ और हानि लेखे के मामले में उसके वित्तीय वर्ष के लिए लाभ अथवा हानि का।

(2) लेखा परीक्षक रिपोर्ट यह भी स्पष्ट करेगी (क) क्या उन्हें वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त हुए थे जो उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उनकी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे, (ख) क्या उनकी राय में विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां कंपनी द्वारा रखी गयी हैं और क्या उन बहियों और विवरणियों की जांच से यह प्रकट होता है उनकी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से उनके द्वारा दौरा न की गयी शाखाओं से प्राप्त बहियां उचित और पर्याप्त हैं, और (ग) क्या रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत कम्पनी का तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखा उन लेखा बहियों और विवरणियों के अनुरूप है, जहां उपर्युक्त मदों (1) और (2) अथवा (क), (ख) और (ग) में निर्देशित किसी मामले का उत्तर नकार में दिया गया है अथवा अर्हता के साथ लेखा परीक्षक रिपोर्ट उसके कारण को स्पष्ट करेगी ।

(3) लेखा परीक्षक रिपोर्ट तुलन पत्र और लाभ और हानि लेखे के साथ संलग्न की जाएगी अथवा उसके पाद हिस्से में उपवर्णित होगी और ऐसी रिपोर्ट साधारण बैठक में कंपनी के समक्ष पढ़ी जाएगी और कंपनी के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रहेगी ।

186. बैठकों में भाग लेने का लेखा परीक्षक का अधिकार—कम्पनी की किसी साधारण बैठक की सभी नोटिसें और उससे संबंधित सभी पत्राचार, जो कंपनी का कोई सदस्य उसे भेजे जाने के लिए हकदार है, कंपनी के लेखा परीक्षकों को भी भेजे जाएंगे और लेखा परीक्षक किसी साधारण बैठक में भाग लेने के लिए और किसी साधारण बैठक में, जिसमें वे भाग लेंगे कारबार के ऐसे किसी हिस्से में जो लेखा परीक्षक होने के नाते उनसे संबंध रखता है, अपनी बात सुनाने के लिए हकदार होंगे ।

187. 3 माह के अंदर त्रुटियों के प्रकट होने के अलावा लेखा परीक्षित तथा अनुमोदित किये जाने पर लेखे निर्णायक होंगे—साधारण बैठक में लेखा परीक्षित और अनुमोदित किए जाने पर प्रत्येक लेखे उसके अनुमोदन के बाद तीन महीने के अंदर उसमें पायी गयी किसी त्रुटि के विषय को छोड़कर अंतिम होंगे। जब भी उक्त अवधि के दौरान ऐसी कोई त्रुटि पायी जाती है, लेखे को तत्काल ठीक किया जाएगा और तत्पश्चात वह अंतिम होगा ।

नोटिस :

188. नोटिस—(1) कंपनी किसी सदस्य को नोटिस (जिस अभिव्यक्ति में इस विलेख के प्रयोजनों के लिए कंपनी के परिसमापन में अथवा उससे संबंधित कोई सम्मन, नोटिस, आदेशिका, आदेश, निर्णय अथवा अन्य दस्तावेज शामिल समझे जाएंगे) व्यक्तिगत रूप से अथवा उसके पंजीकृत पते पर अथवा यदि भारत में उसका कोई पंजीकृत पता न हो तो भारत में ऐसे पते पर, जो उसने नोटिस उसे भेजने के लिए कम्पनी को दिया है, डाक के द्वारा भेजकर दी जा सकेगी ।

(2) जहां दस्तावेज (जिसमें इस प्रयोजन के लिए कंपनी के समापन के संबंध में कोई सम्मन, अध्यपेक्षा, आदेशिका, आदेश, निर्णय अथवा अन्य दस्तावेज शामिल होगा) अथवा नोटिस डाक द्वारा भेजी जाती है । वहां नोटिस को अंतर्विष्ट किए गए पत्र को उचित रूप से पता लिखकर, डाक महसूल की पहले से अदायगी करके और डाक से भेजे जाने को ऐसी नोटिस को प्रभावी किया गया समझा जाएगा परंतु जहां सदस्य ने कंपनी को अग्रिम रूप से यह सूचित किया हो कि उसे दस्तावेज डाक-प्रमाणपत्र अथवा देय पावती सहित या रहित पंजीकृत डाक से भेजा जाना चाहिए और ऐसा करने पर होने वाला व्ययों की चुकौती के लिए पर्याप्त राशि कंपनी के पास जमा की है, दस्तावेज अथवा नोटिस की तामील प्रभावी नहीं समझी जाएगी जब तक कि वह सदस्य द्वारा सूचित की गयी रीति से न भेजी गयी हो, और जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, ऐसी तामील, बैठक की नोटिस के मामले में, उस नोटिस को अंतर्विष्ट किए पत्र को डाक से भेजने के अड़तालीस घंटे बाद प्रभावी की गयी समझी जाएगी, और अन्य किसी मामले में, उस समय तामील किया गया समझा जाएगा जब डाक से साधारण रूप में पत्र की सुपुर्दगी कर दी गयी हो ।

189. उन सदस्यों को नोटिस जिनके पंजीकृत पता न हों—यदि सदस्य का भारत में कोई पंजीकृत पता न हो और उसने उसे नोटिस देने के लिए कंपनी को भारत के अंदर स्थित कोई पता न दिया हो, कार्यालय के आस-पास निकाले जाने वाले समाचारपत्र में विज्ञाप्ति नोटिस उसे बिन पूर्ण रूप से दी गयी समझी जाएगी जिस दिन उक्त विज्ञापन प्रकाशित होता है ।

190. साधारण बैठक की नोटिस के लिए हकदार व्यक्ति—प्रत्येक साधारण बैठक की नोटिस इससे पहले प्राधिकृत रीति में (क) कंपनी के प्रत्येक सदस्य को (शेयर वारंट धारकों सहित), (ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो ऐसे सदस्य की मृत्यु अथवा दिवाला के परिणामस्वरूप शेयर का हकदार है, जो अपनी मृत्यु अथवा दिवाला न होने पर बैठक की नोटिस प्राप्त करने के लिए हकदार रहा होता और साथ ही (ग) कंपनी के लेखा परीक्षक अथवा परीक्षकों को दी जाएगी ।

191. कंपनी द्वारा नोटिस और उस पर हस्ताक्षर—कम्पनी द्वारा दी जानेवाली कोई भी नोटिस सचिव (यदि कोई हो) अथवा ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे निदेशक नियुक्त करें, हस्ताक्षरित होगी । ऐसे हस्ताक्षर लिखित, मुद्रित अथवा शिला मुद्रित हो सकते हैं ।

192. अंतरण आदि पूर्व नोटिस से आबद्ध—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो विधि शासन, अंतरण अथवा अन्य किसी भी प्रकार से किसी शेयर के लिए हकदार बनता है, ऐसे शेयरों के संबंध में अपना नाम, और पता और शेयर पर अपने स्वत्वाधिकार को कंपनी को अधिसूचित कराने के लिए प्रत्यक्ष नोटिस से आबद्ध रहेगा जो पहले ऐसे व्यक्ति को सम्यक् रूप से दी गयी होगी जिससे उसने ऐसे शेयर का स्वत्वाधिकार प्राप्त किया है ।

193. सदस्य की मृत्यु के बावजूद नोटिस विधिमान्य—अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन इस विलेख के अनुसरण में दी गयी कोई नोटिस अथवा किसी सदस्य के पंजीकृत पते पर अथवा इस विलेख के अनुसरण में अनुच्छेद 190 के अधीन उसके द्वारा दिये गये पते पर सुपुर्द किये गये अथवा डाक द्वारा भेजे गये अथवा छोड़े गये दस्तावेज ऐसे सदस्य के उस समय मृत्यु प्राप्त होने पर भी और उसकी मृत्यु कम्पनी के ध्यान में आयी हो अथवा न आयी हो, ऐसे सदस्य द्वारा एकमात्र रूप से अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारित किसी पंजीकृत शेयर के मामले में विधिवत तामील की गयी समझी जाएगी जब तक किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर उस शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाता और ऐसी तामील इस विलेख के सभी प्रयोजनों के लिए उसके वारिस, निष्पादक अथवा प्रशासकों और ऐसे सभी व्यक्तियों पर यदि वो हों, जो उसके साथ संयुक्त रूप से ऐसे शेयर में हितबद्ध हों, ऐसी नोटिस अथवा दस्तावेज को पर्याप्त रूप से तालमेल किया गया समझा जाएगा ।

गोपनीयता खंड

49. गोपनीयता खंड—कोई भी सदस्य कम्पनी के व्यापार (अथवा एक्सचेंज के) के किसी ब्यौरे के संबंध में अथवा ऐसे मामले के संबंध में जो व्यापार की गुप्त बात, व्यापार रहस्य अथवा गुप्त प्रक्रिया हो सकती है जो कम्पनी के कारबार के संचालन से संबंधित हो सकती है और निदेशकों की राय में जिसे जनता को संप्रेषित करना कम्पनी के सदस्यों के हित में अकालोचित होगा, उसके प्रकटीकरण अथवा अन्य जानकारी की अपेक्षा करने के लिए हकदार नहीं होगा ।

क्षतिपूर्ति और उत्तरदायित्व :

195. क्षतिपूर्ति के लिए निदेशकों तथा अन्य के अधिकार—(1) अधिनियम की धारा 201 के उपबंधों के अध्यधीन निदेशक बोर्ड, प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा कम्पनी के तत्समय अन्य अधिकारियों अथवा अन्य कर्मचारियों, कंपनी के किसी के कार्यकलाप के संबंध में तत्समय कार्य कर रहे लेखा परीक्षक और न्यासी और उनमें से हरेक और उनके वारिसों, निष्पादकों और प्रशासकों में से प्रत्येक को, ऐसे सभी कार्यों, खर्चों, प्रभारों, हानियों, क्षतियों और व्ययों से और उसके खिलाफ जो उन्हें अथवा उनमें से किसी को, उनके वारिसों, निष्पादकों अथवा प्रशासकों को, उनके संबंधित पदों अथवा न्यासों में, उनके कर्तव्यों अथवा अनुमित कर्तव्य के निष्पादन में अथवा निष्पादन के संबंध में किए गए किसी कार्य, की गयी सहमति अथवा लोप के कारण उन्हें उठाना या वहन करना पड़ेगा, से कंपनी की आस्तियां एवं लाभों में से क्षतिपूर्ति की जाएगी और अहानिकर रूप से सुरक्षित किया जाएगा किंतु इसमें वे क्षतियां अथवा हानियां यदि कोई हों, शामिल नहीं होंगी जो वे उनके द्वारा क्रमशः जानबूझकर की गयी उपेक्षा अथवा चूक के जरिए अथवा द्वारा वहन करेंगे अथवा उठायेंगे ।

(2) जहां तक इस अनुच्छेद के उपबंध अधिनियम की धारा 201 के द्वारा उपेक्षित किए जाएंगे उन्हें छोड़कर और उनके सिवाय, उनमें से कोई भी दूसरे के अथवा उनमें से दूसरे के कार्यों, प्राप्तियों, उपेक्षाओं अथवा चूकों अथवा अनुरूपता के लिए किसी रसीद में शामिल होने के लिए अथवा किसी बैंकर अथवा अन्य व्यक्ति के दिवाला के लिए, जिसके पास कंपनी के स्वामित्व की कोई धनराशि अथवा चीजवस्त सुरक्षित अभिरक्षा के लिए निविष्ट अथवा जमा की जाएगी अथवा की जा सकती है अथवा किसी प्रतिभूति की अपर्याप्तता अथवा कमी के लिए जिसके आधार पर कम्पनी के स्वामित्व की कोई धनराशि नियोजित अथवा निवेश की जाएगी अथवा अन्य किसी हानि, दुर्भाग्य अथवा क्षति के लिए जो उनके पदों अथवा न्यासों के निष्पादन में अथवा उनके संबंध में हो सकती है, केवल उस स्थिति को छोड़कर जब वह क्रमशः उनकी अपनी जानबूझकर की गयी उपेक्षा अथवा चूक द्वारा अथवा उनके जरिए हुई हो, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

(3) अधिनियम की धारा 201 के उपबंधों के अध्यधीन, कंपनी का कोई निदेशक अथवा अन्य अधिकारी, कंपनी के किसी अन्य निदेशक अथवा अधिकारी के कार्यों, प्राप्तियों, उपेक्षा अथवा चूक अथवा निदेशक के आदेश पर कंपनी के लिए और कम्पनी की ओर से प्राप्त की गयी किसी संपत्ति के स्वत्वाधिकार में किसी अपर्याप्तता अथवा कमी के जरिए कंपनी को हुई किसी हानि अथवा व्ययों के लिए अनुरूपता हेतु किसी प्राप्ति अथवा अन्य कार्य में सम्मिलित होने के लिए अथवा किसी प्रतिभूति की अपर्याप्तता अथवा कमी के लिए जिसके आधार पर कंपनी के स्वामित्व की कोई धनराशि निवेश की जाएगी अथवा ऐसे किसी व्यक्ति की शोधन अक्षमता, दिवाला अथवा अपकृत्य से उत्पन्न होनेवाली किसी हानि अथवा क्षति के लिए जिसके पास कोई धनराशि, प्रतिभूत अथवा चीजवस्त जमा की जाएगी अथवा उसकी ओर से निर्णय की कोई गलती अथवा असावधानी से घटित किसी हानि के लिए अथवा किसी भी प्रकार की अन्य कोई हानि अथवा क्षति के लिए जो उसके पद के कर्तव्यों के निष्पादन में अथवा उसके संबंध में घटित होगी जब तक कि वह उसके अपनी उपेक्षा अथवा बेइमानी से न घटित हुई हो, के लिए दायी नहीं होगा ।

परिसमापन

196. परिसमापन पर आस्तियों का वितरण—(1) यदि कंपनी का परिसमापन कर दिया जाएगा और सदस्यों में वितरण के लिए उपलब्ध आस्तियां समादत्त पूंजी की संपूर्ण राशि की चुकौती के लिए अपर्याप्त होंगी, ऐसी आस्तियां यथासाध्य इस प्रकार वितरित की जाएंगी कि सदस्यों द्वारा हानियां उनके द्वारा क्रमशः धारित शेयरों पर समादत्त पूंजी अथवा जो परिसमापन के प्रारम्भ के समय समादत्त होनी चाहिए के अनुपात में वहन की जाएंगी और यदि परिसमापन में सदस्यों में वितरित करने के लिए उपलब्ध आस्तियां, परिसमापन प्रारम्भ होने के समय समादत्त पूंजी की पूरी राशि को चुकाने के लिए पर्याप्त मात्रा से अधिक होंगी, अधिक्य होने वाली आस्तियों को सदस्यों में, परिसमापन प्रारंभ होने के समय उनके द्वारा धारित शेयरों पर समादत्त पूंजी अथवा जो समादत्त हो जानी चाहिए, के अनुपात में वितरित किया जाएगा ।

आस्तियों के वितरण की रीति—(2) यदि कम्पनी, स्वेच्छा से अथवा अन्यथा, परिसमाप्त की जाएगी, परिसमापक विशेष संकल्प की मंजूरी से कंपनी की समग्र आस्तियों अथवा उसके किसी हिस्से को, अभिदाताओं में नकद या वस्तु रूप में विभाजित कर सकेगा और इसी प्रकार की मंजूरी के साथ, कम्पनी की आस्तियों के किसी हिस्से को, अभिदाताओं अथवा उनमें से किसी के फायदे के लिए ऐसे न्यासों में न्यास-निहित कर सकेगा जैसाकि वह इसी प्रकार की मंजूरी के साथ उचित समझेगा, किन्तु इस प्रकार की किसी भी अभिदाता को ऐसे शेयर अथवा अन्य प्रतिभूतियां स्वीकार करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिस पर कोई देयता हो ।

हम विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम, पते विवरण तथा व्यवसाय इसमें वर्णित है, इस संस्था के बहिर्नियम के अनुसरण में कंपनी बनने के लिए इच्छुक है तथा हम क्रमशः हमारे नामों के समक्ष दर्शाये गये अनुसार कम्पनी की पूंजी में से शेयरों को लेने के लिए सहमत हैं ।

अभिदाता का नाम, पता एवं विवरण	प्रत्येक अभिदाता द्वारा लिये गये शेयरों की संख्या	हस्ताक्षर	साक्षी
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आई० डी० बी० आई० टावर, कफ परेड, मुंबई–400005 इसके निम्नलिखित कार्यपालक निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया : डॉ रामचन्द्र हनमंत पाटील (सुपुत्र एच० आर० पाटील)	ईक्विटी शेयर एक	ह०	ह०/- वी० नारायण मूर्ति सुपुत्र –वी० दक्षिणा मूर्ति द्वारा– भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आई०डी०बी०आई० टॉवर कफ परेड, मुंबई–400005
2. दि० इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० 163, बैकबे रेक्लेमेशन मुंबई –400020 इसके निम्नलिखित प्रबंध निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया : श्री भूपेन्द्रनाथ विद्यानाथ भार्गव (सुपुत्र विद्यानाथ भार्गव)	---	ह०	
3. भारतीय साधारण बीमा निगम सुरक्षा बिल्डिंग, 170, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई–400020 इसके निम्नलिखित अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया : श्री शंकर वेंकिटसुबरा मणि (सुपुत्र वी० शंकर अय्यर)	एक	ह०	
4. भारतीय जीवन बीमा निगम योगक्षेम, मुंबई–400020 इसके निम्नलिखित मुख्य, निवेश द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया : श्री बलदेव राय गुप्ता (सुपुत्र हंसराज गुप्ता)	एक	ह०	
5. श्री जी० श्रीराम मूर्ति सुपुत्र स्व० श्री तातैयाह द्वारा–भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आई०डी०बी०आई० टॉवर, कफ परेड, मुंबई –400005 व्यवसाय :नौकरी	एक	ह०	
6. श्री अरिन्द्रजीत लाहिड़ी सुपुत्र स्व० श्री एम० एल० लाहिड़ी द्वारा भारतीय विकास बैंक आई०डी०बी०आई० टॉवर, कफ परेड, मुंबई –400005 व्यवसाय :नौकरी	एक	ह०	
7. श्री रवि नारायण सुपुत्र स्व० श्री धरम नारायण द्वारा–भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आई० डी० बी० आई० टावर, कफ परेड, मुंबई –400005 व्यवसाय : नौकरी	एक	ह०	

कृते : नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
जे० रविचंद्रन
कंपनी सचिव
एवं सहायक उपाध्यक्ष (विधि)

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड

उप-विधि

परिभाषाएं :

(1) 'बोर्ड' से एन०एस०ई०आई०एल० का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है ।

(2) 'एक्सचेंज प्रतिभूतियां' से वे प्रतिभूतियां जिन्हें एन० एस० ई० प्रतिभूतियों की अधिकृत सूची(यों) में गृहीत किया गया है अभिप्रेत है।

(3) 'एक्सचेंज' से एन०एस०ई०आई०एल० द्वारा परिचालित स्टाक एक्सचेंज अभिप्रेत है ।

(4) 'कार्यपालक समिति' अथवा 'ई०सी०' से अध्याय II के अनुसार गठित एक्सचेंज की समिति अभिप्रेत है ।

(5) 'निर्गमकर्ता' में सरकार, कंपनी निकाय या अन्य संस्था चाहे निगमित हो या अनिगमित जो कोई प्रतिभूति या अन्य लिखत जारी करता है अथवा परक्राम्य लिखत आहरित या स्वीकार करता है जिसे एन० एस० ई० में सौदों के लिए गृहीत किया गया है ।

(6) 'शेयर संतुलनकर्ता' (मार्केट मेकर) से अध्याय 8 के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारिक सदस्य अभिप्रेत है ।

(7) 'एन० एस० ई० आई० एल०' से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड अभिप्रेत है।

(8) 'एन० एस० ई० प्रतिभूतियों की अधिकृत सूची' से प्रतिभूतियों की सूची जो एक्सचेंज में व्यापार के लिए सूचीबद्ध या अनुमत है अभिप्रेत है ।

(9) 'सहभागी' से वह संघटक जो उपविधि के अध्याय 6 के अन्तर्गत समय-समय पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत है अभिप्रेत है ।

(10) 'विनियम' जब तक संदर्भ में अन्यथा उल्लेख नहीं है कारोबार नियम, आचरण संहिता और ऐसे अन्य विनियम जिन्हें एक्सचेंज के परिचालनों हेतु समय-समय पर संबद्ध प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हैं और ये प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और नियम तथा सेबी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होंगे

(11) 'संबद्ध प्राधिकारी' से बोर्ड अथवा विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए संबद्ध ऐसा प्राधिकारी जैसा समय-समय पर बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा अभिप्रेत है ।

(12) 'संबद्ध एन०एस०ई० प्रतिभूतियां' अथवा 'संबद्ध प्रतिभूतियां' से संबद्ध व्यापारिक खण्ड से संबंधित एन०एस०ई० प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं।

(13) 'नियम' जब तक संदर्भ में अन्यथा उल्लेख नहीं है, से एन० एस० ई० के व्यापारी सदस्यों के कार्यकलापों और उत्तरदायित्वों को विनियमित करने के लिए इसमें आगे उल्लिखित अनुसार तथा एक्सचेंज के गठन, संगठन और कार्यों के लिए समय-समय पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये अनुसार नियम तथा ये नियम प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 और नियम तथा सेबी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है, अभिप्रेत है।

(14) सेबी से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अभिप्रेत है।

(15) 'प्रतिभूति' का तात्पर्य प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 में इसे समनुदेशित है और इसमें ऐसा अन्य मौद्रिक संव्यवहार अथवा लिखतों का वर्ग सम्मिलित है या अन्यथा शामिल है जिसे एक्सचेंज पर व्यापार के लिए ग्रहण किया जाएगा ।

(16) 'व्यापार के लिए गृहीत प्रतिभूति' में ऐसी प्रतिभूति जो एक्सचेंज में व्यापार के लिए सूचीबद्ध या अनुमत है शामिल है।

(17) 'व्यापारिक सदस्य' से उप-नियमों के अध्याय V के अनुसार पंजीकृत एन०एस०ई० का शेयर दलाल (स्टॉक ब्रोकर) और सदस्य अभिप्रेत है।

(18) 'व्यापारिक खण्ड' अथवा 'खण्डों' से एन०एस०ई० प्रतिभूतियों में शामिल विभिन्न खण्डों अथवा भागों जैसा बोर्ड अथवा संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर वर्गीकृत और विनिर्दिष्ट किया जाएगा, अभिप्रेत है।

(19) 'एन० एस० ई० की व्यापारिक प्रणाली' से वह प्रणाली अभिप्रेत है जो व्यापारिक सदस्यों और निवेश करने वाली जनता को चाहे किसी पद्धति, एन०एस०ई० प्रतिभूतियों में कोटेशन उपलब्ध कराती है और किये गये व्यापार, उसकी मात्रा आदि तथा उसके संबंध में इसी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अधिसूचनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करती है।

अध्याय I व्यापार खंड

(1) एक से अधिक व्यापार खंड हो सकते हैं जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाएगा

(2) विभिन्न व्यापार खंडों में ग्राह्यता के लिए पात्र होने वाली प्रतिभूतियां संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जाएंगी

थोक ऋण बाजार खंड

(3) संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किये जाने वाले व्यापारिक विनियमों के अध्यधीन थोक ऋण बाजार संव्यवहारों के लिए उपयोग किये गये लिखतों को थोक ऋण व्यापार खंड में सौदों के लिए स्वीकार किया जाएगा

पूंजी बाजार व्यापार खंड

(4) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 के अधीन पात्र प्रतिभूतियां पूंजी बाजार व्यापार खंड पर सौदों के लिए स्वीकार की जाएंगी

(5) आगे और व्यापार खंड जैसे कि ऋण लिखतों अथवा एक्विटी लिखतों के लिए अथवा अन्य कोई खंड संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जाएंगे

अध्याय II कार्यपालक समिति

(1) नियमावली में निर्धारित की गयी रीति अनुसार विभिन्न व्यापारिक खंड (डों) के दैनंदिन कारोबार के प्रबंधन के उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा कार्यपालक समिति (यों) की नियुक्ति की जाएगी

(2) प्रत्येक व्यापार खंड की कार्यपालक समिति को ऐसे दायित्व और शक्तियां प्राप्त होंगी जैसाकि नियमावली में किये गये प्रावधान अनुसार बोर्ड द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित किया जाएगा

अध्याय III : विनियम

(1) एक्सचेंज के कामकाज और परिचालनों के लिए तथा एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्यों के कामकाज और परिचालनों को विनियमित करने के लिए बोर्ड अथवा संबंधित प्राधिकारी समय-समय पर विनियम निर्दिष्ट कर सकता है

(2) उपरोक्त (1) की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड अथवा संबंधित प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में समय-समय पर विनियम विनिर्दिष्ट कर सकता है :

(क) एन०एस०ई० प्रतिभूतियों की अधिकारिक सूची में प्रतिभूतियों को शामिल करने के लिए पालन किये जाने वाले मानदंड प्रक्रियाएं निबंधन एवं शर्तें,

(ख) एन० एस० ई० प्रतिभूतियों की आधिकारिक सूची में प्रतिभूति को शामिल करने अथवा सम्मिलन को जारी रखने के लिए निर्गमकर्ता द्वारा अदा किया जाने वाला शुल्क,

(ग) अध्याय V के अनुरूप व्यापारिक सदस्यों का प्रवेश के लिए मानदंड और प्रक्रियाएं,

(घ) शेयर संतुलनकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए शेयर संतुलनकर्ताओं के अनुमोदन के लिए मानदंड और प्रक्रियाएं :

(ङ) परस्पर व्यापारिक सदस्यों में अथवा व्यापारिक सदस्यों और उनके संघटकों के बीच कार्यान्वित की जाने वाली संविदाओं के फार्म तथा शर्तें और संविदाओं के निष्पादन के लिए समय, माध्यम और रीति,

(च) समय-समय पर व्यापारिक सदस्यों, सहभागियों और उन निर्गमकर्ताओं द्वारा जिनकी प्रतिभूतियां एक्सचेंज पर सौदों के लिए स्वीकृत हैं/स्वीकार की जाने वाली हैं, एक्सचेंज को अदा की जाने वाली फीस, प्रणाली प्रयोग प्रभारों, जमाराशियों मार्जिन तथा अन्य धनराशियों तथा व्यापारिक सदस्यों द्वारा प्रभावित की जाने वाली दलाली के मान का निर्धारण,

(छ) समय-समय पर व्यापारिक सदस्यों द्वारा बनाये रखने के लिए आवश्यक होने वाले पूंजी पर्याप्तता तथा अन्य मानदंडों का निर्धारण,

(ज) बाजार का पर्यवेक्षण तथा ऐसे कारोबार नियम तथा आचार संहिता का प्रख्यापन जैसा वह उचित समझेगा,

(झ) व्यापारिक सदस्यों द्वारा ऐसे अभिलेख और लेखा बहियां रखना जैसा वह उचित समझेगा और ऐसे अभिलेख रखना जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम और नियमावली तथा सेबी अधिनियम के अधीन आवश्यक होंगे,

(ञ) अभिलेखों एवं लेखा बहियों की जांच एवं लेखा परीक्षा,

(ट) उप विधियों तथा विनियमों और नियमों तथा आचरण संहिता की किन्हीं आवश्यकताओं के उल्लंघन अथवा चूकों के लिए निलंबन/निष्कासन सहित दंडों जुर्मानों तथा अन्य परिणामों तथा पुनर्प्रवेश के लिए मानदंड, यदि उसके अधीन कोई प्राख्यापित किया गया हो का समय-समय पर निर्धारण और प्रशासन,

(ठ) किसी व्यापारिक सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई/कार्यवाही,

(ङ) विवाचन द्वारा निपटान सहित एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों में किये गये किसी संव्यवहार के संबंध में परस्पर व्यापारिक सदस्यों में तथा व्यापारिक सदस्यों और ऐसे व्यक्तियों जो व्यापारिक सदस्य नहीं है के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों, शिकायतों, दावों का निपटान;

(छ) विवाचन के लिए मानदंड और प्रक्रियाएं;

(ण) क्षतिपूर्ति निधि सहित एक्सचेंज द्वारा स्थापित निधि (यों) संग्रह का प्रशासन अनुरक्षण तथा निवेश

(त) समाशोधन गृह की स्थापना तथा कार्य संचालन अथवा समाशोधन तथा निपटान के लिए अन्य व्यवस्था सहित सौदों के निपटान एवं समाशोधन के लिए मानदंड और प्रक्रियाएं;

(थ) सहभागियों के पंजीकरण और पंजीकरण की निरंतरता के लिए मानदंड प्रक्रियाएं, निबंधन एवं शर्तें,

(द) संविदाओं, सौदों अथवा संव्यवहारों की बंदी (क्लोजिंग आउट) अथवा उसके आनुषांगिक अथवा अनुवर्ती मामलों के संबंध में मानदंड और प्रक्रियाएं,

(ध) व्यापार प्रणाली पर रखी जाने वाली जानकारी, घोषणाओं का प्रसार

(न) बोर्ड द्वारा निर्णय किया जाने वाला कोई अन्य मामला ।

अध्याय IV : प्रतिभूतियों में सौदे

अनुमत सौदे

(1) एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों में सौदे अनुमत होंगे जैसा कि इन उप विधियों एवं विनियमों में प्रावधान किया गया है और इस प्रकार किये गये प्रावधान को छोड़कर अन्य किसी प्रकार के सौदे अनुमत नहीं होंगे ।

सौदे में प्रतिभूतियों का स्वीकरण

(2) (क) इन उप विधियों तथा विनियमों में उस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार एक्सचेंज पर उन प्रतिभूतियों में सौदों को अनुमति दी गयी है जो समय-समय पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा व्यापार खंडों पर व्यापार के लिए सूची बद्ध अथवा अनुमत हैं

(ख) एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता के स्वीकरण इस संबंध में इन उप विधियों एवं विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा

(ग) संबंधित प्राधिकारी समय-समय पर उन प्रतिभूतियों को स्वीकृति दे सकता है जो एक्सचेंज पर व्यापार के लिए अनुमत हैं ।

सरकारी प्रतिभूति ।

(3) (क) उपरोक्त खंड (2) में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी सरकारी प्रतिभूतियों में सौदों को अनुमति प्रदान किया गया समझा जाएगा जो शब्द इसमें बनाये गये इन नियमों उप विधियों तथा विनियमों के उद्देश्य के लिए भारत सरकार, राज्य सरकारों, पोर्ट ट्रस्टों, नगरपालिकाओं, स्थानीय निकायों, सांविधिक निकायों तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं अथवा प्राधिकरणों द्वारा जारी की गयी प्रतिभूतियों को दर्शाएगा और इसमें भारत सरकार द्वारा जारी किये गये राजकोषीय बिल भी शामिल होंगे,

(ख) सरकारी प्रतिभूतियां एक्सचेंज के ऐसे बाजार खंड में सौदे के लिए अनुमत समझी जाएंगी जैसाकि एन०एस०ई० प्रतिभूतियों की अधिकारिक सूची (यों) पर उनको शामिल करने की तारीख से संबंधित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

अन्य स्टाक एक्सचेंजों पर व्यवहृत प्रतिभूतियों में सौदे

(4) उपरोक्त खंड (2) की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संबंधित प्राधिकार अपने विवेकानुसार और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसा वह उचित समझेगा ऐसी किसी प्रतिभूतियों में सौदों के लिए अनुमति दे सकता है जो किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज पर सौदों के लिए अनुमत हैं अथवा जो ऐसे स्टाक एक्सचेंज पर नियमित रूप से व्यवहृत होती है

सूचीबद्धता के लिए स्वीकरण हेतु आवेदन

(5) एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों को सूचीबद्धता के लिए स्वीकरण हेतु आवेदन संबंधित प्राधिकारी को ऐसे फार्म में किये जाएंगे जैसाकि संबंधित प्राधिकारी समय-समय पर विनिर्दिष्ट करेगा ।

सौदों की शर्तें एवं आवश्यकताएं

(6) संबंधित प्राधिकारी किसी निर्गमकर्ता की प्रतिभूतियों के सौदों को तब तक अनुमति प्रदान नहीं करेगा जब तक कि वह इन उप विधियों एवं विनियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों एवं आवश्यकताओं तथा ऐसी अन्य शर्तों और आवश्यकताओं जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा का पालन नहीं करता ।

सूचीबद्धता के लिए स्वीकरण से इनकार

(7) संबंधित प्राधिकारी अपने स्वविवेक से ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसा वह उचित समझता है, एक्सचेंज पर सूचीबद्धता के लिए स्वीकरण हेतु किसी आवेदन को अनुमोदित अथवा आस्थगित अथवा अस्वीकृत कर सकता है ।

शुल्क

(8) उन निर्गमकर्ताओं को जिनकी प्रतिभूतियों को एक्सचेंज पर सौदों के लिए प्रवेश प्रदान किया गया है ऐसी सूचीबद्धता तथा ऐसे अन्य शुल्क और ऐसी अन्य जमा राशियां अदा करनी होंगी जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा

अस्थाई दस्तावेजों में सौदे

(9) संबंधित प्राधिकारी अपने स्वविवेक पर अस्थायी दस्तावेजों में सौदों के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है। इन उप विधियों तथा विनियमों के उद्देश्य से अस्थायी दस्तावेजों में कूपन, आंशिक प्रमाणपत्र, परित्याग पत्र अथवा हस्तांतरणीय आबंटन पत्र, स्वीकृति अथवा आवेदन अथवा विकल्प अथवा प्रतिभूतियों में अन्य अधिकार एवं हित निर्गमकर्ता द्वारा जारी किये गये अथवा जारी किये जाने वाले वारंट अथवा निर्गमकर्ता के संबंध में ऐसे अथवा दस्तावेज जिसकी प्रतिभूतियों के लिए एक्सचेंज पर सौदों के लिए अनुमति मांगी गयी है, शामिल हैं।

भारत के बाहर पंजीकृत निर्गमकर्ता

(10) भारत से बाहर पंजीकृत अथवा गठित निगमित निकाय, निधि अथवा अन्य संस्था द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों को एक्सचेंज पर सौदों के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि :

(क) भारत में ऐसी प्रतिभूतियों में पर्याप्त जनहित न हो,

(ख) निगमित निकाय, निधि अथवा अन्य संस्था भारत में सदस्यों का एक रजिस्टर अथवा इसी प्रकार का अभिलेख भारत में बनाकर रखने के लिए और संबंधित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये ऐसे अन्य मानदंडों का पालन करने के लिए सहमत नहीं होती।

विशिष्ट सौदे

(11) संबंधित प्राधिकारी उन निर्गमकर्ताओं की प्रतिभूतियों के मामले में विशिष्ट सौदों को अनुमति दे सकता है जिन्हें सम्प्रति सौदों के लिए प्रतिबंधित अथवा निलंबित किया गया है।

प्रतिबंधित सौदे

(12) संबंधित प्राधिकारी किसी कारणवश किसी प्रतिभूति अथवा प्रतिभूतियों में एक्सचेंज पर सौदों पर प्रतिबंध लगा सकता है।

एक्सचेंज पर सौदों के लिए स्वीकरण का निलंबन

(13) संबंधित प्राधिकारी किसी भी समय ऐसी अवधि के लिए जैसा वह निर्धारित करेगा, किसी प्रतिभूति को एक्सचेंज पर सौदों के लिए प्रदान की गयी अनुमति को निलंबित कर सकता है। निलंबन की अवधि के समाप्त होने पर संबंधित प्राधिकारी ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसा वह उचित समझेगा, ऐसी प्रतिभूति की बहाली कर सकेगा।

उन्मोचन अथवा परिवर्तन पर सौदों के लिए स्वीकरण को वापस लेना

(14) यदि आवश्यक हुआ तो संबंधित प्राधिकारी ऐसी प्रतिभूतियों को सौदों के लिए प्रदान की गयी स्वीकृति को वापस ले सकता है जो पुनर्गठन अथवा पुनर्निर्माण की किसी योजना के परिणाम-स्वरूप अन्य प्रतिभूतियों में विनिमित अथवा रूपांतरित की जाने वाली होंगी अथवा जो विमोच्य अथवा परिवर्तनीय होने के कारण विमोचन अथवा परिवर्तन के लिए देय होने वाली होंगी।

परिसमापन अथवा विलियन पर सौदों को प्रदत्त स्वीकरण को वापिस लेना

(15) यदि किसी निर्गमकर्ता को अंतिम रूप से अथवा अनंतिम रूप से परिसमापन में रखा गया है अथवा वह अन्य संस्था में उसका विलयन अथवा समामेलन होने वाला हो तो संबंधित प्राधिकारी ऐसी प्रतिभूतियों को एक्सचेंज पर सौदों के लिए प्रदान की गयी अनुमति को वापस ले सकता है। संबंधित प्राधिकारी ऐसे परिसमापन, विलयन अथवा समामेलन पर ऐसे साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है जैसा वह उचित समझेगा। विलयन अथवा समामेलन कार्यान्वित न हो पाया हो अथवा निर्गमकर्ताओं, जिसे अन्तिम रूप से परिसमापन में रखा गया हो उसे बहाल किया गया हो और उसकी प्रतिभूतियों को एक्सचेंज पर सौदों के लिए पुनर्प्रवेश हेतु आवेदन किया गया हो, संबंधित प्राधिकारी को यह अधिकार रहेगा कि वह ऐसे आवेदन का अनुमोदन कर सकता है, इंकार कर सकता है अथवा आस्थगित रख सकता है।

एक्सचेंज पर सौदों को प्रदत्त स्वीकरण वापस लेना

(16) संबंधित प्राधिकारी सौदों के स्वीकरण की किन्हीं शर्तों अथवा आवश्यकताओं के उल्लंघन अथवा अपालन के लिए अथवा किसी भी प्रकार के अन्य कारण से निर्गमकर्ता की प्रतिभूतियों को एक्सचेंज पर सौदों के लिए प्रदान किये गये स्वीकरण को निर्गमकर्ता को स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के बाद जहां भी आवश्यक समझेगा, वापस ले सकता है।

एक्सचेंज पर सौदों को पुनर्प्रवेश

(17) संबंधित प्राधिकारी अपने स्वविवेक पर ऐसे निर्गमकर्ता की प्रतिभूतियों को एक्सचेंज पर सौदों के लिए पुनर्प्रवेश दे सकता है जिसके सौदों के लिए स्वीकरण को पूर्व में वापस ले लिया गया है।

अध्याय 5 : व्यापारिक सदस्य

नियुक्ति तथा शुल्क

(1) (क) संबंधित प्राधिकारी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम एवं नियमावली तथा सेबी अधिनियम के अनुरूप समय-समय पर बनाये जाने वाली उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार व्यापारिक सदस्यों को प्रवेश दे सकता है ।

(ख) संबंधित प्रत्येक व्यापार खंड में व्यापारिक सदस्यों के प्रवेश, समाप्ति, पुर्नप्रवेश इत्यादि के लिए आवेदन हेतु पुर्वापेक्षाएं, शर्तें, प्रारूप तथा प्रक्रियाएं निर्दिष्ट कर सकता है । संबंधित प्राधिकारी अपने विवेक पर किसी आवेदक को व्यापारिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुमति देने से इंकार कर सकता है ।

(ग) व्यपारिक सदस्य के रूप में नियुक्ति तथा उस नियुक्ति की निरंतरता के लिए ऐसे शुल्क, जमानत राशि तथा अन्य धनराशियां अदा करनी होगी जैसाकि बोर्ड अथवा संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(घ) किसी व्यापारिक खंड का व्यापारिक सदस्य एक्सचेंज पर उस खंड के लिए लागू एनएसई प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकता है ।

(ङ) व्यापारिक सदस्य संबंधित प्रतिभूतियों में या तो प्रधान के रूप में अपने खाते पर अथवा उनके ग्राहकों की ओर से जब तक कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा, व्यापार कर सकते हैं । वे ऐसी प्रतिभूतियों में शेयर संतुलनकर्ता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं बशर्ते ऐसा करने के लिए वे प्राधिकृत हों और वे अध्याय 8 में निर्धारित शर्तों को पूरा करें ।

शर्तें

(2) (क) व्यापारिक सदस्यों को एक्सचेंज की उप विधियों, नियमों एवं विनियमों का पालन करना होगा और संबंधित प्राधिकारी के ऐसे परिचालनागत मानदंडों, विनिर्णयों, नोटिसों, मार्गदर्शी सिद्धांतो तथा अनुदेशों का अनुपालन करना होगा जैसाकि लागू होगा ।

(ख) एक्सचेंज पर सौदों के लिए जारी सभी संविदाएं एक्सचेंज की उप विधियों, नियमो एवं विनियमों के अनुसार होंगी ।

(ग) व्यापारिक सदस्यों को एक्सचेंज की उन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा जोकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विज्ञापनों तथा व्यापारिक सदस्य के रूप में उनके कार्यकलापों के बारे में परिपत्र जारी करने के संबंध में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(घ) व्यापारिक सदस्यों को ऐसे मामलों के संबंध में और ऐसे फार्मों में घोषणाएं प्रस्तुत करनी होंगी जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(ङ) व्यापारिक सदस्यों को एक्सचेंज को एक वार्षिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि उनके परिचालनों के संबंध में संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की गयी विशिष्ट एक्सचेंज आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है ।

(च) व्यापारिक सदस्यों को उनके परिचालनों के संबंध में ऐसी जानकारी और आवधिक विवरणियां प्रस्तुत करनी होगी जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित होगा ।

(छ) व्यापारिक सदस्यों को एक्सचेंज को ऐसी लेखा परीक्षित और/अथवा गैर लेखा परीक्षित वित्तीय अथवा परिमाणात्मक जानकारी और विवरणपत्र प्रस्तुत करने होंगे जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित होगा ।

(ज) व्यापारिक सदस्य को किसी व्यापार, सौदे, उनके निपटान, लेखांकन और/अथवा अन्य संबंध मामलों के संबंध में पूर्ण सहयोग देना होगा और ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा जसा कि संबंधित प्राधिकारी अथवा एक्सचेंज के अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण अथवा लेखा परीक्षा के उद्देश्य से अपेक्षित होगा ।

अध्याय 6 : सहभागी

आवेदन पर सहभागियों का पंजीकरण

(1) संबंधित प्राधिकारी सदस्यों में से उन व्यक्तियों को जो सहभागी के रूप में अपने आपको पंजीकृत कराना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर बनाये गये इन उप विधियों तथा विनियमों के अनुसार तथा ऐसे निबंधन और शर्तों के अध्यधीन जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा सहभागी, रूप में पंजीकरण कर सकता है ।

सहभागी का स्वप्रेरणा से पंजीकरण

(2) उपरोक्त खंड (1) में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी संबंधित प्राधिकारी स्वप्रेरणा से संदस्यों में से उन व्यक्तियों को 'सहभागी' के रूप में पंजीकृत कर सकता है जिसे संबंधित प्राधिकारी की राय में दर्ज

किये जाने वाले कारणों से इस प्रकार पंजीकृत किया जाना चाहिए। इस प्रकार का पंजीकरण उन निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन होगा जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

सहभागियों के अधिकार एवं देयताएं

(3) (क) उप विधियों के किसी अन्य भाग में विशेष रूप में 7 (3) (क) में दिये गये किन्हीं प्रावधानों के विपरीत किसी बात के होते हुए भी, एक्सचेंज ऐसे उद्देश्यों के लिए (समाशोधन एवं निपटान सहित) ऐसे निबंधनों, शर्तों तथा आवश्यकताओं के अध्यधीन तथा ऐसी परिस्थितियों में जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा, किसी सहभागी को एक्सचेंज के किसी खंड, पर, पक्के तौर पर अथवा सहभागी द्वारा व्यापारिक सदस्य के जरिए किये गए किसी सौदे अथवा किये गये व्यापार के लिए एक पक्ष के रूप में मान्यता दे सकता है।

(ख) इन उप विधियों तथा विनियमों में अन्यथा प्रावधान किये जाने को छोड़कर एक्सचेंज द्वारा पक्के तौर पर अथवा व्यापारिक सदस्य के जरिए सहभागी द्वारा की गयी सविदा से किये गये सौदे अथवा व्यापार के लिए एक पक्ष के रूप में दी गयी मान्यता उस संबंध में संबंधित व्यापारिक सदस्य पर एक्सचेंज के अधिकार क्षेत्र को किसी रूप में प्रभावित नहीं करेगा और ऐसा व्यापारिक सदस्य इस संबंध में एक्सचेंज के प्रति उत्तरदायी, जिम्मेदार और दायी बना रहेगा

(4) संबंधित प्राधिकारी समय-समय पर एक्सचेंज पर सहभागियों के कामकाज एवं परिचालन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत तथा उनके पंजीकरण अथवा मान्यता को बरकरार रखने के लिए शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकता है। उपरोक्त बातों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे मानदंडों, आवश्यकताओं तथा शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ जमाराशियों, मार्जिन, शुल्कों, प्रणाली, उपभोग प्रभार, प्रणाली अनुरक्षण/उपयुक्तता का निर्धारण शामिल हो सकते है।

(5) इस खंड में उल्लिखित सहभागियों के अधिकार एवं देयताएं इन उप-विधियों के अधीन संघटक के रूप में उसके अधिकारों एवं देयताओं के अतिरिक्त हैं किंतु केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां सहभागी के किसी अधिकार अथवा देयता के संबंध में समय-समय पर विनिर्दिष्ट इन उपविधियों अथवा नियमों का कोई प्रावधान से भिन्न है ऐसी भिन्नता की स्थिति में वह किसी अधिकार अथवा देयता के संबंध में उनके पंजीकरण के निबंधन एवं शर्तों के आधार पर लागू होगा।

(6) सहभागियों के अधिकार एवं देयताएं इन उप विधियों एवं विनियमों के अध्यधीन होंगी जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा

(7) समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये गये विनियमों के अध्यधीन संबंधित प्राधिकारी को यह अधिकार रहेगा कि वह ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर जैसाकि संबंधित प्राधिकारी निर्दिष्ट करेगा, सहभागी के पंजीकरण अथवा मान्यता को रद्द कर सकता है इस विनियम अथवा संबंधित प्राधिकारी के निर्णय में विशिष्ट रूप से प्रावधान किए जाने की स्थिति को छोड़कर सहभागी को उपलब्ध सभी अधिकार एवं विशेषाधिकार ऐसे निरसन पर तदनुसार समाप्त हो जाएंगे।

(8) एक्सचेंज के स्वविवेक पर और ऐसे विनियमों के अध्यधीन जैसाकि विनिर्दिष्ट किया जाएगा अथवा ऐसे निबंधन और शर्तों के अध्यधीन जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा, सहभागी को व्यापार प्रणाली पर अथवा उसके किसी हिस्से पर सशर्त और/अथवा सीमित पहुंच के लिए अनुमति दी जा सकती है जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्णय किया जाएगा।

अध्याय 7 व्यापारिक सदस्यों द्वारा सौदे

अधिकार क्षेत्र

(1) (क) एक्सचेंज की स्वचालित व्यापार प्रणाली के जरिए किया गया कोई सौदा अथवा क्रय अथवा विक्रय के लिए कोई प्रस्ताव अथवा क्रय अथवा विक्रय के लिए ऐसे प्रस्ताव की कोई स्वीकृति मुंबई स्थित एक्सचेंज की कम्प्यूटरीकृत प्रसंस्करण इकाई में की गयी समझी जाएगी और व्यापारिक सदस्यों के बीच संविदा का स्थान मुंबई होगा। एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्यों को उनके संविदा नोट पर स्पष्ट रूप से यह दर्ज करना होगा कि संविदा नोटों से उत्पन्न होने वाले अथवा उससे संबंधित अथवा उसके बारे में विवादों के बारे में मुंबई स्थित सिविल न्यायालय को छोड़कर वे अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से अपवर्जित हैं और यह कि ऐसे विवाद से उत्पन्न होने वाले दावों में के बल मुंबई स्थित सिविल न्यायालय का विशिष्ट न्यायाधिकार रहेगा इस धारा के प्रावधान व्यापारिक सदस्यों तथा उनके संघटकों के बीच किसी विवाद का निर्णय करने वाले किसी न्यायालय के न्यायाधिकार पर आपत्ति नहीं करेंगे जिसमें एक्सचेंज एक पक्ष नहीं है।

(ख) एक्सचेंज का अभिनेख जैसाकि केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई अथवा प्रसंस्करण इकाइयों के समूह अथवा कम्प्यूटर प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा

रखे जाएंगे चाहे वह किसी रजिस्टर मैग्नेटिक संग्रहण इकाइयों इलेक्ट्रानिक संग्रहण इकाइयों ऑप्टीकल संग्रहण इकाइयों अथवा कम्प्यूटर संग्रहण इकाईयों में रखा गया हो अथवा किसी अन्य रीति में रखा गया हो स्वचालित व्यापार प्रणाली के जरिए निष्पादित किये गये किसी संव्यवहार के संबंध में स्वीकृत और प्रामाणिक रेकार्ड बनेगा किसी विवाद के उद्देश्य के लिए एक्सचेंज की कम्प्यूटर प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा रखे गये कोई एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्यों तथा संघटकों के बीच अथवा एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्यों के बीच आपस में उठने वाले किसी विवाद अथवा दावे में वैध साक्ष्य बनेंगे ।

क्षतिपूर्ति

(2) व्यापारिक सदस्य (यों) के नाम पर किसी व्यक्ति द्वारा एक्सचेंज पर किसी अनधिकृत सौदे के लिए एक्सचेंज दायी नहीं होगा ।

केवल व्यापारिक सदस्य व्यापार के लिए पक्ष हैं

(3) (क) एक्सचेंज अपने व्यापारिक सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को किसी सौदे के लिए पक्ष के रूप में मान्यता नहीं देता है, और

(ख) एक्सचेंज की उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक सदस्य ऐसे प्रत्येक व्यापारिक सदस्य जिसके साथ ऐसा व्यापारिक सदस्य कोई सौदा निष्पादित करता है, सौदे की यथोचित पूर्ति के लिए, प्रत्येक रूप से तथा पूरी तरह से दायी है चाहे ऐसा सौदा प्रभावित होने वाले व्यापारिक सदस्य के अपने खाते के लिए किया गया हो अथवा संघटक के खाते के लिए किया गया हो ।

सभी सौदे उप विधि, नियमावली एवं विनियमावली के अध्यधीन होंगे ।

(4) एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों में किये गये सभी सौदे एक्सचेंज की उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के अध्यधीन किये गये समझे जाएंगे और यह इस प्रकार के सौदों के निबंधन एवं शर्तों का एक हिस्सा होगा और ये सौदे एक्सचेंज की उपविधियों, नियमों एवं विनियमों द्वारा इस संबंध में संबंधित प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के अध्यधीन होंगे ।

व्यापार की अलंघनीयता

(5) (क) केवल उस स्थिति को छोड़कर जबकि कपट अथवा जानबूझकर गलतबयानी का विशिष्ट आरोप न हो अथवा व्यापार में तथ्यात्मक गलती का ऐसा प्रथम दृष्टतया साक्ष्य पाये पर जो संबंधित प्राधिकारी के स्वविवेक से मामले को उसके निर्णय के लिए पात्र बनाता है, एक्सचेंज पर किये गये किसी व्यापार को रद्द करने के आवेदन पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा ।

(ख) उपरोक्त उप-खंड (क) के अंतर्गत व्यापार को रद्द करने का निर्णय केवल संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और इस आशय का निर्णय अंतिम होगा और तत्काल प्रभावी हो जाएगा ।

प्रतिनिधि व्यापारिक सदस्यों द्वारा सौदे

(6) (क) व्यापारिक सदस्य संबंधित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से निर्दिष्ट अवधि के लिए अन्य व्यापारिक सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है ।

(ख) जब एक व्यापारिक सदस्य संघटक के संव्यवहार को पूरा करने के लिए दूसरे व्यापारिक सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में नियोजित करता है तो ऐसा प्रतिनिधि इस संव्यवहार को नियोजक व्यापारिक सदस्य को उस मूल्य की सूचना देगा जिस मूल्य पर बाजार में सौदा किया गया है और नियोजक व्यापारिक सदस्य ऐसे संव्यवहार के संबंध में उसी मूल्य को संघटक को सूचित करेगा ।

अध्याय VIII : व्यापार प्रणाली तथा शेयर संतुलनकर्ता (मार्केट मेकर)

(1) जो प्रतिभूतियां शेयर संतुलन के लिए किसी तरह पात्र होंगी उन्हें संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाएगा ।

शेयर संतुलनकर्ताओं का पंजीकरण

(2) (क) व्यापारिक सदस्य शेयर संतुलन के लिए पात्र किसी प्रतिभूति में शेयर संतुलनकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

(ख) कोई भी व्यापारिक सदस्य तब तक शेयर संतुलनकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता जब तक कि वह सदस्य इस उप विधि के अनुसार अनुमोदित न हो और अनुमोदन को निलंबित अथवा रद्द नहीं किया गया हो। पंजीकरण के लिए आवेदन ऐसे फार्मों में और ऐसे ब्यौरों के साथ होगा जैसाकि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(ग) शेयर संतुलनकर्ता को प्रत्येक संबंधित प्रतिभूति में शेयर संतुलन परिचालन प्रारंभ करने से पहले संबंधित प्राधिकारी को उसे पंजीकृत करने के लिए आवेदन करना होगा । यदि संबंधित प्राधिकारी संतुष्ट है तो यह ऐसी अधिसूचना की प्राप्ति के पंद्रह कारोबारी दिवसों के अंदर शेयर संतुलनकर्ता को उस प्रतिभूति के लिए शेयर संतुलनकर्ता के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। पंजीकृत शेयर संतुलनकर्ता किसी संबंधित प्रतिभूति में शेयर संतुलन का कार्य तब तक शुरू नहीं करेगा जब तक कि एक कारोबारी दिवस के

बाद उसके पंजीकरण की सूचना उद्धरण (कोटेशन) प्रणाली के जरिए प्रसारित न कर दी गयी हो ।

(घ) किसी एक्सचेंज में पंजीकृत शेयर संतुलनकर्ता को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित कार्य करने होंगे ।

i. उस प्रतिभूति के संबंध में व्यापार प्रणाली में बोली लगाने और भावों (कोटेशनों) को प्रस्तावित करने का कार्य करना और ऐसी अन्य प्रतिभूतियों के सौदों को न्यूनतम मात्रा में कार्यान्वित करना जैसाकि प्रत्येक कारोबारी दिवस को उसके उद्धरित मूल्य पर समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

ii. उपरोक्त उप-धारा 2 (ख) के अंतर्गत पंजीकृत शेयर संतुलनकर्ताओं के मामले में जनता द्वारा व्यापार के लिए प्रतिभूति के उपलब्ध होने की तारीख के समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि तक प्रतिभूति के लिए बाजार में संतुलन का कार्य अपने जिम्मे लेना ;

iii. उद्धरित (कोटेड) कीमतों पर संबंधित प्रतिभूतियों को व्यापारिक सदस्यों अथवा ग्राहकों में बेचने और खरीदने के लिए आदेशों को निष्पादित करने का काम अपने हाथ में लेना ।

(ङ) पंजीकृत शेयर संतुलनकर्ता किसी विशेष एक्सचेंज प्रतिभूति में बाजार संतुलन प्रारंभ होने के बाद समय-समय पर विनिर्दिष्ट की गयी न्यूनतम अवधि के बाद संबंधित प्राधिकारी को इस आशय की आवश्यक नोटिस देने के बाद उस प्रतिभूति में संतुलन की जिम्मेदारी छोड़ सकता है । इस मामले में नोटिस की आवश्यकता अवधि पंद्रह कारोबारी दिवस अथवा ऐसी अन्य अवधि होगी जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

(च) पंजीकृत शेयर संतुलनकर्ता उस प्रतिभूति में बाजार संतुलन करना छोड़ सकता है बशर्ते संबंधित प्राधिकारी से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो ऐसे अनुमोदन सामान्यतया उन परिस्थितियों में प्रदान किये जाते हैं जहां संबंधित प्राधिकारी की राय में अपने नियंत्रण के बाहर की घटनाओं के कारण पंजीकृत शेयर संतुलनकर्ता के लिए परिचालन जारी रखना अव्यावहारिक अथवा अवांछनीय हो ।

(3) संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर किये गये निर्धारण अनुसार ऐसे व्यापारिक सदस्य पर जो कुछ प्रतिभूतियों में शेयर संतुलन के परिचालनों को संभाल रहा है कुछ और प्रतिभूतियों में अतिरिक्त शेयर संतुलन परिचालनों को देखने का दायित्व सौंपा जा सकता है ।

शेयर संतुलनकर्ताओं का निलंबन और प्रतिबंध

(4) (क) निम्नलिखित स्थितियों में संबंधित प्राधिकारी पंजीकृत शेयर संतुलनकर्ता को व्यापार प्रणाली में भाव प्रदर्शित करने अथवा प्रविष्ट करने अथवा उन प्रतिभूतियों में जिनमें वह शेयर संतुलनकर्ता के रूप में पंजीकृत है, सौदा करने के उसके प्राधिकार को सीमित कर सकता है अथवा उस पर प्रतिबंध लगा सकता है ।

i. ऐसा शेयर संतुलनकर्ता जिसे एक्सचेंज की सदस्यता से निष्कासित अथवा निलंबित कर दिया गया है अथवा जो निष्कासित अथवा निलंबित है, अथवा वह एक्सचेंज की उप विधियां नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करने में असमर्थ हो अथवा जिसके पंजीकरण को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने रद्द कर दिया हो;

ii. ऐसे शेयर संतुलनकर्ता ने एक्सचेंज की प्रतिभूतियों के संबंध में किये गये किसी सौदे में चूक की हो ;

iii. ऐसा शेयर संतुलनकर्ता ऐसी वित्तीय और परिचालनगत कठिनाई में हो कि संबंधित प्राधिकारी यह निर्णय करे कि निवेशकों लेनदारों एक्सचेंज के अन्य व्यापारिक सदस्यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे शेयर संतुलनकर्ता को व्यापारिक प्रणाली (ट्रेडिंग सिस्टम) में भाव प्रदर्शित करने अथवा भाव प्रविष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती ;

iv. जहां संबंधित प्राधिकारी की राय में ऐसा शेयर संतुलनकर्ता शेयर संतुलनकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हता आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहा हो ।

(ख) उपरोक्त उप-धारा 4(क) के अनुसरण में यदि संबंधित प्राधिकारी किसी शेयर संतुलनकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करता है तो वह ऐसी कार्रवाई को लिखित रूप में अधिसूचित करेगा । ऐसा शेयर संतुलनकर्ता तत्काल शेयर संतुलनकर्ता नहीं रहेगा ।

(ग) कोई शेयर संतुलनकर्ता जिसके विरुद्ध संबंधित प्राधिकारी कार्रवाई करता है, उपरोक्त उप-धारा 4 (ख) के अनुसरण में अधिसूचना की तारीख के दस दिनों के अंदर सुनवाई के लिए अवसर दिये जाने का अनुरोध कर सकता है सुनवाई के लिए अनुरोध स्थगन की कार्रवाई के रूप में कार्य नहीं करेगा ।

(घ) सुनवाई की तारीख के एक सप्ताह के अंदर लिखित निर्णय जारी कर दिया जाएगा और इसकी एक प्रति शेयर संतुलनकर्ता को भेजी जाएगी ;

(ङ) निलंबन अथवा प्रतिबंध को निरस्त किए जाने पर शेयर संतुलनकर्ता व्यापार प्रणाली (ट्रेडिंग सिस्टम) में भाव प्रदर्शित कर सकता है या प्रविष्ट कर सकता है ।

शेयर संतुलनकर्ता के लिए परिचालनगत मानदंड

(5) संबंधित प्राधिकारी समय-समय पर शेयर संतुलनकर्ताओं के लिए परिचालनगत मानदंड निर्धारित और घोषित कर सकता है जिसका पंजीकृत शेयर संतुलनकर्ताओं को पालन करना होगा ।

(6) परिचालनगत मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल होंगे ।

(क) यदि आवश्यक समझा जाएगा विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए बोली और प्रस्ताव दरों के अंतर की सीमा;

(ख) खरीदने अथवा बेचने के लिए प्रस्ताव की जानेवाली प्रतिभूतियों के बाजार लॉट, ऑडलॉट और/अथवा न्यूनतम संख्या का निर्धारण;

(ग) बोली तथा प्रस्ताव कीमतों में एक दिन अथवा कई दिनों के अन्दर परिवर्तन की सीमा;

(घ) स्क्रिपों का न्यूनतम स्टॉक जिसे व्यापारिक सदस्य को अनिवार्य रूप से बनाये रखना है इससे कम होने पर उसे संबंधित प्राधिकारी को अवश्य सूचित करना चाहिए;

(ङ) ऐसी स्थिति में जब शेयर संतुलनकर्ता के पास मौजूद स्क्रिपों का स्टॉक बिक गया है, शेयर संतुलनकर्ता को केवल खरीदी मूल्य प्रस्तावों को उद्धरित करने की अनुमति देना जबतक कि प्रतिभूतियों का बिक्रीयोग्य लॉट एकत्र नहीं हो जाता ताकि बिक्री परिचालन फिर से आरंभ किये जा सकें, और

(च) जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए अन्य मामले जो प्रतिभूतियों में कारोबार के सुगम परिचालन को प्रभावित कर सकते हों जिनमें वह शेयर संतुलनकर्ता के रूप में कार्य करता है

अध्याय IX : सौदे का निपटान

सौदे

कारोबार का समय

(1) एक्सचेंज के विभिन्न खंडों में एक्सचेंज प्रतिभूतियों में सौदों के लिए कारोबार का समय वह समय होगा जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा। संबंधित प्राधिकारी समय समय पर विभिन्न प्रकार के सौदों जैसे स्पॉट रेडी और ग्रॉड लॉटों के लिए कारोबार का समय विनिर्दिष्ट कर सकता है

(2) संबंधित प्राधिकारी कैलेंडर वर्ष में सार्वजनिक छुट्टियों की सूची की घोषणा करेगा। संबंधित प्राधिकारी इन प्रावधानों के अनुसार निश्चित किये गये एक्सचेंज के किसी अवकाश को समय-समय पर परिवर्तित कर सकता है अथवा रद्द कर सकता है। सार्वजनिक अवकाशों के अलावा अथवा के अतिरिक्त वह दर्ज किये जानेवाले कारणों के आधार पर अन्य दिवसों को भी बाजार बंद रख सकता है।

व्यापार प्रणाली

(3) (क) सौदे आदेश आधार पर भाव (उद्धरण) आधार पर (शेयर संतुलनकर्ता) अथवा ऐसी अन्य प्रणाली पर किए जाएं जैसाकि एक्सचेंज समय-समय पर व्यापारिक खण्डों के लिए निर्धारित करेगा।

(ख) व्यापारिक सदस्यों के बीच सौदे इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा कम्प्यूटर नेटवर्क के जरिए अथवा ऐसे अन्य माध्यम से किए जाएं जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(ग) सौदे स्पॉट रेडी अथवा ऐसे अन्य आधार पर किए जाएं जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा किंतु ऐसे सौदों पर प्रतिभूति संविदा (विनियमन)। अधिनियम और नियमावली और सेबी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

सर्वोत्तम भाव (कोटेशन) पर सौदा

(4) ग्राहकों के साथ अथवा ग्राहकों की ओर से सौदों में व्यापारिक सदस्यों को अनिवार्य रूप से वह वर्तमान सर्वोत्तम भाव ग्राहकों को बताना चाहिए जैसाकि व्यापार प्रणाली में प्रदर्शित होता हो।

व्यापार के लिए परिचालनगत मानदंड

(5) संबंधित प्राधिकारी एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों के सौदे के संबंध में समय-समय पर परिचालनगत मानदंड निर्धारित और घोषित करेगा जिसका व्यापारिक सदस्यों को पालन करना होगा।

(6) परिचालनगत मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल होंगे :

(क) अनुमत व्यापार सीमाएं जिसमें निवल संपत्ति तथा पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के संदर्भ में व्यापार सीमाएं शामिल हो सकती हैं;

(ख) व्यापार की मात्राएं तथा सीमाएं जिस स्तर पर व्यापारिक सदस्यों के लिए आवश्यक होगा कि वे एक्सचेंज को सूचित करें;

(ग) यदि आवश्यक समझा जाए तो विभिन्न प्रतिभूतियों के लिए बोली और प्रस्ताव दरों की अंतर की सीमा;

(घ) खरीदने अथवा बेचने के लिए प्रस्ताव की जाने वाली प्रतिभूतियों के बाजार लाट, आडलाट और/अथवा न्यूनतम संख्या का निर्धारण;

(ङ) बोली तथा प्रस्ताव कीमतों में एक दिन अथवा कई दिनों के अंदर परिवर्तन की सीमा;

(च) जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए अन्य मामले जो प्रतिभूतियों में कारोबार के सुगम परिचालन को प्रभावित कर सकते हों;

(छ) सदस्य के लिए अनुमत व्यापारों के प्रकारों और प्रतिभूति का निर्धारण;

(ज) प्रणाली डिजाइन, उपयोगकर्ताओं के लिए मूलभूत सुविधाएं, प्रणाली परिचालन सहित व्यापार प्रणाली के कार्यपरक सौदे निर्धारित करना।

व्यापार सीमाएं पूरा करने में असफल रहने पर निलंबन

(7) यदि कोई सदस्य इन उप विधियों और विनियमों में किये गये प्रावधान अनुसार अपनी व्यापार सीमाओं तक एक्सचेंज पर अपने सौदों को सीमित रखने में असफल रहता है तो संबंधित प्राधिकारी उसे तत्काल अपने सौदों को व्यापार सीमाओं के अंदर तक कम करने के लिए कह सकता है। संबंधित प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से व्यापार सीमाओं के उल्लंघन के लिए व्यापारिक सदस्य को निलंबित कर सकता है और यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक कि संबंधित प्राधिकारी इस प्रकार के निलंबन को वापस नहीं लेता।

संविदा टिप्पणियां

(8) ग्राहकों के साथ अथवा ग्राहकों की ओर से किये गये सौदों के लिए संविदा नोट ऐसी अवधि के अंदर जारी की जाएंगी जैसा संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा और इन टिप्पणियों में ऐसे ब्यौरे शामिल होंगे जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जाएंगे । संविदा टिप्पणियों में यह विनिर्दिष्ट होगा कि सौदा एक्सचेंज की उपविधियों, नियमों एवं विनियमों के अध्यधीन तथा उनमें किये गये प्रावधान के अनुसार विवाचन के अध्यधीन और मुम्बई स्थित सिविल न्यायालयों के न्यायक्षेत्र के अध्यधीन होगा ।

(9) किये गये सभी सौदों के ब्यौरे, जैसाकि विनिर्दिष्ट किया जाए, सौदे के दिन एक्सचेंज के कार्यालयों को सूचित करना होगा ।

(10) जब तक कि इन उप विधियों में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, एक्सचेंज प्रतिभूतियों के संबंध में किये गये सभी सौदे एक्सचेंज की उप विधियों, विनियमों और नियमों के अध्यधीन होंगे ।

प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी

(11) सभी प्रतिभूतियों, दस्तावेजों और कागजातों तथा सभी सौदों के संबंध में भुगतान की सुपुर्दगी ऐसी पद्धति से और ऐसे स्थान (नों) पर करनी होगी जैसा संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(12) संबंधित प्राधिकारी समय-समय पर इन प्रतिभूतियों, दस्तावेजों तथा कागजातों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो कि निर्धारित पद्धति से सुपुर्द किये जाने पर दोषमुक्त सुपुर्दगी माने जाएंगे । जहां परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होगा संबंधित प्राधिकारी दर्ज किये जाने वाले कारणों के लिए यह निर्धारण कर सकता है कि कोई सुपुर्दगी दोषमुक्त सुपुर्दगी है अथवा नहीं, और इस प्रकार का निष्कर्ष संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा । जहां पर संबंधित प्राधिकारी यह निर्धारण करता है कि सुपुर्दगी दोषमुक्त सुपुर्दगी नहीं है तो सुपुर्दगी करने वाले पक्ष को उसके बदले में ऐसी समयावधि के अंदर दोषमुक्त सुपुर्दगी करनी होगी जैसाकि निर्धारित किया जाएगा ।

(13) बाजार लाट, आडलाट, न्यूनतम लाट, आंशिक सुपुर्दगी, आंशिक रूप से अदा की गयी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी आदि के संबंध में सुपुर्दगी के लिए मापदंड और प्रक्रियाएं उस प्रकार होंगी जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(14) विवादग्रस्त सुपुर्दगियां अथवा दोषपूर्ण सुपुर्दगियों के निर्धारण के लिए आवश्यकताएं और प्रक्रियाएं तथा उन सुपुर्दगियों के विवाद अथवा दोष का समाधान निकालने के लिए उपाय, प्रक्रियाएं और प्रणाली अथवा इस प्रकार की सुपुर्दगियों के परिणाम अथवा उनके संकल्प इन उपविधियों के अध्यधीन होंगे और इस प्रकार होंगे जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

समाशोधन और निपटान

(15) सौदों के समाशोधन एवं निपटान को पूरा करने के लिए संबंधित पक्ष ऐसी व्यवस्थाएं, प्रणालियां, एजेंसियों अथवा प्रक्रियाओं को अपनाएंगे और प्रयोग करेंगे जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर उल्लेख अथवा विनिर्दिष्ट किया जाए । उपरोक्त बातों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संबंधित प्राधिकारी व्यापारिक सदस्यों, सहभागियों तथा अन्य उल्लेखित संस्थाओं के पंजीकरण एवं उपयोग के लिए समय-समय पर ऐसी अभिरक्षणीय और वित्तीय सेवाएं विनिर्दिष्ट अथवा उल्लेख कर सकता है जिससे समाशोधन और निपटान व्यवस्था अथवा प्रणाली को सुगम रूप से कार्य करने में सहायता मिल सके ।

(16) समाशोधन गृह का कार्य एक्सचेंज द्वारा अथवा इस उद्देश्य के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा अभिनिर्धारित किसी एजेंसी द्वारा किया जाए। समाशोधन गृह की भूमिका एक्सचेंज पर व्यापारिक सदस्यों/सहभागियों द्वारा किये गये व्यापार के लिए उनके बीच सुपुर्दगियों के संसाधन और भुगतानों के लिए सरलकर्ता के रूप में कार्य करना होगा । एक्सचेंज के प्रत्येक बाजार खण्ड में निपटान निवल आधार पर, सकल आधार पर व्यापार के लिए व्यापार आधार पर अथवा अन्य किसी आधार पर किया जाएगा जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर उल्लेख किया जाएगा। इन विनियमों में विशिष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान किये जाने की स्थिति को छोड़कर विनिर्दिष्ट व्यवस्था के अंतर्गत जब निधियां और प्रतिभूतियां समाशोधन गृह के जरिए अग्रसारित की जाएंगी तो निपटान दायित्व पूर्ण रूप से और एकमात्र रूप से व्यापार के काउंटर पक्षों और/अथवा संबंधित व्यापारिक सदस्यों पर जैसी भी स्थिति हो, आएगा; और समाशोधन गृह मुख्य पक्ष के रूप में बिना कोई देयता या दायित्व वहन किये प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी प्राप्त करने और देने तथा निधियां प्राप्त करने और अदा करने के लिए व्यापारिक सदस्यों/सहभागियों के सामान्य एजेंट के रूप में कार्य करेगा ।

बंदी (क्लोजिंग आउट)

(17) संबंधित संप्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विनियमों के अध्यधीन एक्सचेंज पर प्रतिभूतियों में किया गया कोई सौदा व्यापारिक सदस्य और/अथवा सहभागी के पेटे एक्सचेंज पर खरीदी अथवा बिक्री के जरिए निम्नानुसार बंद किया जा सकता है :—

विक्रेता व्यापारिक सदस्य/सहभागी की स्थिति में नियत तारीख को सुपुर्दगी के पूरा करने में असफल रहने पर; और

क्रेता व्यापारिक सदस्य/सहभागी के मामले में नियत तारीख को देयराशि की अदायगी करने में असफल रहने पर और इस प्रकार की बंदी के फलस्वरूप हुई अथवा वहन की गयी किसी हानि, क्षति अथवा कमी को उस व्यापारिक सदस्य अथवा सहभागी को अदा करना होगा जो नियत सुपुर्दगी देने अथवा देय राशि की अदायगी करने में असफल रहा है ।

(18) प्रतिभूतियों में संविदाओं तथा सौदों की बंदी और उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले दावों के निपटान ऐसी पद्धति से और ऐसी सीमा के अंदर किए जाएंगे, और ऐसी शर्तों और प्रक्रियाओं के अध्यधीन होंगे जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

मार्जिन

मार्जिन आवश्यकताएं

(19) किसी प्रतिभूति अथवा प्रतिभूतियों में सौदे ऐसी मार्जिन आवश्यकताओं के अध्यधीन होंगे जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

मार्जिन जमा राशि का स्वरूप

(20) इन उप विधियों और विनियमों के अंतर्गत व्यापारिक सदस्य द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मार्जिन नकद जमाराशि के जरिए उपलब्ध करायी जाएगी अथवा इसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित बैंक की जमा रसीद के रूप में अथवा उसके द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों में उपलब्ध कराया जा सकता है किन्तु इस पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लगाये जाने वाले निर्बंधन और शर्तें लागू होंगी । नकद जमाराशि पर ब्याज नहीं दिया जाएगा और व्यापारिक सदस्य द्वारा जमा की गयी प्रतिभूतियां प्रचलित बाजार मूल्य पर आंकने पर उनके द्वारा तत्समय आवरित मार्जिन राशि से इतने प्रतिशत अधिक होनी चाहिए जितना कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

रखी जानेवाली मार्जिन जमाराशि का मूल्य

(21) प्रतिभूतियों के रूप में मार्जिन जमा करने वाले व्यापारिक सदस्य को तत्समय उन प्रतिभूतियों से आवरित होने वाली मार्जिन राशि से अधिक स्तर तक हमेशा बनाये रखना होगा और इसके लिए संबंधित प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार और प्रतिभूति उपलब्ध कराना होगा जोकि हमेशा उक्त मूल्य का निर्धारण करेगा और उसका मूल्यांकन समय-समय पर पूरी की जाने वाली कमी की राशि को निर्णायक रूप से तय करेगा ।

एक्सचेंज द्वारा धारित की जाने वाली मार्जिन जमा राशि

(22) मार्जिन जमाराशियां एक्सचेंज द्वारा धारित की जाएंगी और तब वे बैंक जमा रसीदें और प्रतिभूतियों के रूप में हैं और ऐसी रसीदें और प्रतिभूतियां संबंधित प्राधिकारी के विवेक पर ऐसे व्यक्तियों को अथवा एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित बैंक के नाम पर हस्तांतरित की जा सकती है सभी मार्जिन जमाराशियां एक्सचेंज द्वारा और/अथवा अनुमोदित व्यक्तियों और/अथवा अनुमोदित बैंक द्वारा पूरी तरह से एक्सचेंज के लिए और एक्सचेंज के निमित धारित की जाएगी और जमा करने वाले व्यापारिक सदस्य की ओर से उस पर कोई अधिकार नहीं होगा अथवा ऐसे विवेकाधिकार के विषय में संदेह प्रगट करने का अधिकार नहीं होगा ।

घोषणा पत्र

(23) इन उप विधियों एवं विनियमों के अधीन मार्जिन जमा करने वाले व्यापारिक सदस्य को आवश्यकता होने पर ऐसे मामलों के संबंध में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे और यह घोषणा ऐसे फार्म अथवा फार्मों में करनी होगी जैसाकि संबंधित प्राधिकारी समय-समय पर विनिर्दिष्ट करेगा ।

मार्जिनों पर ग्रहणाधिकार

(24) इन उप विधियों एवं विनियमों के प्रावधानों के अधीन व्यापारिक सदस्य द्वारा मार्जिन के लिए जमा की गयी धनराशियों, बैंक जमा रसीदें और अन्य प्रतिभूतियां और आस्तियां एक्सचेंज को देय होने वाली किसी राशि के लिए प्रथम एवं सर्वोपरि ग्रहणाधिकार के अध्यधीन होंगी । उपरोक्त शर्त के अधीन एक्सचेंज की उपविधियों, नियमों तथा विनियमों के अध्यधीन अथवा उसके अनुसरण में किये गये किसी कार्य के अध्यधीन व्यापारिक सदस्य के किसी सौदों, सौदे, लेन-देन अथवा संविदाओं से उत्पन्न होने वाले अथवा प्रासंगिक होने वाले उसके आबन्धों, दायित्वों और देयताओं की यथोचित रूप से पूर्ति के लिए मार्जिन व्यापारिक सदस्य के अन्य सभी दावों के लिए अधिमानता के आधार पर उपलब्ध होगी ।

मार्जिन आवश्यकताओं का अपवंचन निषिद्ध

(25) कोई भी व्यापारिक सदस्य इन उपविधियों तथा विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मार्जिन आवश्यकताओं के अपवंचन के उद्देश्य से अथवा अपवंचन में सहायता करने के उद्देश्य से ऐसी किसी व्यवस्था में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होगा अथवा न ही ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाएगा ।

मार्जिन जमा करने में असफल रहने पर निलंबन

(26) इन उप विधियों एवं विनियमों में किये गये प्रावधान अनुसार व्यापारिक सदस्य यदि मार्जिन जमा करने में असफल रहता है तो संबंधित प्राधिकारी तत्काल उसके कारोबार को निलंबित कर देगा । इस प्रकार के निलंबन की नोटिस तुरंत व्यापार प्रणाली पर लगा दी जाएगी और यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जबतक अपेक्षित मार्जिन विधिवत जमा नहीं कर दिया जाता ।

ब्याज, लाभांश, राइट्स और कॉल

(27) खरीदार विक्रेता के सभी वाउचर, कूपन, लाभांश, नकद बोनस, बोनस निर्गम, राइट्स तथा अन्य विशेष सुविधाएं पाने का हकदार होगा जो सह वाउचर प्रतिभूतियों, सह कूपन, सह लाभांश, सह नकद बोनस, सह बोनस निर्गम, सह राइट्स आदि के आधार पर खरीदी गयी प्रतिभूतियों से संबंधित होंगे । विक्रेता सदृश वे सभी वाउचर, कूपन, लाभांश, नकद बोनस, बोनस निर्गम, राइट्स तथा अन्य विशेष सुविधाएं पाने का हकदार होगा जो वाउचर को छोड़कर, कूपन को छोड़कर, लाभांश को छोड़कर, नकद बोनस को छोड़कर, बोनस निर्गम को छोड़ कर, राइट्स को छोड़कर आदि के आधार पर बेची गयी प्रतिभूतियों से संबंधित होंगे ।

(28) खरीदार व्यापारिक सदस्य तथा विक्रेता व्यापारिक सदस्य के सभी वाउचरों, कूपनों, लाभांशों, नकद बोनस, बोनस निर्गमों, राइट्स तथा अन्य विशेष सुविधाओं के संबंध में समायोजन की रीति, विधि, सूचना आवश्यकताएं परिवर्तन, तारीख और समय इत्यादि उस प्रकार होगी जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा । ऐसा समायोजन कार्यान्वित करने के लिए व्यापारिक सदस्य आपस में तथा उनके सदृशों के बीच जिम्मेदार होंगे ।

(29) प्रतिभूतियों में ऐसी संविदा के संबंध में जो पुनर्निर्माण अथवा पुनर्गठन की योजना के अंतर्गत नयी अथवा अन्य प्रतिभूतियों के लिए विनियमयोग्य अथवा बन जाती है, विक्रेता संघटक संबंधित प्राधिकारी के निर्देश के अनुसार खरीदार को या तो संविदा की गयी प्रतिभूतियां अथवा प्रतिभूतियों के समतुल्य और/अथवा पुनर्निर्माण अथवा पुनर्गठन की ऐसी योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली नकद और/अथवा अन्य संपत्ति सुपुर्द करेगा ।

सौदों पर दलाली

दलाली

(30) व्यापारिक सदस्य प्रतिभूतियों के क्रय अथवा विक्रय के संबंध में अभी आदेशों के निष्पादन पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये गये आधिकारिक स्तर से अनधिक दरों पर दलाली प्रभारित करने के लिए हकदार हैं

कॉल पर दलाली

(31) व्यापारिक सदस्य जो ऐसी प्रतिभूतियां खरीदता है जिस पर कालों की पूर्व आदायगी विक्रेता द्वारा की गयी है, ऐसे कालों की राशि जोड़कर आने वाली क्रय कीमत पर । दलाली प्रभारित कर सकता है ।

हामीदारी कमीशन और दलाली

(32) जब तक कि अन्यथा निर्धारण न किया गया हो और संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंधित न किया गया हो, व्यापारिक सदस्य अपने विवेक पर हामीदारी अथवा दलाल के रूप में कार्य करने अथवा किसी प्रतिभूति के विपणन अथवा नय निर्गमों अथवा बिक्री प्रस्ताव के संबंध में प्राथमिक व्यवस्था करने के लिए निर्गमकर्ता अथवा प्रस्तावक अथवा इस प्रकार के निर्गमकर्ता अथवा प्रस्तावक द्वारा नियुक्त किये गये मुख्य हामीदारों अथवा दलालों के साथ की गयी सहमति अनुसार दलाली प्रभारित कर सकता है किन्तु इस पर समय-समय पर लागू होने वाले संबंधित सांविधिक प्रावधानों के अधीन निर्धारित की गयी सीमाएं लागू होंगी ।

दलाली का बंटवारा

(33) (क) व्यापारिक सदस्य ऐसे व्यक्ति के साथ दलाली का बटवारा नहीं कर सकता जोकि :—

(i) ऐसा व्यक्ति हो जिसके लिए अथवा जिसके साथ एक्सचेंज की उपविधियां, नियमों, तथा विनियमों से अधीन व्यापारिक सदस्यों को कारोबार करने के निषिद्ध किया गया हो,

(ii) ऐसा व्यापारिक सदस्य अथवा कर्मचारी हो जो अन्य व्यापारिक सदस्य के रोजगार में हो;

(ख) दलाली के बंटवारे के लिए चाहे जिस किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यवस्था की जाए व्यापारिक सदस्य प्रत्यक्ष रूप से और पूरी तरह से प्रत्येक उस सदस्य के प्रति दायी होगा जिसके साथ ऐसा व्यापारिक सदस्य एक्सचेंज पर कोई सौदा कार्यान्वित करेगा ।

अध्याय X : सदस्यों एवं संघटकों के अधिकार एवं देयताएं

सभी संविदाएं उपविधियों, नियमावली एवं विनियमावली के अध्यधीन

(1) व्यापारिक सस्य द्वारा एक्सचेंज पर अनुमत सौदों के संबंध में की गयी सभी संविदाएं सभी मामलों में एक्सचेंज की उपविधियों, नियमों एवं विनियमों के अध्यधीन निष्पादत की गई समझी जाएगी यह इस प्रकार की सभी संविदाओं के निबंधनों एवं शर्तों का एक भाग होगा और इस संबंध में एक्सचेंज की इन उपविधियां, नियमों, एवं विनियमों के द्वारा संबंधित प्राधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के अधीन होगा ।

व्यापारिक सदस्य अनुदेश एवं आदेश स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है

(2) व्यापारिक सदस्य प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय आदि के लिए संघटकों के सभी अथवा किसी अनुदेश अथवा आदेशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा वह अपने पूर्ण विवेक पर ऐसे अनुदेशों अथवा आदेशों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से निष्पादित करने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर सकत है और इसके लिए कोई कारण बताने हेतु वह बाध्य नहीं रहेगा । बशर्ते कि जब व्यापारिक सदस्य ऐसे अनुदेशों अथवा आदेशों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से पूरा करने के लिए तैयार नहीं है तो वह इस आशय की सूचना अपने संघटक को तत्काल देगा ।

मार्जिन

(3) व्यापारिक सदस्य को यह अधिकार रहेगा कि वह अपने संघटक के लिए किये गये व्यवसाय के संबंध में अपने संघटक से उस मार्जिन जमाराशि की मांग कर सकता है जो उसे इन उपविधियों नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत उपलब्ध करना है । व्यापारिक सदस्य को यह अधिकार भी रहेगा कि वह कोई आदेश निष्पादित करने से पहले अपने संघटक से नकद राशि में आरंभिक मार्जिन और/अथवा प्रतिभूतियों की मांग कर सकता है और/अथवा वह यह शर्त लगा सकता है कि संघटक बाजार मूल्यों में हुए परिवर्तनों के अनुसार मार्जिन जमा करे अथवा अतिरिक्त मार्जिन प्रस्तुत करे । संघटक को इन उपविधियां, नियमों एवं विनियमों के अधीन उसके लिए किये गये कारोबार और/अथवा संबंधित व्यापारिक सदस्य के साथ की गयी सहमति के संबंध में आवश्यक होने पर समय-समय पर जब भी कहा जाए गा उसे तत्काल मार्जिन जमाराशि और/अथवा अतिरिक्त मार्जिन प्रस्तुत करना होगा ।

चूक करने वाला संघटक

(4) (क) व्यापारिक सदस्य ऐसे किसी संघटक के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कारोबार नहीं करेगा अथवा उसके लिए आदेश निष्पादित नहीं करेगा जो उसकी जानकारी के अनुसार अन्य व्यापारिक सदस्य का बाकीदार हो जब तक कि उसने उस व्यापारिक सदस्य के लिए संतोषजनक व्यवस्था न कर दी हो जो उसका लेनदार है।

(ख) ऐसे लेनदार व्यापारिक सदस्य के आवेदन पर जो इन उप विधियों, नियमों, एवं विनियमों में किये गये प्रावधान के अनुसार चूक करने वाले संघटक के विरुद्ध अपना दावा विवाचन के लिए भेजता है अथवा भेज दिया है, संबंधित प्राधिकारी उपविधियों, नियमों, एवं विनियमों के अध्यधीन किये गये सौदों के संबंध में किसी व्यापारिक सदस्य को उसके द्वारा बाकीदार संघटक को अदा की जाने वाली राशि अथवा सुपुर्द की जाने वाली प्रतिभूतियों के लिए लेनदार सदस्य के दावे की राशि से अनधिक राशि को अथवा प्रतिभूति को बाकीदार सदस्य को अदा करने अथवा सुपुर्द करने से रोकने के लिए आदेश दे सकेगा। ऐसी धनराशियां और प्रतिभूतियां एक्सचेंज के पास जमा की जाएगी। जमा की गयी धनराशियों और प्रतिभूतियों का विवाचन में अधिनिर्णय की शर्तों के अनुसार निपटान किया जाएगा और अधिनिर्णय दायर किये जाने पर डिक्री के लंबित रहने पर इसे संबंधित न्यायालय में जमा किया जाएगा जबतक कि लेनदार सदस्य और बाकीदार संघटक आपस में अन्यथा कोई सहमति न कर लें।

संघटक के खाते की बंदी

(5) (क) संघटक के खाते को बंद करते समय व्यापारिक सदस्य बाजार की कीमतों की स्थिति के अनुरूप उचित एवं न्यायोचित मूल्यों पर ऐसे सौदों को प्रावधान के रूप में अपने खाते में ग्रहण कर सकता है अथवा अपने अधिकार में ले सकता है अथवा वह खुले बाजार में बंदी कर सकता है और इसके फलस्वरूप वह न किये गये व्ययों अथवा नुकसान को संघटक को उठाना होगा। ऐसी बंदी (क्लोजिंग आउट) के संबंध मे संविदा नोट में इस तथ्य का खुलासा किया जाएगा कि व्यापारिक सदस्य प्रधान के रूप में कार्य कर रहा है अथवा सदूरे संघटक के लिए कार्य कर रहा है।

(ख) उपरोक्त (क) में किसी बात के होते हुए भी सहभागियों के खाते की बंदी ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगी जैसाकि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

व्यापारिक सदस्य हस्तांतरण के पंजीकरण के समय उपस्थित रहने के लिए दायी नहीं

(6) व्यापारिक सदस्य संघटक के नाम पर प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और उसके पंजीकरण के समय उपस्थित रहने के किसी भी दायित्व से बाध्य नहीं समझा जाएगा। यदि वह सामान्य रुप से अथवा संघटक के अनुरोध अथवा इच्छा पर अथवा उसकी सहमति से ऐसे काम में उपस्थित होता है तो ऐसे मामले में वह संघटक का अभिकर्ता समझा जाएगा और मार्ग में हुई हानि अथवा हस्तांतरण के लिए निर्गमकर्ता के इंकार के लिए वह जिम्मेदार नहीं होगा और न ही उस पर इन उपविधियों, नियमों एवं विनियमों द्वारा विशिष्ट रूप से सौंपे गये दायित्वों और देयताओं के अलावा अन्य कोई देयता या दायित्व का भार आएगा। स्टाम्प शुल्क, अंतरण फीस तथा निर्गमकर्ता को अदा किये जाने वाला अन्य प्रभार प्रतिभूतियों के पंजीकरण के लिए उपस्थित रहने की फीस और सभी आकस्मिक व्यय जैसे व्यापारिक सदस्य द्वारा वहन किया गया डाक खर्च संघटक द्वारा वहन किया जाएगा।

व्यापारिक सदस्य अथवा नामिती के नाम पर होने पर प्रतिभूतियों का पंजीकरण

(7) (क) जब व्यापारिक सदस्य के संघटक को अंतरण बहियों की लेखाबंदी के पहले हस्तांतरण को पूरा करने और प्रतिभूतियों को पंजीकरण के लिए जमा करने हेतु तीस दिनों से कम समय उपलब्ध हो और जहां प्रतिभूति सह ब्याज, लाभांश, बोनस अथवा राइट्स जिसे निर्गमकर्ता ने घोषित कर दिया हो, आधार पर खरीदी गयी हो व्यापारिक सदस्य प्रतिभूतियों को अपने नाम पर अथवा अपने नामिती के नाम पर पंजीकृत कर सकता है और अंतरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, तथा अन्य प्रभारों की क्रेता संघटक से वसूली कर सकता है।

(ख) व्यापारिक सदस्य एक्सचेंज को तत्काल ऐसे संघटकों के नामों और सौदों के ब्यौरे की सूचना एक्सचेंज को देगा जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा। व्यापारिक सदस्य इसकी सूचना तत्काल खरीदार संघटक को भी देगा और ऐसी कार्रवाई से सुपुर्दगी में होने वाले किसी विलंब के परिणामों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करेगा।

(ग) व्यापारिक सदस्य की यह जिम्मेदारी होगी कि ज्योंही प्रतिभूति ब्याज को छोड़कर लाभांश को छोड़कर बोनस अथवा राइट्स को छोड़कर बन जाए उसे मूल संघटक के नाम पर पुनः अंतरित कर दिया जाए।

संविदा का निष्पादन करने में असमर्थ रहने पर संघटक द्वारा बंदी (क्लोजिंग आउट)

(8) यदि व्यापारिक सदस्य इन उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सुपुर्दगी अथवा अदायगी के जरिए संविदा के कार्य निष्पादन को पूरा करने में असफल रहता है तो संघटक व्यापारिक सदस्य को लिखित रूप में नोटिस देने के बाद जितनी जल्दी हो सके एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्य के जरिए ऐसी संविदा को बंद करेगा और ऐसी बंदी के

फलस्वरूप यदि कोई हानि या क्षति होती है तो बाकीदार व्यापारिक सदस्य को तत्काल उसकी अदायगी संघटक को करनी होगी। यदि इसमें किए गए प्रावधान अनुसार बदी कार्यान्वित नहीं हो पाती है तो पक्षों के बीच क्षतियों को ऐसे आधार पर निर्धारित किया जाएगा जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा और संघटक और व्यापारिक सदस्य का एक दूसरे के विरुद्ध आगे के सभी आश्रय के अधिकार समाप्त हो जाएंगे

संघटक की प्रतिभूतियों पर कोई ग्रहणाधिकार नहीं

(9) यदि किसी व्यापारिक सदस्य को उसके संघटक के निर्धारित प्रतिभूतियों को सुपुर्दगी करने के बाद बाकीदार घोषित किया जाता है तो संघटक दावा करने के लिए हकदार होगा और संबंधित प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुरूप प्रमाण प्रस्तुत करने पर और संबंधित प्राधिकारी के पूर्ण विवेक पर एक्सचेंज से संबंधित प्राधिकारी के निर्देश के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियां अथवा उनका मूल्य प्राप्त करने का पात्र होगा। किंतु इस पर उसके द्वारा बाकीदार को देय राशि की अदायगी अथवा कटौती किए जाने की शर्त लागू होगी ।

संघटक द्वारा शिकायत

(10) जब संघटक द्वारा संबंधित प्राधिकारी के पास इस आशय की शिकायत दर्ज की जाती है कि कोई व्यापारिक सदस्य उसके सौदों को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहा है तो संबंधित प्राधिकारी शिकायत की जांच करेगा और यदि वह इस बात से संतुष्ट होता है कि शिकायत न्यायोचित है तो वह ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है जैसा वह ठीक समझेगा ।

व्यापारिक सदस्य तथा संघटकों के बीच संबंध

(11) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इन उप विधियों के अध्यधीन व्यापारिक सदस्य और उसके संघटकों के बीच परस्पर आपसी अधिकार एवं दायित्व उस प्रकार होंगे जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

अध्याय XI : विवाचन

(क) व्यापारिक सदस्यों तथा संघटकों के बीच विवाचन

मामले विवाचन के लिए भेजना

(1) (क) एक्सचेंज की उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के अध्यधीन एक्सचेंज पर किए गए सौदों से उत्पन्न होने वाले अथवा उससे संबंधित अथवा उससे प्रासंगिक संदर्भ में अथवा उसके अनुसरण में अथवा उनके निर्माण, पूर्ति अथवा वैधता अथवा अधिकार, दायित्व तथा देयताओं के सम्बन्ध में व्यापारिक सदस्य तथा संघटक के बीच होने वाले मतभेदों और विवादों के विवाचन के पास भेजा जाएगा और एक्सचेंज की उप विधियों, नियमों एवं विनियमों में किए गए प्रावधान अनुसार विवाचन द्वारा उस पर निर्णय किया जाएगा।

(ख) उपरोक्त उप-खण्ड (क) में किए गए प्रावधान अनुसार विवाचन के अध्यधीन तथा विवाचन के लिए इस प्रावधान को उसमें शामिल करके संविदा की स्वीकृति अभिव्यक्त अथवा अन्तर्निहित, व्यापारिक सदस्य तथा संबंधित संघटक के बीच समझौता होगा और समझौता समझा जाएगा और उसमें प्रावधान रहेगा कि करार की तारीख के पहले अथवा बाद की तारीख को सभी सौदों, संव्यवहारों तथा संविदाओं के सम्बन्ध में उप-खण्ड (क) में वर्णित प्रकृति अनुसार सभी दावों, मतभेदों तथा विवादों को विवाचन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और एक्सचेंज की उप विधियों, नियमों तथा विनियमों में किए गए प्रावधान अनुसार विवाचन द्वारा उस पर निर्णय किया जाएगा और यह कि उसके सम्बन्ध में यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि इस प्रकार के सौदे, संव्यवहार अथवा संविदाएं निष्पादित की गई हैं अथवा नहीं, उन्हें भी एक्सचेंज की उप विधियों, नियमों तथा विनियमों में किए गए प्रावधान अनुसार विवाचन के पास प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर विवाचन द्वारा निर्णय किया जाएगा।

संविदाओं का लागू होना

(2) वे सभी सौदे, संव्यवहार तथा संविदाएं जो एक्सचेंज की इन उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के अध्यधीन हैं और प्रत्येक विवाचन समझौता जिस पर एक्सचेंज की उप विधियां, नियम एवं विनियम लागू होते हैं, सभी दृष्टियों से एक्सचेंज की उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के अध्यधीन समझे जाएंगे और एक्सचेंज की इन उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के प्रावधान को कार्यान्वित करने के लिए यह समझा जाएगा कि इस प्रकार के सौदों, संव्यवहारों, संविदाओं तथा करारों से जुड़े पक्षों ने मुम्बई स्थित न्यायालयों के न्यायक्षेत्र की अधीनता स्वीकार कर ली है ।

विवाचन के लिए आवेदन

(3) जब भी इन उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के अन्तर्गत व्यापारिक सदस्य और संघटक के बीच दावा, शिकायत, मतभेद अथवा विवाद उत्पन्न होगा उसे अनिवार्य रूप से विवाचन के पास भेजा जाना चाहिए और ऐसे दावे, शिकायत, मतभेद अथवा विवाद का पक्ष व्यापारिक सदस्य अथवा संघटक विवाद की जांच और मध्यस्थता के लिए संबंधित प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है ।

संबंधित प्राधिकारी द्वारा विवाचन शुल्क, फार्म तथा प्रक्रिया का निर्धारण

(4) इन उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के अधीन मामले को विवाचन के लिए भेजने के सम्बन्ध में अदा की जाने वाली फीस, उपयोग किए जाने वाला फार्म तथा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया उस प्रकार होगी जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

विवाचकों की नियुक्ति

(5) (क) इन उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के अधीन विवाचन के लिए भेजे जाने वाले सभी दावे, मतभेद एवं विवाद विवाचन के लिए ऐसे मध्यस्थ व्यक्ति के पास भेजे जाएंगे जो इस उद्देश्य के लिए गठित विवाचकों की सूची में से चुना जाएगा और जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य होगा।

(ख) संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के अन्दर विवाचक की नियुक्ति के लिए दोनों पक्षों में सहमति न बन पाने की स्थिति में संबंधित प्राधिकारी इस उद्देश्य के लिए विवाचक की नियुक्ति कर सकता है।

मामले को न्यायालय के सुपुर्द करना

(6) किसी भी मामले से संबंधित अथवा उससे उत्पन्न होने वाले किसी मसले को संबंधित प्राधिकारी से सर्वप्रथम अनुमति प्राप्त किए बिना विवाचक द्वारा किसी न्यायालय के सुपुर्द नहीं किया जाएगा।

विधि के जरिए समाधान

(7) विवाचक कार्यवाही के दौरान किसी समय अभिनिर्देशन अथवा अपील पर सुनवाई करने से इंकार कर सकता है अथवा किसी अभिनिर्देशन अथवा अपील को खारिज कर सकता है और संबंधित पक्षों को उपचार के लिए विधि का आश्रय लेने के लिए संदर्भित कर सकता है और ऐसा वह पक्षों के संयुक्त अनुरोध किए जाने पर कर सकेगा।

लिखित बयानों पर अथवा सुनवाई के जरिए निर्णय

(8) विवाचक किसी मामले पर पक्षों के लिखित बयानों पर निर्णय कर सकता है। तथापि, कोई पक्ष विवाचक से उसे सुनवाई का अवसर दिए जाने के लिए कह सकता है। ऐसी स्थिति में उसे सुनवाई का मौका दिया जाएगा और अन्य पक्ष अथवा पक्षों को भी इसी प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त होगा।

कार्यवाही

8(9) यदि निर्धारित अवधि के अन्दर लिखित बयान दाखिल करने में कोई पक्ष असफल रहता है तो विवाचक उस पर विचार किए बिना मामले पर कार्रवाई कर सकता है और यदि कोई पक्ष यथोचित रूप से नोटिस दिए जाने के बाद निर्धारित किये गये समय और स्थान पर उपस्थित रहने में असफल रहता है अथवा अवहेलना करता है अथवा इंकार करता है तो विवाचक ऐसे पक्ष अथवा पक्षों की अनुपस्थिति में भी मामले पर कार्रवाई जारी रख सकता है।

दोनों पक्षों की स्थिति

(10) यदि विवाचन मामले से संबंधित कोई पक्ष विवाचक द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित नहीं रहता है तो विवाचक इस मामले पर एक पक्षीय रूप से सुनवाई और निर्णय कर सकता है और यदि मामले से जुड़े दोनों पक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो विवाचक मामले को सरसरी तौर पर खारिज कर सकता है।

सुनवाइयों का स्थगन

(11) मामले से जुड़े किसी पक्ष के आवेदन पर अथवा उसके कहने पर अथवा अपनी इच्छा से विवाचक समय-समय पर सुनवाइयों को स्थगित कर सकता है बशर्ते जब मामले से संबद्ध किसी पक्ष के अनुरोध पर स्थगन प्रदान किया जाता है तो यदि विवाचक उचित समझेगा तो ऐसी स्थगित सुनवाई के सम्बन्ध में दूसरे पक्ष द्वारा वहन की गई फीस और खर्चों की अदायगी के लिए कह सकता है, और यदि ऐसा पक्ष ऐसा करने में असफल रहता है तो वह उसकी आगे की सुनवाई करने से इंकार कर सकता है अथवा खारिज कर सकता है अथवा मामले पर इस प्रकार कार्रवाई कर सकता है जैसा विवाचक उचित समझेगा।

विधि सलाहकार एवं साक्ष्य

(12) सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े पक्ष विवाचक की अनुमति से वकील अटार्नी अधिवक्ता अथवा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के जरिए पेश हो सकते हैं और जहां एक पक्ष को ऐसी अनुमति दी जाती है वहां इसी प्रकार की सुविधा अन्य पक्ष अथवा पक्षों को भी दी जाएगी। किन्तु किसी भी पक्ष को विवाचक की अनुमति के बिना ऐसा करने का अधिकार नहीं होगा न ही वह विवाचक पर यह जोर देने अथवा कहने के लिए पात्र होगा कि उनके अलावा जिन्हें विवाचक आवश्यक समझता है, उन गवाहों की सुनवाई अथवा जांच की जाए अथवा मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य लिए जाए।

विवाचक द्वारा अधिनिर्णय

(13) मामले की प्रविष्टि के बाद विवाचक एक माह के अन्दर अथवा ऐसी अवधि के अन्दर जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा, अधिनिर्णय करेगा।

वैकल्पिक विवाचक की नियुक्ति

(14) यदि किसी कारणवश नियुक्त विवाचक निर्धारित अवधि के अन्दर अधिनिर्णय करने में असफल रहता है तो संबंधित प्राधिकारी वैकल्पिक विवाचक की नियुक्ति करेगा।

वैकल्पिक विवाचक द्वारा अधिनिर्णय

(15) वैकल्पिक विवाचक मामले में प्रवेश करने के बाद एक माह के अन्दर अथवा संबंधित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर अथवा अधिनिर्णय देगा।

अधिनिर्णय का प्रकाशन

(16) अधिनिर्णय करने के बाद विवाचक ऐसे अधिनिर्णय पर हस्ताक्षर करेगा और इस अधिनिर्णय और उस पर हस्ताक्षर किए जाने के सम्बन्ध में संबंधित पक्षों को नोटिस दी जाएगी।

अधिनिर्णय संबंधित पक्षों तथा उनके प्रतिनिधियों पर बाध्यकारी होगा।

(17) विवाचन मामले से संबद्ध पक्षों को विवाचक के अधिनिर्णय के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा और तत्काल उसे कार्यान्वित करना होगा। यह अधिनिर्णय अन्तिम और पक्षों तथा उनके प्रतिनिधियों पर बाध्यकारी होगा चाहे भले ही अधिनिर्णय करने से पहले अथवा बाद में किसी पक्ष की मृत्यु हो गई हो अथवा विधिक अक्षमता आ गई हो और ऐसी मृत्यु अथवा विधिक अक्षमता मामले अथवा अधिनिर्णय के लिए निरसन के रूप में कार्य नहीं करेगी।

आगामी अधिनिर्णय

(18) जब भी इन उप विधियों, नियमों तथा विनियमों के अधीन किया गया अधिनिर्णय निर्देश देता है कि मामले से संबंधित एक पक्ष द्वारा कतिपय कार्य अथवा चीज की जाए और ऐसा पक्ष अधिनिर्णय का पालन करने में असफल रहता है तो दूसरा पक्ष ऐसी असफलता के लिए हानि अथवा क्षतिपूर्ति की राशि हेतु आगे और अधिनिर्णय के लिए विवाचन को नए सिरे से संदर्भित कर सकता है और उसके अन्तर्गत अधिनिर्णय को पृथक अथवा मूल अधिनिर्णय के साथ दायर किया जा सकता है।

अधिनिर्णय दाखिल करना

(19) विवाचक मामले से संबद्ध किसी पक्ष के अनुरोध पर अथवा ऐसे पक्ष के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अनुरोध पर अथवा न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश दिए जाने पर और इस मामले और अधिनिर्णय के सम्बन्ध में देय शुल्कों और प्रभारों तथा अधिनिर्णय दायर करने की लागतों और प्रभारों की अदायगी करने पर अधिनिर्णय अथवा उनकी हस्ताक्षरित प्रति विवाचकों अथवा पंच के समक्ष लिए गए और प्रमाणित किए गए अभिसाक्ष्यों तथा दस्तावेजों के साथ संबंधित न्यायालय में दायर कर सकता है।

अधिनिर्णय करने के लिए समय-सीमा में विस्तार

(20) संबंधित प्राधिकारी उचित समझने पर चाहे अधिनिर्णय करने का समय समाप्त हुआ हो या न हुआ हो और चाहे अधिनिर्णय किया गया है अथवा नहीं किया गया है, समय-समय पर अधिनिर्णय करने की समय-सीमा में विस्तार कर सकता है किन्तु इस प्रकार के विस्तार की अवधि अधिनिर्णय की नियत तारीख अथवा विस्तारित नियत तारीख से एक महीने से ज्यादा नहीं होगी।

दर्ज की गई कार्यवाहियों तथा प्रमाणों पर विचार

(21) यदि अधिनिर्णय करने के लिए इन उप विधियों, नियमों एवं विनियमों में विनिर्दिष्ट समय को अधिनिर्णय किए बिना विवाचक द्वारा समाप्त होने जाने दिया जाता है अथवा विवाचक की मृत्यु हो जाती है अथवा वह असफल रहता है अथवा अवहेलना करता है अथवा कार्य करने से मना करता है अथवा विवाचक के रूप में कार्य करने में अक्षम हो जाता है तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किए गए स्थानापन्न विवाचक और संबंधित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किए गए अन्य विवाचक अथवा वैकल्पिक विवाचक को यह स्वतन्त्रता होगी कि वह उस समय तक दर्ज की गई कार्यवाहियों पर और उस समय तक लिए गए

साक्ष्यों, यदि कोई हों, पर कार्य शुरु करें अथवा मामले पर नये सिरे से कार्यवाही शुरू करे।

मुजराई तथा प्रतिदावा

(22) एक पक्ष द्वारा विवाचन को संदर्भ किये जाने पर दूसरे पक्ष अथवा पक्षों को यह अधिकार रहेगा कि वह पहले पक्ष के विरूद्ध मुजराई अथवा प्रतिदावे के लिये दावा कर सकता है बशर्ते ऐसी मुजराई अथवा प्रतिदावा एक्सचेंज की उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के अध्यधीन किये गये सौदों, संव्यवहारों एव संविदाओं से उत्पन्न हुए हों अथवा उनसे संबंधित हों और उनमें किये गये प्रावधान अनुसार विवाचन के अध्यधीन हों और आगे बशर्ते यह भी कि ऐसी मुजराई अथवा प्रतिदावे को पूरे ब्यौरे के साथ मामले पर पहली सुनवाई के समय अथवा उससे पहले प्रस्तुत किया गया हो किन्तु उसके बाद नहीं जब तक कि विवाचक ने अनुमति न दे दी हो।

ब्याज का विनिर्णय करने के लिये अधिनिर्णय

(23) उस स्थिति में और जहां तक अधिनिर्णय धनराशि की अदायगी के लिये है विवाचक अधिनिर्णय में विवाचन कार्यवाहियों के गठन से पूर्व किसी अवधि के लिये विनिर्णीत मूलधन राशि पर अदा की जाने वाली ब्याज के बारे में विनिर्णय कर सकता है और साथ ही ऐसे मूलधन पर विवाचन कार्यवाहियों के गठन की तारीख से अधिनिर्णय की तारीख तक की अवधि के लिये अतिरिक्त ब्याज जैसा वह उचित समझेगा और इस प्रकार विनिर्णीत समग्र राशि पर अधिनिर्णय की तारीख से भुगतान की तारीख तक अथवा डिक्री की तारीख तक और अतिरिक्त ब्याज ऐसी दर पर जैसा वह उचित समझेगा, के लिये विनिर्णय कर सकता है।

वादव्यय

(24) लागतों, प्रभारों, शुल्कों तथा अन्य खर्चों सहित अभिदेशन के वादव्यय विवाचक के विवेकानुसार होंगे जो अधिनिर्णय में निर्णय कर सकता है और निर्देश दे सकता है कि किसी व्यक्ति को किस रीति से और किस अनुपात में ऐसी लागतों, प्रभारों, शुल्कों तथा अन्य खर्चों को अथवा उसके हिस्से को पक्षों को वहन करना और भुगतान करना है और वह इस प्रकार अदा की जाने वाली राशि अथवा उसके किसी हिस्से का निपटान कर सकता है और उसका भार डाल सकता है। अधिनिर्णय में किसी निर्देश के न होने पर लागतों, प्रभारों, शुल्कों तथा अन्य खर्चों को अभिदेशन से सम्बद्ध पक्षों को बराबर अनुपात में वहन करना होगा। अधिनिर्णय का पालन करने से इंकार करने वाले पक्ष को अधिनिर्णय को न्यायालय में दाखिल करने तथा उसके प्रवर्तन के सम्बन्ध में अटार्नी और मुवक्किल के बीच लागतों को अदा करना होगा जब तक कि न्यायालय कोई अन्यथा निदेश न दे।

नोटिस एवं पत्रव्यवहार

(25) व्यापारिक सदस्य अथवा संघटक को नोटिस और पत्रव्यवहार निम्नलिखित माध्यमों में से किसी एक अथवा अधिक अथवा सभी के जरिए तामील किये जाएंगे और नीचे दिये गये (क) से (च) के अधीन ऐसी नोटिस अथवा पत्रव्यवहार उसके कारोबार के सामान्य पते और/अथवा उसके सामान्य निवास स्थान और/अथवा उसके अंतिम ज्ञात पते पर तामील किये जाएंगे:

(क) इसकी दस्ती सुपुर्दगी द्वारा

(ख) पंजीकृत डाक से प्रेषण द्वारा

(ग) डाक प्रमाणपत्र के अन्तर्गत प्रेषण द्वारा

(घ) एक्सप्रेस सुपुर्दगी डाक से प्रेषण द्वारा

(ङ) तार द्वारा भेजकर

(च) उसके अंतिम ज्ञात कारोबार अथवा निवास के पते पर प्रवेश द्वार पर चिपकाकर

(छ) तृतीय व्यक्ति की उपस्थिति में संबधित पक्ष को मौखिक रूप से सम्प्रेषित करके

(ज) किसी प्रतिष्ठित दैनिक पत्र में कम से कम एक बार विज्ञापन देकर

(झ) यदि कोई पता ज्ञात न हो तो एक्सचेंज की व्यापारिक प्रणाली पर नोटिस लगाकर

(ञ) एक्सचेंज की व्यापारिक प्रणाली पर नोटिस लगाकर

दस्ती सुपुर्दगी द्वारा तामील

(26) दस्ती सुपुर्दगी द्वारा तामील की गयी नोटिस अथवा पत्राचार को संबंधित पक्ष द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा जब नोटिस अथवा पत्राचार की सुपुर्दगी करने वाले व्यक्ति द्वारा इस आशय का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा

डाक अथवा तार द्वारा तामील

(27) डाक अथवा तार द्वारा तामील की गयी नोटिस अथवा पत्राचार को उस समय पक्ष द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा जब उसकी डाक अथवा तार की सामान्य अवस्था में सुपुर्दगी कर दी गयी हो। डाकघर से प्राप्त पुष्टि पत्र अथवा पंजीकृत डाक अथवा तार के लिए डाकघर रसीद अथवा डाक प्रेषण प्रमाणपत्र की प्रस्तुति को सभी मामलों में ऐसी नोटिस अथवा पत्राचार के डाक प्रेषण अथवा प्रेषण का निर्णायक सबूत माना जाएगा और इसे नोटिस की सही और उचित तामील माना जाएगा।

सुपुर्दगी लेने से इंकार

(28) किसी भी स्थिति में नोटिस अथवा पत्राचार की सुपुर्दगी लेने से इंकार करने का उसके तामील की वैधता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विज्ञापन अथवा नोटिस बोर्ड पर नोटिस के जरिए तामील

(29) समाचार पत्र में प्रकाशित अथवा एक्सचेंज की व्यापारिक प्रणाली पर लगाई गयी नोटिस अथवा पत्राचार को उस दिन पक्षपर तामील किया गया समझा जाएगा जिस दिन वह प्रकाशित किया गया है अथवा लगाया गया है ।

मंत्रीपक्षीय कर्तव्य

(30) एक्सचेंज निम्नलिखित कार्य करेगा :

(क) संदर्भों का रजिस्टर बनाये रखना;

(ख) विवाचन, अभिदेशन के लिए सभी आवेदनों तथा विवाचन की कार्यवाही के पहले अथवा उसके दौरान पक्षों द्वारा संबोधित पत्रव्यवहार अथवा उससे संबंधित अन्य पत्राचार को प्राप्त करना;

(ग) सभी वाद व्ययों, प्रभारों, शुल्कों एवं अन्य व्ययों के भुगतान प्राप्त करना;

(घ) सुनवाइयों की नोटिसें और विवाचन की कार्यवाही के पहले अथवा उसके दौरान अथवा उसके संबंध में अन्यथा पक्षों को दी जाने वाली अन्य सभी नोटिसें देना;

(ङ) विवाचक के सभी आदेशों तथा निर्देशों को पक्षों को सम्प्रेषित करना;

(च) अभिदेशन से संबंधित सभी दस्तावेजों एवं कागजातों को प्राप्त करना और उनका रिकार्ड रखना और पक्षों को रखने के लिए अनुमत कागजातों को छोड़कर ऐसे सभी दस्तावेजों एवं कागजातों को अभिरक्षा में रखना;

(छ) विवाचक की ओर से अधिनिर्णय को प्रकाशित करना;

(ज) अधिनिर्णय को विवाचक की ओर से दायर कराने के लिए प्रेरित करना, और

(झ) सामान्य रूप से ऐसे सभी कार्य करना और ऐसे सभी कदम उठाना जो विवाचकों को उनके कार्य निष्पादन में सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक हों।

(ख) व्यापारिक सदस्यों के बीच विवाचन

विवाचन के लिए भेजना

(31) एक्सचेंज की उपविधियों, नियमों एवं विनियमों के अध्यधीन, किये गये किसी लेनदेन, सौदे, संव्यवहार अथवा संविदा के संबंध में अथवा उससे उत्पन्न होने वाले अथवा उसके किसी प्रासंगिक रूप से संदर्भित होने अथवा उसके अनुसरण में किये जाने वाले किसी कार्य से संबंधित व्यापारिक सदस्यों में सभी दावे, शिकायतें, मतभेद एवं विवाद और यह प्रश्न अथवा विवाद उठने पर कि ऐसे लेनदेन, सौदे, संव्यवहार अथवा संविदाएं निष्पादित की गयी हैं अथवा नहीं विवाचन के अध्यधीन होंगे और इन उप विधियों, नियमों एवं विनियमों में किये गये प्रावधान अनुसार विवाचन के लिए संदर्भित किये जाएंगे ।

विधिक कार्यवाही के लिए अनुमति

(32) इन उपविधियों, नियमों एवं विनियमों के अधीन विवाचन के लिए आवश्यक होने वाले किसी दावे, शिकायत, मतभेद अथवा विवाद के संबंध में कोई भी व्यापारिक सदस्य संबंधित प्राधिकारी की अनुमति के बिना दूसरे व्यापारिक सदस्य के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं करेगा । यदि कोई व्यापारिक सदस्य बिना अनुमति के ऐसी कार्यवाही शुरू करता है और कोई राशि अथवा राहत वसूल करता है तो वह उसे एक्सचेंज के लिए न्यास के तौर पर धारित रखेगा और उसकी अदायगी एक्सचेंज को करेगा ताकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्देश दी गयी रीति से उसके लिए कार्रवाई की जा सके ।

विवाचन के लिए आवेदन

(33) जब भी इन उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के अधीन व्यापारिक सदस्यों के बीच दावा, शिकायत, मतभेद अथवा विवाद उत्पन्न होता है तो उसे अनिवार्य रूप से विवाचन के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए और कोई व्यापारिक सदस्य जो ऐसे दावे, शिकायत, मतभेद अथवा विवाद का एक पक्ष हो संबंधित प्राधिकारी को विवाद की जांच करने और उसका विवाचन करने के लिए आवेदन कर सकता है ।

संबंधित प्राधिकारी द्वारा विवाचन शुल्क फार्म तथा प्रक्रिया का निर्धारण

(34) इन उप विधियों नियमों, एवं विनियमों के अधीन मामले को विवाचन के लिए भेजने के संबंध में अदा की जाने वाली फीस उपयोग किये जाने वाले फार्म तथा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया उस प्रकार होगी जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

विवाचकों की नियुक्ति

(35) (क) इन उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के अधीन विवाचन के लिए भेजे जाने वाले सभी दावे, मतभेद एवं विवाद विवाचन के लिए ऐसे मध्यस्थ व्यक्ति के पास भेजे जाएंगे जो इस उद्देश्य के लिए गठित विवाचकों की सूची में से चुना जाएगा और जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य होगा ।

(ख) संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के अंदर विवाचक की नियुक्ति के लिए दोनों पक्षों में सहमति न बन पाने की स्थिति में संबंधित प्राधिकारी इस उद्देश्य के लिए विवाचक की नियुक्ति कर सकता है ।

दोनों पक्षों की उपस्थिति

(36) यदि वह जिसके विरुद्ध अभिदेशन दायर किया गया है निर्धारित समय और स्थान पर उपस्थित नहीं होता है तो विवाचक इस मामले पर एक पक्षीय रूप से सुनवाई और निर्णय कर सकता है और यदि अभिदेशन दायर करने वाला पक्ष उपस्थित नहीं होता है तो विवाचक मामले को सरसरी तौर पर खारिज कर सकता है ।

विवाचक द्वारा अधिनिर्णय

(37) मामले की प्रविष्टि के बाद विवाचक एक माह के अंदर अथवा ऐसी अवधि के अंदर जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा अधिनिर्णय करेगा ।

वैकल्पिक विवाचक की नियुक्ति

(38) यदि किसी कारणवश नियुक्त विवाचक निर्धारित अवधि के अंदर अधिनिर्णय करने में असफल रहता है तो संबंधित प्राधिकारी वैकल्पिक विवाचक को नियुक्ति करेगा ।

वैकल्पिक विवाचक द्वारा अधिनिर्णय

(39) वैकल्पिक विवाचक मामले को प्रविष्ट किये जाने के बाद एक माह के अंदर अथवा संबंधित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर अपना अधिनिर्णय देगा ।

अधिनिर्णय का प्रकाशन

(40) अधिनिर्णय करने के बाद विवाचक ऐसे अधिनिर्णय पर हस्ताक्षर करेगा और इस अधिनिर्णय और उस पर हस्ताक्षर किये जाने के संबंध में संबंधित पक्षों को नोटिस दी जाएगी।

विवाचकों का अधिनिर्णय

(41) यदि विवाद में अंतर्निहित राशि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की गयी राशि से कम है तो अभिदेशन में विवाचक का अधिनिर्णय अंतिम होगा और अभिदेश से जुड़े पक्षों पर बाध्यकारी माना जाएगा।

संबंधित प्राधिकारी से अपील

(42) यदि विवाद में अंतर्निहित राशि धारा 41 में उल्लिखित राशि से अधिक है तो विवाचक के अधिनिर्णय से असंतुष्ट पक्ष ऐसे अधिनिर्णय के विरुद्ध उसे प्राप्त ऐसे अधिनिर्णय की तारीख से सात दिनों के अंदर संबंधित प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है।

लिखित आपत्तियां एवं प्रमाणपत्र

(43) (क) संबंधित प्राधिकारी के पास अपील करने वाले पक्ष को विवाचक के अधिनिर्णय के प्रति अपनी आपत्तियां को लिखित रूप में दर्ज कराना होगा और जब तक कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप में छूट न प्रदान की गयी हो उसे अदा करने के लिए दिये आदेश के अनुसार पूरी राशि नकद रूप में अथवा प्रतिभूतियों अथवा अधिनिर्णय में आदेशित सुपुर्द की जाने वाली प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार कीमत के बराबर मूल्य एक्सचेंज के पास जमा करना होगा। जमा करने वाले पक्ष के बारे में यह माना जाएगा कि उसने इस बात के लिए सहमति दी है कि इस प्रकार की जमा राशि को अपील के निर्णय की शर्तों के अनुसार एक्सचेंज द्वारा दूसरे पक्ष को सौंप दिया जाएगा।

(ख) अपील के साथ एक्सचेंज से प्राप्त ऐसा प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा जिसमें दर्शाया गया हो कि उप खंड (क) के अनुसार अपेक्षित जमा राशि को जमा कर दिया गया है और संबंधित प्राधिकारी ऐसी अपील पर विचार नहीं करेगा जिसके साथ ऐसा प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया गया है।

संबंधित प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा

(44) जब जमा प्रमाणपत्र अपील के साथ संलग्न किया गया है तो संबंधित प्राधिकारी अपील पर सुनवाई प्रारंभ करेगा और उसका अधिनिर्णय अंतिम और अपील के पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

अधिनिर्णय पर हस्ताक्षर

(45) विवाचक अथवा संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया गया अधिनिर्णय लिखित रूप में होगा और उस पर विवाचकों द्वारा अथवा संबंधित अधिकारी की ओर से एक्सचेंज के मुख्य कार्यपालक द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे और किसी अन्य सदस्य द्वारा उस पर हस्ताक्षर नहीं किये जाएंगे और एक्सचेंज के अधिकारी द्वारा उस पर प्रतिहस्ताक्षर किया जाए।

स्थगित बैठकें

(46) विवाचक अथवा संबंधित प्राधिकारी के अधिनिर्णय पर इस बात से कोई आपत्ति नहीं होगी कि वह बैठक जिसमें अभिदेशन अथवा अपील की जांच नहीं की गयी थी अथवा समय-समय पर सुनवाई किए गए अभिदेशन अथवा अपील को स्थगित किया गया था अथवा यह कि जांच पूरी नहीं की गयी थी अथवा यह कि अभिदेशन अथवा अपील पर एक बैठक में अंतिम रूप से सुनवाई नहीं की गयी थी।

संयोजन में परिवर्तन

(47) संबंधित प्राधिकारी के अधिनिर्णय पर इस बात से कोई आपत्ति उत्पन्न नहीं होगी कि जांच अथवा अभिदेशन अथवा अपील के दौरान संबंधित प्राधिकारी के संयोजन में परिवर्तन किया गया तथापि बशर्ते यह कि संबंधित प्राधिकारी का ऐसा कोई सदस्य जो ऐसी प्रत्येक बैठक में उपस्थित न रहा हो जिसमें अभिदेशन अथवा अपील की की जांच की गई हो अथवा अभिदेशन अथवा अपील पर सुनवाई की गई हो अन्तिम निर्णय दिये जाने में हिस्सा नहीं लेगा।

सरसरी तौर पर बर्खास्तगी

(48) यदि अभिदेशन का कोई पक्ष जिसने अधिनिर्णय के विरुद्ध संबंधित प्राधिकारी के पास अपील की है, अपील पर सुनवाई के लिए निश्चित किये गये समय पर उपस्थित नहीं होता है तो संबंधित प्राधिकारी जैसा भी स्थिति हो, अपील को सरसरी तौर पर खारिज कर सकता है।

एक पक्षीय अपील

(49) यदि अभिदेशन का कोई पक्ष जिसके पक्ष में अधिनिर्णय किया गया है, ऐसे अधिनिर्णय के विरुद्ध की गई अपील पर सुनवाई के लिये संबंधित प्राधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय पर उपस्थित नहीं होता है तो संबंधित प्राधिकारी अपील पर एक पक्षीय रूप से सुनवाई प्रारम्भ कर सकता है।

एक पक्षीय अधिनिर्णय पर पुनः सुनवाई

(50) पर्याप्त कारण पेश किये जाने पर संबंधित प्राधिकारी किसी एक पक्षीय अधिनिर्णय को रद्द कर सकता है और ऐसे किसी मामले में संबंधित प्राधिकारी निर्देश दे सकता है कि अभिदेशन अथवा अपील की पुनः जांच की जाये अथवा उस पर पुनः सुनवाई की जाए।

अधिनिर्णय को भेजना

(51) संबंधित प्राधिकारी अपने विवेक पर अधिनिर्णय से पन्द्रह दिनों के अन्दर अधिनिर्णय अथवा विवाचन के लिए विवाचक को संदर्भित किसी मामले

को ऐसी शर्तों पर जैसा वह ठीक समझता है, पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। ऐसा किये जाने पर विवाचक इस मामले पर पुनर्विचार करेगा और पूर्व निर्णय की पुष्टि करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा।

अनुमति दिये जाने पर अधिनिर्णय का पालन न करने पर नवीन अधिदेशन

(52) जब भी अधिनिर्णय निदेश देता है कि अधिदेशन से सम्बद्ध पक्षों द्वारा कतिपय कार्य किये जायें और कोई पक्ष ऐसे निदेश का पालन करने में असफल रहता है तो अन्य पक्ष लम्बित विवाद अथवा क्षति की राशि के निर्धारण अथवा ऐसी असफलता के लिये अदा की जाने वाली भरपाई के लिये इसके अतिरिक्त अधिनिर्णय के लिये नवीन अधिदेशन कर सकता है।

विलंब से किये जाने वाले दावे खारिज

(53) विवाचक ऐसे किसी दावे, शिकायत, मतभेद अथवा विवाद का संज्ञान नहीं लेगा जो उत्पन्न होने के तीन माह के अन्दर उसे संदर्भित नहीं किये जायेंगे।

समय में विस्तार

(54) संबंधित प्राधिकारी उस अवधि में विस्तार कर सकता है जिसमें विवाचन को अधिदेशन अथवा विवाचक के किसी अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है चाहे ऐसा करने के लिये समय सीमा समाप्त हो गई हो या न हो गई हो।

अधिनिर्णय करने के लिये समय सीमा में विस्तार

(55) यदि संबंधित प्राधिकारी उचित समझता है तो चाहे अधिनिर्णय करने का समय समाप्त हुआ हो या न हुआ हो और चाहे अधिनिर्णय किया गया हो अथवा न किया गया हो, अधिनिर्णय करने के लिये समय-समय पर समय सीमा में विस्तार कर सकता है।

विधि से उपचार

(56) विवाचक अथवा संबंधित प्राधिकारी कार्यवाहियों के दौरान किसी भी समय किसी अधिदेशन अथवा अपील पर सुनवाई करने से इंकार कर सकता है अथवा किसी अधिदेशन अथवा अपील को खारिज कर सकता है और संबंधित पक्षों को विधि से समाधान प्राप्त करने के लिये कह सकता है और ऐसा संदर्भ वह पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर कर सकता है।

विवाचन में अधिनिर्णय का पालन करने में असमर्थ रहने पर दण्ड

(57) ऐसा व्यापारिक सदस्य जो इन उप विधियों नियमों एवं विनियमों में किये गये प्रावधान अनुसार व्यापारिक सदस्यों के बीच विवाचन में किसी अधिनिर्णय को स्वीकार करने अथवा उसकी अधीन स्वीकार करने अथवा उसका पालन करने में असमर्थ रहता है अथवा इंकार करता है तो उसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा निष्कासित कर दिया जायेगा और ऐसा किये जाने पर दूसरे पक्ष को यह अधिकारी रहेगा कि वह अधिनिर्णय को प्रवृत्त कराने के लिये अथवा अपने अधिकारों को अन्यथा दावे के साथ स्थापित करने के लिये कोई वाद अथवा कानूनी कार्यवाही दायर कर सकता है।

विवाचन शुल्क

(58) विवाचन के लिए अधिदेशन करने अथवा अपील में कार्यवाही शुरू कराने के इच्छुक पक्षों को अग्रिम रूप से ऐसे शुल्क की अदायगी करनी होगी जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

शुल्क की अदायगी

(59) जब तक कि अधिनिर्णय में अन्यथा निर्देश न दिया गया हो उस पक्ष को जिसके विरुद्ध अंतिम रूप से अधिनिर्णय किया गया है, विवाचन कार्यवाही के सम्बंध में अधिदेशन के दूसरे पक्ष द्वारा अदा किये गये सभी शुल्कों की अदायगी करनी होगी।

विधिक सलाहकार

(60) किसी सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े पक्षों को विवाचक अथवा संबंधित प्राधिकारी की अनुमति से वकील, अटार्नी अधिवक्ता अथवा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के जरिये पेश होने की अनुमति दी जा सकती है। जहां एक पक्ष को ऐसी अनुमति दी जाती है वहां इसी प्रकार की सुविधा दूसरे पक्ष अथवा पक्षों को भी दी जायेगी।

संघटक द्वारा शिकायत

(61) (क) इन उप विधियों, नियमों एवं विनियमों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी विशिष्ट मामलों में जब संबंधित प्राधिकारी की अनुमति पूर्व में प्राप्त कर ली गई है, व्यापारिक सदस्य के विरुद्ध संघटक की शिकायत अथवा संघटक और व्यापारिक सदस्य के बीच किसी दावे, मतभेद अथवा विवाद को व्यापारिक सदस्यों के बीच विवाचन के सम्बन्ध में उप विधियों एवं विनियमों के अनुरूप संघटक के अनुरोध पर विवाचन के लिये संदर्भित किया जाएगा और ऐसा किये जाने पर संबंधित व्यापारिक सदस्य को इस प्रकार के विवाचन की अधीनता स्वीकार करनी होगी।

(ख) संबंधित प्राधिकारी अपने एकल विवेक अनुसार उप खण्ड (क) में किए गए प्रावधान अनुसार आवेदन किए जाने पर अनुमति दे सकता है अथवा मना कर सकता है और इस उद्देश्य के लिए किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि पहले संघटक संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए गए अधिदेशन के ऐसे कार्य पर हस्ताक्षर नहीं करता और उसे प्रस्तुत नहीं करता।

अध्याय XII : चूक (बाकीदारी)

बाकीदारी की घोषणा

(1) किसी व्यापारिक सदस्य को व्यापार खण्ड के संबंधित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में निर्देश/परिपत्र/अधिसूचना द्वारा बाकीदार घोषित किया जाएगा ।

(क) यदि वह अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहा है अथवा

(ख) यदि वह अपने कर्तव्यों, दायित्वों एवं देयताओं को पूरा करने अथवा निभाने में अपनी असमर्थता स्वीकार करता हो अथवा प्रकट करता हो; अथवा

(ग) यदि वह इन उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के अधीन उसके विरुद्ध कार्यान्वित की गई बन्दी (क्लोजिंग आउट) पर देय होने वाली अन्तर राशि अथवा क्षति की निर्धारित समय में अदायगी करने में असफल अथवा असमर्थ रहता है; अथवा

(घ) यदि वह एक्सचेंज को देय किसी राशि की अदायगी करने अथवा एक्सचेंज को सुपुर्दगी को नियत तारीख को सुपुर्दगी करने और आदेश, अन्तर के विवरण पत्र तथा प्रतिभूतियां, तुलन पत्र तथा ऐसे अन्य समायोधन फार्म तथा अन्य विवरण पत्र जैसा कि सुबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जायेगा, प्राप्त करने में असफल रहता है, अथवा

(ङ) यदि वह ऐसे व्यापारिक सदस्य को, जिसे बाकीदार घोषित किया गया है, ऐसे व्यापारिक सदस्य की बाकीदारी की घोषणा की ऐसी समय सीमा के अन्दर जैसा संबंधित प्राधिकारी निर्देश देगा, देय सभी अदायगियों, प्रतिभूतियों, तथा अन्य आस्तियों की बाकीदार समिति को अदायगी अथवा सुपुर्दगी करने में असफल रहता है; अथवा

(च) यदि वह इन उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के अधीन निर्धारित की गई विवाचन कार्यवाहियों का पालन करने में असफल रहता है;

दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता

(2) यदि व्यापारिक सदस्य एक्सचेंज पर किये गये किसी सौदे से उत्पन्न किसी व्यापारिक सदस्य अथवा संघटक के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो संबंधित प्राधिकारी उसे बाकीदार घोषित करने के लिए आदेश दे सकता है ।

बाकीदार का दिवालिया होना

(3) ऐसा व्यापारिक सदस्य जिसे दिवालिया सिद्ध किया गया है स्वतः ही बाकीदार घोषित हो जायेगा भले ही वह उस समय एक्सचेंज पर बाकीदार न हो ?

सूचित करने का व्यापारिक सदस्य का कर्तव्य

(4) यदि कोई भी व्यापारिक सदस्य अपने दायित्वों को पूर्ण रूप से निभाने में असफल रहता है तो व्यापारिक सदस्य के लिये यह बाध्यता होगी कि वह तत्काल एक्सचेंज को अभिसूचित करे ।

समझौता करने पर प्रतिबन्ध

(5) यदि कोई व्यापारिक सदस्य प्रतिभूतियों में किसी सौदे में उत्पन्न होने वाले किसी उधार के निपटान में किसी व्यापारिक सदस्य से पूर्ण और वास्तविक धनराशि के भुगतान से कोई कम राशि स्वीकार करने का दोषी पाया जाता है तो उसे ऐसी अवधि के लिये निलम्बित किया जायेगा जैसा संबंधित प्राधिकारी निर्धारित करेगा ।

बाकीदारी की घोषणा की सूचना

(6) व्यापारिक सदस्य को बाकीदार घोषित किये जाने पर इस आशय की एक नोटिस तत्काल संबंधित व्यापार खण्ड की व्यापार पट्टिका पर लगायी जायेगी ।

बाकीदार की बही तथा दस्तावेज

(7) जब व्यापारिक सदस्य को बाकीदार घोषित किया गया हो, बाकीदार समिति उसकी गतिविधियों की स्थिति का आकलन करने के लिये उसकी सभी लेखा बहियों, दस्तावेजों, कागजातों तथा बाउचरों को अपने कब्जे में ले लेगा, और बाकीदार ऐसी लेखा बहियों, दस्तावेजों, कागजातों तथा बाउचरों को बाकीदार समिति को सौंप देगा ।

देनदारों और लेनदारों की सूची

(8) बाकीदार उसकी बाकीदार की घोषणा पर संबंधित प्राधिकारी के निर्देश अनुसार ऐसी समय-सीमा के अन्दर बाकीदार समिति के पास ऐसा लिखित कथन दाखिल करेगा जिसमें उसके देनदारों एवं लेनदारों तथा प्रत्येक को दी जाने वाली और प्राप्त की जाने वाली राशि की पूरी राशि सूची अन्तर्विष्ट होगी ।

बाकीदार द्वारा जानकारी देना

(9) बाकीदार, बाकीदार समिति को अपने कारोबार के ऐसे लेखा विवरण, जानकारी और ब्यौरे देगा जैसा बाकादार समिति को समय-समय पर आवश्यकता होगी और यदि आवश्यक हो तो उसे उसकी बाकीदारी के सम्बन्ध में आयोजित समिति की बैठकों में उपस्थित होना होगा ।

जांच

(10) बाकीदार समिति बाजार में बाकीदार के खातों और सौदों की कड़ी जांच करेगी और उसके सम्बध में व्यापारिक सदस्य द्वारा किये गये किसी असंगत, अनुचित अथवा अनुपयुक्त कृत्य जो उसकी जानकारी में आयेंगे, को संबंधित प्राधिकारी को सूचित करेगा,

बाकीदार की आस्तियां

(11) बाकीदार समिति बाकीदार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति और मार्जिन राशि और जमा की गई प्रतिभूतियों को वापस मांग सकता है और उगाह सकता है और एक्सचेंज की उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के अध्यधीन किये गये किसी संव्यवहार अथवा सौदे के सम्बन्ध में किसी व्यापारिक सदस्य द्वारा बाकीदार को देय अदा की जाने वाली अथवा सुपुर्द की जाने वाली सभी धनराशियों, प्रतिभूतियों तथा अन्य आस्तियों की वसूली कर सकता है और ऐसी आस्तियां लेनदारों के लाभार्थ और के कारण बाकीदार समिति को प्रदत्त हो जायेगी।

बाकीदार समिति को भुगतान

12 (क) बाकीदार को देय, अदा की जाने वाली अथवा सुपुर्द की जाने वाली सभी धनराशियां, प्रतिभूतियां और अन्य आस्तियां बाकीदार की घोषणा के ऐसी समय सीमा के अन्दर जैसा कि संबंधित प्राधिकारी निर्देश देगा, अनिवार्य रूप से बाकीदार समिति को अदा अथवा सुपुर्द की जानी चाहिये, इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यापारिक सदस्य को बाकीदार घोषित किया जायेगा।

(ख) ऐसा व्यापारिक सदस्य जिसने ऐसे खाता अथवा संव्यवहार के निपटान के लिए तारीख निश्चित करने से पहले किसी संव्यवहार में कोई अंतर की राशि अथवा प्रतिफल प्राप्त किया हो, ऐसी स्थिति में जब उस व्यापारिक सदस्य को जिससे उसने ऐसे अंतर की राशि अथवा प्रतिफल प्राप्त किया है, बाकीदार घोषित किया जाता है तो उसे ऐसी राशि को लेनदार सदस्यों के लाभार्थ और के कारण बाकीदार समिति को लौटाना होगा। कोई व्यापारिक सदस्य जिसने ऐसे निपटान के दिन के पहले किसी अन्य सदस्य को ऐसी किसी अंतर की राशि अथवा प्रतिफल अदा की होगी अथवा दी होगी उसे पुन: ऐसी राशि को ऐसे अन्य सदस्य द्वारा चूक किये जाने की स्थिति में लेनदारों के लाभार्थ और के कारण बाकीदार समिति को अदा करना होगा अथवा देना होगा।

(ग) ऐसा व्यापारिक सदस्य जो किसी दावा नोट अथवा ऋण नोट के शोधन के दौरान अन्य व्यापारिक सदस्य से ऐसी राशि प्राप्त करता है जो राशि उसे अथवा उसके संघटक को देय अंतर की राशि से इतर कोई राशि हो और जो उसने उस संघटक की ओर से और उसके लिए प्राप्त की हो तो ऐसे अन्य व्यापारिक सदस्य को यदि निपटान के दिन के बाद संबंधित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट दिनों के अंदर बाकीदार घोषित किया जाता है तो ऐसी राशि लौटानी होगी। ऐसी लौटायी गयी राशि लेनदार सदस्यों के लाभार्थ और के कारण बाकीदार समिति को प्रदान की जाएगी और इसका उपयोग ऐसे लेनदार सदस्यों के दावों की पूर्ति के लिए किया जाएगा जिनके दावे इन उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार स्वीकार किये गये हैं।

वितरण

(13) बाकीदार समिति लेनदार सदस्यों के जोखिम और खर्च पर वसूली की कार्यवाही के दौरान प्राप्त सभी आस्तियों को ऐसे बैंक में अदा करेगा और/अथवा उन्हें ऐसे नामों पर एक्सचेंज के पास रखेगा जैसा संबंधित प्राधिकारी समय-समय पर निर्देश देगा और जितनी जल्दी हो सकेगा उसे समानुपातिक आधार पर किन्तु बिना ब्याज के उन लेनदार सदस्यों में वितरित किया जाएगा जिनके दावे इन उप विधियों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार स्वीकार किये गये हैं।

बंदी (क्लोजिंग आउट)

(14) (क) बाकीदार के साथ खुले संव्यवहार रखनेवाले व्यापारिक सदस्य को बाकीदारी की घोषणा के बाद एक्सचेंज पर ऐसे संव्यवहारों की बंदी करनी होगी। ऐसी बंदी ऐसी रीति में की जाएगी जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा। इस संबंध में संबंधित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये विनियमों के अध्यधीन जब संबंधित प्राधिकारी की राय में स्थितियों की मांग होगी पर, ऐसी बंदी ऐसी रीति से कार्यान्वित की गयी समझी जाएगी जैसाकि संबंधित प्राधिकारी अथवा एक्सचेंज के अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(ख) बंदी के उपरोक्त समायोजनों से उत्पन्न होने वाली अंतर की राशि के लिए बाकीदार से दावा किया जाएगा अथवा बाकीदार के लेनदार व्यापारिक सदस्यों के लाभार्थ बाकीदार समिति को अदा किया जाएगा।

बाकीदार के विरुद्ध दावे

(15) बाकीदार की घोषणा के बाद ऐसी समय सीमा के अंदर जैसाकि संबंधित प्राधिकारी निर्देश देगा, एक्सचेंज पर व्यवसाय करने वाले प्रत्येक व्यापारिक सदस्य को, जैसाकि उसे करना आवश्यक होगा, या तो बाकीदार समिति के साथ बाकीदार के साथ अपने खातों को विधिवत समायोजित करना होगा और इन उपविधियों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार बनाना होगा अथवा ऐसे फार्म अथवा फार्मों में, जैसा संबंधित प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करेगा, बाकीदार के साथ ऐसे खातों का विवरण प्रस्तुत करना होगा अथवा इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके पास ऐसा कोई खाता नहीं है।

खातों की तुलना अथवा प्रस्तुति से विलम्ब

(16) ऐसे व्यापारिक सदस्य को जो विनिर्दिष्ट समय के अन्दर बाकीदार के संबंध में अपने खातों की तुलना करते अथवा विवरण अथवा प्रमाणपत्र भेजने में असमर्थ रहेगा उसे ऐसी और अवधि के अन्दर जैसा निर्दिष्ट किया जाएगा, अपने आंकड़ों की तुलना करने अथवा ऐसा विवरण अथवा प्रमाणपत्र भेजने के लिए कहा जाएगा ।

खातों की तुलना करने अथवा प्रस्तुत करने में असफल रहने पर दंड

(17) संबंधित प्राधिकारी ऐसे व्यापारिक सदस्य को, जो विनिर्दिष्ट समय के अन्दर बाकीदार के साथ अपने खातों की तुलना करने अथवा विवरण प्रस्तुत करने में अथवा इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में कि उसके पास ऐसा कोई खाता नहीं है, असफल रहता है, को जुर्माना लगा सकता है, निलम्बित अथवा निष्कासित कर सकता है ।

भ्रामक विवरण

(18) संबंधित प्राधिकारी यदि इस बात से संन्तुष्ट होता है कि ऐसे व्यापारिक सदस्य द्वारा बाकीदार के संबंध में भेजा गया कोई तुलनात्मक विवरण अथवा प्रमाण-पत्र असत्य अथवा भ्रामक था तो वह सदस्य पर । जुर्माना लगा सकता है, निलम्बित अथवा निष्कासित कर सकता है ।

बाकीदार समिति के लेखे

(19) बाकीदार समिति बाकीदार को देय उन सभी धन-राशियों, प्रतिभूतियों एवं अन्य आस्तियों के संबंध में जो उसे प्राप्त होंगी – एक अलग खाता बनाये रखेगा और उसमें से ऐसी आस्तियों के संग्रहण में अथवा के बारे में अथवा चूक के सम्बन्ध में की गयी किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में वहन किए गये परिव्ययों, प्रभारों तथा खर्चों को चुकौती करेगा ।

रिपोर्ट

(20) बाकीदार समिति बाकीदार के कारोबार के संबंध में प्रत्येक छः महीने में एक रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी और उगाही गयी आस्तियों, पूरी की गयी देयताओं तथा दिये गये लाभांशों को दिखाएगी ।

खातों की जांच

(21) इन उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार बाकीदार समिति द्वारा रखे गये खाते किसी लेनदार व्यापारिक सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

प्रभारों की दर

(22) जुटायी गयी आस्तियों पर एक्सचेंज को अदा किये जाने वाले प्रभार वह राशि होगी जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

आस्तियों का उपयोग

(23) बाकीदार समिति इन उपविधियों, नियमों तथा विनियमों के अधीन अनुमत लागतों, प्रभारों तथा खर्चों को चुकाने के बाद हाथ में बची निवल आस्तियों का उपयोग एक्सचेंज की उपविधियों, नियमों एवं विनियमों में किये गये प्रावधान के अनुसार पहले एक्सचेंज के दावे को पूरा करने और फिर समानुपातिक आधार पर व्यापारिक सदस्यों के ऐसे स्वीकृत दावों को जो संघटकों की ओर से एक्सचेंज पर किए गये सौदों से बाकीदार के विरुद्ध उत्पन्न हुए हों को पूरा करने और उसके बाद उनके अपने खाते पर किए गये सौदों से उत्पन्न दावों को पूरा करने के लिए करेगी।

कतिपय दावे जिनपर विचार नहीं किया जाएगा

(24) बाकीदार समिति बाकीदार के खिलाफ ऐसे किसी दावे पर विचार नहीं करेगी :

(क) जो प्रतिभूतियों की ऐसी संविदा से उत्पन्न होंगे जिनमें सौदों को अनुमति नहीं दी गयी है अथवा जो एक्सचेंज की उपविधियों, नियमों एवं विनियमों के अधीन नहीं किये गये होंगे अथवा जिसमें या तो दावेदार ने खुद भुगतान नहीं किया है अथवा किसी प्रतिभूति में सौदों पर अदा की जाने वाली मार्जिन के अपवंचन में बाकीदार के साथ साठगांठ की हो;

(ख) जो ऐसी संविदा उत्पन्न होंगे जिनके संबंध में खातों की तुलना इन उपविधियों, नियमों एवं विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति अनुसार नहीं की गयी है अथवा जहां इन उपविधियों, नियमों एवं विनियमों में किये गये प्रावधान अनुसार ऐसी संविदा के सम्बन्ध में संविदा नोट प्रस्तुत किया गया हो और कोई तुलना न की गयी हो;

(ग) जो उस दिन जब ऐसे दावे देय हों वास्तविक रूप से पूर्ण रूप में राशि के भुगतान के बदले में दावों के निपटान के लिए किसी अन्य व्यवस्था से उत्पन्न होंगे ;

(घ) जो प्रतिभूति सहित अथवा प्रतिभूति रहित ऋणों के सम्बन्ध में है ।

(ङ) जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार बाकीदारी की घोषणा की तारीख से निर्धारित समय के अन्दर बाकीदार समिति के पास दाखिल नहीं किये गये हैं ।

बाकीदार प्रतिनिधि व्यापारिक सदस्य के विरुद्ध दावे

(25) बाकीदार समिति बाकीदार के खिलाफ व्यापारिक सदस्य के ऐसे दावे पर विचार करेगी जो ऐसे बाकी-दार द्वारा परिचय कराये गये संघटकों की असफलता

के कारण वहन की गयी हानि के संबंध में होंगे ताकि उन सौदों से उत्पन्न होने वाले उनके दायित्वों को पूरा किया जा सके जो एक्सचेंज पर अनुमत है और एक्सचेंज की उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के अध्यधीन किये गये हों बशर्ते बाकीदार ऐसे लेनदार सदस्य के साथ कार्यरत विधिवत पंजीकृत प्रतिनिधि व्यापारिक सदस्य रहा हो ।

बाकीदार समिति के दावे

(26) ऐसे बाकीदार जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व बाकीदार समिति द्वारा किया गया है कि दूसरे बाकीदार के खिलाफ किये गये दावे को अन्य लेनदार सदस्यों के दावों की तुलना में कोई प्राथमिकता प्राप्त नहीं होगी किन्तु उसे दूसरे दावों के बराबर का दर्जा प्राप्त होगा ।

बाकीदार की संपत्ति पर दावे का समनुदेशन

(27) कोई व्यापारिक सदस्य बाकीदार के लेनदार के रूप में सम्बन्धित प्राधिकारी की सहमति के बिना ऐसे बाकीदार की संपदा पर अपने दावे की बिक्री समनुदेशन नहीं करेगा अथवा गिरवी नहीं रखेगा ।

बाकीदार के नाम में कार्यवाही

(28) बाकीदार समिति व्यापारिक सदस्यों जो बाकीदार के लेनदार हैं की सहमति से न्यायालय में या तो अपने नाम से अथवा बाकीदार के नाम से जैसाकि बाकीदार की किसी आस्ति की वसूली के लिए उसे सूचित किया जाएगा, कोई भी कार्यवाही करने के लिए हकदार होगी ।

बाकीदार समिति का भुगतान

(29) यदि कोई व्यापारिक सदस्य बाकीदार के विरुद्ध न्यायालय में एक्सचेंज की उप विधियों, नियमों एवं विनियमों के अध्यधीन बाजार में किये गये किसी संव्यवहार अथवा सौदे से उत्पन्न होने वाले बाकीदारी की अवधि के दौरान अथवा बाकीदार की संपदा के खिलाफ किसी दावे को प्रवर्तन कराने के लिए उसके पुनर्प्रवेश के दौरान किन्तु उसके बाकीदार घोषित किये जाने पर कोई कार्यवाही दायर करता है और डिक्री प्राप्त करता है और उसके आधार पर कोई धनराशि वसूल करता है तो वह ऐसी राशि अथवा उसके हिस्से को जैसाकि सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया जाएगा को ऐसे बाकीदार के विरुद्ध दावा करने वाले लेनदार सदस्यों के लाभार्थ और उनके निमित्त बाकीदार समिति को अदा करेगा ।

अध्याय XIII : सुरक्षा निधि

(1) एक्सचेंज के ऐसे व्यापार खंड के सम्बन्ध में जैसाकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा, एक निवेशक सुरक्षा निधि बनायी जाएगी जिसमें प्रत्येक व्यापारिक सदस्य इस कर्तव्य के लिए आवश्यक राशि का अंशदान करेगा ताकि क्षतिपूर्ति के लिए ऐसे दावों की भरपाई की जा सके जो व्यापारिक सदस्य अथवा संघटक सहित ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे जिसे एक्सचेंज द्वारा अध्याय XII के अंतर्गत किसी व्यापारिक सदस्य को बाकीदार घोषित किये जाने पर हानि उठानी पड़ी हो ।

(2) इस कर्तव्य के अध्यधीन वह राशि जो कोई दावेदार क्षतिपूर्ति के रूप में दावा करने के लिए हकदार होगा, उसकी हुई वास्तविक हानि की राशि होगी (इसमें उसके दावे को दायर करने और प्रमाण के प्रासंगिक होने वाली उचित लागतें और संवितरण भी शामिल है) और इसमें से हानि को कम करने के लिए किसी भी स्रोत से उसे प्राप्त अथवा प्राप्त की जाने वाली सभी धनराशियां अथवा उनके मूल्य अथवा अन्य लाभ घटा दिये जाएंगे ।

(3) इस कर्तव्य के अधीन प्रत्येक सदस्य को जिसे किसी व्यापारिक सदस्य के बाकीदार घोषित किये जाने के कारण हानि उठानी पड़ती है अदा की जाने वाली राशि से अधिक नहीं होगी जैसाकि सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) (क) संबंधित प्राधिकारी व्यापक स्तर पर छपने वाले और प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में इस आशय की एक नोटिस छपवाने के लिए प्रेरित करेगा जिसमें ऐसी तारीख निर्दिष्ट की जाएगी, जो उक्त प्रकाशन की तारीख से 3 माह से कम नहीं होगी और उस तारीख को अथवा उसके पहले नोटिस में निर्दिष्ट व्यक्ति के संबंध में क्षतिपूर्ति के लिए दावे किये जा सकते हैं;

(ख) बाकीदारी के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति के लिए दावे सम्बन्धित प्राधिकारी के पास उक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को अथवा उससे पहले किए जाएंगे और जो दावा इस प्रकार नहीं किया गया है वह बाधित हो जाएगा जब तक कि सम्बन्धित प्राधिकारी अन्यथा कोई निर्धारण न करे ।

(5) कोई व्यक्ति जो इस कर्तव्य के अधीन दावा करना चाहता है उसे अनिवार्य रूप से इस आशय के एक वचनपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह संबंधित प्राधिकारी के निर्णय से आबद्ध रहेगा और उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

(6) क्षतिपूर्ति के लिए दावे को अस्वीकार करने पर (चाहे पूर्णतः अथवा अंशतः) सम्बन्धित प्राधिकारी दावेदार पर इस प्रकार की नामंजूरी की नोटिस तामील करेगा ।

(7) सम्बन्धित प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट होने पर कि जिस बाकीदारी के लिए दावा पाया गया है वह वास्तव में किया गया है तो वह दावे के लिए अनुमति दे सकता है और तदनुसार कार्य कर सकता है ।

(8) सम्बन्धित प्राधिकारी किसी भी समय तथा समय-समय पर किसी व्यक्ति को ऐसी किसी प्रतिभूतियों, दस्तावेजों अथवा साक्ष्य के विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए अथवा सुपुर्द करने कह सकता है, जो किये गये किसी दावे के समर्थन में आवश्यक होंगे अथवा उसके दावों की पुष्टि के लिए आवश्यक होंगे और ऊपर उल्लिखित व्यक्ति द्वारा ऐसी किसी प्रतिभूतियों, दस्तावेजों अथवा साक्ष्य विवरणों की सुपुर्दगी करने में चूक करने पर सम्बन्धित प्राधिकारी इस कर्तव्य के अधीन उसके द्वारा किये गये किसी दावे को नामंजूर कर सकता है ।

(9) निवेशक सुरक्षा निधि में प्रत्येक व्यापारिक सदस्य का अंशदान उतनी राशि होगी जितनी कि सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी ।

(10) यदि इस कर्तव्य के अनुसरण में किये गये दावे के लिए निवेशक सुरक्षा निधि में से कोई संवितरण किया जाता है तो ऐसा संवितरण बाकीदार व्यापारिक सदस्य के अंशदान पर लागू किया जाएगा यदि संवितरित की जानेवाली राशि बाकीदार व्यापारिक सदस्य के अंशदान की राशि से अधिक होती है तो कम होनेवाली राशि को बाकी बचे हुए व्यापारिक सदस्यों के अंशदान में समानुपातिक आधार पर बांट दिया जाएगा ।

(11) जब भी व्यापारिक सदस्य के अंशदान में से किसी राशि का भुगतान, समानुपातिक प्रभार द्वारा अथवा अन्यथा रूप में किया जाता है तो ऐसे व्यापारिक सदस्य की जिम्मेदारी होगी कि इस प्रकार के भुगतान से उसके अंशदान में होने वाली कमी की तत्काल पूर्ति करे ।

(12) निवेशक सुरक्षा निधि में से किये गये संवितरणों के सम्बन्ध में जोकि व्यापारिक सदस्य के अंशदान के पेटे समानुपातिक आधार पर प्रभारित किये गये हैं, किसी भी समय प्रत्येक व्यापारिक सदस्य की अधिकतम देयता तत्समय लागू अंशदान आवश्यकता के बराबर होगी ।

(13) यह निधि बाकीदार व्यापारिक सदस्यों के विरुद्ध उस सीमा तक, जैसाकि सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा, ग्राहकों के दावों पर भी विचार करेगी ।

(14) उपरोक्त अनुसार न्यास के रूप में धारित की जानेवाली निवेशक सुरक्षा निधि एक्सचेंज अथवा किसी अन्य संस्था अथवा प्राधिकरण में निहित होगी जैसाकि सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अथवा निर्दिष्ट किया जाएगा ।

अध्याय XIV : विविध

(1) संबंधित प्राधिकारी को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह एक अथवा अधिक एक्सचेंज प्रतिभूतियों में संव्यवहारों पर ऐसे प्रतिबन्ध लगा सकता है जैसा कि संबंधित प्राधिकारी प्रतिभूतियों में उचित और व्यवस्थित बाजार बनाये रखने के हित में अपने निर्णय में उपयुक्त समझेगा अथवा वह अन्यथा सार्वजनिक हित में अथवा निवेशकों की सुरक्षा के लिये उपयुक्त समझता है। ऐसे प्रतिबन्धों के प्रभावी रहने के दौरान कोई भी व्यापारिक सदस्य ऐसे खाते के लिये जिसमें उसका हित हो अथवा किसी ग्राहक के खाते के लिये ऐसे प्रतिबन्धों के उल्लंघन करने वाले संव्यवहारों में शामिल नहीं होगा ।

(2) इस उपविधि अथवा किन्हीं उप विधियों, नियमों अथवा विनियमों, जहां लागू हों, की किसी आवश्यकता का पालन करने अथवा पूरा करने में होने वाली किसी असफलता को संबंधित प्राधिकारी द्वारा ऐसी उपविधियों, नियमों अथवा विनियमों के उल्लंघन के रूप में माना जा सकता है ।

(3) एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्य के रूप में व्यापारिक सदस्यों का यह दायित्व होगा कि एक्सचेंज के संबंधित प्राधिकारी और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड को अन्तरंगी व्यापार, अधिग्रहण के बारे में जानकारी दें और ऐसी जानकारी/व्यवहारों जोकि एक्सचेंज के कुशल परिचालन के लिये हानिकारक होंगे और सेबी अधिनियम तथा नियमों एवं विनियमों के अधीन अपेक्षित होंगे, के बारे में सूचित करें ।

(4) एक्सचेंज के संवर्धन, सुगमता, सहयोग, विनियमन, प्रबंधन एवं परिचालन में समाशोधन एवं निपटान के सम्बन्ध में संबंधित प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से विनियमों में अन्यथा प्रावधान किये जाने की स्थिति को छोड़कर यह नहीं समझा जाए कि एक्सचेंज ने कोई देयता वहन की है और तदनुसार प्रतिभूतियों में किसी सौदे के बारे में अथवा उसके सम्बन्ध में अथवा उससे संबंधित अन्य किसी मामले में, एक्सचेंज के विरुद्ध अथवा एक्सचेंज के लिये कार्य कर रहे किसी प्राधिकृत

व्यक्ति(यों) के विरुद्ध कोई दावा या आश्रय स्वीकार्य नहीं होगा।

(5) एक्सचेंज को जारी किये गये किसी आदेश अथवा अन्य बाध्यकारी निर्देश के अनुसरण में सद्भाव से किये गये अथवा किये जाने के इच्छित किसी कार्य के सम्बन्ध में एक्सचेंज अथवा एक्सचेंज के लिये कार्य कर रहे किसी प्राधिकृत व्यक्ति(यों) के विरुद्ध किसी विधि अथवा तत्समय लागू अन्यायोजित कानून के अधीन कोई दावा वाद, अभियोजन अथवा अन्य कानूनी कार्यवाही स्वीकार्य नहीं होगी।

कृते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इण्डिया लिमिटेड
जे० रविचन्द्रन,
कम्पनी सचिव
एवं महाप्रबंधक (विधि)

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड के संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम, नियमावली तथा उपविधियों को समेकित एवं संशोधित करने के लिए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 9 (4) के अंतर्गत अधिसूचना—

एन० एस० ई० की नियमावली

खंड	विषय-वस्तु	पृष्ठ सं०
1.	बोर्ड	1
2.	कार्यपालक समिति	4
3.	व्यापारिक सदस्यता	10
4.	अनुशासनिक कार्यवाही, अर्थदण्ड, निलंबन तथा निष्कासन	25

बोर्ड

1. नेशनल स्टाक एक्सचेंज के निदेशक बोर्ड (इसमें आगे बोर्ड कहा गया है) का गठन कम्पनी के अन्तर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है, यह बोर्ड प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 एवं उनके अन्तर्गत बनाये गये नियम तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 तथा उसके अधीन किन्हीं निदेशों के प्रावधानों तथा रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा बाजार लिखतों के लिये समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जाने वाले व्यापारिक विनियमों के अध्यधीन एक्सचेंज के परिचालनों तथा व्यापारिक सदस्यों द्वारा किये गये प्रतिभूति संव्यवहारों को संगठित, अनुरक्षित, नियंत्रित, प्रबन्धन, विनियमित कर सकता है तथा उन्हें सुविधाजनक बना सकता है।

2. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इण्डिया लि० के निदेशकों को कम्पनी के संस्था के अन्तर्नियमों के प्रावधानों जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकेगा और विशेष रूप से उसके अनुच्छेदों 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 तथा 116 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जायगा। इस प्रकार की गई कोई भी नियुक्ति इन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत की गयी समझी जाएगी।

3. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और इसके अन्तर्गत नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और इसके अन्तर्गत किसी निदेश तथा व्यापारिक विनियमों जिसे रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार लिखतों के लिए समय-समय पर निर्धारित करेगा, के अधीन बोर्ड को एक्सचेंज के कारबार के संचालन से संबंधित सभी या किसी मामले के लिये व्यापारी सदस्यों के मध्य आपस में कारबार और संव्यवहार और साथ ही साथ व्यापारी सदस्यों और उन व्यक्तियों जो व्यापारी सदस्य नहीं हैं, के मध्य कारबार और संव्यवहार तथा ऐसे सभी संव्यवहार और सौदों को नियंत्रित, परिभाषित तथा विनियमित करने के लिये समय-समय पर उप विधियां, नियम एवं विनियम बनाने के लिये तथा ऐसे कार्य, और कृत्य करने के लिये जो एक्सचेंज के उद्देश्यों के लिये आवश्यक होंगे, अधिकार प्राप्त है।

4. उपरोक्त बातों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड को सभी या निम्नलिखित मामलों में से किसी के लिये विनियम बनाने का अधिकार रहेगा किन्तु यह अधिकार प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और इसके अन्तर्गत नियमों और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अधिनियम, 1992 तथा इसके अन्तर्गत किसी निदेश तथा व्यापारिक विनियमों जिसे रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार लिखतों के लिये समय-समय पर निर्धारित करेगा के अधीन होगा :

(क) एक्सचेंज की सदस्यता ग्रहण हेतु शर्तें,

(ख) एक्सचेंज के कारबार का संचालन;

(ग) एक्सचेंज के कारबार के सम्बन्ध में व्यापारी सदस्यों का आचरण;

(घ) एक्सचेंज के नियमों, उप नियमों, विनियमों अथवा एक्सचेंज का सामान्य जिसमें व्यापारी सदस्यों का निष्कासन या निलम्बन शामिल है की अवज्ञा या उल्लंघन;

(ङ) किसी व्यापारी सदस्य की चूककर्त्ता के रूप में क्या एक्सचेंज की व्यापारी सदस्यता से निलम्बन या त्यागपत्र या अपवर्जन और इसके परिणाम की घोषणा;

(च) एक्सचेंज की व्यापारी सदस्यता की शर्तें, प्रवेश हेतु उद्ग्रहण या प्रवेश हेतु अभिदान या उसका जारी रहना;

(छ) व्यापारी सदस्यों द्वारा ऐसी स्क्रिप में संव्यवहार के लिये समय-समय पर निर्धारित किये गये अनुसार देय प्रभार,

(ज) व्यापारी सदस्यों की वित्तीय स्थिति, कारबार संचालन तथा व्यवहार का अन्वेषण;

(झ) एक्सचेंज के किसी उद्देश्य हेतु समिति या समितियों की नियुक्ति

(ञ) एक्सचेंज से संबंधित ऐसे अन्य मामले जैसा संस्था के अन्तर्नियमों, उप-नियमों या इन नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित है अथवा एक्सचेंज के परिचालनों के संगठन, अनुरक्षण, नियंत्रण, प्रबंधन, विनियमन, और सुकर बनाने के लिये आवश्यक या समीचीन हैं।

(5) बोर्ड एक्सचेंज के किसी कार्यकलाप का प्रबन्ध करने के लिये अपने में निहित किन्हीं शक्तियों और जैसा वे उचित समझे ऐसी शर्तों पर कार्यपालक समिति(यों) अथवा प्रबन्ध निदेशक अथवा किसी व्यक्ति में समय समय पर प्रत्यायोजित करने तथा समय समय पर ऐसी सभी या किसी शक्ति का प्रतिसंहरण प्रत्याहरण, परिवर्तन या रूपान्तरण करने के लिये सशक्त है।

(6) बोर्ड समय-समय पर एक या अधिक समितियों का गठन करेगा जिसमें बोर्ड के सदस्य अथवा ऐसे अन्य जिसे बोर्ड अपने विवेकाधिकार में उपयुक्त या आवश्यक समझता है और ऐसी समितियों को ऐसी शक्तियों जैसा बोर्ड उपयुक्त समझता है प्रत्यायोजित करेगा और बोर्ड समय-समय पर ऐसे प्रत्यायोजनों का प्रतिसंहरण करेगा। बोर्ड द्वारा गठित समिति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न शामिल होंगे;

(क) एक्सचेंज के व्यापारी सदस्य के प्रवेश हेतु प्रवेश समिति;

(ख) उचित बुनियादी सुविधाओं की अनुशंसा करने और इन्हें क्रियान्वित करने के लिये बुनियादी समिति;

(ग) एक्सचेंज के कार्यकलापों को चलाने और इन्हें क्रियान्वित करने तथा इनकी निगरानी करने के लिये प्रणाली की स्थापना की अनुशंसा करने के लिए प्रणाली समिति;

(घ) अन्य कोई मामला जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे;

(7) बोर्ड को समय-समय पर कार्यपालक समिति या अन्य किसी समिति या अन्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, जिनमें बोर्ड द्वारा कोई शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, को निदेश जारी करने का प्राधिकार होगा। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किये गये कोई निदेश जो नीतिगत स्वरूप के हैं या किसी विशिष्ट मामले या मुद्दे को निपटाने का निदेश शामिल है, संबंधित समिति(यों) या व्यक्तियों, पर बाध्यकारी होंगे।

(8) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 के प्रावधानों और इसके अन्तर्गत नियमों तथा भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम 1992 और इसके अन्तर्गत किसी निदेश तथा व्यापारिक विनियमों जिसे रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार लिखतों के लिये समय-समय पर निर्धारित करेगा, के अधीन होगा। बोर्ड द्वारा बनाये गये उप नियमों, नियमों और विनियमों को रूपान्तरित, संशोधित, निरसित करने या इनमें जोड़ने के लिये बोर्ड सशक्त होगा।

कार्यपालक समिति

गठन

(1) बोर्ड द्वारा विभिन्न व्यापारी खण्ड (खण्डों) के दैनिक कार्यों का प्रबन्ध करने के उद्देश्य से एक अथवा अधिक कार्यपालक समिति(यों) नियुक्त की जायेगी।

(2) बोर्ड द्वारा नियुक्त कार्यपालक समिति(यों) में निम्नलिखित शामिल होंगे;

(क) कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक

(ख) दो व्यक्तियों से अनधिक जिन्हें केन्द्र सरकार/ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा नामित किया जायगा,

(ग) चार व्यापारिक सदस्यों से अनधिक, जैसा बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित नियमों के अनुसार नामित किया जाएगा,

(घ) बोर्ड द्वारा नामित किये गये अनुसार वित्त, लेखांकन, विधि या अन्य विषय क्षेत्र में विख्यात एकल व्यक्ति और जिन्हें जन प्रतिनिधि के रूप में जाना जायगा।

(ङ) बोर्ड द्वारा इस बारे में नामित चार व्यक्ति जिन्हें 'अन्य नामित' के रूप में जाना जायेगा, जिनमें कम्पनी के दो पदेन वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

कार्यपालक समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 15 होगी

(3) कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक एक्सचेंज का मुख्य कार्यपालक होगा।

कार्यपालक समिति की शक्तियां

(4) बोर्ड को एक्सचेंज के सभी या किसी कार्यकलाप का प्रबन्ध करने के लिये अपने में निहित किन्हीं शक्तियों और जैसा कि उचित समझे ऐसी शर्तों पर कार्यपालक समिति(यों) को समय-समय पर प्रत्यायोजित कर सकेगा तथा समय-समय पर ऐसी सभी या किसी शक्ति का प्रतिसंहरण, प्रत्याहरण, परिवर्तन या रूपान्तरण कर सकेगा।

(5) प्रत्येक व्यापारिक खण्ड की कार्यपालक समिति के पास ऐसे उत्तरदायित्व और शक्तियां होंगी जिसे बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किया जायेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उप-नियमों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्वहन किये जाने वाले निम्नलिखित उत्तरदायित्व और शक्तियां शामिल है :

(क) एन० एस० ई० प्रतिभूतियों के लिये सम्बद्ध अधिकृत सूची में ग्रहण करने के लिये प्रतिभूतियों का अनुमोदन करना;

(ख) व्यापारी सदस्यों को प्रवेश देना;

(ग) पूंजी बाजार व्यापारिक खण्ड के मामले में, इस प्रकार कार्य करने वाले शेयर सतुलन कर्ताओं का अनुमोदन करना ;

(घ) बाजार का पर्यवेक्षण करना और ऐसे कारबार नियमों तथा आचरण संहिता, जैसा उचित समझा जाये, का प्रख्यापन करना;

(ङ) व्यापारिक सदस्यों और कम्पनियों द्वारा एन० एस० ई० को देय शुल्क, जमाराशियां, मार्जिन तथा अन्य राशियां समय-समय पर अभिनिर्धारित करना जिन की प्रतिभूतियां अधिकृत सूची में गृहीत/ग्रहण की जायेंगी और व्यापारी सदस्यों द्वारा प्रभार्य दलाली का मान;

(च) पूंजी पर्याप्तता तथा अन्य मानकों का समय-समय पर निर्धारण करना जिसे व्यापारी सदस्यों द्वारा बनाये रखना आवश्यक होगा;

(छ) दण्डों, जुर्मानों, तथा अन्य परिणामों इसमें उप-नियमों और विनियमों की किन्हीं आवश्यकता और नियमों तथा आचरण संहिता तथा पुन: ग्रहण के मानदण्डों, यदि इसके अधीन कोई प्रस्थापित है, के चूक या अतिक्रमण के लिये निलम्बित निष्कासन शामिल है, को समय-समय पर निर्धारित करना और प्रबन्धित करना और प्रभावी करना;

(ज) एक्सचेंज द्वारा स्थापित निधि(यों) के कार्पस इसमें क्षतिपूर्ति निधि शामिल है, के प्रबंधन, रख-रखाव और निवेश;

(झ) निवाचन से संबंधित मानक प्रक्रिया तथा अन्य मामले;

(ञ) किसी व्यापारी सदस्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई/वैध रूप से कार्यवाही करने की शक्ति;

(ट) सूचना, कोटेशन प्रणाली के आधार पर घोषणा का प्रचार;

(ठ) सूचीबद्ध करने की आवश्यकता और अनुपालन की जाने वाली शर्तें ;

(ड) कंपनी द्वारा देय सूचीबद्धता शुल्क जिनकी प्रतिभूतियां एक्सचेंज पर व्यापार के लिए गृहीत है;

(ढ) कंपनी की सूचीबद्धता हैसियत जारी रखना जिनकी प्रतिभूतियां एक्सचेंज पर व्यापार के लिए गृहीत है;

(ण) बोर्ड द्वारा सौंपा गया अन्य कोई मामला।

(6) कार्यपालक समिति कारबार चलाने के लिए समय-समय पर ऐसी उप-समितियां गठित कर सकती हैं जो कार्यपालक समिति द्वारा निर्धारित सभी विनियमों और दिशानिर्देशों को पूरी करती है ऐसी उप-समिति का गठन, कोरम और उत्तर-दायित्व का निर्धारण कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा।

(7) कार्यपालक समिति समय-समय पर प्रबंध निदेशक अथवा ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे बोर्ड द्वारा उत्तरदायित्व को पूरा करने के और सौंपी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इस संबंध में निर्धारित किये गये अनुसार ऐसे प्रावधानों के अनुसार ऐसे कार्य, कृत्य और कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है ।

(8) कार्यपालक समिति(यों) बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किसी भी निदेश को पूरा करने और कार्यान्वित करने के लिए आबद्ध और बाध्य होगी तथा निर्धारित किये गये अनुसार कार्यपालक समिति(यों) की शक्तियों के प्रत्यायोजन और सीमाओं की शर्तों का पालन करेगी।

सरकारी प्रतिनिधि

(9) सरकार और सेबी प्रत्येक एक व्यक्ति से अधिक नहीं, समय-समय पर कार्यपालक समिति पर नामित करेगा जिसका उल्लेख 'सरकारी नामिति' होगा।

(10) ऐसे नामित सरकारी प्रतिनिधि के त्याग-पत्र, नामांकन का प्रत्यहरण, मृत्यु अथवा अन्यथा द्वारा हुई किसी रिक्ति इसी प्रकार नामित व्यक्ति से भरी जाएगी।

व्यापारी सदस्य

(11) इसमें दी गई धारा 18 और 19 के प्रावधानों के अधीन बोर्ड चार व्यापारिक सदस्यों से अनधिक को समय-समय पर कार्यपालक समिति पर नामित करेगा इस प्रकार नामित व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा और पुनर्नामांकन के लिए पात्र होगा।

(12) ऐसे नामित व्यक्ति के त्यागपत्र, हटाये जाने, मृत्यु अथवा अन्यथा द्वारा हुई किसी रिक्ति इसी प्रकार नामित व्यक्ति से भरी जाएगी।

जन प्रतिनिधि

(13) बोर्ड समय-समय पर चार व्यक्तियों से अनधिक को कार्यपालक समिति पर नामित करेगा जिनका उल्लेख 'जन प्रतिनिधि' के रूप में होगा जो वित्त, लेखांकन, विधि अथवा अन्य विषय

के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एकल व्यक्ति होगा। इस प्रकार नामित व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा और पुनर्नामांकन के लिए पात्र होगा।

(14) ऐसे नामित जन प्रतिनिधि के त्याग पत्र, हटाये जाने, मृत्यु अथवा अन्यथा द्वारा हुई रिक्ति इसी प्रकार नामित व्यक्ति से भरी जाएगी।

अन्य नामिती

(15) बोर्ड समय-समय पर चार व्यक्तियों से अनधिक को कार्यपालक समिति पर नामित करेगा जिनका उल्लेख 'अन्य नामिती' के रूप में होगा। इसमें कंपनी के दो वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे इस प्रकार नामित व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा और पुनर्नामांकन के लिए पात्र होंगे।

(16) ऐसे नामित व्यक्ति के त्याग पत्र हटाये जाने मृत्यु अथवा अन्यथा हुई कोई रिक्ति इसी प्रकार नामित व्यक्ति से भरी जाएगी।

बोर्ड के नामिती का पद त्याग

(17) बोर्ड के नामितों के पद इसमें कार्यपालक समिति, जन प्रतिनिधि, व्यापारी सदस्य और अन्य नामित शामिल है, स्वयमेव ही रिक्त होगी, यदि :

(क) वह न्यायनिर्णीत दिवालिया है ;

(ख) उसने न्यायनिर्णीत दिवालिया होने का आवेदन दिया है ;

(ग) किसी अपराध के लिए भारत में किसी न्यायालय द्वारा वह दोष सिद्ध है और इसके बारे में 30 दिनों से अधिक के लिए कारावास की सजा हुई है ;

(घ) वह समिति बैठक से छुट्टी की अनुपस्थिति प्राप्त किये बिना कार्यपालक समिति की तीन सतत बैठकों से अथवा तीन महीने की सतत अवधि के लिए जो भी अधिक हो, अनुपस्थित रहता है ;

(ङ) व्यापारी सदस्य के मामले में यदि एक्सचेंज की व्यापारी सदस्यता समाप्त हो जाती है अथवा यदि वह कार्यपालक समिति को लिखित सम्बोधन में नोटिस द्वारा अपना पद से त्याग पत्र देता है अथवा यदि उसे निलंबित या हटाया जाता है अथवा यदि या उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है ; बशर्ते तथापि कि यदि बोर्ड संतुष्ट होता है कि विद्यमान परिस्थितियों जिसमें ऐसा करना जनहित में जरूरी है तो बोर्ड ऐसे किसी व्यक्ति का नामांकन प्रतिसंहरित कर सकता है।

कार्यपालक समिति सदस्य बनने के लिए व्यापारी सदस्य की पात्रता

(18) कोई व्यापारी सदस्य कार्यपालक समिति के सदस्य के रूप में नमिति किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा।

(क) जब तक वह प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 और भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम 1992 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा इस बारे में निर्धारित, यदि कोई है, शर्तों को पूरा नहीं करता है ;

(ख) जब तक वह बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये अनुसार ऐसी अवधि के लिए संबंद्ध व्यापारी का खण्ड का व्यापारी सदस्य नहीं है ;

(ग) यदि वह व्यापारी सदस्य का भागीदार है जो पहले से कार्यपालक समिति का सदस्य है ;

(घ) यदि उसे किसी समय चूककर्ता के रूप में घोषित किया गया है अथवा सामान्य अवधि में अपनी देयताओं को पूरा करने में चूक करता है अथवा अपने ऋण दाताओं के साथ संयोजित करता है ;

(ङ) यदि उसे कार्यपालक समिति द्वारा हटाया अथवा निलंबित किया गया है।

(19) कार्यपालक समिति पर सदस्य के रूप में सतत दो वर्षों के लिए नामित व्यापारी सदस्य कार्य पालक समिति पर नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा जब तक उसके पिछले नामांकन से दो वर्ष की अवधि गुजर नहीं जाती है।

कार्यपालक समिति के पदधारी

(20) कार्यपालक समिति के समय-समय पर निम्नलिखित पदधारी होंगे अर्थात अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष

(21) कंपनी का प्रबंध कार्यपालक समिति (यों) का अध्यक्ष होगा।

(22) कार्यपालक समिति अपने में से एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी।

(23) इस प्रकार चुना गया उपाध्यक्ष एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा।

(24) मृत्यु, त्यागपत्र अथवा अन्य कोई कारण से उपाध्यक्ष के पद पर आकस्मिक रिक्ति होने के मामले में कार्यपालक समिति के सदस्यों के बीच से उत्तराधिकारी नामित करेगी।

(25) किसी आकस्मिक रिक्ति में नामांकित/उक्त अनुसार चुना गया व्यक्ति उसी अवधि के लिए पद धारित करेगा जिसके लिए पदधारी जिसके स्थान पर नियुक्त हुई तदधारित करता यदि वह ऊपर उल्लिखित अनुसार रिक्त नहीं करता।

कार्यपालक समिति की बैठकें

(26) कार्यपालक समिति प्रत्येक कैलेंडर माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी जिसमें कारबार, स्थगन और अन्यथा अपनी बैठकों और कार्यवाहियों को नियमित करना जैसा वह उचित समझे, निपटायेगी और कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक कोरम का निर्धारण करेगी।

(27) कार्यपालक समिति की बैठक के लिए कोरम कार्यपालक समिति की कुल संख्या का एक तिहाई होगी। किसी अंश को एक के रूप में पूर्णांकित किया जाएगा अथवा पांच

सदस्य, जो भी अधिक हो । बशर्ते कि जहां किसी समय हित-बद्ध सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों से दो तिहाई अधिक हो, तब शेष सदस्यों की संख्या अर्थात् जो हितबद्ध नहीं हैं, उन सदस्यों की संख्या बैठक के लिए कोरम होगी ।

(28) कार्यपालक समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई दो सदस्य किसी भी समय कार्यपालक समिति की बैठक बुला सकते हैं ।

(29) कार्यपालक समिति की किसी बैठक में उठाए गये प्रश्नों का निर्णय डाले गये मतों के बहुमत द्वारा होगा केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जहां अधिक बहुमत एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों और विनियमों में किसी प्रावधान द्वारा आवश्यक है । मतों के एक समान होने की मामलों में जिनका निर्णय मतों के बहुमत द्वारा होता है, अध्यक्ष जो बैठक की अध्यक्षता करता है उसे समर्थन करेगा या मत देगा ।

(30) कार्यपालक समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता साधारणतया अध्यक्ष करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा । यदि उपाध्यक्ष भी बैठक में उपस्थित नहीं है तो उपस्थित कार्यपालक समिति के सदस्य अपने बीच से एक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे ।

(31) अन्यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन कार्यपालक समिति के प्रत्येक सदस्य का केवल एक मत होगा चाहे हाथ बताकर अथवा मतदान से । केवल ऐसे मतदान के मामले को छोड़कर जिसमें मत समान हों, अध्यक्ष जो बैठक की अध्यक्षता कर रहा है मत देगा ।

(32) किसी भी मामले के संबंध में प्राक्सी को हाथ बताकर या मतदान द्वारा मत देने की अनुमति नहीं होगी ।

(33) कोई सदस्य जिसे निलंबित, हटाया गया या ब्लाकोदार है उसे बैठक में उपस्थित रहने या किसी कार्यवाही में भाग लेने या उसमें मत देने का हक नहीं होगा ।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

(34) अध्यक्ष सभी ऐसी शक्तियों को धारण या उनका प्रयोग करेगा तथा सभी ऐसे दायित्वों को निभायेगा जिन्हें एक्सचेंज के नियमों, उप-नियमों और विनियमों में दिये गये अनुसार समय-समय पर कार्यपालक समिति द्वारा उसे सौंपा गया हो ।

(35) अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान या उसके कार्य करने की अक्षमता पर उपाध्यक्ष, और उनकी अनुपस्थिति के दौरान या उसके कार्य करने की अक्षमता पर उसके कार्य और शक्तियां कार्यपालक समिति के निदेशों के अधीन कंपनी के वरिष्ठ उपलब्ध अधिकारी द्वारा प्रयुक्त होंगे ।

(36) अध्यक्ष, और उसकी अनुपस्थिति के दौरान उपाध्यक्ष कार्यपालक समिति द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली कोई अथवा सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए पात्र होगा, जब भी उसकी राय है कि तुरंत कार्रवाई आवश्यक है बशर्ते ऐसी कार्रवाई की पुष्टि कार्यपालक समिति चौंतीस घंटे के भीतर करे ।

(37) अध्यक्ष और/अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी सार्वजनिक मामलों में अधिकृत रूप से एक्सचेंज का प्रतिनिधित्व करेगा ।

बशर्ते कार्यपालक समिति यह निदेश दे कि किसी मामले अथवा अवसर पर अध्यक्ष और/या अन्य सदस्य या कार्यपालक समिति का सदस्य एक्सचेंज का प्रतिनिधित्व करेगा ।

(38) तत्समय के लिए कार्यपालक समिति की बैठक जिसमें कोरम उपस्थित हो, तत्समय उसमें निहित सभी अथवा कार्यपालक समिति द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले सामान्यतया किसी प्राधिकार, शक्तियों और विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा ।

खण्ड 3 व्यापारिक सदस्यता

(1) व्यापारिक सदस्य के अधिकार तथा प्रतिकार एक्सचेंज के उप-नियमों, नियमों तथा विनियमों के अधीन होंगे ।

(2) सभी व्यापारिक सदस्यों को एक्सचेंज पर कारोबार शुरू करने से पहले स्वयं को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत कराना होगा ।

पात्रता

(3) निम्नलिखित व्यक्ति एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्य बनने के लिए पात्र होंगे :

(क) वैयक्तिक

(ख) पंजीकृत फर्में

(ग) निगमित निकाय

(घ) कंपनी अधिनियम, 1956 में परिभाषित कंपनियां और

(ङ) ऐसे अन्य व्यक्ति अथवा संस्थाएं जिन्हें समय-समय पर संशोधित होने वाले प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली 1957 के अंतर्गत अनुमति प्रदान की जाएगी ।

(4) ऐसे किसी भी प्रस्तावित सदस्य को व्यापारिक सदस्य के रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा :

(क) जो व्यक्ति अपनी आयु के 21 वर्ष पूरा न कर चुका हो;

(ख) जो व्यक्ति बिना किसी निजी वित्तीय दायित्व के ब्रोकर अथवा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने को छोड़कर प्रतिभूतियों के अलावा किसी कारोबार में प्रधान अथवा नियोक्ता के रूप में जुड़ा हुआ हो जब तक कि वह यह वचन नहीं देता कि प्रवेश दिये जाने पर वह ऐसे व्यवसाय से अपना संबंध तोड़ लेगा ।

(ग) जो ऐसा निगमित निकाय हो जिसने ऐसा कृत्य किया हो जिससे वह विधि के प्रावधानों के अनुसार समापन के लिए दायी हो;

(घ) जो ऐसा निगमित निकाय हो जिसके लिए अस्थायी परिसमापक अथवा रिसीवर अथवा सरकारी परिसमापक की नियुक्ति की गयी हो;

(ङ) जिसे दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा जिस व्यक्ति के खिलाफ दिवालिया प्रकरण में कोई आदेश जारी किया गया हो अथवा उसके द्वारा अंतिम उन्मोचन प्राप्त करने के बावजूद उस व्यक्ति को दिवालिया सिद्ध किया गया हो;

(च) जिसे धोखाधड़ी अथवा बेईमानी के अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया गया हो;

(छ) जो उधारों की पूरी चुकौती से कम चुकौती के लिए अपने उधारदाताओं से संयोजित हो;

(ज) जिसे किसी समय किसी अन्य स्टाक एक्सचेंज द्वारा निष्कासित किया गया हो अथवा बकायादार घोषित किया गया हो;

(झ) जिसे पूर्व में सदस्यता के लिए प्रवेश देने से मना कर दिया गया हो जब तक कि ऐसे अस्वीकार की तारीख से एक वर्ष का समय न बीत गया हो;

(ञ) जिसने प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 अथवा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे अयोग्यताएं हासिल कर ली हो जो उस व्यक्ति को स्टाक एक्सचेंज की सदस्यता प्राप्त करने के लिए अयोग्य ठहराती हों ।

(5) कोई भी व्यक्ति एक्सचेंज की व्यापारिक सदस्यता के लिए प्रवेश हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि :

(क) उसने कम से कम दो वर्षों तक किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के सदस्य के साथ भागीदार के रूप में अथवा प्राधिकृत सहायक अथवा प्राधिकृत लिपिक अथवा प्रशिक्षु के रूप में काम न किया हो और उस एक्सचेंज में विधिवत रूप से पंजीकृत न हो, अथवा;

(ख) वह एक्सचेंज के अन्य सदस्य के साथ भागीदार अथवा प्रतिनिधि सदस्य के रूप में कम से कम दो वर्षों तक काम करने और एक्सचेंज में अपने नाम पर नहीं अपितु उस सदस्य के नाम पर जिनके अधीन वह कार्य कर रहा है, सौदे करने के लिए सहमत नहीं होता; अथवा

(ग) वह एक्सचेंज के किसी मृत अथवा सेवानिवृत्त हो रहे ऐसे सदस्य के स्थापित व्यवसाय का उत्तराधिकार प्राप्त करता हो जो उसका पिता, चाचा, भाई अथवा ऐसा व्यक्ति हो जो सक्षम प्राधिकारी की राय में उसका निकट संबंधी हो;

बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी इस उप-खंड में ऊपर वर्णित शर्तों में से किसी एक अथवा सभी शर्तों के अनुपालन से छूट प्रदान कर सकता है और अपने स्वविवेक से ऊपर निर्धारित आवश्यकताओं से छूट प्रदान कर सकता है, यदि उसकी राय से प्रवेश पाने के लिए इच्छुक व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी ने उसके साधनों, हैसियत, निष्ठा, ज्ञान और प्रतिभूतियों के कारोबार में उसके अनुभव को सदस्य के रूप में प्रवेश देने के लिए अन्यथा योग्य पाया हो ।

(6) कोई भी व्यक्ति एक्सचेंज में व्यापारिक सदस्यता के लिए प्रवेश पाने हेतु पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह व्यक्ति निम्नलिखित के बारे में संतुष्ट नहीं करता :

(क) इस संबंध में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं, और

(ख) ऐसे अतिरिक्त पात्रता मानदंड जो बोर्ड अथवा प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर व्यापारिक सदस्यों की विभिन्न श्रेणियों और व्यापारिक खंडों के लिए विनिर्दिष्ट किये जाएंगे ।

(7) जब तक कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो, किसी व्यक्ति के लिए सदस्यता केवल एक व्यापारिक खंड तक ही सीमित रहेगी ।

(8) किसी व्यापारिक खंड का व्यापारिक सदस्य उस खंड के लिए लागू होने वाली एनएसई प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकता है ।

प्रवेश

(9) जो व्यक्ति व्यापारिक सदस्य बनना चाहता है उसे संबंधित व्यापारिक खंड की व्यापारिक सदस्यता के लिए एक्सचेंज को आवेदन करना होगा । हरेक आवेदक के बारे में संबंधित प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा जो अपने विवेकानुसार आवेदनों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के लिए हकदार होगा ।

(10) आवेदन ऐसे फार्मेट में किये जाएंगे जो प्रत्येक व्यापारिक खंड में प्रवेश के लिए आवेदन हेतु संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जाएंगे ।

(11) आवेदन को ऐसे शुल्कों, जमानत राशियों के साथ और ऐसे रूप में और ऐसी पद्धति में अन्य राशियां भी प्रस्तुत करनी होंगी जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(12) आवेदक को ऐसे घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जाएंगे ।

(13) संबंधित प्राधिकारी को यह अधिकार रहेगा कि वह आवेदक को ऐसी शुल्क राशि जमा करने अथवा नकद रूप अथवा इसके रूप में अतिरिक्त जमानत राशि जमा करने, अतिरिक्त गारंटी प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है अथवा किसी भजन निधि, कम्प्यूटरीकरण निधि, प्रशिक्षण निधि को जमाराशि के लिए कह सकता है जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जाएंगे ।

(14) संबंधित प्राधिकारी आवेदक को एक्सचेंज की व्यापारिक सदस्यता के लिए प्रवेश दे सकता है बशर्ते वह व्यक्ति पात्रता शर्तों तथा आवेदन की अन्य प्रक्रियाओं तथा आवश्यकताओं के लिए संतुष्ट करता हो । संबंधित प्राधिकारी को यह अधिकार रहेगा कि वह अपने स्व विवेक से किसी भी आवेदक को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर सकता है ।

(15) यदि किसी कारणवश आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है तो प्रवेश शुल्क को बिना ब्याज के लौटा दिया जाएगा ।

(16) संबंधित प्राधिकारी एक्सचेंज में व्यापारिक सदस्यता के रूप में प्रवेश दिए जाने की तारीख के बाद किसी भी प्रवेश को रद्द कर सकता है अथवा व्यापारिक सदस्य को निष्कासित कर सकता है यदि सदस्यता के लिए प्रवेश हेतु उसके आवेदन के समय अथवा उसके प्रवेश के पूर्व संबंधित प्राधिकारी द्वारा की गयी जांच-पड़ताल के दौरान यह पाया जाता है कि :

(क) उसने जानबूझकर कोई गलतबयानी की है; अथवा

(ख) ऐसी तथ्यात्मक जानकारी छुपायी हो जो उसके चरित्र और पूववृत्त के बारे में मांगी गयी हो; अथवा अथवा

(ग) उसने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से असत्य और अथवा जानकारी दी हो अथवा असत्य घोषणा की हो ।

(17) ज्योंही किसी व्यक्ति को एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जाता है तो उसके प्रवेश की सूचना उस व्यक्ति को और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड को दी जाएगी । यदि किसी व्यक्ति को एक्सचेंज की सदस्यता के लिए प्रवेश दिया जाता है और उसके प्रवेश की सूचना विधिवत उसे भेज दिए जाने के बाद प्रवेश की सूचना भेज दिए जाने की तारीख के बाद संबंधित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के अंदर सदस्यता के विशेषाधिकारों के प्रयोग के लिए निर्धारित किए गये कृत्यों तथा कार्यवाहियों का वह अनुपालन नहीं करता तो उसके द्वारा अदा किए गए प्रवेश शुल्क को एक्सचेंज द्वारा जब्त कर लिया जाएगा ।

(18) एक्सचेंज के प्रत्येक व्यापारिक सदस्य को एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्य के रूप में प्रवेश दिये जाने के बाद प्रवेश के प्रमाण स्वरूप एक प्रमाण-पत्र अथवा पात्रता पर्ची जारी की जाएगी ताकि वह एक्सचेंज की व्यापारिक सदस्यता के फायदों तथा विशेषाधिकारों का लाभ उठा सके । ऐसा प्रमाण-पत्र अथवा पात्रता अहस्तांतरणीय अथवा अपारणीय होगी ।

(19) पात्रता पर्ची कम्पनी के सदस्य के रूप में कोई स्वामित्व प्रदान नहीं करती । पात्रता पर्ची की मूल प्रति संबंधित प्राधिकारी के पास जमा रहेगी । एक्सचेंज की व्यापारिक सदस्यता के प्रमाण स्वरूप इस प्रकार की पात्रता पर्ची की एक अभिप्रमाणित फोटो प्रति अथवा नकल प्रति व्यापारिक सदस्य के पास रहेगी ।

(20) व्यापारिक सदस्य अपनी सदस्यता के अधिकार अथवा उससे संबद्ध किसी अधिकार अथवा विशेषाधिकार को समनुदेशित, बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक अथवा प्रभारित नहीं करेगा और इस प्रकार प्रयास किए गए किसी भी समनुदेशन, बंधक गिरवी, दृष्टिबंधक अथवा प्रभार को किसी भी उद्देश्य के लिए एक्सचेंज के खिलाफ प्रभावी नहीं किया जाएगा और न ही और इस प्रकार प्रयास किए गए किसी भी समनुदेशन, बंधक हित को छोड़कर किसी व्यापारिक सदस्यता में किसी अधिकार अथवा हित को एक्सचेंज द्वारा मान्यता दी जाएगी । यदि कोई व्यापारिक सदस्य इस नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है अथवा करने का प्रयास करता है तो संबंधित प्राधिकारी उसे निष्कासित कर सकेगा ।

भागीदारी

(21) कोई भी सदस्य न तो भागीदारी बनाएगा अथवा न ही मौजूदा भागीदारी में किसी नये भागीदार को प्रवेश देगा अथवा न ही संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित आवश्यकताओं की शर्तों के अनुसार तथा तय किये गये तरीकों और पद्धतियों में गुजरात दिए और पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना मौजूदा भागीदारी के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करेगा । इस प्रकार की आवश्यकताओं में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी जमाराशियां, घोषणाएं, गारंटियां तथा अन्य शर्तें शामिल होंगी जिन्हें पूरा करना आवश्यक होगा और ये फर्म के उन भागीदारों पर बाध्यकारी होंगी जो व्यापारिक सदस्य नहीं हैं ।

(22) कोई भी व्यापारिक सदस्य एक ही समय में ऐसी एक से अधिक भागीदारी फर्म में भागीदार नहीं हो सकता जो एक्सचेंज का व्यापारिक सदस्य हो ।

(23) ऐसा कोई भी व्यापारिक सदस्य जो किसी भागीदारी फर्म में भागीदार है, इस प्रकार की भागीदारी फर्म में अपने हित को समनुदेशित नहीं कर सकेगा अथवा न ही किसी रूप में भारग्रस्त करेगा ।

(24) भागीदारी फर्म को आयकर प्राधिकारियों तथा फर्म के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराना होगा और इस प्रकार के पंजीकरण के प्रमाण को एक्सचेंज को प्रस्तुत करना होगा ।

(25) फर्म के भागीदार केवल फर्म की ओर से और भागीदारी फर्म के नाम से संयुक्त रूप से कारोबार करेंगे ।

(26) यदि विघटन अथवा सेवानिवृत्ति अथवा किसी भागीदार अथवा किन्हीं भागीदारों की मृत्यु के फलस्वरूप इस प्रकार की भागीदारी में कोई परिवर्तन होता है तो सभी भागीदारों अथवा जीवित भागीदारों को हस्ताक्षर के साथ अनिवार्य रूप से लिखित तौर पर एक्सचेंज को सूचित करना होगा ।

(27) भागीदारों के विघटन के बारे में सूचना देते हुए एक्सचेंज की किसी भी नोटिस में यह कथन शामिल होगा कि विघटित फर्म के सभी बकाया लेनदारों और देयताओं के निपटान की जिम्मेदारी कौन वहन करेगा किन्तु इस प्रकार के कथन का यह अभिप्राय नहीं होगा कि इस प्रकार की बकाया लेनदारों तथा देयताओं के लिए अन्य भागीदार अथवा भागीदारों को उनकी जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाएगी ।

सदस्यता की समाप्ति

(28) किसी भी व्यापारिक सदस्य की सदस्यता उस समय समाप्त हो जाएगी जब निम्नलिखित में से कोई एक अथवा एक से अधिक लागू होगा :

(क) पंजीकरण द्वारा;

(ख) मृत्यु द्वारा;

(ग) उप विधि नियमावली तथा विनियमावली में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार निष्कासन के द्वारा;

(घ) एक्सचेंज की उप-विधि, नियमावली तथा विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार बाकीदार घोषित किये जाने के द्वारा;

(ङ) भागीदारी फर्म की स्थिति में विघटन द्वारा;

(च) लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में ऐसी कम्पनी का परिसमापन अथवा विघटन के द्वारा ।

त्यागपत्र

(29) (क) जो व्यापारिक सदस्य एक्सचेंज की व्यापारिक सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है उसे इस आशय की लिखित नोटिस एक्सचेंज को देनी होगी जिसे उद्धरण (कोटेशन) प्रणाली पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

(ख) एक्सचेंज का कोई सदस्य इस प्रकार के त्यागपत्र पर आपत्ति करता है तो उसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की गयी अवधि के अंदर पत्र के जरिए अपनी आपत्ति के कारणों को संबंधित प्राधिकारी को सूचित करना होगा।

(ग) संबंधित प्राधिकारी सदस्य के त्यागपत्र को बिना शर्त अथवा ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझेगा स्वीकार कर सकेगा अथवा इस प्रकार के त्यागपत्र के स्वीकार करने से इंकार कर सकता है और विशेष रूप से इस प्रकार के त्यागपत्र को स्वीकार करने से इंकार कर सकता है जब तक कि वह संतुष्ट नहीं होता कि ऐसे सदस्य के सभी संविदा सौदों का निपटान कर दिया गया है ।

मृत्यु

(3) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक प्रतिनिधियों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई हों, को इस संबंध में समुचित सूचना लिखित रूप में संबंधित प्राधिकारी को देनी होगी ।

शुल्कों की अदायगी करने में असफल रहना

(31) एक्सचेंज की उप-विधि, नियमों और विनियमों में अन्यथा प्रावधान किये जाने को छोड़कर यदि कोई सदस्य उसके द्वारा एक्सचेंज अथवा समाशोधन गृह को देय होने वाली वार्षिक शुल्क राशि, लीवी, प्रभार अथवा अन्य राशियों को उस पर एक्सचेंज द्वारा लिखित रूप में नोटिस तामील करने के बाद संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली अवधि के अंदर अदायगी करने में असफल रहता है तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा उसे तब तक निलंबित किया जा सकता है जब तक कि वह अदायगी नहीं करता और यदि और पन्द्रह दिनों की अवधि के अंदर वह इस प्रकार की अदायगी करने में असमर्थ रहता है तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा उसे निष्कासित कर दिया जाएगा ।

प्रवेश की निरन्तरता

(32) संबंधित प्राधिकारी व्यापारिक सदस्यता के लिए प्रवेश की निरन्तरता के लिए समय-समय पर शर्तें तथा आवश्यकताएं निर्धारित कर सकेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम निवल संपत्ति और पूंजी पर्याप्तता बनाए रखना शामिल होगा। जो व्यक्ति इन आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहेगा उसकी व्यापारिक सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी ।

बाकीदारों को पुनर्प्रवेश देना

(33) यदि किसी सदस्य को बाकीदार घोषित किया जाता है तो व्यापारिक सदस्य की सदस्यता का अधिकार कालातीत हो जाएगा और तत्काल एक्सचेंज के अधिकार में आ जाएगा । जिस सदस्य को बाकीदार घोषित किया गया है एक्सचेंज के सदस्य के रूप में उसके सभी अधिकार एवं विशेषाधिकार जब्त कर लिये जाएंगे जिसमें एक्सचेंज की किसी संपत्ति अथवा निधि संबंधी कोई भी किसी किस्म के अधिकार का प्रयोग करना अथवा उसके लिए कोई दावा करना शामिल है ।

(34) संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले प्रावधानों के अध्यधीन संबंधित प्राधिकारी किसी बाकीदार को व्यापारिक सदस्य के रूप में पुनर्प्रवेश दे सकता है ।

(35) संबंधित प्राधिकारी केवल ऐसे बाकीदार को पुनर्प्रवेश दे सकता है जब उसकी राय में :

(क) उसने एक्सचेंज, अन्य व्यापारिक सदस्यों तथा संविदाओं को सभी राशियों की अदायगी कर दी हो;

(ख) उसके खिलाफ किसी न्यायालय में दिवालिया की कोई कार्यवाही न चल रही हो अथवा किसी न्यायालय द्वारा उसे दिवालिया घोषित न किया गया हो;

(ग) उसने मुख्य पक्ष की चूक के कारण चूक की हो जिसे उसने उनकी प्रतिबद्धताओं के लिए पर्याप्त रूप से भरपाई कर दी होगी;

(घ) जो अस्वभाव अथवा एक्सचेंज की उप-विधि, नियमावली अथवा विनियमावली के उल्लंघन का दोषी न रहा हो;

(ङ) जो अपने सामान्य आचरण में निर्दोष रहा हो ।

खण्ड 4—अनुशासनिक कार्यवाही, अर्थदण्ड, निलंबन तथा निष्कासन

अनुशासनिक न्यायक्षेत्र

(1) संबंधित प्राधिकारी किसी व्यापारिक सदस्य को निष्कासित अथवा निलंबित कर सकता है और/अथवा निंदा के अधीन अर्थदंड लगा सकता है और/अथवा उसे चेतावनी दे सकता है और/अथवा उसके किसी सदस्यता अधिकारों को वापस ले सकता है यदि वह एक्सचेंज की उपविधि, नियमों तथा विनियमों अथवा एक्सचेंज अथवा सक्षम प्राधिकारी अथवा इस बारे में एक्सचेंज की प्राधिकृत समिति अथवा अधिकारी के किसी संकल्प, आदेश, नोटिसों, निर्देशों अथवा निर्णयों अथवा विनिर्णयों के उल्लंघन, अपालन, अवज्ञा, निरादर अथवा अपकथन अथवा ऐसे किसी आचरण, कार्यवाही अथवा कारोबार की प्रणाली के लिए दोषी पाया जाता है जो संबंधित प्राधिकारी के पूर्ण विवेक से एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्य के लिए अनादरकारक, अपमानजनक अथवा अशोभनीय हो अथवा व्यापार के न्यायसंगत एवं समान सिद्धांतों से असंगत हो अथवा एक्सचेंज के हितों, प्रतिष्ठा अथवा कल्याण के लिए अहितकर हो अथवा उसके उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के लिए पूर्वाग्रहयुक्त अथवा ध्वंसात्मक हो ।

कदाचार, अव्यावहारिक आचरण तथा अव्यावसायिक आचरण के लिए दंड

(2) विशेष रूप से तथा खंड (1) में दिये गये प्रावधानों की व्यापकता को किसी प्रकार सीमित करने अथवा उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसमें दिये गये तत्संबंधी प्रावधान अनुसार व्यापारिक सदस्य किसी प्रकार के कदाचार, अव्यावहारिक आचरण अथवा अव्यावसायिक के लिए निष्कासित किए जाने अथवा निलंबित किये जाने अथवा उसके सभी सदस्यता अधिकार अथवा उनमें से कुछ वापस ले लिए जाने और/अथवा जुर्माना अदा करने और/अथवा निंदा किये जाने, फटकारे जाने अथवा चेतावनी दिये जाने का दोषी होगा ।

कदाचार

(3) व्यापारिक सदस्य निम्नलिखित में से किसी अथवा उसके समरूप कृत्यों अथवा चूकों के लिए कदाचार का दोषी माना जाएगा इनमें मुख्य हैं :

(क) कपट : यदि वह दण्डनीय अपराध का दोषी सिद्ध किया गया हो अथवा उसने कपट धोखाधड़ी का ऐसा कृत्य किया हो जो संबंधित प्राधिकारी की राय में उसे व्यापारिक सदस्य के रूप में अयोग्य बना देता हो;

(ख) अतिक्रमण : यदि उसने एक्सचेंज, व्यापारिक सदस्यों तथा सामान्य रूप से प्रतिभूति कारोबार के कार्यकलापों, व्यवसाय तथा परिचालनों को विनियमित करने वाली किसी संविधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो;

(ग) अनुचित आचरण : यदि वह संबंधित प्राधिकारी की राय में एक्सचेंज पर असम्मानजनक अथवा अनादरपूर्ण अथवा उत्पाती अथवा अनुचित आचरण करने अथवा जानबूझकर एक्सचेंज के कारोबार में रुकावट डालने के लिए दोषी है;

(घ) नियमों, उप-विधि तथा विनियमों का उल्लंघन : यदि वह ऐसे व्यापारिक सदस्य का बचाव अथवा सहायता करता हो अथवा सूचित करने से छुपाता हो जिसके बारे में वह जानता है कि उसने एक्सचेंज के किसी नियम, उप-विधि और विनियम का अथवा उसके अधीन संबंधित प्राधिकारी अथवा किसी समिति अथवा अधिकारी अथवा इस संबंध में एक्सचेंज द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के किसी संकल्प, आदेश, नोटिस अथवा निर्देश का उल्लंघन अथवा अपवंचन किया हो;

(ङ) संकल्पों के अनुपालन में असमर्थ रहना : यदि वह संबंधित प्राधिकारी अथवा एक्सचेंज की किसी समिति अथवा अधिकारी अथवा एक्सचेंज की उपविधि, नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत उस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत किये गये अन्य व्यक्ति के किसी संकल्प, आदेश, नोटिस, निर्देश, निर्णय अथवा विनिर्णय का पालन करने अथवा अनुपालन करने विनिर्णय का पालन करने अथवा अनुपालन करने से इंकार करे अथवा उल्लंघन करे अथवा असफल रहे ।

(च) विवाचन के समक्ष प्रस्तुत होने अथवा उसका पालन करने में असमर्थ रहना : यदि एक्सचेंज की उपविधि, नियमों एवं विनियमों के अंतर्गत किसी मामले में संबंधित प्राधिकारी अथवा विवाचक समिति अथवा विवाचकों द्वारा दिए गए किसी अधिनिर्णय, निर्णय अथवा आदेश का कार्यान्वयन करने अथवा पालन करने में असफल रहता है अथवा उपेक्षा करता है अथवा विवाचन के समक्ष विचारार्थ पेश होने से इंकार करता है;

(छ) साक्ष्य देने अथवा जानकारी देने में असफल रहना : यदि वह संबंधित प्राधिकारी अथवा इसके लिए एक्सचेंज द्वारा प्राधिकृत किसी समिति अथवा अधिकारी के सामने ऐसी एक्सकें, पत्राचार, दस्तावेज और कागजात अथवा उनके किसी हिस्से को जोकि उसके भागीदारों, अटार्नी, अभिकर्ताओं, प्राधिकृत प्रतिनिधियों अथवा कर्मचारियों के लिए संबंधित प्राधिकारी अथवा एक्सचेंज की ऐसी समिति अथवा अधिकारी अथवा इसके लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति के सामने पेश होने और साक्ष्य देने के लिए प्रस्तुत करने अथवा अपील और साक्ष्य के लिए आवश्यक होंगे, प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा उपेक्षा करता है अथवा इंकार करता है;

(ज) विशिष्ट विवरणियां प्रस्तुत करने में असफल रहना : यदि वह संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये गये रूप में और इस प्रकार की उन जानकारियों के साथ जो आवश्यकता पड़ने पर संबंधित प्राधिकारी को जरूरी होंगी और जो संबंधित प्राधिकारी की राय में इस प्रकार की विशिष्ट विवरणियां अथवा जानकारी किसी एक अथवा सभी व्यापारिक सदस्यों द्वारा प्रस्तुत करना वांछनीय होगा, अधिसूचित की गयी समय सीमा के अंदर संबंधित प्राधिकारी को विशिष्ट विवरणियां प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है अथवा उपेक्षा करता है अथवा इंकार करता है;

(झ) लेखा परीक्षित लेखे प्रस्तुत करने में असमर्थ रहना : यदि वह संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की गयी समय सीमा के अंदर एक्सचेंज को लेखा परीक्षित लेखे प्रस्तुत कर पाने में असफल रहता है अथवा उपेक्षा करता है अथवा इंकार करता है;

(ञ) बाकीदार समिति के साथ लेखों की तुलना करने अथवा उन्हें लेखे प्रस्तुत कर पाने में असफल रहना : यदि वह बाकीदार समिति के साथ अपने लेखों की तुलना करने अथवा बाकीदार के साथ अपने खातों के विवरण को उन्हें प्रस्तुत करने अथवा इस आशय का एक प्रमाणपत्र, कि उसके पास ऐसा कोई खाता नहीं है देने में असफल रहना अथवा उपेक्षा करना अथवा यदि वह उसमें असत्य अथवा भ्रामक विवरण देता हो;

(ट) असत्य अथवा भ्रामक विवरणियां : यदि वह उपविधि, नियमों तथा विनियमों के अधीन एक्सचेंज को आवश्यक होने वाले संशोधन, फार्मों अथवा विवरणियों को प्रस्तुत करने में लापरवाही करता हो अथवा असफल रहता हो अथवा इंकार करता हो अथवा उसमें असत्य अथवा भ्रामक विवरण देता हो;

(ठ) क्लेशकर शिकायतें : यदि वह अथवा उसका अभिकर्ता संबंधित प्राधिकारी अथवा एक्सचेंज की समिति अथवा अधिकारी अथवा इस संबंध में प्राधिकृत अन्य व्यक्ति के समक्ष ऐसा आवेदन, शिकायत अथवा वाद पेश करता हो जो संबंधित प्राधिकारी की राय में तुच्छ, क्लेशकर अथवा दुर्भावनापूर्ण हो;

(ड) देय राशियों और फीस की अदायगी में असफल रहना : यदि वह उस पर देय होने वाले शुल्क, फीस, विवाचन प्रभार अथवा उसके द्वारा एक्से अन्य कोई राशि अथवा उस पर लगाये गये किसी अर्थदण्ड अथवा जुर्माने को अदा करने में असफल रहता है ।

अव्यावहारिक आचरण

(4) व्यापारिक सदस्य निम्नलिखित में से किसी अथवा उसके समरूप कार्यों अथवा चूकों के लिए अव्यावहारिक आचरण का दोषी माना जाएगा । इनमें मुख्य हैं :

(क) काल्पनिक नाम : यदि वह अपना स्वयं का व्यवसाय अथवा अपने संघटक का व्यवसाय काल्पनिक नामों में चलाता हो अथवा काल्पनिक नामों के जरिए एक्सचेंज के एक व्यापारिक सदस्य से अधिक में कारोबार करता हो;

(ख) काल्पनिक सौदे : यदि वह काल्पनिक सौदे करता हो अथवा ऐसी प्रतिभूतियों के क्रय अथवा विक्रय के लिए आदेश देता हो जिनके निष्पादन में स्वामित्व में कोई परिवर्तन न होता हो अथवा इस प्रकार के आदेश निष्पादित करता हो जिनके चरित्र के बारे में उसे पहले ही जानकारी हो;

(ग) अफवाहें फैलाना : यदि वह किसी प्रकार की अफवाहों को किसी भी रूप में प्रसारित करता हो अथवा उन्हें फैलाने में मददगार हो;

(घ) षड्यंत्र से प्रेरित कारोबार : यदि वह इस प्रकार के क्रयों अथवा विक्रयों के लिए अथवा प्रतिभूतियों की खरीद अथवा बिक्री के लिए प्रस्तावों के लिए, ऐसी आयोजना अथवा योजना बनाता हो अथवा उसमें सहायता देता हो अथवा ऐसा करने वालों में वह भी एक पक्ष हो, जिसका उद्देश्य शेयर बाजार के संतुलन की स्थिति को अस्त व्यस्त करना हो अथवा ऐसी स्थिति पैदा करता हो जिसमें कीमतें बाजार मूल्यों को उचित रूप से प्रदर्शित न करती हों ।

(ङ) बाजार में हेर-फेर करना और भाव बढ़ाना : यदि वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, अकेले ही अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ, किसी एक प्रतिभूति में, कई सौदे करता हो ताकि इस प्रकार की प्रतिभूति में वास्तविक अथवा ऊपरी तौर से सक्रिय व्यापार उत्पन्न किया जा सके अथवा दूसरों के द्वारा इस प्रकार की प्रतिभूति की खरीद अथवा बिक्री के लिए अभिप्रेरित करने के लिए कीमतों में वृद्धि अथवा गिरावट लायी जा सके;

(च) अनुचित कारोबार : यदि वह बाजार में अविवेचित अथवा अनुचित अथवा अव्यावहारिक सौदों में संलग्न हो अथवा अपने संघटकों के खाते के लिए अथवा ऐसे खाते के लिए जिसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसका हित हो, क्रय अथवा बिक्री करता हो, जो क्रय अथवा बिक्री उसके संघटकों के नजरिए से अथवा उसके अपने साधनों और वित्तीय संसाधनों और ऐसी प्रतिभूति के लिए बाजार के नजरिए से बहुत अधिक हो;

(छ) समझौता : यदि वह किसी व्यापारिक सदस्य की निजी असफलता की अनदेखी करता है अथवा प्रतिभूतियों के सौदे से उत्पन्न होने वाले व्यापारिक सदस्य के उधार बकाया के निपटान में पूर्ण और वास्तविक राशि के भुगतान से कम राशि स्वीकार करता है;

(ज) अस्वीकृत चेक : यदि वह अन्य किसी व्यापारिक सदस्य को अथवा उसके संघटकों को ऐसा चेक जारी करता है जो प्रस्तुत किए जाने पर किन्हीं कारणों से अस्वीकृत हो जाता है;

(झ) संघटकों के साथ सौदे पूरे करने में असफल रहना : यदि संबंधित प्राधिकारी की राय में वह अपने संघटकों के साथ वचनबद्ध सौदों को पूरा करने में असफल रहता है ।

अव्यावसायिक आचरण

(5) व्यापारिक सदस्य निम्नलिखित में से किसी अथवा उसके समरूप कृतों अथवा चूकों के लिए अव्यावसायिक आचरण का दोषी माना जाएगा । इनमें मुख्य हैं :

(क) उन प्रतिभूतियों में कारोबार जिनमें सौदे अनुमत नहीं हैं : यदि वह ऐसी प्रतिभूतियों के सौदे में शामिल होता है जिनमें सौदे अनुमत नहीं हैं;

(ख) बाकीदार संघटक के लिए कारोबार : यदि वह ऐसे संघटक के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सौदे या कारोबार करता है अथवा आदेश का निष्पादन करता है जो उसकी जानकारी में प्रतिभूतियों से संबंधित लेनदेनों को पूरा करने में असफल रहा है और उसने दूसरे व्यापारिक सदस्य को भुगतान में चूक की है जब तक कि ऐसे संघटक ने अपने उधारदाता व्यापारिक सदस्य के साथ संतोषजनक व्यवस्था न कर ली हो;

(ग) दिवालिया के लिए कारोबार : यदि वह बिना पहले संबंधित प्राधिकारी की सहमति प्राप्त किए ऐसे व्यक्ति के साथ जो दिवालिया रहा हो, भले ही ऐसे व्यक्ति ने दिवालिया मामलों के न्यायालय से अंतरिम उन्मोचन प्राप्त कर लिया हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसके कारोबार में हितबद्ध हो या जुड़ा हुआ हो अथवा कोई कारोबार करता हो;

(घ) निलंबन के दौरान बिना अनुमति कारोबार करना : यदि वह बिना संबंधित प्राधिकारी की अनुमति के अपने स्वयं के खाते पर अथवा मुख्य व्यक्ति के खाते पर अथवा व्यापारिक सदस्य के जरिए ऐसी अवधि के दौरान कारोबार करता हो जोकि संबंधित प्राधिकारी द्वारा एक्सचेंज पर कारोबार निलंबित रखने के लिए आवश्यक हो;

(ङ) निलंबित, निष्कासित तथा बाकीदार सदस्यों के लिए अथवा के साथ कारोबार : यदि वह संबंधित प्राधिकारी की विशिष्ट अनुमति के बिना ऐसे किसी व्यापारिक सदस्य के साथ दलाली का बंटवारा करता है अथवा कारोबार करता है अथवा उसके लिए या उसके साथ सौदे करता है जिसे निलंबित, निष्कासित किया गया है अथवा बाकीदार घोषित किया गया है;

(च) अन्य व्यापारिक सदस्यों के लिए कारोबार : यदि वह दूसरे नियोक्ता व्यापारिक सदस्य की लिखित सहमति के बिना उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा कर्मचारी के लिए अथवा के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कारोबार करता हो अथवा आदेश निष्पादित करता हो;

(छ) एक्सचेंज के कर्मचारियों के लिए कारोबार : यदि वह ऐसा सट्टात्मक सौदा करता है जिसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में एक्सचेंज के किसी कर्मचारी का हित निहित हो;

(ज) विज्ञापन : यदि वह व्यवसाय उद्देश्यों के लिए विज्ञापन देता है अथवा अपने संघटकों, एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्यों, बैंकों एवं संयुक्त स्टाक कम्पनियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को नियमित रूप से परिपत्र

अथवा अन्य व्यावसायिक संचार जारी करता है अथवा अपना नाम जोड़कर प्रचार-पुस्तिकाएं, परिपत्र अथवा शेयर बाजार से संबंधित कोई अन्य साहित्य अथवा रिपोर्ट अथवा जानकारी छापता है;

(झ) मार्जिन आवश्यकताओं का अपवंचन : यदि वह इस उप विधि तथा विनियमों में विनिर्दिष्ट की गयी मार्जिन आवश्यकताओं से जानबूझकर अपवंचन करता है अथवा अपवंचन के लिए प्रयास करता है अथवा अपवंचन में सहायता करता है;

(ञ) दलाली शुल्क : यदि वह दलाली शुल्क लगाने और उसके बंटवारे के बारे में उपविधि तथा विनियमों से जानबूझकर विसामान्य होता है अथवा अपवंचन करता है अथवा अपवंचन के लिए प्रयास करता है ।

भागीदारों, अभिकर्ताओं तथा कर्मचारियों के लिए व्यापारिक सदस्य की जिम्मेदारी

(6) व्यापारिक सदस्य अपने प्राधिकृत अधिकारियों, अटार्नी, अभिकर्ताओं, प्राधिकृत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के कृत्यों और चूकों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और यदि ऐसे किसी कृत्य अथवा चूक को संबंधित प्राधिकारी द्वारा इस समान पाया जाता है कि यदि वह व्यापारिक सदस्य द्वारा किया जाता तो एक्सचेंज की उप-विधि, नियमों और विनियमों में दिए गए प्रावधान अनुसार जिस प्रकार के दण्ड के लिए वह जिम्मेदार होता तब वह व्यापारिक सदस्य उसके लिए उसी दण्ड और उसी सीमा तक दायी होगा मानो कि वह कृत्य अथवा चूक उसने स्वयं की होती ।

मार्जिन जमाराशि और/अथवा पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को उपलब्ध करा पाने में असमर्थ रहने पर निलंबन

(7) यदि व्यापारिक सदस्य इस उप विधि, नियमों एवं विनियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार मार्जिन जमाराशि उपलब्ध करा पाने में और/अथवा पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों को पूरा करने में असफल रहता है तो संबंधित प्राधिकारी उसे अपना कारोबार निलंबित करने के लिए कहेगा और व्यवसाय का यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वह आवश्यक मार्जिन जमाराशि प्रस्तुत नहीं करता अथवा पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता । संबंधित प्राधिकारी इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यापारिक सदस्य को निष्कासित कर सकता है ।

कारोबार का निलंबन

(8) संबंधित प्राधिकारी व्यापारिक सदस्य को निम्नलिखित स्थितियों में आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से अपना कारोबार निलंबित करने के लिए कह सकता है :

(क) प्रतिकूल कारोबार : जब संबंधित प्राधिकारी की राय में व्यापारिक सदस्य बाजार में संतुलन की स्थिति में हेरफेर करने अथवा हतोत्साह की ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए जब कीमतें बाजार मूल्यों को ठीक प्रकार से प्रदर्शित नहीं करेंगी प्रतिभूतियों की खरीद अथवा बिक्री करके अथवा खरीद अथवा बिक्री के लिए प्रस्ताव करके ऐसे तरीके से कारोबार करता हो जो एक्सचेंज के लिए प्रतिकूल हो; अथवा

(ख) अनुचित कारोबार : जब संबंधित प्राधिकारी की राय में वह अनुचित कारोबार में संलग्न हो अथवा अपने संघटकों के लाभ के लिए अथवा ऐसे लाभ के लिए जिसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसका हित हो, क्रय अथवा बिक्री करता हो, जो क्रय अथवा बिक्री उसके संघटकों के नजरिए से अथवा उसके अपने साधनों और वित्तीय संसाधनों और ऐसी प्रतिभूति के लिए बाजार के नजरिए से बहुत अधिक हो; अथवा

(ग) असंतोषजनक वित्तीय स्थिति : जब संबंधित प्राधिकारी की राय में वह ऐसी वित्तीय स्थिति में हो कि उसके उधारदाताओं अथवा एक्सचेंज की सुरक्षा को देखते हुए उसे कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

निलंबन को हटाना

(9) उपरोक्त खंड (8) के अंतर्गत कारोबार का निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक कि संबंधित प्राधिकारी व्यापारिक सदस्य द्वारा ऐसी जमाराशि अदा करने पर अथवा उसके द्वारा ऐसा कार्य करने अथवा ऐसी वस्तु उपलब्ध कराने पर जैसा संबंधित प्राधिकारी कहेगा, कारोबार फिर से शुरू करने के लिए अनुमति नहीं देता ।

उल्लंघन के लिए दण्ड

(10) यदि व्यापारिक सदस्य जिसे अपना कारोबार निलंबित करने के लिए कहा जाएगा यदि इस प्रावधान के उल्लंघन का कार्य करता है तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा उसे निष्कासित कर दिया जाएगा ।

व्यापारिक सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा साक्ष्य तथा जानकारी देना

(11) व्यापारिक सदस्य को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अथवा अन्य समिति/समितियों के समक्ष अथवा इस संबंध में प्राधिकृत एक्सचेंज के किसी अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होना होगा और साक्ष्य देना होगा और अपने भागीदारों, अटार्नियों, अभिकर्ताओं, प्राधिकृत प्रतिनिधियों तथा कर्मचारियों को भी उपस्थित होने तथा साक्ष्य देने के लिए प्रेरित करना होगा और संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अथवा अन्य समिति/समितियों के समक्ष अथवा इस संबंध में प्राधिकृत एक्सचेंज के किसी अधिकारी के समक्ष ऐसी पुस्तकें, पत्राचार, दस्तावेज, कागजात एवं अभिलेख अथवा उसके हिस्से को प्रस्तुत करना होगा जो उसके कब्जे में होंगे और जो जांच-पड़ताल अथवा अन्वेषण के अंतर्गत किसी मामले में संगत अथवा तथ्यपूर्ण समझे जाएंगे ।

विधिक प्रतिनिधित्व के लिए अनुमति आवश्यक

(12) किसी जांच-पड़ताल अथवा संबंधित प्राधिकारी अथवा किसी अन्य समिति के समक्ष सुनवाई में किसी भी व्यक्ति को व्यावसायिक वकील, अटार्नी, एडवोकेट अथवा अन्य प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार नहीं रहेगा जब तक कि संबंधित प्राधिकारी अथवा अन्य समिति ऐसा करने के लिए अनुमति न दे ।

निलंबन अथवा निष्कासन से पूर्व स्पष्टीकरण

(13) व्यापारिक सदस्य इस बात के लिए हकदार होगा कि संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उसे बुलाया जाए और निलंबित अथवा निष्कासित किए जाने के पहले उसे अपने स्पष्टीकरण देने

का अवसर दिया जाए किन्तु सभी मामलों में संबंधित प्राधिकारी के निष्कर्ष अंतिम और निश्चायक होंगे ।

दंडों को लगाना

(14) निलंबन, सभी अथवा किसी सदस्यता अधिकारों को वापस लेना, जुर्माना, निंदा अथवा चेतावनी के दंड संबंधित प्राधिकारी द्वारा अलग-अलग अथवा एक साथ लगाए जाएंगे। निष्कासन का दंड सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाया जाएगा।

दंडों का पूर्व-निर्धारण

(15) संबंधित प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह दंडों, किसी प्रकार के निलंबन की अवधि, विशेष सदस्यता अधिकारों को वापस लेने तथा एक्सचेंज की उप-विधि, नियमों अथवा विनियमों अथवा उसके अंतर्गत एक्सचेंज के संबंधित प्राधिकारी अथवा अन्य समिति अथवा इस संबंध में प्राधिकृत एक्सचेंज के अधिकारी के किसी संकल्प, आदेश, नोटिस, निर्देश, निर्णय अथवा अधिनिर्णय के उल्लंघन, अपालन, अवज्ञा, अनादर, अथवा अपवंचन पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि के बारे में पूर्ण निर्धारण कर सकेगा ।

न्यूनकरण

(16) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के प्रावधानों के अध्यधीन संबंधित प्राधिकारी अपने विवेक से किसी मामले में निष्कासन के दंड के बदले में व्यापारिक सदस्य को निलंबित कर सकता है अथवा सभी अथवा कोई सदस्यता अधिकार वापस ले सकता है अथवा निलंबन अथवा निष्कासन के दंड के बदले में जुर्माना लगा सकता है और निदेश दे सकता है कि दोषी व्यापारिक सदस्य की निंदा की जाए अथवा उसे चेतावनी दी जाए अथवा उसे ऐसा दंड, ऐसे निबंधन और शर्तों पर, जैसा वह उचित और बराबर समझे कम कर सकता है अथवा प्रेषित कर सकता है ।

पुनर्विचार/समीक्षा

(17) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के प्रावधानों के अध्यधीन संबंधित प्राधिकारी अपने आवेदन पर अथवा संबंधित व्यापारिक सदस्य की अपील पर पुनर्विचार कर सकता है और सभी अथवा किसी सदस्यता अधिकार को वापस लेने अथवा किसी व्यापारिक सदस्य को जुर्माना लगाने अथवा चेतावनी देने के अपने संकल्प को निरस्त, रद्द अथवा संशोधित कर सकता है । इसी प्रकार संबंधित प्राधिकारी किसी व्यापारिक सदस्य के निष्कासन अथवा निलंबन के लिए अपने संकल्प को निरस्त, रद्द अथवा संशोधित कर सकता है ।

जुर्मानों एवं दण्डों को अदा करने में असफल रहना

(18) यदि कोई व्यापारिक सदस्य एक्सचेंज द्वारा उस पर लिखित रूप में नोटिस तामील किए जाने के बाद ऐसी अवधि के अंदर, जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाएगा । उस पर लगाए गए किसी जुर्माने अथवा दंड को अदा कर पाने में असमर्थ रहता है तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा उसे तब तक के लिए निलंबित कर दिया जाएगा जब तक कि वह अदायगी नहीं करता और यदि समय-समय पर निर्धारित की गयी आगे और अवधि के अंदर वह ऐसी अदायगी करने में असफल रहता है तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा उसे निष्कासित किया जा सकता है ।

निलंबन का परिणाम

(19) व्यापारिक सदस्य के निलंबन के निम्नलिखित परिणाम होंगे :

(क) सदस्यता अधिकारों का निलंबन : निलंबित व्यापारिक सदस्य अपनी निलंबन अवधि के दौरान संबंधित खंड के व्यापारिक सदस्यों की किसी साधारण सभा में भाग लेने अथवा वोट डालने के अधिकार सहित सदस्यता के सभी अधिकारों एवं विशेषाधिकारों से वंचित और अपवर्जित रहेगा किंतु यदि उसने निलंबन के पहले अथवा बाद में कोई अपराध किया हो तो संबंधित प्राधिकारी उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है और अन्य व्यापारिक सदस्यों द्वारा उसके खिलाफ किए गए दावे पर संज्ञान लेने और निर्णय देने अथवा उस पर विचार करने से संबंधित प्राधिकारी को विवर्जित नहीं किया जा सकेगा;

(ख) अक्षुण्ण उधारदाताओं के अधिकार : निलंबन से उन व्यापारिक सदस्यों के अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो निलंबित व्यापारिक सदस्य के उधारदाता हैं;

(ग) संविदाओं को पूरा करना : निलंबित व्यापारिक सदस्य के लिए उन संविदाओं को पूरा करना बाध्यकारी होगा जो उसके निलंबन के समय बकाया होंगे;

(घ) आगे के कारोबार पर प्रतिबंध : निलंबित व्यापारिक सदस्य अपने निलंबन की अवधि के दौरान किसी व्यापारिक सदस्य के साथ अथवा के जरिए कोई व्यापार या कारोबार नहीं कर सकेगा बशर्ते वह संबंधित प्राधिकारी की अनुमति से उसके निलंबन के समय बकाया सौदों को समाप्त कर सकता है अथवा व्यापारिक सदस्य के जरिए पूरा कर सकता है;

(ङ) व्यापारिक सदस्य सौदा न करें : कोई भी व्यापारिक सदस्य संबंधित प्राधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करने की स्थिति को छोड़कर निलंबित व्यापारिक सदस्य के लिए अथवा उसके साथ कोई सौदे का कारोबार नहीं करेगा न शेयर दलाली करेगा ।

निष्कासन के परिणाम :

(20) किसी व्यापारिक सदस्य के निष्कासन के निम्नलिखित परिणाम होंगे :

(क) व्यापारिक सदस्यता अधिकारों की जब्ती : निष्कासित व्यापारिक सदस्य की व्यापारिक सदस्यता का अधिकार और एक्सचेंज की किसी संपत्ति अथवा निधि के प्रयोग अथवा उस पर किसी दावे अथवा उसमें किसी हित सहित एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्य के रूप में उसके सभी अधिकार और विशेषाधिकार एक्सचेंज द्वारा जब्त कर लिए जाएंगे किन्तु एक्सचेंज के प्रति अथवा एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्य के प्रति ऐसे व्यापारिक सदस्य की कोई देयता होगी तो वह बरकरार रहेगी और उसके निष्कासन से वह अप्रभावित बनी रहेगी;

(ख) पद रिक्त : इस प्रकार के निष्कासन से निष्कासित व्यापारिक सदस्य द्वारा धारित पद अथवा कार्यालय में रिक्ति उत्पन्न होगी;

(ग) अक्षुण्ण उधारदाताओं के अधिकार : निष्कासन से उन व्यापारिक सदस्यों के अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो निष्कासित व्यापारिक सदस्य के लेनदार हैं;

(घ) संविदाओं को पूरा करना : निष्कासित व्यापारिक सदस्य के लिए उन संविदाओं को पूरा करना बाध्यकारी होगा जो उसके निष्कासन के समय बकाया होंगे और वह संबंधित प्राधिकारी की अनुमति से व्यापारिक सदस्य के साथ अथवा उसके जरिए ऐसे बकाया सौदों को बंद कर सकता है;

(ङ) व्यापारिक सदस्य सौदा न करें : कोई भी व्यापारिक सदस्य संबंधित प्राधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करने की स्थिति को छोड़कर निष्कासित व्यापारिक सदस्य के लिए अथवा उसके साथ कोई सौदे का कारोबार अथवा शेयर दलाली नहीं करेगा ।

निष्कासन नियमों का लागू होना

(21) मृत्यु, चूक अथवा त्यागपत्र के अलावा इस उप-विधि के प्रावधानों के अधीन जब कोई व्यापारिक सदस्य इस रूप में नहीं रह जाता है तो यह माना जाएगा कि ऐसे व्यापारिक सदस्य को संबंधित प्राधिकारी द्वारा निष्कासित कर दिया गया है और ऐसी स्थिति में इन नियमों में दिए गए निष्कासन संबंधी सभी प्रावधान सभी दृष्टियों में ऐसे व्यापारिक सदस्य पर भी लागू होंगे ।

कारोबार का निलंबन

(22) (क) जब कोई व्यापारिक सदस्य इस उप-विधि और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार और प्रतिभूति बनाए रखने में अथवा उपलब्ध करा पाने में असफल रहता है तो संबंधित प्राधिकारी उसे अपना कारोबार निलंबित करने के लिए कह सकता है और ऐसा निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वह प्रतिभूति के जरिए आवश्यक राशि की अदायगी नहीं करता ।

(ख) उल्लंघन के लिए दंड : यदि कोई व्यापारिक सदस्य जिसे उप-खंड (क) के अंतर्गत अपना कारोबार निलंबित करना है यदि इस उप-विधि के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा उसे निष्कासित कर दिया जाएगा ।

दंड का नोटिस और कारोबार का निलंबन

(23) किसी व्यापारिक सदस्य के कारोबार के निलंबन अथवा निष्कासन अथवा बाकीदारी अथवा निलंबन अथवा उसके ऊपर अथवा उसके भागीदारों, अटार्नियों, अभिकर्ताओं, प्राधिकृत प्रतिनिधियों अथवा अन्य कर्मचारियों पर लगाए गए अन्य दंडों की नोटिस संबंधित व्यापारिक सदस्य को दी जाएगी और सामान्य रूप से व्यापारिक सदस्यों को एक्सचेंज की उद्घरण प्रणाली पर एक नोटिस दी जाएगी । संबंधित प्राधिकारी अपने विवेकानुसार और ऐसे तरीके से जैसा वह उचित समझेगा एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्यों अथवा आम जनता के लिए यह अधिसूचना जारी करवा सकेगा अथवा जारी करने के लिए प्रेरित कर सकेगा कि जिस व्यक्ति का नाम इस प्रकार की अधिसूचना में दिया गया है उसे निष्कासित, निलंबित, दंडित किया गया है अथवा बाकीदार घोषित किया गया है अथवा उसने अपना कारोबार निलंबित कर दिया है अथवा अब वह व्यापारिक सदस्य नहीं रहा । ऐसे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की अधिसूचना के प्रकाशन अथवा परिचालन के लिए एक्सचेंज अथवा संबंधित प्राधिकारी अथवा एक्सचेंज के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के खिलाफ किसी भी परिस्थिति में कोई कार्रवाई अथवा अन्य कार्यवाही वादयोग्य नहीं होगी और व्यापारिक सदस्यता के लिए आवेदन अथवा गठित अटार्नी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में अथवा संबंधित व्यक्ति द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञापक के रूप में कार्य करेगा और यह उप-विधि, नियम तथा विनियम इस प्रकार के विज्ञापन अथवा अधिसूचना के मुद्रण, प्रकाशन अथवा परिचालन के लिए अनुमति के रूप में कार्य करेंगे और तदनुसार अभिवचनीय होंगे।

कृते नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड
जे. रविचंद्रन
कंपनी सचिव
एवं सहायक उपाध्यक्ष (विधि)

Company Limited by Shares

MEMORANDUM
AND
ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

National Stock Exchange of India Limited

प्ररूप आई० आर०

Form I. R.

निगमन का प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE OF INCORPORATION

ता० ——————————————————का सं०——————————————————

No. 11-69769..............*of* 1992......................

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि आज...

....

....

कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित की गई है और यह कम्पनी परिसीमित है।

I hereby certify that NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

....

is this day incorporated under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956) and that the company is limited.

मेरे हस्ताक्षर से आज ता०...को दिया गया।

Given under my hand at BOMBAY..............this TWENTYSEVENTH day of........ NOVEMBER. One thousand nine hundred and NINETYTWO.

(S. R. V. V. SATYANARAYANA)
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

No. 11—69769

कारबार प्रारम्भ करने के लिए प्रमाण-पत्र

Certificate for Commencement of Business

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 149 (3) के अनुसरण में

Pursuant of Section 149(3) of the Companies Act, 1956

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि...

....

....

जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन तारीख...को निगमित की गई थी और जिसने आज विहित प्ररूप में सम्यक् रूप से सत्यापित घोषणा फाइल कर दी है कि उक्त अधिनियम की धारा 149(1) (क) से लेकर (घ) तक/149(2) (क) से लेकर (ग) तक की शर्तों का अनुपालन किया गया है, कारबार प्रारंभ करने की हकदार है।

I hereby certify that the NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED........

....

....

which was incorporated under the Companies Act, 1956, on the TWENTYSEVENTH day of NOVEMBER 1992, and which has this day filed a duly verified declaration in this prescribed form that the conditions of section 149(1) (a) to (d)/149(2)(a) to (c) of the said Act, have been complied with is entitled to commence business.

मेरे हस्ताक्षर से यह तारीख..................................को.. में दिया गया।

Given under my hand at BOMBAY this SECOND day of March One thousand nine hundred and NINETYTHREE.

(S. K. MANDAL)
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
Addl. Registrar of Companies

जे० एस० सी०—10
J. S.C.—10

The Companies Act, 1956

Company Limited By Shares

Memorandum and Articles of Association

of

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED.

I. The name of Company is National Stock Exchange of India Limited.

II. The Registered office of the Company will be situated in the State of Maharashtra.

III. The objects for which the Company is established are

A. THE MAIN OBJECTS TO BE PURSUED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATION ARE.

1. To facilitate, promote, assist, regulate and manage in the public interest, designs in securities of all kinds (which shall include all securities defined as such under the Securities Contracts (Regulations) Act 1956 and all other instruments of any kind including money market instruments) and to provide specialised, advanced, automated and modern facilities for trading, clearing and settlement of securities, with a high standard of integrity and honour, and to ensure trading in a transparent, fair and open manner with access to investors from areas in or outside India

2. To initiate, facilitiate and undertake all steps of all such activities in relation to Stock Exchange, Money Markets, Financial Markets, Securities Markets, Capital Market, as are required for better investor service and protection, including but not limited to; taking measures for ensuring greater liquidity (both in terms of breadth and depth) of securities for the investor; providing easier access to the Exchange, facilitating inter-market dealings and generally to facilitate transactions in securities in a cost effectve, expeditious and efficient manner.

3. To support, develop, promote and maintain a healthy market in the best interests of the investor and the general pubilc and the economy and to introduce high standards of professionalism among themselves and with investors and the financial securities, money and capital markets in general.

B. The Objects Incidental or Ancillary to the attainment of the main objects :

4. To apply for and obtain from the Government of India, recognition of the Exchange as a recognised stock erchange for the purpose of managing the business of purchase, sale, dealings and transactions in the securities within the meaning of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Rules made thereunder.

5. To frame and enforce Rule, Bye-laws, and Regulations regulating the mode and manner, the conditions subject to which the business on the Stock, Exchange shall be tarnsacted and the rules of conduct of the members of the Exchange, including all aspects relating to membership, trading, the settlement, constitution of committees, delegation of authority and general diverse matters pertaining to the Exchange and also including code of conduct and business ethics for the members and from time to time, to amend or alter such rules, bye-laws and regulations or any of them and to make any new amended or additional rules, bye-laws or regulations for the purpose uforesaid.

6. To settle disputes and to decide all questions of trading methods, parctices, usages, custom or courtesy in the conduct of trade and business at the National Stock Exchange of India.

7. To fix, charge, recover receiver, security deposits, admission fee, fund subscriptions, subscription from members of the exchange or the company in terms of the Articles of Association and rules and bye-laws of the Exchange and also to fix, charge and recover deposits, margins, penalties, ad hoc levies and other charges.

8. To regulate and fix the scale of commission and brokerage and other charges to be charged by the members of the Exchange

9. To facilitate resolution of disputes by arbitration or to nominate arbitrators or umpires on such terms and in such cases as may seem expedient; to set up Regional or local arbitration panels and to provide or arbitration of all disputes and claims in respect of all transactions relating to or arising out of or in connection with or pertaining to transaction in securities and including arbitration of disputes between members of the exchange and between members of the exchange and persons who are not members of the exchange but constituents of members of the Exchange; and to remunerate such Arbitrators, Regional Arbitration panels or Local Panels and to make rules, by-laws and regulations in relation to such arbitration proceedings, the fees of arbitrators, the costs of such arbitration, and related matters and to regulate the procedures thereof and enforcement of awards and generally to settle disputes and to decide all questions of usage, customs or courtesy in the conduct of trade and business in securities.

10. To act as custodian or depository of securities of all kinds, by itself or in association with or through any other company or person or Department of the Government or authority for purposes of storage, in any form gratuitously or otherwise, letting on hire and otherwise disposing off safes strong rooms and other receptacles for money, securities and securities or documents of all kinds.

11. To establish and maintain or to arrange or appoint agents, to establish and maintain clearing house for the objects and purposes of the Company or maintain a stock holding and clearing corporation, depository cleaning house or division and to control and regulate the working and administartion thereof.

12. To enter into any arrangements with the government which may seem desirable and to obtain from such Government any powers, rights, licences, privileges of concessions which may be deemed necessary and desirable for the purposes set out in the Meomrandum.

13. To act as Trustees of any deeds constituting or securing any debentures, deventure stock or other securities or obligations and to undertake and execute any other trusts and also undertake the office of or exercise the powers of executor, administrator, receiver, custodian and trust corpoartion.

14. To constitute any trusts with a view to the issue of preferred and deferred or any other special stocks, securities, certificates or other documents based on or representing any shares, stocks, securities certificates or other document or other assets appropriated for the purpose of any such trust and to settle and regulate, and, if required, to undertake and execute any such preferred, deferred of other special stocks, securities, certificates or documents.

15. To enter into arrangements with any State or Authority central or state municipal local or otherwise which may seem conducive to the Company's objects or any of them and to obtain from any such Government or Authority any concession grants or decrees rights or privileges whatsoever which the Company may think fit or which may seem to the Company capable of being turned to account and to comply with work, develop, carry out, exercise and turn to account any such araringements, concession garnts, decrees, rights or privileges

16. To acquire, collect, preserve, disseminate or sell statistical or other information in connection with the trade, to maintain a libray and to print, publish, undertake, manage and carry on any newspaper, journal, magazine, pamphlet, official year book, daily or other periodical quotation lists or other works in connection with or in furtherance of the object of the Exchange.

17. To improve and elevate the technical and business knowledge of persons engaged in or about to be engaged in trade, banking commerce, finance or company administration or dealing in stocks, shares and like securities or in connection therewith and with a view thereto provide for delivery of lectures and the holding of classes and to test by examination or otherwise the competence of such persons and to award certificates and diplomats and to institute and establish scholarship, grants and other benefications and to set up or form any such technical or educational institutions and to run and administer it.

18. To subscribe for becoming a member of and co-operate with any other association whether incorporated or not, whose objects are to promote the interests represented by Exchange or to promote general commercial and trade interests and to procure from and communicate to such association such information as may further the objects of the Exchange or promote measures for the protection of the trade or any interest therein.

19. To take part in the management of or set up an advisory or research division and act as consultants and advisers for the setting up and organising of Exchanges in India or abroad, and to act as consultants for securities and their marketing and advising on the incidents and features of trading on the Exchange and to enter into an association with any other Exchange in India or abroad whether by subscription or on a co-operation principle for furthering the objects of the company.

20. To enter into any partnership or arrangement in the nature of a partnership, co-operation or union of interest, with any person or persons, company or corporation engaged or interested or about to become engaged or interested in the carrying on or conduct or any business or enterprises which this company is authorised to carry on or conduct or from which the company would or might derive any benefit whether direct or indirect.

21. To appoint trustee (whether individuals or corporations) to hold securities on behalf of and to protect the interest of the company.

22. To amalgamate with any Company or companies or associations having objects altogether or in part similar to those of this company.

23. To form, promote, subsidise or organise and assist or aid in forming, constituting promoting, subsidising, organising and assisting or aiding companies or partnership of all kinds for the purpose of acquiring any undertaking or any property whether movable or immovable, whether with or without pliability of such undertaking or company or any other company, for advancing directly or indirectly the objects hereof and to take or otherwise acquire hold and dispose of shares, debentures and other securities in or of any such company and to subsidise or otherwise assist or manage or own any such company.

24. To do in India or any other part of the world either as principals, agents, trustees, contractors or otherwise and then alone or in conjunction with others and either by or through agents, contract, trustees or otherwise to the attainment of the objects of the Company.

5. To own, establish or have and maintain offices, branches and agencies in or out of India for its business and for securing its Customers.

26. To exercise all or any of its corporate powers, rights and privileges and to conduct its business in all or any of its branches in the Union of India and in any or all states, territories, possessions, colonies and dependencies thereof and in any or all foreign countries and for this purpose and agencies therein as may be convenient.

27. To subscribe, contribute, make donations or grants or guarantee money for any general or useful object or fund or institution and to aid pecuniarily or otherwise, any association, body or movement.

28. To establish and support or assist in the establishment and support of any funds, (whether Broker Protection fund or Investor Protection Fund or any other funds) trusts and conveniences calculated to advance and further the objects and purposes of the Company and the Capital and Financial markets in general.

29. To make payments or disbursements out of the funds or other movable property of the Company for any of the purposes specified in the those presents and the Articles of Association and Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange and to make draw, accept, endorse, discount, execute warrants, debentures or other negotiable or transferable documents.

30. To seek for and secure openings and opportunities for the employment of capital with the view to prospect, inquire, examine, explore and test the capital and security markets and despatch and employ expeditions, commissions and other agents for the business of the company.

31. To borrow, raise loans in any form, received deposits, create indebtedness, to receive grants or advances (whether interest free or not) equity loans or raise any monies required for the objects and purposes of the company upon such terms and in such manner and with or without security as may from time to time be determined and in particular by the issue of debentures, debenture stock, bonds or other securities, provided always and it is hereby expressly declared as an original and fundamental condition of any such borrowing or raising of monies, that in all cases and under all circumstances any person claiming payment whether of principal or interest or otherwise howsoever in respect of the monies so borrowed or raised shall be entitled to claim such payment only out of the funds, properties and other assets of the Company which alone shall be deemed to be liable to answer and make good all claims and demands whatsoever under and in respect of the monies so borrowed or raised and not the personal funds, properties and other assets of all or any one or more of the Members of the Board of Directors or members of the Company, their or his heirs, executors, administrators, successors and assigns who shall not and shall not be deemed to in any way incur any personal liability or render themselves or himself personally subject or liable to any claims or demands or be charged under and in respect of the monies so borrowed or raised, and in the event of the funds, properties and other assets of the Company being insufficient to satisfy the claims of all persons claiming payment as aforesaid, the right of any such person shall be limited to and he shall not be entitled to claim anything more than his part or share of such funds, properties and other assets of the Company in accordance with the terms and conditions on which the monies have been so borrowed or raised.

32. To invest, lend or advance the monies of the company not immediately required in or upon such security and with or without interest and in such other investments as may from time to time be determined by the company

33. For all or any of the purposes of the Company to draw, make, accept, endorse, discount, execute, issue, negotiate and sell bills of exchange, promissory notes, cheques, bills of lading, warrants, debentures and other negotiable instruments with or without security and also to draw and endorse promissory notes and negotiate the same and also take and receive advances by discounting or otherwise with or without security, upon such terms and conditions as the company deems fit and also to advance any sum or sums of monies upon materials or other goods or any other things of the company upon such terms and securities as the company may deem expedient.

34. To receive money on deposit or otherwise upon such terms and conditions as the Company may approve, and to give guarantee and indemnities in respect of debts and contracts of others.

35. To secure or discharge any debt or obligation of or binding in such manner as may be thought fit and in particular by mortgage and charge upon the undertaking and all or any of the assets and property (present and future) and the uncalled capital of the Company or by the creation and issue on such terms as may be thought expedient, of debentures, debenture-stock, or other securities of any description or by the issue of shares credited as fully or partly paid-up.

36. To give guarantee, and carry on and transact every kind of guarantee and counter guarantee business and in particular the payment of any principal monies, interest or other monies secured by or payable under debentures, bonds debenture-stock, mortgage, charges, contracts, obligations and securities and the payment of dividends on the repayment of, the capital stock and shares of all kinds and descriptions.

37. To undertake and subscribe for, conditionally or unconditionally, stocks, shares and securities or any other Company.

38. To acquire any such shares, stocks, debentures, debenture-stocks, bonds, obligations or securities by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise and to subscribe for the same either conditionally or otherwise, and to guarantee to the subscription thereof and to exercise and enforce all rights and powers conferred by or incident to the ownership thereof in furtherance of the objects of the Company.

39. To erect, construct, extend and maintain suitable building(s) or premises for the use by the Company or its members and for any other purposes of the Company and to alter, add, modify change to or remove or replace or substitute, or augment space in any such building or buildings.

40. To acquire by purchase, taking on lease or hire purchase or on suppliers credit or otherwise and to develop any property movable or immovable and any rights or privileges necessary or convenient for the purposes of the company and in particular any land, buildings, easements or safe deposit vaults or depositories or custody facilities.

41. To sell, insure mortgage, exchange, lease, let underlease or sub-let, grant licences, easement and other rights over, improve, manage, develop and turn account and in any other manner deal with or dispose of the undertaking, investments, property, assets, rights and effects of the Company or any part thereof for such considerations as may be though fit, including any stocks, shares or securities of any other company, whether partly or fully paid up.

42. To train or pay for the training in India or abroad of any of the company's employees or any candidate in the interest of or for the furtherance of the company's objects.

43. To provide for the welfare of employees or ex-employees of the company and the wives and families or the dependents or connections of such person by building or contributing to the building of houses or dwellings or by grants of money pensions, allowances, bonus or other payments or by creating from time to time, subscribing or contributing to provident and other associations institutions funds or trustees and by providing or subscribing or contributing towards place of instruction and recreation hospitals and dispensaries medical and other attendance and other assistance as the company shall think fit.

44. To indemnify officers, Directors, promoters and servants of the company against proceedings, costs, damage, claims and demands in respect of anything done or ordered to be done for and in the interest of the Company of for any loss or damage or misfortune whatever happens in execution of duties of their offices or in relation whereto.

45. To do all such other things as are incidental or conducive to the above objects or any of them.

Other Objects

46. To take part in the management, supervision or control of the business or operations of any company or undertaking and for that purpose to render technical and professional services and act as administrators or in any other capacity, and to appoint and remunerate any directors, administrators or accountants or other experts or agents for consideration or otherwise.

AND it is hereby declared that :

(a) The objects incidental or ancillary to the attainment of the main objects of the company as aforesaid shall also be incidental or ancillary to the attainment of the other objects of the company herein mentioned.

(b) The word "Company" save when used in reference to this Company in this clauses shall be deemed to include any partnership or other body of persons whether incorporated and not incorporated whether domiciled in India or elsewhere, and

(c) The several sub-clauses of this Clause and all the powers thereof are to be cumulative and in no case is the generality of any one sub-clause to be narrowed or restricted by any particularity of any sub-clause nor is any general expression in any sub-clause to be narrowed or restricted by any particularity of expression in the same sub-clause or by the application of any role of construction ejusdem generis or otherwise.

(d) The term "India" when used in this clause unless repugnant to the context shall include all territories from time to time comprised in the Union of India.

V. The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 25,00,00,000 (Rupees Twenty Five-Crores) divided into 2,50,00,000 (Two Crore Fifty Lakhs) Equirty Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each, with power to increase and reduce the capital of the Company.

We, the several persons whose names, addresses, descriptions and occupations are here into subscribed, are desirous of being formed into a company in pursurance of this Memorandum of Associations and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the Company set opposite our respective names.

Name, Address and Description of the Subscriber	Number of Shares taken by each Subscriber	Signature(s)	Witness
	Equity Shares		
1. INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA IDBI Tower, Cuffe Parade, Bombay-400005. *Represented by its Executive Director* DR. RAMCHANDRA HANMANT PATIL (S/o H. R. Patil)	ONE	Sd/-	Sd/- V. NARAYANA MURTHY (S/o V. Dakshina Murthy) C/o INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA, IDBI Tower, Cuffe Parade, Bombay-400005
2. THE INDUSTRIAL CREDIT AND INVESTMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED 163, Backbay Reclamation, Bombay-400020 *Represented by its Managing Director* SHRI BHUPENDRANATH VIDYANATH BHARGAVA (S/o Vidyanath Bhargava)	ONE	Sd/-	
3. GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA Suraksha Building, 170 Jamshedji Tata Road, Churchgate Bombay-400020 *Represented by its Chairman* SHRI SANKARA VENKITASUBRAMONY (S/o V. Sankara Iyer)	ONE	Sd/-	
4. LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA Yogakshema, Bombay-400020 *Represented by its Chief Investments* SHRI BALDEV RAJ GUPTA (S/o Hans Raj Gupta)	ONE	Sd/-	
5. SHRI G. SREERAMA MURTY S/o Late Shri Tataiah *C/o* Industrial Development Bank of India IDBI Tower, Cuffe Parade Bombay-400005 Occupation : Service	ONE	Sd/-	
6. SHRI ARINDRAJIT LAHIRI S/o Late Shri M. L. Lahiri *C/o* Industrial Development Bank of India IDBI Tower, Cuffe Parade Bombay-400005 Occupation : Service	ONE	Sd/-	
7. SHRI RAVI NARAIN S/o Late Shri Dharam Narain *C/o* Industrial Development Bank of India IDBI Tower, Cuffe Parade Bombay-400005 Occupation : Service	ONE	Sd/-	

For National Stock Exchange of India Ltd.
J. Ravichand, Company Secretary &
Asstt. Vice President (Legal)

COMPANY LIMITED BY SHARES

ARTICLES OF ASSOCIATION

OF

NATIONAL STOCK EXCHANGE

OF INDIA LIMITED

The Regulations contained in Table A in the First Schedule to the Companies Act, 1956 shall not apply to the Company, but the regulations for the management of the Company and for the observance by the members thereof and their representatives shall subject to any exercise of the statutory powers of the Company with reference to the repeal or alteration of, or addition to its regulations by Special Resolution, or as prescribed by the Companies Act, 1956 be such as are contained in these Articles.

Interpretation

1. In these presents, the following words and expressions shall have the following meaning unless excluded by the subject or the context,

(a) "The Act" or "the said Act" shall mean The Companies Act, 1956 and includes every statutory modification or replacement thereof, for the time being in forme.

(b) "Bye-laws", "Rules" and "Regulations" shall mean the Bye-Laws Rules and Regulations of the Exchange, for the time being in force.

Explanation : 'Rules' shall include Memorandum and Articles of Association of the Company.

(c) "Company" shall mean "National Stock Exchange of India Limited".

(d) "Exchange" shall mean one or more undertakings of the Company wherein the dealings in securities by Trading Members of the Exchange shall be conducted.

(e) "Executive Committee" shall mean the Executive Committee(s) constituted and appointed by the Board pursuant to and in the manner prescribed in these presents, to manage day-to-day affairs of the Exchange. A member of the Executive Committee shall be called a "Executive Committee member".

e (f) "Board", "Board of Directors" or "the Directors" shall mean the Board of Directors of the Company or the Directors of the Company collectively.

(g) "Members of the Company" or "Members" shall mean the duly registered holders, from time to time, of the shares of the Company and include the subscribers to the Memorandum of Association of the Company.

(h) "The Office" shall mean the registered office for the time being of the Company.

(i) "Register" shall mean the register of the members to be kept pursuant to Section 15 of the Act.

(j) "SCR Act" shall mean the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and include any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force.

(k) "Seal" shall mean the Common Seal for the time being of the Company.

(l) "SEBI Act" shall mean the Securities and Exchange Board of India, Act, 1992 and include any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force

(m) "Trading Member of the Exchange" or "Trading Member" shall mean a member of the Exchange.

Explanation : There may be more than one class of Trading members of the Exchange as may be determined by the Board from time to time. A trading member of the Exchange shall not have any rights as a member of the Company. A 'Trading member' is necessarily required to be a member of the Company.

(n) "Writing" shall include printing, typewriting, lithography and any other usual substitutes for writing.

(o) "Year" shall mean "Financial Year of the Company".

2. (a) Words importing persons shall include companies, corporations, firms, joint families or joint bodies, association of persons, societies, trusts, public financial institutions, subsidiaries of any of the public financial institutions or banks or companies;

(b) Words importing the masculine gender shall include the feminine and vice versa and neutral gender in the case of companies, corporations, firms etc.

(c) Words importing the singular shall include the plural and vice versa.

(d) Unless otherwise defined in these presents or unless the context requires or indicates a different meaning, any words or expression occurring in these presents shall bear the same meaning as in the Companies Act, 1956 and the SCR Act and the SEBI Act, or any modifications or re-enactments thereof or any Rules framed thereunder.

(e) Marginal notes shall not affect the construction hereof.

Share Capital

3. Capital—The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 25.00.00,000/- (Rupees Twenty Five Crore) divided into 2.50,00 000 (Two Crore Fifty Lakhs) Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each.

4. Register of Members and Debenture-holdres etc.—The Company shall cause to be kept a Register of Members, an Index of members, a Register of Debenture-holders and an Index of Debenture-holders in accordance with Sections 150, 151 and 152 of the Act.

5. Inspection of Register of Members and Debenture-holders etc.—The Register of Members, the Index of Members, the Register and Index of Debenture-holders, copies of all Annual Returns prepared under Section 159 of the Act, together with the copies of certificates and documents required to be annexed thereto under Section 161 of the Act shall, except when the Register of Members or Debenture-holders is closed under the provisions of the Act or these presents, be open during business hours (subject to such reasonable restriction as the Company may impose) to inspection of any Member or Debenture-holder gratis and to inspection of any other person on payment of such sum as may be prescribed by the Act for each inspection. Any such Member or person may take extracts therefrom on payment of such sum as may be prescribed by the Act.

6. The Company to send extract of Register, etc.—The Company shall send to any Member, Debenture-holder or other person on request, a copy of the Register of Members, the Index of Members, the Register and Index of Debenture-holders or any part thereof required to be kept under the Act, on payment of such sum as may be prescribed by the Act. The copy shall be sent within a period of ten days, exclusive of non-working days, commencing on the day next after the day on which the requirement is received by the Company.

7. Restriction on allotment.—The Board shall observe the restriction as to allotment contained in Sections 69 and 70 of the Act and shall cause to be made the returns as to allotment provided for in Section 75 of the Act.

8. Shares at the disposal of the Governing Board.—Subject to the provisions of the Act and these presents, the shares in the Capital of the Company for the time being (including any shares forming part of any increased capital of the Company) shall be under the control of the Directors who may allot or otherwise dispose off the same or any of them to such persons in such proportions and on such terms and conditions and either at a premium or at par or (subject to compliance with the provision of Section 79 of the Act) at a discount and at such times as they may from time to time think fit and proper.

Provided that option or right to call shares shall not be given to any person except with the sanction of the Company in General Meeting.

9. Board may allot shares as fully paid-up or partly paid-up.—Subject to the provisions of the Act and these presents the Board may allot and issue shares in the capital of the Company as payment or part payment for any property sold or goods transferred or machinery supplied or for services rendered to the Company and any shares which may be so allotted may be issued as fully paid-up or partly paid-up and if so issued shall be deemed to be fully paid-up shares or partly paid-up shares.

10. Acceptance of Shares.—Any application signed by or on behalf of an applicant for shares in the Company, followed by an allotment of any shares therein, shall be an acceptance of shares within the meaning of these presents; and any person who thus or otherwise accepts any shares and whose name is on the Register of Members shall for the purpose of these presents be a Member.

11. Deposit and calls, etc .to be a debt payable immediately.—The money, (if any), which the Board shall, on allotment of any shares being made by them, require or direct to be paid by way of deposit, call or otherwise, in respect of any shares allotted by them, shall, immediately on insertion of the name of allottee in the Register of Members as the name of the holder of such shares, become a debt due to and recoverable by the Company from the allottee thereof, and shall be paid by him accordingly.

12. Instalments on shares.—If, by the conditions of allotment of any share, the whole or part of the amount or issue price thereof shall be payable by instalments, every such instalment shall, when due, be paid to the Company by the person who, for the time being and from time to time, shall be the registered holder of such share or his legal representative.

13. Calls on shares of the same class to be on uniform basis.—Where any calls for further share capital are made on shares, such call shall be made on a uniform basis on all shares falling under the same class. For the purpose of this Article, shares of the same nominal value on which different amounts have been paid-up shall not be deemed to fall under the same class.

14. Company not bound to recognise any interest in shares other than that of the registered holder.—Save as herein otherwise provided, the Company shall be entitled to treat the person whose name appears on the Register of Members as the holder of any shares as the absolute owner thereof and accordingly shall not (except as ordered by a Court of competent jurisdiction or as by law required) be bound to recognise any benami, trust or equity or equitable, contingent or other claim to or interest in such share on the part of any other person whether or not it shall have express or implied notice thereof.

15. Company's funds may not be applied in purchase of or lent on shares of the Company.—Except to the extent permitted by Section 77 of the Act no part of the funds of the Company shall be employed in the purchase of or lent on the security of the shares of the Company.

16. Liability of Members.—Every member shall pay to the Company the portion of the capital represented by his share or shares, which may for the time being remain unpaid thereon, in such amounts at such time or times and in such manner as the Board shall, from time to time, require or fix payment thereof.

17. Trusts not recognised.—Except as ordered by a Court of Competent Jurisdiction or as provided by the Act, no notice of any trust, expressed or implied or constructive, shall be entered on the Register of Members or of Debenture-holders of the Company.

Underwriting Commission

18. (i) Commission for placing of shares.—The Company may at any time pay a commission to any person for subscribing or agreeing to subscribe (whether absolutely or conditionally) for any shares, debentures or debenture stock or any other security of the company or for procuring or agreeing to procure subscriptions (whether absolute or conditional) for any share debentures or debenture stock for any other security of the Company but so that if the commission in respect of shares shall be paid or payable out of capital the statutory conditions and requirements shall be observed and complied with and the amount or rate of commission shall not exceed the rates prescribed by the Act. The Commission may be paid or satisfied in cash or in shares, debentures or debenture stock of the Company.

(ii) The Company may also, on issue of such shares pay such brokerage as may be permissible under the Act.

Certificate

19. Certificates how to be issued.—The certificate of title to share shall be issued under the Seal of the Company and shall bear the signature of two Directors or persons acting on behalf of the Directors under a duly constituted Power of Attorney or some other persons appointed by the Board for the purpose. The certificate of such shares shall subject to provisions of Section 113 of the Act be delivered in accordance with the procedure laid down in Section 153 of the Act within three months after the allotment or within two months after the application for the registration of the transfer of such share as the case may be. Provided always that notwithstanding anything contained in these Articles, the certificate of title to share may be executed and issued in accordance with such other provisions of the Act or Rules made thereunder, as may be in force for the time being and from time to time.

20. Member's right to Certificates.—Every Member shall be entitled without payment to one certificate for all the shares of each class or denomination registered in his name or, if the Directors so approve (upon paying such fee or fees or at the discretion of the Directors without payment of fees as the Directors may from time to time determine) to several certificates each for one or more shares of each class. Every certificate of shares shall contain such particulars and shall be in such form as prescribed by the Companies (Issue of Certificates) Rules, 1960 or any other Rules in substitution or modification thereof. Where a Member has transferred a part of the shares comprised in his holding he shall be entitled to a certificate for the balance without charge.

21. As to issue of new certificate in place of on defaced, lost or destroyed.—(1) A certificate may be renewed or a duplicate of a certificate may be issued if (a) such certificate(s) is proved to have been lost or destroyed, or (b) having been defaced or mutilated or torn, is surrendered to the Company or (c) has no further space on the back thereof for endorsement or transfer.

(2) The manner of issue or renewal of a certificate or issue of a duplicate thereof, the form of a certificate (original or renewed) or of a duplicate thereof, the particulars to be entered in the Register of Members or in the Register or renewed or a duplicate certificates, the form of such Registers, the fee on payment of which the terms and conditions on which a certificate may be renewed or a duplicate thereof may be issued, shall be such as prescribed by the Companies (issue of Share Certificates) Rules, 1960 or any other Rules in substitution or modification thereof.

Calls

22. Calls :—The Director may, from time to time, make such calls as they think fit upon the Members in respect of all monies unpaid on the shares held by them respectively and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times, and each Member shall pay the amount of every call so made on him to the person and at the times and places appointed by the Directors. A call may be made payable by installments.

23. Notice of call :—A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Directors authorising such call was pessed and may be made payable by Members on the Register of Members on such date or at the discretion of the Directors on such subsequent date as shall be fixed by the Directors.

24. Not less than fourteen days notice of every call shall be given specifying the time of payment provided that before the time for payment of such call the Directors may by notice in writing to the Members, revoke the same.

25. Board may extend time :—The Directors may from time to time, at their descretion, extend the time fixed for the payment of any call and may extend such time as to all or any of the Members whom the Directors may deem entitled to such extension save as a matter of grace and favour.

26. Libality of Joint-holders.—Tht joint-holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.

27. Amount payable at fixed time or by instalments as calls.—If by the terms of issue or any share or otherwise any amount is made payable at any fixed time or by instalments at fixed times, whether on account of the amount of the share or by way of premium, every such amount or instalments shall be payable as if it were a call duly made by the Directors and of which due notice has been given and all the provisions herein contained in respect of calls shall relate to such amount or instalments accordingly.

28. When interest on call or instalment payable.—If the sum payable in respect of any call or instalment be not paid on or before the day appointed for payment thereof the holders for the time being or allottee of the share in respect of which a call shall have been made or the instalment shall be due shall pay interest on the same at such rate as the Directors shall fix from time to time from the day appointed for the payment thereof to the time of actual payment, but the Directors may waive payments of such interest wholly or in part.

29. Partial payment not to preclude forfeiture :—Neither a judgement nor a decree in favour of the Company for calls or other monies due in respect of any shares nor any payment or satisfaction thereunder nor the receipt by the Company of a portion of any money which shall from time to time be due from the Member in respect of any shares either by way of principal or interest nor any indulgence granted by the Company in respect of payment of any money shall preclude the forfeiture of such shares as herein provided.

30. Payment in anticipation of calls may carry interest :—The Directors may, if they think fit receive from any Member willing to advance the same all or any part of the moneys due upon the shares held by him beyond the sums actually called for, and upon the moneys so paid in advance or so much thereof as from time to time exceeds the amount of the calls then made upon the shares in respect of which such advance has been made the Company may pay interest at such rate as the Member paying such sum in advance and the Directors agree upon and the Directors may at any time repay the amount so advanced upon giving to such Member one month's notice in writing.

31. Members not entitled to privileges of membership until all calls are paid :—No Member shall be entitled to receive any divident or exercise any privilege as a Member until he shall have paid all calls from the time being due and payable on every share held by him, whether alone or jointly with any person, together with interest and expenses if any.

32. If call or instalment not paid notice must be given.—If any Member fails to pay the whole or any part of any call or instalment or any money due in respect of any shares either by way of principal or interest on or before the day appointed for the payment of same the directors may at any time thereafter during such time as the call or instalment or any part thereof or other moneys remain unpaid or a judgement or decree in respect thereof remains unsatisfied in whole or in part serve a notice on such Member or on the person (if any) entitled to the share by transmission requiring him to pay such call or instalment or such part thereof or other moneys as remain unpaid together with any interest that may have accrued and all expenses (legal or otherwise) that may have been paid or incurred by the Company by reason of such non-payment.

33. Form of Notice.—The notice shall name a day not being less than fourteen days from the day of the notice and the place or places on and at which such call or instalment or such part or other moneys as aforesaid and such interest and expenses as aforesaid are to paid. The notice shall also state that in the event of non-payment at or before the time and at the place appointed the share in respect of which the call was made or instalment is payable will be liable to be forfeited.

34. In default of payment shares to be forfeited.—If the requisitions of any such notice as aforesaid are not complied with, any of the shares in respect of which such notice has been given may at any time thereafter before payment of all calls or instalments, interest and expenses or the money due in respect thereof, be forfeited by resolution of the Directors to the effect. Such forfeiture shall include all dividends declared in respect of the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture, subject to Section 205-A of the Act.

35. Entry of forfeiture on Register of Members.—When any share shall have been so forfeited an entry of the forfeiture with the date thereof shall be made in the Register of Members.

36. Forfeited shares to be property of the Company and may be sold etc.—Any share so forfeited shall be deemed to be the property of the Company and may be sold reallotted or otherwise disposed of either to the original holder thereon or to any other person upon such terms and in such manner as the Directors shall think fit.

37. Power to annual forfeiture.—The Directors may at any time before any share so forfeited shall have been sold, reallotted or otherwise disposed off, annual the forfeiture thereof upon such conditions as they think fit.

38. Shareholders still liable to pay money owing at time of forfeiture and interest.—Any Member whose share have been forfeited shall, notwithstanding the forfeiture, be liable to pay and shall forthwith pay to the company all calls, instalments, interests, expenses and other monies owing upon or in respect of such shares at the time of the forfeiture together with instrest thereon from the time of the forfeiture until payment, at such rates as may be prescribed by the Directors and the Directors may enforce the payment of the whole or a portion thereof if tthey think fit but shall not be under any obligation to do so.

39. Company's lien on shares :—The Company shall have no lein on its fully paid shares. In the case of partly paid up shares, the Company shall have a first and paramount lien only for all monies called or payable at a fixed time in respect of such shares. Any such lien shall extend to all dividends, from time to time, declared in respect of such shares subject to Section 205 of the Act. Unless otherwise agreed the registration of a transfer of shares shall operate as a waiver of the Company's lien if any, on such shares.

40. As to enforcing lien by sale.—For the purpose of enforcing such lien the Directors may sell the shares subject thereto in such manner as they think fit, but no sale be made unless certain sum in respect of which the lien exists is presently payable nor until notice in writing of the intention to sell shall have been served on such Member or the person (if any) entitled by transmission to the share and default shall have been made by him in payment of the sum presently payable for seven days after such notice.

41. Application of proceeds of sale.—The net proceeds of any such sale after payment of the costs of such sale shall be applied in or towards the satisfact on of the debt or liability in respect whereof the lien exists so far as the same is presently payable and the residue (if any) paid to the Member or the person (if any) entitled to the transmission of the shares so sold.

42. Certificate of forfeiture.—A certificate in writing under the hands of any Directors, Manager or the Secretary of the Company, that the call in respect of a share was made, and that the forfeiture of the share was made, by a resolution of the Directors to that effect, shall be conclusive evidence of the fact stated therein as against all persons entitled to such share.

43. Title of purchaser and allottee of forfeitde shares.—The Company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale, reallotment or other disposition therof and the person to whom such share is sold reallotted or disposed of may be registered as the holder of the share and such person shall not be bound to see to the application of the consideration, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale, reallotment or other disposal of the share and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against the Company exclusively.

44. Application of the forfeiture provisions.—The provisions of these presents as to the forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which by terms of issue of a share become payable at a fixed time, as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.

Transfer and Transmission of Shares

45. Form of Transfer.—The instrument of transfer of any share shall be in writing in the form prescribed under Section 108 (1-A) of the Act.

46. Execution of instrument of transfer.—Every such instrument of transfer shall be executed both by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to remain the holder of such share until the name of the transferee shall have been entered in the Register of members in respect thereof.

47. The Company, the transferor and the transferee of the shares shall comply with provisions of sub-sections (1), (1-A) and (1-B) of Section 108 of the Act.

48. Transfer instrument to be presented with evidence of title.—Every instrument of transfer shall be presented to the Company duly stamped for registration accompanied by the relative share certificates and such evidence as the Bord my require to prove the title of the transferor, his right to transfer of shares and generally under and subject to such conditions and regulations as the Board shall, from time to time, prescribe and every registered instrument of transfer shall remain in the custody of the Company until destroyed by order of the Board of Directors, subject to the provisions of law.

49. Title of shares of deceased member.—The executors or administrators or holders of a succession certificate or the legal representative of a deceased (not being one of two or more joint holders) shall be the only persons recognised by the Company as having any title to the shares registered in the name of such member and Company shall not be bound to recognise such executors or administrators or holders of succession certificate or the legal representatives unless they shall have first obtained Probat or Letters of Administration or Succession Certificate or other legal representation as the case may be, from a duly constituted court in the Union of India provided that in any case where the Board in its absolute discretion thinks fit, the Board may dispense with production of probate or letters of Administration or Succession certificate, upon such terms as to indemnity or otherwise as the Board, in its absolute discretion may think necessary and under Article 51 register and name of any person who claims to be absolutely entitled to the shares standing in the name of the deceased member as a member.

50. Insolvency or liquidation of one or more joint holders of the shares.—In the case of insolvency or liquidation of one or more of the persons named in the Register of Members as the joint-holders of any share, the remaining holder or holders shall be the only persons recognised by the company as having any title to, or interest in such share but nothing herein contained shall be taken to release the estate of the person under insolvency or liquidation from any liability on shares held by him jointly with any other person.

51. Registration of persons entitled to shares otherwise then by transfer.—Subject to the provisions of the Act, any person becoming entitled to shares in consequence of insolvency or liquidation of any Member by any lawful means other than by a transfer in accordance with this Article may, with the consent of the Board, which it shall not be under any obligation to give and, upon producing such evidence that he sustains the character in respect of which he proposes to act under this Article, or of his title as the Board thinks sufficient either be registered himself as the holder of the shares or elect to have some person nominated by him and approved by the Board of Directors registered as holder of such shares.

Provided nevertheless, that the person who shall elect to have his nominee registered shall testify the election by executing in favour of his nominee an instrument of transfer in accordance with the provisions herein contained, and until he does so, he shall not be freed from any liability in respect of the shares.

52.—Fee on transfer or transmission.—No fee shall be payable to the Company in respect of the transfer or transmission of any shares in the Company.

53. Register of transfers to be kept.—The Company shall keep a book, to be called the "Register of Transfer" and therein shall be fairly and distinctly entered particulars of every transfer or transmission of any shares.

54. Closure of transfer book.—The Board shall have power on giving seven days' previous notice by advertisement in some newspaper circulating in the district in which the Registered Office of the Company is situated to close the Transfer Books, the Register of Member or Register of Debenture Holders at such time or times and for such period or periods not exceeding thirty days at a time and not exceeding in aggregate forty-five days in each year as it may deem expedient.

55. Director may refuse to register transfers.—Subject to the provisions of Section 111 of the Companies Act, 1956, the Board may refuse whether in pursuance of any power of the Company under these Articles or otherwise to register the transfer of, or the transmission by operation of law of the right to, any shares or interest of a member therein, or debentures of the Company, and the Company shall within two months from the date on which the instrument of transfer or the intimation of such transmission, as the case may be, was delivered to the Company, send notice of the refusal to the transferee and the transferor or to the person giving intimation of such transmission, as the case may be giving reasons for such refusals.

Provided that the registration of a transfer shall not be refused on the ground of the transferor being either alone or jointly with any other person or persons undebted to the Company or any account whatsoever except where the Company has lien on shares.

56. Rights to shares though transmission by operation of lay.—Nothing contained in Article 48 shall prejudice any power of the Company to register as shareholder any person to whom the right to any shares in the Company has been transmitted by operation of law.

57. Transfer by legal representative.—A transfer of shares or other interest in the Company of deceased member thereof made by legal representative shall, although the legal representative is not himself a member, be as valid as if he had been a Member at the time of the execution of the instrument of transfer.

58. Company power to refuse transfer.—Nothing in these present shall prejudice the powers of the Company to refuse to register the transfer of any shares.

59. Transferor liable until the transferee entered on register.—The transferor shall be deemed to remain the holder of such share until the name of the transferee is entered into the Register of Members in respect thereof.

60. Custody of transfer.—The instrumental of transfer shall after registration be retained by the Company and shall remain in its custody. All the instruments of transfer which the Director may decline to register shall on demand be returned to the person depositing the same. The Directors may cause to be destroyed all transfer deeds lying with the Company after such period as they may determine.

61. The Company not liable for disregard of a notice.—The Company shall incur no liability or responsibility whatever in consequence of their registering or giving effort to any transfer of shares made or purporting to be made by the apparent legal owner thereof (as shown or appearing in the Register of Members) to the prejudice of persons having or claiming any equitable right title or interest to or in the same shares notwithstanding that the Company may have had notice of such equitable right title or interest or notice prohibiting registration of such transfer and may have en-

tered such notice or referred thereto in any book of the Company and the Company shall to be bound or required or regard or attend or give effect to any notice which may be given to them of any equitable title or interest or be under any liability whatsoever for refusing or neglecting so to do, though it may have been entered or referred in some book of the Company but the Company shall nevertheless be at liberty to regard and attend to any such notice and give effect thereto, if the Directors shall so think fit.

62. Transfer of Debentures.—The provisions of these articles shall mutatis mutandis, apply to the allotment and transfer of or the transmission by law of the right to Debentures of the Company.

63. Restriction on transfer and preemptive right.—(A) As provided in the foregoing Articles and without prejudice to the provisions of Article 53, a Member shall be at liberty to transfer the share.

(B) Except as hereinafter provided, no shares in the Company shall be transferred unless and until the rights of preemption hereinafter conferred shall have been exhausted.

(C) Every member who intends to transfer any shares (hereinafter called "the Vendor") shall give notice in writing to the Board of his intention. The notice shall specify the price at which the Vendor proposes to sell the shares referred to in the notice and the notice will also specify the name of the purchaser. The Board shall have discretion whether to accept the price or not. If the Board does not accept the price specified in the notice, the same shall be determined by the auditor for the time being of the Company who shall certify by writing under his hand the price, which in his opinion is the fair selling value thereof as between a willing vendor and a willing purchaser. A certification by the auditor shall be conclusive as to the selling price of the shares comprised in such notice. The price as accepted by the Board or as determined shall be the fair value of the shares and is hereinafter referred to as "fair value". The notice shall constitute the Board as agent of the Vendor for sale of the shares at the fair value.

(D) The Board shall forthwith give notice to all the members of the Company of the number and fair value of the shares to be sold and invite each of them to state in writing within twenty-one days from the date of the said notice whether he is willing to purchase any, and if so what maximum number, of the said shares.

(E) At the expiration of the said twenty-one days the Board shall allocate the said shares to or amongst the Member or Members who shall have expressed his or their willingness to purchase as aforesaid provided that no Members shall be obliged to take more than the said maximum number of shares so notified by him as aforesaid. If more Members express willingness to purchase the shares than there are available for sale then the Directors may in their discretion in such manners as they think fit decide to which Member or Members the shares are to be sold and the decision of the Directors shall be final. Upon such allocation being made the vendor shall be bound on payment of the fair value to transfer the share to the purchaser or purchasers and if he makes default in so doing the Board may receive and give a good discharge for the purchase money on behalf of the Vendor and enter the name of the purchaser in the register as holder by transfer of the said shares purchased by him.

(F) In the event of the whole of the said shares not being sold under clause (E) of this Article 63, the vendor may, at any time with six calendar months after the expiration of the said twenty-one days, transfer the shares not so sold to any person (subject to Article 53 and all other applicable Articles hereof) and at any prices being not less than fair value thereof as determined under clause C of this Article 63.

(G) (a) Clauses (B) and (F) of this Article 63 hereof shall not apply to a transfer to a person who is already a Member of the Company nor to transfer by a Member which is a body corporate to its parent company or to any of its subsidiary companies provided that such transfer is approved for the purpose by the Board of Directors by a Resolution passed by a two-third majority. Any transfer falling within the exceptions mentioned in this Article shall nevertheless be subject to the provisions of Article 53.

(b) For the purpose of sub-clause (a) of this clause a company shall be deemed to be a subsidiary of another if the other holds more than half in nominal value of the Equity Share Capital of the first mentioned company.

Conversion of Shares into Stock

64. Conversion of shares into stock and reconversion.—The Directors with the sanction of a resolution of the Company in General Meeting, may convert any paid-up shares into stock and may convert any stock into paid-up shares of any denomination. When any shares have been converted into stock, the several holders of such stock may thenceforth transfer their respective interests therein or any part of such interest in the same manner and subject to the same regulations as and subject to which fully paid up shares in the Company's capital may be transferred or as near thereto as circumstances will admit.

65. Rights of stockholders.—The stock shall confer on the holders thereof respectively the same privileges and advantages as regards voting at meeting of the Company and for other purposes as would have been conferred by shares of equal amount in the capital of the Company of the same class as the shares from which such stock is converted but so that none of such privileges or advantages, except the participation in profits of the Company or in assets of the Company on winding up, shall be conferred by any such shares allotted part of stock as would not if existing in shares have conferred such privileges or advantages. Such conversion shall not affect or prejudice any preference or other special privileges attached to the shares so converted. Save as aforesaid all the provisions herein contained shall, so far as circumstances shall admit, apply to stock as well as to shares.

Increase, Reduction and Alteration of Capital

66. Increase of Capital—The Company may from time to time in General Meeting increase its Authorised Share Capital by issuing further shares of such amount as it thinks expedient.

67. Further issue of Capital.—The new shares resulting from an increase of capital as aforesaid) may, subject to the provisions of the Act and these presents, by issued or disposed of by the Company in the General Meeting or by the Directors under their powers in accordance with the provisions of Article 8 and 9 and the following provisions :—

(A) (i) Such new shares shall be offered to the persons who at the date of the offer are holders of the equity shares of the Company in proportion as nearly as circumstances admit to the capital paid-up on those shares at the date;

(ii) The offer aforesaid shall be made by notice specifying the number of shares offered and limiting a time and not being less than fifteen days from the date of offer, within which the offer if not accepted, will be deemed to have been declined,

(iii) The offer aforesaid shall be deemed to include a right exercisable by the person concerned to renounce the shares offered to him or any of them in favour of any other person and the notice referred to in sub-clause (ii) shall contain a statement of this right;

(iv) After the expiry of time specified in the notice aforesaid or on receipt of earlier intimation from the person to whom such notice is given that the person declines to accept the shares offered, the Board of Directors may dispose of them in such manner as they think most beneficial to the Company;

(B) Nothing in sub-clause (iii) of Clause (A) shall be deemed :—

(i) To extend the time within which the offer should be accepted; or

(ii) To authorise any person to exercise the right of renunciation for a second time on the ground that the person in whose favour the renunciation was first made has declined to take the shares comprised in the renunciation.

68. Shares under control of General Meeting.—In addition to and without derogating from the powers for the purpose conferred on the Directors under Article 8, the Company in the General Meeting may in accordance with the provisions of section 81 of the Act determine that any shares (whether forming part of the original capital of the Company or not) shall be offered to such persons (whether Members or holders of Debentures of the company or not) in such proportion and on such terms and conditions and either at a premium or at par or (subject to compliance with the provisions of section 79 of the Act) at a discount, as such General Meeting shall determine.

69. Same as original capital.—Except so far as otherwise provided by the conditions of issue or by these presents any capital raised by issue of further shares shall be considered part of the original capital and shall be subject to the provisions herein contained with reference to the payment of calls and installments, transfer and transmissions, forfeiture, lien, surrender, voting and otherwise.

70. Reduction of capital.—The Company may from time to time by Special Resolution reduce its share capital (including the Capital Redemption Reserve Account if any) in any way authorised by law and in particular may pay off any paid up share capital upon the footing that it may be called up again or otherwise and may and if and so far as necessary alter its Memorandum by reducing the amount of its share capital and of its share accordingly.

71. Division and sub-division.—The Company may in the General Meeting by Ordinary Resolution alter the conditions of its Memorandum as follows:—

(a) Consolidate and divide all or any of its shares into shares of larger amount than its existing shares.

(b) Sub-divided shares or any of them into shares of smaller amount than originally fixed by the Memorandum subject nevertheless to the provisions of the Act in that behalf. Subject to these presents the resolution by which any shares are sub-divided may determine that as between the holders of the shares resulting from such sub-division one or more of such shares may be given any preference or advantage or otherwise over the others or any other such shares.

(c) Cancel shares which at the date of such General Meeting have not been taken or agreed to be taken by any person and diminish the amount of the shares so cancelled.

Joint Holders

72. Joint holders.—Where two or more persons are registered as the holders of any share the person first named in the Register of Members shall be deemed the sole holder for matters connected with the Company subject to the following and other provisions contained in the Articles:

(a) The Company shall be entitled to decline to register more than four persons as the joint holders of any share.

(b) The joint holders of any share shall be liable severally as well as jointly for and in respect of all calls and other payments which ought to be made in respect of such share.

(c) On the death of any such joint holders, the survivor(s) shall be the only person(s) recognised by the Company as having any title to the share but the Directors may require such evidence of death as they may deem fit and nothing herein contained shall be taken to release the estate of a deceased joint holder from any liability on shares held by him jointly with any other person(s).

(d) Any one of such joint holders may give effectual receipts for any dividends or other monies payable in respect of such share.

(e) Only the person whose name stands first in Register of members as one of the joint holders of any share shall be entitled to delivery of the certificate relating to such share or to receive document (which expression shall be deemed to include all documents mentioned in Article 188) from the Company and any notice given to or document served on such person shall be deemed service on all the joint holders.

(f) Any one of two or more joint holders may vote at any meeting either personally or by attorney or by proxy in respect of such shares as if he were solely entitled thereto and if more than one of such joint holders be present at any meeting personally or by proxy or by attorney then that one of such persons so present whose name stands first or higher (as the case may be) on the Register in respect of such shares shall alone be entitled to vote in respect thereof but the other or others of the joint holders shall be entitled to vote in preference to a joint holder present by attorney or by proxy although the name of such joint holder present by attorney or proxy stands first or higher (as the case may be) in the Register in respect of such shares.

Borrowing Powers

73. Conditions on which money may be borrowed.—Subject to the provisions of Sections 58A, 292 and 293 of the Act, the Board may from time to time, by a resolution passed at a Meeting of the Board accept deposits or borrow moneys from members, either in advance of calls or otherwise or accept deposits from public and may generally raise and secure the payment of such sum or sums in such manner and upon such terms and conditions in all respects as they think fit and in particular by the issue of bonds perpetual or redeemable debentures or debenture stock, or any mortgage or charge or other security on the undertaking or the whole or any part of the property of the Company (both present and future) including its uncalled capital for the time being.

74. Bonds Debentures etc., to be subject to control of Directors.—Any bonds, debentures, debenture stock or other securities issue or to be issued by the Company shall be under the control of the Directors who may issue them upon such terms and conditions and in such manner and for such consideration as they shall consider to be for the benefit of the Company.

75. Securities may be assignable free from equities.—Debenture, debenture stock, bonds or other securities may be assignable free from any equities between the Company and the person to whom the same may be issued.

76. Issue at discount, etc. or with special privileges.—Any bonds, debentures, debenture stocks or other securities may be issued at a discount, premium or otherwise and with any special privileges as to redemption, surrender, drawing, allotment of shares, attending at General Meetings of the Company, appointment of Directors and otherwise.

77. Mortgage of uncalled capital.—If any uncalled capital of the Company is included in or charged by any mortgage or other security the Directors may authorise the person in whose favour such mortgage or security is executed or any other person in trust for him to make calls on the Members in respect of such uncalled capital and the provisions herein before contained in regard to calls shall mutatis mutandis apply to calls made under such authority and such authority may be made exercisable either conditionally or unconditionally and either presently or contingently and either to the exclusion of the Board's power or otherwise and shall be assignable, if expressed so to be.

78. Indemnity may be given.—If Directors or any of them or any other person shall become personally liable for the payment of any such primarily due from the Company, the Directors may execute or cause to be executed any mortgage, charge or security over or affecting the whole or any part of the assets of the Company by way of idemnity to secure the Directors or person so becoming liable as aforesaid from any loss in respect of such liability.

79. Register of Charges to be kept.—The Board shall cause a proper Register to be kept in accordance with the provisions of Section 143 of the Act of all mortgages, debentures and charges specifically affecting the property of the Company, and shall duly comply with the requirements of the said Act in regard to registration of mortgages and charges and in regard to inspection to be given to creditors or Members of the Register of Charges and copies of instruments creating charges. Such sums as may be prescribed by the Act shall be payable by any person other than a creditor or Member of the Company for each inspection of the Register of Charges.

Meetings

80. Annual General Meeting.—(a) (i) The Company shall, in addition to any other meetings, hold a general meeting which shall be styled as "Annual General Meeting" at the intervals and in accordance with the provisions specified below :

(ii) The Annual General Meeting the Company, subsequent to the first Annual General Meeting shall be held by the Company within six months after the expiry of the financial year in which the first Annual General Meeting was held ; and thereafter an Annual General Meeting shall be held in each year by the Company within six months after the expiry of each financial year ;

(iii) Not more than fifteen months shall elapse between the date of one Annual General Meeting and that of the next ;

(b) Every Annual General Meeting shall be called for a time during business hours on a day that is not a public holiday, and shall be held either at the Registered Office of the Company or at some other place within the city where the registered office is situate and the notices calling the meeting shall specify it as Annual General Meeting.

81. Ordinary General Meetings.—All general meetings other than Annual General Meeting shall be called Extra-ordinary General Meetings.

82. Calling of Extraordinary General Meeting—(a) The Board may whenever they think fit, and shall, on the requisition of such number of Members of the Company as is hereinafter specified, forthwith proceed to call an Extra-ordinary General Meeting of the Company and in case of such requisition the following provision shall apply :

(b) The requisitions shall set out the matters for the consideration of which the meeting is to be called and shall be signed by the requisitionists and shall be deposited at the Registered Office of the Company.

(c) The requisition may consist of several documents in like form, each signed by one or more requisitionists.

(d) The number of Members of the Company entitled to requisition a meeting in regard to any matter shall be such number of them as hold at the date of deposit of the requisition, not less than one-tenth of such of the paid-up capital of the Company as at the date carries the right of voting in regard to that matter.

(e) Where two or more distinct matters are specified in the requisition, the provisions of clause (d) shall apply separately in regard to each such matter, and the requisition shall accordingly be valid only in respect of those matters in regard to which the condition specified in that sub-article is fulfilled.

(f) If the Board does not, within twenty one days from the date of deposit of a valid requisition in regard to any matters, proceed duly to call a meeting for the consideration of those matters on a day not later than forty five days from the deposit of the requisition, the meeting may be called by such of the requisitionists as represent either majority in value of the paid-up share capital held by all of them or not less than one-tenth of such of the paid-up share capital of the Company as is referred to in Clause (d) whichever is less. However, the purpose of this Clause the Board shall, in the case of a meeting at which a resolution is to be proposed as a Special Resolution give, such notice thereof as is required by the Act;

(g) A meeting called under clause (f) by the requisitionists or any of them :

(i) shall be called in the same manner, as nearly as possible, as that in which the meetings are to be called by the Board, but

(ii) shall not be held after the expiration of three months from the date of the deposit of the requisition ; Provided that nothing contained in this sub-clause (ii) shall be deemed to prevent a meeting duly commenced before the expiry of the period of three months aforesaid, from adjourning to some day after the expiry of that period ;

(h) Where two or more persons hold any shares or interest in the Company jointly, a requisition, or a notice calling a meeting, signed by one or some only of them shall, for the purposes of this Article have the same force and effect as if it had been signed by all of them.

(i) Any reasonable expenses incurred by the requisitionists by reason of the failure of the Board to call a meeting shall be reimbursed to the requisitionists by the Company, and any sum so reimbursed shall be retained by the Company out of any sums due or to be become due from the Company by way of fees or other remuneration for their services to such of the Directors as were in default.

83. Notice of Meeting.—(a) A General Meeting of the Company may be called by giving not less than twenty one days notice in writing ;

(b) A General Meeting may be called after giving shorter notice than that specified in Clause (a) if consent is accorded thereto ;

(i) in the case of an Annual General Meeting by all the Members entitled to vote thereat, and

(ii) in the case of any other meeting by Members of the Company holding not less than ninety five per cent of such part of the paid-up share capital of the Company as gives them a right to vote at the meeting.

Provided that where any Members of the Company are entitled to vote only on some resolution to be moved at a meeting and not on the others, those Members shall be taken into account for the purposes of these sub-clauses in respect of the former resolution or resolutions and not in respect of the latter.

84. Consents and manner of service of notice and persons on whom it is to be served.—(a)Every Notice of a meeting of the Company shall specify the place and the day and the hour of the meeting, and shall contain a statement of business to be transacted thereat ;

(b) Notice of every meeting of the Company shall be given :

(i) to every Member of the Company in any manner authorised by Section 53 of the Act ;

(ii) to the persons entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a Member by sending it through the post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of representative of

the deceased, or assignees of the insolvent or by any like description at the address, if any, in India supplied for the purpose by the persons claiming to be so entitled, or until such an address has been supplied, by giving the notice in any manner in which it might have been given if the death or insolvency had not occurred; and

(iii) to the Auditor or Auditors for the time being of the Company in any manner authorised by Section 53 of the Act in the case of any Member or Members of the Company;

(c) Omission to give notice not to invalidate proceedings of the meeting.—The accidental ommission to give notice to or the non-receip of notice by, any Member or other person to whom it should be given shall not invalidate the proceedings at the meeting.

85. Business of General Meetings.—(a) In the case of an Annual General Meeting all business to be transacted at the meeting shall be deemed special, with the exception of business relating to :

(i) the consideration of accounts, Balance Sheet and reports of the Board of Directors and Auditors;

(ii) the declaration of a dividend;

(iii) the appointment of Directors in the place of those retiring; and

(iv) the appointment of and fixing the remuneration of the Auditors.

(b) In the case of any other meeting all business shall be deemed special.

(c) Where any items of business to be transacted at the meeting are deemed to be special as aforesaid, there shall be annexed to the notice of meeting a statement setting out all material facts concerning each such item of business, including in particular the nature of the concern or interest, if any, therein, of every Director, and the Manager, if any.

Provided that where any item of special business as aforesaid to be transacted at a meeting of the Company relates to, or affects any other company, the extent of shareholding interest in that other company of every Director and the manager, if any, of the Company shall also be set out in the statement if the extent of such shareholding interest is not less than twenty per cent of the paid-up capital of that other Company.

(d) Where any item of business consist of the according of approval to any document by the meeting, the time and place where the document can be inspected shall be specified in the statement aforesaid.

86. Ordinary and Special resolution.—(1) A resolution shall be an Ordinary Resolution when at a general meeting of which the notice required under the Act has been duly given, the votes cast (whether on a show of hands, or on a poll, as the case may be), in favour of the resolution (including the casting vote, if any, of the Chairman) by Members who, being entitled to do so, vote in person or where proxies are allowed by proxy exceed the votes, if any, cast against the resolution by Members entitled and voting.

(2) A resolution shall be a Special Resolution when :—

(a) the intention to propose the resolution as a Special Resolution has been duly specified in the notice calling the General Meeting or other intimation given to the Members of the resolution.

(b) the notice required under the Act has been duly given of the General Meeting; and

(c) the votes cast in favour of the resolution (whether on show of hands, or on a poll as the case may be) by Members who, being eligible so to do vote in person, or where proxies are allowed, by proxy, are not less than three times the number of votes, if any, cast against the resolution by Members so entitled and voting.

87. Resolution requiring Special notice.—(1) Where, by any provisions contained in the Act or in these presents,

Special Notice is required of any resolution, notice of the intention to move the resolution shall be given to the Company not less than fourteen days before the meeting at which it is to be moved, exclusive of the day on which the notice is served or deemed to be served and the day of the meeting.

(2) The Company shall, immediately after the notice of the intention to move any such resolution has been received by it, give its members notice of the resolution in the same manner as it gives notice of the meeting, or if that is not practicable shall give them notice thereof, either by advertisement in a newspaper having an appropriate circulation or in any other mode allowed by these presents, not less that seven days before the meeting.

PROCEEDINGS AT GENERAL MEETING

88. Quorum at General Meeting.—Five Members personally present shall be a quorum for a General Meeting and no business shall be transacted at any general meeting unless the requisite quorum be present at the commencement of the business.

89. Business confined to election of Chairman whilst chair vacant.—No business shall be discussed at any General Meeting except the election of a Chairman whilst the Chair is vacant.

90. The Chairman of the Board shall be entitled to take the Chair at every General Meeting. If there be no Chairman or if at any meeting he shall not be present within fifteen minutes after the time appointed for holding such meeting, or is unwilling to act as Chairman of the meeting and on default of their doing so, the Members present shall choose one of the Directors to take the Chair and if no Director present be willing to take the Chair, the Members present shall choose one of their number to be the Chairman of the Meeting.

91. Proceeding when quorum not present.—If within half an hour after the time appointed for the holding of a General Meeting a quorum be not present the meeting if commenced on the requisition of shareholders shall be dissolved and in any other case shall stand adjourned to the same day in the next week; at the same time and place or to such other day and at such time and place as the Directors may determine. If at such adiourned meeting also a quorum be not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting the Members present shall be a quorum and may transact the business for which the meeting was called.

92. Adjourned Meeting—The Chairman with the consent of meeting may adjourn any meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than business which might have been transacted at the meeting from which the adjournment took place. No Notice of adjourned meeting shall be necessary to be given unless the meeting is adjourned for more than thirty days.

93. What is to be evidence of the passing or resolution where poll not demanded.—At any General Meeting a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands unless a poll is (before or on the declaration of the result on the show of hands demanded, in the manner show of hands unless a poll is (before or on the declarotion hereinafter mentioned, and unless a poll is so demanded, a declaration by the Chairman that a resolution has ,on a show of hands, been carried or carried unanimously or by a particular majolity or lost and an entry to that effect in the book of the proceedings of the Company shall be conclusive evidence of the fact or against such resolution.

94. Demand for Poll.—(a) Before or on the declaration of the result or the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any member or members present in person or by porxy and holding share in the Company :—

(i) which confer a power to vote on the resolution not being less than one-tenth of the total voting power in respect of the resolution; or

(ii) on which an aggregate sum of not less than fifty thousand rupees has been paid-up

(b) The demand for a poll, may be withdrawn at any time by the person who made the demand.

95. Time of taking poll—(a) If a poll is deemanded on the election of a Chairman or on a question of adjournment, it shall be taken forthwith and without adjournment.

(b) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the Chairman may direct.

96. Rights of Members to use his votes differently—On a poll taken at a meeting of the Company, a Member entitled to more than one vote, or his proxy or other persons entitled to vote for him as the case may be, need not, if he votes, use all his votes or cast in the same way all the votes he uses.

97. Secrutineers at poll (a) Where a poll is to be taken, the Chairman of the meeting shall appoint two scrutineers to scrutinise the votes given on the poll and to report thereon to him;

(b) The Chairman shall have power, at any time before the result of the poll is declared, to remove a scrutineer from office and to fill vacancies in the office of the scrutineer arising from such removal or from any other cause;

(c) Of the two scrutineers appointed under this Article, one shall always be a Member (not being an Officer or employee of the Company) present at the meeting, provided that such a Member is available and willing to be appointed.

98. Manner of taking poll and result thereof—(a) Subject to the provision of the Act, the Chairman of the meeting shall have the power to regulate the manner in which a poll shall be taken;

(b) The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken.

99. Motion how decided in case of equality of votes—In the case of equality of votes whether on show of hands or on a poll, the Chairman of the meeting at which the show of hands takes place or at which a poll is demanded, shall be entitled to a casting vote in addition to his own vote or votes to which he may be entitled as a Member.

100. Demand of poll not to prevent transaction of other business—The demand for a poll shall not prevent the continuance of a meeting for the transaction of any business other than the question on which the poll has been demanded.

101. Minutes of General Meetings—The Company shall cause minutes of all proceedings of General Meetings to be entered in books kept for that purpose. The Minutes of each Meeting shall contain a fair and correct summary of the proceedings thereat. All the appointments of officers made at any of the Meetings shall be included in the minutes of the Meeting. Any such meetings, if purported to be signed by the Chairman of the Meeting at which the proceedings took place or in the event of the death or inability of that Chairman by a Director duly authorised by the Board for the purpose, shall be evidence of the proceedings.

102. Inspection of Minutes Books—The books containing minutes of proceedings of General Meetings of the Company shall be kept at the Registered Office of the Company and shall be open to the inspection of any Member without charges between 11 a.m. and 2.00 p.m. on all working days.

103. Copies of Minutes—Any Member shall be entitled to be furnished within seven days after he had made a request in that behalf to the Company with copy of any minutes referred to above at such charges as may be prescribed by the Act.

Votes of Members

104. (a) Upon a show of hands every Member of the Company entitled to vote and present in person or by attorney or proxy shall have one vote.

(b) Upon a poll every Member of the Company who being an individual is present in person or by attorney or by proxy or being a Corporation is present by a representative or proxy shall have a voting right in proportion to his share of the paid-up capital of the Company.

105. Voting by Corporations.—Any Member who is a Corporation present by a representative duly authorised by a resolution of the Directors or other governing body of such corporation in accordance with the provisions of Section 187 of the Act may vote on a show of hands as if he was a Member of the Company. The production at the Meeting of such resolution duly signed by one Director of such Corporation or by a Member of it's governing body and certified by him as being a true copy of the resolution shall on production at the Meeting be accepted by the Company as sufficient evidence of the validity of his appointment.

106. No Member to vote unless calls are paid up.—Subject to the provision of the Act, no Member shall be entitled to be present or to vote at any General Meeting either personally or by proxy or attorney or as a proxy or as attorney in respect of shares registered in his name, on which calls or other sum shall be overdue and payable to the Company in respect of any of the shares of such Members for more than one month.

107. Qualification of proxy.—(a) Any Member of the Company entitled to attend and vote at a meeting of the Company shall be entitled to appoint another person (whether a Member or not) as his proxy to attend and vote instead of himself, but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

(b) In every notice calling a meeting of the Company, there shall appear with reasonable prominence a statement that a Member entitled to attend and vote is entitled to appoint proxy to attend and vote instead of himself and that a proxy need not be a Member.

108. Votes may be given by proxy or Attorney.—Votes may be given either personally or by attorney or by proxy or in case of a Corporation also by a representative duly authorised as aforesaid.

109. Execution of instrument of proxy.—The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointor or his attorney or if such appointor is a company or corporation under its common seal or under the hand or corporation under its common seal or under the hand of a person duly authorised by such company or corporation in that behalf or under the hand of its attorney who may be the appointor.

110. Deposit of instrument of appointment and inspection.—(i) No person shall act as proxy unless the instrument of his appointment and the power of attorney or other authority if any under which it is signed or a notarially certified copy of that power of authority shall be deposited at the Office at least forty eight hours before the time of holding the meeting at which the person named in the instrument of proxy proposes to vote and in default the instrument appointing the proxy shall not be treated as valid. No attorney shall be entitled to vote unless the Power of Attorney or other instrument appointing him as attorney or a notarially certified copy thereof has either been registered in the records of the Company at any time not less than forty eight hours before the time of the meeting at which the attorney proposes to vote or is deposited at the Office not less than forty eight hours before the time of same meeting as aforesaid.

(ii) Notwithstanding that a Power of Attorney or other authority has been registered in the records of the Company, the Company may by notice in writing addressed to the Member or that attorney at least seven days before the date of a meeting require him to produce the original Power of Attorney or authority and unless the same is thereupon deposited with the Company not less than forty eight hours before the time fixed for the meeting the attorney shall not be entitled to vote at such meeting unless the Directors in their absolute discretion excuse such non production and deposit.

(iii) Every member entitled to vote at a meeting of the Company or any resolution to be moved thereat shall be entitled during the period beginning twenty four hours before the time fixed for the commencement of the meeting and ending with the conclusion of the meeting to inspect the proxies lodged at any time during the business hours of the Company provided that not less than three days notice in writing of the intention so to inspect is given to the Company.

111. Custody of the instrument.—If any such Instrument of appointment be confined to the objec. of appointing a proxy or substitute for voting at meeting of the Company it shall remain permanently or for such time as the Director may determine, in the custody of the Company, and if embracing other objects a copy thereof, examined with the original, shall be delivered to the Company to remain in custody of the Company.

112. Instrument appointing proxy.—Every instrument of proxy whether for a specified meeting or otherwise shall be in writing under the hand of the appointee or his attorney authorised in writing or if such appointer is a Corporation, under its Common Seal or the hand of an officer or an attorney duly authorised by it and shall as nearly as circumstances will admit be in the form specified in Scheduled IX of the Act.

113. Validity of votes given by proxy notwithstanding death of Members, etc.—A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid notwithstanding the previous death of the principal or revocation of the proxy or of any power of attorney under which such proxy was signed to the transfer of the shares in respect of which the vote is given provided that no intimation in writing of the death, revocation or transfer shall have been received at the office before the meeting.

114. Time for objections to votes—No objection shall be made to the validity of any vote except at the meeting or poll at which such vote shall be tendered, and every vote whether given personally or by proxy not disallowed at such meeting or poll, shall be deemed valid for all purposes of such meeting or poll whatsoever.

115. Chairman of any meeting to be the judge of validity of any vote—The Chairman of any meeting shall be the sole judge of the validity of every vote tendered at such meeting. The Chairman present at the taking of a poll shall be the sole judge of the validity of every vote tendered at such poll.

Directors

116. Number of Directors—Unless otherwise determined by a General Meeting of the Members of the Company, the number of Directors shall not be less than three or more than eighteen including Government Directors, Debenture Director (if any) and the Managing Director and the number of Directors may be increased beyond eighteen with the approval of the Central Government.

117. The persons hereinafter named are the first Directors of the Company :—

(1) Ramchandra Hanmant Patil

(2) Bhupendranath Vidyanath Bhargava

(3) Sankara Venkitasubra Mony

118. (A) Government Directors—The Central Government may from time to time nominate not more than three persons as Directors on the Board of the Company. The Directors appointed under this Article are herein referred to as "Government Directors". The Government Directors shall not be subject to retirement by rotation or be removed from office except by the Central Government. Subject as aforesaid, the Government Directors shall be entitled to the same rights and privileges and be subject to the same obligation as any other Director of the Company.

(B) Debenture Directors—Any Trust Deed or Loan Agreement covering the issue of debentures of the Company, or loans advanced to the Company, may provide for the appointment of a Director (in these presents referred to as the Debenture Director) for and on behalf of the Debentureholders/lenders for such period as is therein provided, not exceeding the period for which the Debentures or any of them shall remain outstanding or the loan remains unpaid, and for the removal from office or such Debenture Directors, and on vacancy being caused, whether by resignation, death, removal or otherwise for appointment, of a Debenture Director in the vacant place. The Debenture Director shall not be liable to retire by rotation.

119. Managing Director.—(i) Subject to the provision of the Act and the approval of Securities and Exchange Board of India, the Board may, from time to time, appoint or reappoint one or more of their body to be Managing Director or Managing Directors of the Company, for such term not exceeding five years at a time and subject to such terms and conditions as they may think fit.

(i) Subject to the provisions of the Act, the Managing Director shal not, whilst he continues to hold that office, be subject to retirement by rotation under Article 131 but shall be subject to the same provisions as to the resignation and removal as the other Directors of the company and shall ipso facto and immediately cease to be a Managing Director if he ceases to hold the office of a Director from any cause.

(iii) Subject to the provisions of the Act, Directors may, from time to time, entrust and confer upon the Managing Director(s) for the time being such of the powers exercisable by them upon such terms and conditions and with such restrictions as they may think fit either collaterally with or to the exclusions of their power and from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.

120. Alternate Director.—(i) Subject to Section 113 of the Act, the Board of Directors may appoint an alternate Director to act for a Director (hereinafter in this Article called "the original Director") at his suggestion, or otherwise, during his absence for a period of not less than three months from the State in which meetings of the Board are ordinarily held.

(ii) An Alternate Director appointed under clause (a) shal not hold office for a period longer than permissible to the original Director in whose place he has been appointed and shall vacate office if and when the original Director returns to the State in which meetings of the Board are ordinarily held.

(iii) If the term of office of the original Director is determined before he so returns to the State aforesaid any provision for the automatic reappointment of the retiring Directors in default of another appointment shall apply to the original and not to the Alternate Director.

121. Qualification of Directors.—No Director shall be required to hold any share or qualification shares of the Company.

122. Remuneration of Directors.—(i) The remuneration payable to Directors, including the Managing Director shall, subject to the applicable provisions of the Act and of these presents and of any contract between him and the Company, be fixed by the Company in General Meeting from time to time, and may be by way of fixed salary and/or perquisites or commission on profits of the Company or participation in such profits, or by any or all these modes not expressly prohibited by the Act.

(ii) Sitting Fee to Directors attending meeting.—A Director may receive remuneration by way of a fee for each meeting of the Board or a Committee thereof attended by him, subject to the maximum prescribed under the Act.

123. Directors not bonafide residents of place where a meeting is held may receive extra compensation.—The Board of Directors may allow and pay to any Director who is not a bona fide resident of the place where a meeting of the Board is held and who shall come to such place for the purpose of attending a meeting or for attending its business at the request of the Company, such sum as the Directors may consider fair compensation for travelling, hotel and other expenses and if any Director be called upon to go or reside out of the ordinary place of his residence on the Company's business he shall be entitled to be reimbursed any travelling or other expenses incurred in connection with the business of the Company.

124. Special remuneration to Director performing extra services.—If any Director, be called upon to perform extra services or special exertions or efforts (which expression shall include work done by Director as a member of any Committee formed by the Directors), the Board may arrange with such Director for such special remuneration for such special services or special exertions or efforts either by a fixed sum or otherwise as may be determined by the Board and subject to the provisions of the Act.

125. Additional Directors.—The Directors shall have power at any time and from time to time appoint subject to the provisions of these presents any person as a Director either to fill a casual vacancy or as an additional Director to the Board but so that the total number shall not at any time exceed the maximum number fixed as above, but any Director so appointed as an additional Director shall hold office only up to the date of the next following Annual General Meeting of the Company and shall then be entitled for re-election and any Director so appointed to fill a casual vacancy shall hold office only up to the date up to which the Director in whose place he is appointed would have held office had it not been vacated.

126. Directors may act notwithstanding.—Subject to the provisions of the Act, the continuing Directors may act notwithstanding any vacancy in their body; but so that if the number falls below the minimum number fixed the Directors shall not except in emergencies or for the purpose of filling up vacancies or for summoning a General Meeting of the Company act so long as the number is below the minimum and they may so act notwithstanding the absence of a necessary quorum under the provisions of Article 145.

127. Directors vacating.—(1) Subject to the provision of Section 283(2) of the Act, the office of a Director shall become vacant if:

(a) he is found to be of unsound mind by a Court of competent jurisdiction;

(b) he applies to be adjudicated an insolvent; or

(c) he is adjudged an insolvent; or

(d) he is convicted by a court of any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months.

(e) he fails to pay any calls in respect of shares held by him alone or jointly with others within six months from the last date fixed for the payment of such calls made unless the Central Government has, by notification in the Official Gazette, removed the disqualification incurred by such failure; or

(f) he absents himself from three consecutive meeting of the Directors or from all meetings of the Directors for continuous period of three months whichever is the longer without leave of absence from the Board of Directors; or

(g) he (whether by himself or by any person for his benefit or on his account), or any firm in which he is a partner or any private company of which he is a Director accepts a loan or guarantee or security for a loan from the Company in contravention of Section 295 of the Act; or

(h) he acts in contravention of Section 299 of the Act; and

(i) he becomes disqualified by an order of the court under Section 203 of the Act; or

(j) he is removed in pursuance of Section 284 by an Ordinary Resolution of the Company before the expiry of its period of office; or

(k) he resigns from office by notice in writing addressed to the Company or to the Directors; or

(l) he, his relative of partner or any firm in which he or his relative is a partner or any private company of which he is a Director or Member holds any office of profit under the Company or any subsidiary hereof in contravention of Section 314 of the Act; or

(m) having being appointed a Director by virtue of his holding any office or other employment in the Company, he ceases to hold such office or other employment in the Company.

(3) Notwithstanding anything contained in clauses (c), (d) and (i) of sub-article (1), the disqualification referred to in those clauses shall not take effect:

(a) For thirty days from the date of adjudication or sentence or order;

(b) Where any appeal or petition is preferred within the thirty days aforesaid against the adjudication, sentence or conviction resulting in the sentence or order, until the expiry of seven days from the date on which such appeal or petition disposed of; or

(c) Where within the seven days aforesaid any further appeal or petition is preferred in respect of the adjudication, sentence, conviction or order and appeal or petition, if allowed, would result in the removal of the disqualification, until such further appeal or petition is disposed of.

128. Disclosure of interest—(a) Every Director of the Company who is, in any way, whether directly or indirectly, concerned or interested in a contract or arrangement, or proposed contract or arrangement entered into or to be entered into, by or on behalf of the Company, shall disclose the nature of his concern or interest at a meeting of the board of Directors.

(b) (i) In the case of proposed contract or ararngement the disclosure required to be made by a Director under Clause (a) shall be made at the meeting of the Board at which the question of entering into the contract or arrangement is first taken into consideration, or if the Director was not at the date of that meeting, concerned or interested in the proposed contract or arrangement at the first meeting of the Board held after he becomes so concerned or interested.

(ii) In the case of any other contract or arrangement, the required disclosure shall be made at the first meeting of the Board held after the Director becomes concerned or intrested in the contract or arrangement.

(c) (i) For the purpose of Clauses (a) and (b), a general notice given to the Board of a Director, to the effect that he is a Director or a Member of a specified body corporate or is a Member of a specified firm and is to be regarded as concerned or interested in any contract or arangement which may after the date of the notice, be entered into with that body corporate or firm, shall be deemed to be a sufficient disclosure of concern or interest to any contract or arrangement so made;

(ii) Any such general notice shall expire at the end of the financial year in which it is given, but may be renewed for further periods of one financial year at a time, by a fresh notice given in the last month of the financial year in which it would otherwise expire;

(iii) No such general notice and no renewals thereof shall be of effect unless either it is given at a meeting of the Board or the Director concerned takes reasonable steps to secure that it is brought up and read at the first meeting of the Board after it is given.

(d) Nothing in this Article shall be taken to prejudice the operation of any rule of law restricting a Director of the Company from having any concern or interest in any contracts or arrangements with the Company.

(e) Nothing in this Article shall apply to any contract or arrangement entered into or to be entered into between the Company and any other company where any of the Diretcors of the Company or two or more of them together holds or hold not more than two percent of the paid-up share capital in the other company.

(f) The provisions of this Article shall mutatis mutandis apply to a member of the Executive Committee who shall disclose the nature of his interest at a meeting of the Executive Committee.

129. Interested Directors not to participate or vote in Board proceedings.—(1) No Director of the Company shall, as a Director, take any part in the discussion of, or vote on, any contract or ararngement entered into, or to be entered into, by or on behalf of the Company, if he is in anyway, whether directly or indirectly, concerned or interested in the contract or arrangement; nor shall his presence count for the purpose of forming a quorum at the time of any such discussion or vote; and if he does vote, his vote shall be void:

(2) This Article shall not apply to—

(a) any contract of indemnity against any loss which the Directors or any one or more of them may suffer by reason of becoming or being surety or sureties for the Company;

(b) any contract or arrangement entered into to be entered into with a public company, or a private company, which is a subsidiary of a public company in which the interest of the Director aforesaid consists solely

(i) in his being a Director of such company and the holder of not more than shares of such number or value therein as a requisite to qualify him for appointment as a Director thereof, he having been nominated as such Director by the Company, or

(ii) in his being a member holding not more than 2% (two per cent) of the paid-up share capital of such other company.

130. Directors may be Directors of companies promoted by the Company—A Director may be, or become a Director of any company promoted by the Company, or in which the Company may be interested as a vendor, member or otherwise and subject to the provisions of the Act and these presents no such Director shall be accountable for any benefits received as Director or member of such company.

Rotation of Directors

131. Directors to retire annually by rotation—At every Annual General Meeting of the Company Other than the first Annual General Meeting one-third of such of the Directors for the time being as are liable to retire by rotation or if their number is not three or a multiple of three, then the number nearest to one-third shall retire from office.

132. Which Directors to retire—The Directors to retire by rotation at every Annual General Meeting shall be those who have been longest in office since their last appointment, but as between persons who became Directors on the same day those who are to retire shall in default of and subject to any agreement among themselves, be determined by lot.

133. Retiring Directors eligible for re-election— retiring Director shall be eligible for re-election.

134. Company to fill up vacany- The Company at the Annual General Meeting at which a Director retires in manner aforesaid may fill up the vacancy by appointing the retiring Director or some other person in that vacancy.

135. Retiring Directors to remain in office until successors appointed—If the place of the retiring Director is not so filled up and the meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy, the meeting shall stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place and if at the adjourned meeting also, the place of the retiring Director is not filled up and that meeting also had not expressly resolved not to fill the vacancy, the retiring Directors shall be deemed to have re-appointed at the adjourned meeting unless—

(i) at that meeting or at the previous meeting a resolution for the re-appointment of such Director has been put to the meeting and lost.

(ii) the retiring Director has by a notice in writing addressed for his appointment or re-appointment by virtue pressed his unwillingness to be so reappointed.

(iii) he is not qualified or is disqualified for appointment.

(iv) a resolution, whether Special or Ordinary, is required for his appointment or re-appointment by virtue of any provisions of the Act, or

(v) the proviso to sub-article (2) of Article 136 is applicable to the case.

136. Appointment of Directors to be voted on individually —(1) At every Annual General Meeting of the Company, a motion shall not be made for the appointment of two or more persons as Directors of the Company by a single resolution, unless a resolution that it shall be so made has first been agreed to by the meeting without any vote being given against it.

(2) A resolution moved in contravention of sub-article (1) of this Article shall be void whether or not objection was taken at the time to this being so moved; provided that where a resolution so moved is passed, on provision for the automatic re-appointment of retiring Directors in default of another appointment shall apply.

(3) For the purpose of this Article, a motion for approving a person's appointment or for nominating a person for appointment shall be treated as motion for his appointment.

137. Rights of persons other than retiring Directors to stand for Directorship—(1) No person, not being a retiring Director, shall be eligible for election to the office of Director at any General Meeting, unless he or some other Member intending to propose him has, at least fourteen clear days before the meeting, left at the office a notice in writing under his hand signifying his candidature for the office of Director or the intention of such Member to propose him, as a candidate for that office along with a deposit of five hundred rupees which shall be refunded to such person or, as the case may be, to such member, if the person succeeds in getting elected as a Director.

(2) The Company shall inform its Members of the candidature of a person for the office of Director or the intention of a Member to propose such person as a candidate for that office for serving individual notices on the Members not less than seven days before the Meeting. Provided that it shall not be necessary for the Company to serve individual notices upon the Members as aforesaid if the Company advertises such candidature or intension not less than seven days before the Meeting in at least two newspapers circulating in the place where the Registered Office of the Company is located, of which one is published in the English language and the other in the regional language of that place.

138. Removal of Directors (a) The Company may by an Ordinary Resolution remove a Director, (not being a Government Director or First Director or a Director appointed by the Government under Section 408 of the Act) before the expiry of his period of office.

(b) Special Notice shall be required of any resolution to remove a Director under this Article or to appoint somebody instead of a Director so removed at the meeting at which he is removed.,

(c) On receipt of notice of a resolution to remove a Director under this Article, the Company shall forthwith send a copy thereof to the Director concerned, and the Director (whether or not he is a Member of the Company) shall be entitled to be heard on the resolution at the meeting.

(d) Where notice is given of a resolution to remove a Director under this Article and the Director concerned makes with respect thereto representations in writing to the Company (not exceeding a reasonable length) and requests their notification to Members of the Company, the Company shall, unless the representations are received by it too late for it to do so :—

(i) in any notice of the resolution given to Members of the Company, state the fact of the representations having been made, and

(ii) send a copy of the representations to every Member of the Company to whom notice of the meeting is sent (whether before or after receipt of the representations by the Company) and if a copy of the representations is not sent as aforesaid because they were received too late or because of the Company's default, the Director may (without prejudice to his right to be heard orally) require that the representations shall be read out at the meeting provided that, copies of the representations need not be sent out and the representations need not be read out at the

meeting, if on the application either of the Company or any other person who claims to be aggrieved, the Court is satisfied that the rights conferred by this clause are being abused to secure needless publicity for defamatory matter.

(e) A vacancy created by the removal of a Director under this Article may, if he had been appointed by the Company in the General Meeting or by the Board, be filled by the appointment of another Director in his stead, by the meeting at which he is removed provided Special Notice of the intended appointment has been given under clause (b) of this Article. A Director so appointed shall hold office until the date up to which his predecessor would have held office if he had not been removed as aforesaid.

(f) If the vacancy is not filled under sub-article (e) of this Article, it may be filled as a casual vacancy in accordance with the provisions so far as they may be applicable of Article 125 and all the provisions shall apply accordingly; provided that the Direcor who was removed from office shall no be reappointed as a Director by the Board.

139. (i) Each member shall annually intimate to the Board in writing by such date as may be fixed from time to time by the Board for the time being, the name of its candidate for being elected to the Board at the next Annual General Meeting.

(ii) A writing or notice under this Article shall be deemed to have been only given if it is signed by a Director of such member and accompanied by a certified copy of the resolution passed by the Board of such member giving effect to any removal or appointment.

(iii) The provisions of Articles 136 to 138 (both inclusive) shall be read subject to and in accordance with the provisions of this Article 139.

PROCEEDING OF DIRECTORS

140. Meeting of Directors.—The Directors may meet together for the despatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings and proceedings as they fit, provided however that a meeting of the Board shall be held at least once in every three months and at least four such meetings shall be held in every year.

141. When meeting to be convened.—The Chairman at any time and the Manager or such other Officer of the Company as may be authorised by the Directors shall upon the request of a Director convene a meeting of the Directors.

142. Notice of Meetings.—Notice of every meeting of the Board of the Company shall be given in writing to every Director for the time being in India, and at his usual address in India to every other Director.

143. Chairman of the Board.—The Directors may elect their Chairman and determine the period for which he is to hold office. All meetings of the Board shall be presided over by such Chairman if present, but if at any meetings of Directors the Chairman be not present, at the time appointed for holding the same then and in that case the Directors shall choose one of the Directors then present to preside at the meeting.

144. Question at a meeting of the Governing Board, how decided.—Questions arising at any meeting shall be decided by a majority of votes, and in case of an equality of votes, the Chairman of the meeting (whether the Chairman appointed by virtue of these presents or the Director presiding at such meeting) shall have a second or casting vote.

145. Quorum and its competence to exercise powers.—The quorum for meeting of the Board of Directors of the Company shall be one-third of its total strength (any fraction contained in that one third being rounded off as one) or two Directors whichever is higher provided that when at any meeting the number of interested Directors exceeds or is equal to two-third of the total strength, the Directors who are not interested, present at the meeting being not less than two shall be the quorum during such time and provided further that the aforesaid proviso shall not be applicable when any contract or arrangement is entered into by or on behalf of the company with a Director or with any firm of which a Director is Member or with any private company of which a Director or member for :

(a) the underwriting or subscription of shares or debentures of the company; or

(b) the purchase or sale of shares or debentures of any other Company; or

(c) a loan by the Company.

For the purpose of this Article :—

(i) "total strength" means the total strength of the Directors of the Company as dtermined in pursuance of the Act after diducting therefrom the number of the Directors, if any, whose place may be vacant at the time.

(ii) "interested Directors" means any Director whose presence cannot by reason of Section 300 of the Act count for the purpose of forming a quorum at a meeting of the Board at the time of the discussion or vote on any matter.

146. Procedure where meeting adjourned for want of quorum—(a) If a meeting of the Board could not be held for want to quorum then, unless the Directors present at each meeting otherwise decide, the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week at the same time and place, or is that day in a public holiday till the next succeeding day which is not a public holiday at the same time and place.

(b) The provisions of Article 141 shall not be deemed to have been contravened merely by reason of the fact that a meeting of the board which had been called in compliance with the terms of that Article could not be held for want of quorum.

147. Board may appoint Committee—The Directors may subject to the provisions of the Act delegate any of their powers to committees consisting of such member or members of their body or person or persons as they think fit, and they may from time to time revoke such delegation. Any Committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any regulations that may from time to time be imposed on it by the Directors. The Executive Committee of the Exchange shall be considered as a Committee of the Company, where the context so admits.

148. Meetings of Committee how to be governed—The meetings and proceeding of any such Committee shall be governed by the provisions of these presents for regulating the meeting and proceeding of the Directors so far as the same are applicable thereto and are not superseded by any regulations made by the Directors under the last proceeding Article.

149. Acts of Board or Committees valid not withstanting defect of appointment—All acts done at any meeting of the Board or a Committee thereof or by any person acting as a Director, shall be valid notwithstanding that it may be afterwards discovered that the appointment of any one or more of such Directors or of any person acting as aforesaid, was invalid by reason of defect or disqualification or had terminated by virtue of any provision contained in the Act of these presents provided that nothing in this Article shall be deemed to give validity to acts done by a Director after his appointment has been shown to the company to be invalid or to have been terminated.

150. Resolution by Circulation—No resolution shall be deemed to have been duly passed by the Board or by a Committee thereof by circulation unless the resolution has been circulated in draft together with the necessary papers, if any, to all the Directors or to all the Members of the Committee then in India (not being less in number than the quorum fixed for a meeting of a Board or Committee as the case may be) and to all other Directors or Members at thier usual address in India and has been approved by such of the Directors as are then in India or by majority of such of them as are entitled to vote on the resolution.

151. Minutes of Proceedings of Directors and Committees.—The Company shall cause minutes of Meetings of the Board of Directors and all Committees of the Board to be duly entered in a book or books provided for that purpose. The minutes shall contain :—

(a) a fair correct summary of the proceedings at the Meetings.

(b) the names of the Directors present at the Meeting of the Board of Directors or of any Committee of the Board.

(c) all orders made by the Board and Committee of the Board and all appointments of Officers and Committees of Directors.

(d) all resolutions and proceedings of Meetings of the Board and the Committees of the Board; and

(e) in the cause of each resolution passed at a Meeting of the Board of Committee of the Board the names of the Directors if any dissenting from, or not, concurring in the resolution.

152. By whom Minutes to be signed and the effect of such Minutes—Any minutes of any Meeting of the Board or any Committee of the Board if purporting to be dated and signed by the Chairman of such Meeting or by the Chairman of the next succeeding meeting in accordance with the provisions of Section 193 of the Act, shall for all purposes whatsoever be evidence of the actual passing of the resolution and the actual and regular transaction or occurrence of the proceeding so recorded and of the regularity of the meeting at which the same shall appear to have taken place.

153. Provisions of the Act—The Directors shall comply with the provisions of Sections 159, 295, 297, 299, 303, 305, 307 and 308 of the Act to the extent applicable.

POWERS OF DIRECTORS

154. General powers Company vested in Directors—Subject to the provisions of the Act and these presents the business of the Company shall be managed by the Directors who may exercise all such powers and do all such acts and things as the Company is by its Memorandum of Association or otherwise authorised to exercise and do and are not by these presents or by statute directed or required to be exercised or done by the Company in General Meeting, but subject nevertheless to the provision of the Act and of the Memorandum of Association and these presents and to any regulations not being inconsistent with the Memorandum from time to time made by the Company in General Meeting provided that no such regulation shall invalidate any prior act of Directors which have been valid if such regulation had not been made.

155. Certain powers to be exercised by Board Meeting only—The Board shall exercise the following powers on behalf of the Company, and it shall do so only by means of resolutions passed at its Meetings :—

(a) the power to make a calls on shareholders in respect of money unpaid on their shares;

(b) the power to issue debentures;

(c) the power to borrow moneys otherwise than by debentures;

(d) the power to invest the funds of the Company; and

(e) the power to make loans

Provided the Board may, by a resolution passed at a meeting delegate to any Committee of Directors, the Managing Director, the Manager or any other principal officer of the Company or in the case of a branch office, the principal officer of the branch office, the powers specified in clauses (c), (d) and (e) to the extent specified in sub-sections (2), (3) and (4) respectively of Section 292 of the Act on such conditions as the Board may prescribe.

156. Consent of Company necessary for exercise of certain powers—The Board shall not except with the consent of the Company in the General Meetings :—

(a) sell, lease or otherwise dispose of the whole, or substantially the whole, of the undertaking of the Company, or where the Company owns more than one undertaking of the whole, or substantially the whole of any such undertaking.

(b) remit or give time for the re-payment of, any debt due by a Director.

(c) invest, otherwise than in trust securities, the compensation received by the Company in respect of the compulsory acquisition of any such undertaking as is referred to in clause (a), or of any premises or properties used for any such undertaking and without which it cannot be carried on or can be carried on only with difficulty or only after a considerable time

(d) borrow moneys where the moneys to be borrowed together with the money already borrowed by the Company, (apart from temporary loans obtained from the Company's bankers in the ordinary course of business) will, exceed the aggregate of the paid up capital of the Company and its free reserves, that is to say reserves not set apart for any specific purpose.

(e) contribute to charitable and other funds not directly relating to the business of the Company or the welfare of its employees, any amounts the aggregate of which all, in any financial year, exceed Rs. 50,000/-, or five percent of its average net profits as determined in according with provisions of Section 349 and 350 of the Act during the three financial years immediately preceding, whichever is greater.

157. Specific powers given to Directors.—Without prejudice to the general powers conferred by Article 154 and the other powers conferred by these presents but subject to the provisions of the Act, it is hereby expressly declared that the Board shall have the following powers :—

(1) To pay the costs, charges and expenses preliminary and incidental to the promotion, formation, establishment and registration of the Company.

(2) To have an Official Seal for use abroad.

(3) To keep Foreign Register in accordance with the provisions of the Act.

(4) To purchase or otherwise acquire for the Company any property rights or privileges which the Company is authorised to acquire at such price and generally on such terms and conditions as they think fit.

(5) To pay for property.—At their discretion to pay for any property or rights or privileges acquired by or services rendered to the Company, either wholly or partially in cash, or in shares, bonds, debentures, debenture stock or other securities of the Company, and any such shares may be issued whether as fully paid up or with such amount credited as paid up thereon as may be agreed upon; any such bonds, debentures, debenture stock or other securities may be either specially charged upon all or any part of the property of the Company and its uncalled capital or not so charged.

(6) To insure properties—To insure and keep insured against loss or damage by fire or otherwise for such period and to such extent as they may think proper all or any part of the buildings, machinery, goods, stores, produce and other moveable property of the Company either separately or jointly; also to insure all or any portion of the goods, produce machinery and other articles imported or exported by the Company and to sell assign surrender or discontinue any policies of assurance effected in pursuance of this power.

(7) To open bank accounts.—To open accounts with any bank or bankers or with any company, firm or individual and to pay money into and draw money from any such account from time to time as the Directors may think fit.

(8) To secure contracts.—To secure the fulfillment of any contracts or engagements entered into by the Company by mortgage or charge of all or any of the property of the Company and its unpaid capital for the time being in such other manner as they think fit.

(9) To attach conditions.—To attach to any shares to be issued as the consideration or part of the consideration for any contract with or property acquired by the Company, or in payment for services rendered to the Company, such conditions as to transfer thereof as they think fit.

(10) To accept surrender of shares.—To accept from any Member on such terms and conditions as shall be agreed a surrender of his sahres or stocks or any part thereof.

(11) To appoint Trustees.—To appoint any person or persons (whether incorporated or not) to accept and hold in trust for the Company any property belonging to the Company or in which it is interested, or for any other purposes and to execute and do all such acts and things as may be requisite in relation to any such trust and to provide for the remuneration of such trustee or trustees.

(12) To institute and defend legal proceedings.—To institute, conduct, defend, compound or abandon any legal proceedings by or against the Company or its officers or otherwise concerning the affairs of the Company, and also to compound and allow time for payment of satisfaction of any debt due or of any claims or demands by or against the Company.

(13) To refer to arbitration.—To refer any claim or demand by or against the Company to arbitration and observe and perform the awards.

(14) To act in matters of bankruptcy.—To act on behalf of the Company in all matters relating to bankruptcy and insolvency.

(15) To give receipts.—To make and give receipts, release and other discharges for moneys payable to the Company and for the claims and demands of the Company.

(16) To Authorise enquiry of bills etc.—To determine from time to time who shall be entitled to sign on the Company's behalf bills, notes, receipts, acceptances, endorsements, cheques, dividend warrants, releases, contracts and documents.

(17) To invest moneys.—To invest and deal with any of the monies of the Company not immediately required for the purposes thereof, in such securities and in such manner as they may think fit and from time to time to vary or realise such investments.

(18) To provide for the welfare of employees etc.—To provide for the welfare of employees or ex-employees of the Company and their wives, and families or the dependents or connections of such persons, by building or contributing to the building of houses or dwelling or by grants or money pensions, allowances, bonus or other payments or by creating and from time to time subscribing or contributing to provident and other associations, institutions, funds or trusts and by providing or subscribing or contributing towards places of instructions and recreation, hospitals and dispensaries, medical and other attendance and other assistance as the Company shall think fit.

(19) To subscribe for Charitable fund etc.—Subject to the provisions of Section 293 of the Act to subscribe or guarantee money for any national, charitable, benevolent, public, general or useful object or for any exhibition or any institution, club, society or fund.

(20) To establish Reserve Fund.—The Directors may before recommending any dividend, set aside out of the profits of the Company such sums as they may think proper for Depreciation or to a Depreciation Fund or as Reserve or to a Reserve Fund or Sinking Fund or any Special Fund to meet contingencies or to repay redeemable Preference Shares or Debentures or for payment of dividends or for equalising dividends or for repairing, improving, extending and maintaining any part of the property of the Company ,or for such other purposes as the Directors may in their absolute discretion think conducive to the interests of the Company, and the Directors may invest the several sums so set aside or so much thereof as required to be invested upon such investments (subject to the restrictions imposed by the Act) as the Directors may think fit and from time to time deal with and vary such investments and dispose of and apply and expend all or any part thereof for the benefit of the Company, in such manner and for such purposes as the Directors (subject to such restrictions as aforesaid) in their absolute discretion think conducive to the interest of the Company notwithstanding that, the matters to which the Directors, apply or upon which they expand the same or any part thereof may be matters to or upon which the capital moneys of the Company might rightly be applied or expended and the Directors may divide the Reserve or any Fund into such special funds and transfer any sum from one Fund to another as the Directors may think fit, and may employ the assets constituting all or any of the above funds, including the Depreciation Fund, in the business of the Company or in the purchase or repayment of redeemable Preference Shares and Debentures and that without being bound to keep the same separate from the other assets, and without being bound to pay interest on the same, with power, however, to the Directors at their discretion to pay or allow to the credit to such fund interest at such rate as the Directors may think proper.

(21) To appoint officers etc.—To appoint and at their discretion remove or suspend such committee or committees of experts, technicians and advisers or such Managers, Officers, clerks employees and agent for permanent, temporary or special services as they may from time to time think fit, and to determine their powers and duties and fix their salaries and emoluments and require security in such instances and to such amounts as they think fit, and also without prejudice as aforsaid, from time to time to provide for the management and transation of the affairs of the Company in any specified locality in India in such manner as they think fit and the provisions contained in sub-articles 22 and 23 following shall be without prejudice to the general powers conferred by this sub-article.

(22) To ensure compliance of local laws.—To comply with the requirements of any local law which in their opinion it shall in the interest of the Company be necessary or expedient to comply with.

(23)To establish Local Board.—From time to time and at any time, to establish any Local Board for managing any of the affairs of the Company in any specified locality in India or elsewhere and to appoint any persons to be members of any Local Boards and to fix their remuneration. And from time to time and at any time, but subject to provisions of Section 292 and 293 of the Act and of these presents to delegate to any person so appointed any of the powers, authorities and discretions for the time being vested in the Directors, and to authorise the members for the time being of any such Local Board, or any of them to fill up any vacancies therein and to act notwithstanding vacancies and any such appointment of delegation may be made on such terms and subject to such conditions as the Directors may think fit, and the Directors may at any time remove any persons so appointed, and may annul or vary any such delegation. Any such delegates may be authorised by the Directors to sub-delegate all or any of the powers, authorities and discretions for the time being vested in them.

(24) At any time and from time to time but subject to the provision of Section 292 and 293 of the Act and Article 147 by Power of Attorney to appoint any person or persons to be the attorney or attorneys of the Company for such purposes and with such powers, authorities and discretion (not exceeding those vested in or exercisable by the Directors under these presents) and for such period and subject to such conditions as the Directors may from time to time think fit, and any such appointment (if the Directors think fit) may

be made in favour of the members, or any of the members of any Local Board established as aforesaid or in favour of any company or members, directors, nominees or managers of any company or firm or otherwise in favour of any fluctuating Body of Persons whether nominated directly or indirectly by the Directors, and any such Power of Attorney may contain such powers for the protection or convenience of persons dealing with such attorneys as the Directors may think fit.

(25) Delegation of powers.—Generally subject to the provisions of the Act and these Articles to delegate the powers, authorities and discretion vested in the Directors to any person, firm, company or fluctuating body or persons.

(26) Such Delegation of powers by Delegates.—Any such delegate or attorney as aforesaid may be authorised by the Directors to sub-delegate all or any of the powers authorities and discretion for the time being vested in him.

(27) To enter into Contracts.—To enter into all such negotiations and contracts and reassign and vary all such contracts and execute and do all such acts, deeds and things in the name and on behalf of the Company as they may consider expedient for or in relation to any of the matter aforesaid or otherwise for the purpose of the Company.

(28) To frame, amend, alter, modify and enforce rules, regulations, bye-laws and codes of conduct for the members of the Exchange, companies seeking enlistment and other participants in such dealings in securities on the the Exchange by whatsoever name called, provided that the power under this clause shall be exercised only by a three-fourths majority of the Directors present and voting at a duly convened meeting of the Board.

158. Powers of the Board.—(1) The Board shall have power to organise, maintain, control, manage, regulate and facilitate the operations of the Exchange(s) and of securities transactions by trading members of the Exchange subject to the provisions of these Articles and of the SCR Act and the Rules framed thereunder and the SEBI Act and Rules, Regulations thereunder or any SEBI directives.

(2) Subject to the provisions of these Articles and of the SCR Act and the Rules framed thereunder and the SEBI Act and Rules thereunder or any SEBI Directives, the Board shall have power and wide authority to make Rules, Bye-laws and Regulations from time to time, for any or all matters relating to the conduct of the business of the Exchange, the business and transactions of trading members between trading members inter se as well as between trading members and persons who are not trading members, and to control, define and regulate all such transactions and to do such acts and things which are necessary for the purposes of the Exchange or of the Company.

(3) Without prejudice to the generality of the foregoing, the Board shall have power to make rules, bye-laws and regulations, amongst other purposes, for all or any of the following matters :—

(a) Conditions for admission to membership of the Exchange.

(b) Conduct of business of the Exchange.

(c) Conduct of trading members with regard to the business of the Exchange, including all matters relating to all transactions in securities of all kinds and all contracts which have been made subject to Rules, Bye-Laws, Regulations or Usage of the Exchange.

(d) Form and conditions of contracts to be entered into, and the time, mode and manner of performance of contracts between trading members inter se or between trading members and their constituents.

(e) Conditions and levy for admission of securities for dealings on the Exchange.

(f) Time, place and manner for transacting business on the Exchange.

(g) Penalties for disobedience or contravention of the Rules, Bye-Laws and Regulations or of general discipline of Exchange, including expulsion of suspension of the trading members,

(h) Declaration of any trading member as defaulter or suspension, or resignation or exclusion from trading membership of the Exchange and of consequences thereof;

(i) Scale of commission or brokerage which trading members can charge.

(j) Conditions, levy for admission or subscription for admission to or continuance of trading membership of Exchange

(k) Charge payable by trading members for transactions in such scrips as may be laid down from time to time.

(l) Investigations of the financial condition, business conduct and dealings of trading members.

(m) Settlement of disputes, complaints, claims arising between trading members and persons who are not trading members inter se as well as between trading members and persons who are not trading members relating to any transaction in securities made subject to the Rules, Bye-Laws and regulations and usage of the Exchange including settlement by arbitration in accordance with the Rules, Bye-Laws and regulations and usage of the Exchange in force from time to time.

(n) Establishment and functioning of Clearing House(s) or other arrangements for clearing.

(o) Appointment of Committee or Committees for any purposes of the Exchange.

(4) The Board shall be empowered to delegate to Executive Committee(s) or to any person, all or any of the powers vested in it, to manage all or any of the affairs of Exchange.

(5) Subject to the provisions of these presents and of the SCR Act and the Rules framed thereunder and the SEBI Act and Rules thereunder or any SEBI directives, the Board shall be empowered to vary, amend or repeal or add to Rules, Bye-Laws and Regulations framed by it.

EXECUTIVE COMMITTEE

159. (a) The Board shall constitute, and empower one or more Executive Committee(s), to manage the whole or part of the affairs of the Exchange.

(b) Such Executive Committee shall consist of :

(i) Managing Director of the Company.

(ii) Not more than two persons who shall be nominated by the Central Government/Securities and Exchange Board of India.

(iii) Four persons nominated in that behalf by the Board (which may include two permanent employees of the company) occupying senior Management positions in the Company.

(iv) Not more than four trading members nominated in that behalf by the Board.

(v) Such individual persons of eminance in the field of finance, accounting, law or other discipline nominated by the Board with prior approval of Securities and Exchange Board of India, and to be known as public representatives.

(c) The maximum strength of the Executive Committee shall be 15 (Fifteen).

(d) The Managing Director of the Company shall be the ex-officio Chairman of the Executive Committee and Chief Executive of the Exchange.

(e) The Board may give such directives from time to time, in relation to the conduct of the affairs of the Exchange, and such directives shall be binding upon the Exchange and the EC(s). If at any time the Board is satisfied that circumstances exist which render it necessary in public interest to do so, the Board may supersede and/or dissolve the Executive Committee and appoint and reconstitute a new Executive Committee with such powers and on such terms as the Board may in its discretion think fit.

(f) The Executive Committee may subject to the terms and conditions of delegation by the Board and to the extent of such delegation exercise all such powers and do all such acts and things as may be exercised or done by the Board.

THE SEAL

160. The Seal, its custody and use.—The Board shall provide a Common Seal for the purpose of the Company and shall have power from time to time to destroy the same and substitute a new seal in lieu thereof and the Board shall provide for the safe custody of the Seal for the time being, and the Seal shall never be used except by or under the authority of the Board or a Committee of Directors, and in the presence of one Director or any other person who may be authorised in this regard at the least, who shall sign every instrument to which the Seal is affixed ; provided that certificates of shares may be under the signatures of such persons as provided by the Companies (Issue of Share Certificates) Rules in force from time to time. Save as otherwise expressly provided by the Act a document or proceeding requiring authentication by the Company may be signed by a Director, or the Secretary or any other officer authorised in that behalf by the Board and need not be under its Seal.

161. Seal abroad.—The Company may exercise the powers conferred by Section 50 of the Act and such powers shall accordingly be vested in the Directors.

DIVIDENDS

162. Division of profits.—The profit of the Company, subject to any special rights relating thereto created or authorised to be created by the Memorandum of Association or these presents and subject to the provisions of the Act, and these presents shall be divisible among the Members in proportion to the amount of capital paid up in the shares held by them respectively.

163. Capital paid up in advance at interest not to earn dividend.—Where capital is paid up in advances of calls upon the footing that the same shall carry interest, such capital shall not, whilst carrying interest, confer a right (to dividend) to participate in profits.

164. Dividends in proportion to amount paid up.—The Company may pay dividends in proportion to the amount paid up or credited as paid up on each share, where a larger amount is paid up or credited as paid up on some shares than on others.

165. The Company in General Meeting may declare a dividend.—The Company in General Meeting may declare a dividend to be paid to the Members according to their respective rights and interests in the profits and may fix the time for payment.

166. No larger dividend than recommended by Directors, etc.—No larger dividend shall be declared than is recommended by the Directors but the Company in General Meeting may declare a smaller dividend, subject to provisions of Section 205 of the Act, and no dividend shall carry interest as against the Company. The declaration of Directors as to the amount of the net profits of the Company shall be conclusive.

167. Interim dividend.—The Directors may, from time to time, pay to the Members such interim dividends as in their judgement the position of the Company justifies.

168. Retention of dividends until completion of transfer under Article 58.—The Directors may retain the dividends payable upon shares in respect of which any person is, under Article 57 hereof, entitled to transfer until such person shall become a Member in respect of such shares.

169. No Member to receive dividend while indebted to the Company and Company's right to reimbursement thereof.—Subject to Section 205 of the Act, no Member shall be entitled to receive payment of any interest or dividend in respect of his share or shares whilst any money may be due or owing from him to the Company in respect of such share or shares of or otherwise howsoever either alone or jointly with any other person or persons and the Directors may deduct from the interest or dividend payable to any Member all sums of money so due from him to the Company.

170. Transfer of shares must be registered.—A transfer of shares shall not pass the right to any dividend declared thereon before the registration of the transfer.

171. Special provision with reference to dividend.—No dividend shall be payable except in cash. Provided that nothing in this Article shall be deemed to prohibit the capitalisation of profits or reserves of the Company for the purpose of issuing fully paid up bonus shares or paying up any amount for the time being unpaid on any shares held by the Members of the Company.

172. Dividends how remitted.—Any dividend payable in cash may be paid by cheque or warrant sent through the post to the registered address of the Member or person entitled or in case of joint holders to that one of them first named in the register in respect of the joint holding. Every such cheque shall be made payable to the order of the person to whom it is sent. The Company shall not be liable or responsible to any cheque or warrant lost in transmission or for any dividend lost to the Member or person entitled thereto by the forged endorsement of any cheque or warrant or the fraudulent or improper recovery thereof by any other means.

173. Unclaimed or unpaid dividends.—(a) If a dividend declared by the company has not been paid or claimed within forty two days from the date of declaration to any shareholder entitled to the payment of the dividend, the Company shall within seven days from the date of expiry of the said period of forty two days, open a special account in that behalf in any Scheduled Bank called "the Unpaid Dividend Account of Credit Analysis and Research Limited" and transfer the total amount of such dividend remaining unpaid or unclaimed, to such account.

(b) Any money transferred to the unpaid dividend account of the Company which remains unpaid or unclaimed for a period of three years from the date of such transfer shall be transferred by the Company to the general revenue account of the Central Government. A claim to any money so transferred to the general revenue account may be preferred to the Central Government by the Shareholders to whom the money is due.

174. Dividends and call together.—Subject to Section 205A of the Act, any General Meeting declaring a dividend may make a call on the Members in respect of moneys unpaid on shares for such amount as the meeting fixes but so that the call on each Member shall not exceed the dividend payable to him and so that the call be made payable at the same time as the dividend, and the dividend may, if so arranged between the Company and the Members, be set off against the call.

CAPTALISATION

175. Capitalisation.—(A) Any General Meeting may resolve that any moneys, investments or other assets forming part of the undivided profits (including profits or surplus moneys arising from the realisation and (where permitted by law) from the appreciation in value of any capital assets of the Company) standing to the credit of the Reserve or Reserve Fund or any other Fund of the Company or in the hands of the Company and available for dividend or representing premium received on the issue of shares and standing to the credit of the share premium account be capitalised :

(i) by the issue and distribution of fully paid up shares, debentures, debenture-stock, bonds or other obligations of the Company, or

(ii) by crediting shares of the Company which may have been issued to and are not fully paid up with the whole or any part of sum remaining unpaid thereon.

(B) Such issue and distribution under (A)(i) above and such payment to the credit of unpaid share capital under (A)(ii) above shall be made to among and in favour of the Members or any class of them or any of them entitled thereto and in accordance with their respective rights and interests and in proportion to the amount of capital paid up on the shares held by them respectively in respect of which such distribution under (A)(i) or payment under (A)(ii) above shall be made on the footing that such Members become entitled thereto as capital.

(C) Directors shall give effect to any such resolution and apply such portion of the profits of Reserve or Reserve Fund or any other Fund on account as aforesaid and may be required for the purpose of making payment in full for the shares, debentures or debenture-stock, bonds or other obligations of the Company so distributed under (A)(i) above or (as the case may be) for the purpose of paying in whole or in part, the amount remaining unpaid on the shares which may have been issued and are not fully paid under (A)(ii) above.

Provided that no such distribution or payment shall be made unless recommended by the Directors and if so recommended, such distribution and payment shall be accepted by such Members as aforesaid in full satisfaction of their interest in the said capitalised sum. For the purpose of giving effect to any such resolution the Directors may settle any difficulty which may arise in regard to the distribution or payment as aforesaid as they think expedient and in particular they may issue fractional certificates and may fix the value for distribution of any specific assets and may determine that cash payments be made to any Members on the footing of the value so fixed and may vest any such cash shares, debentures, debenture-stock, bonds or other obligations in trustees upon such trusts for the person entitled thereto as may seem expedient to the Directors and generally may make such arrangements for the acceptance, allotment and sale of such shares, debentures, debenture-stock, bonds or other obligations and fractional certificates or otherwise as they may think fit.

Provided further that subject to the provisions of the Act and these presents, in cases where some of the shares of the Company are fully paid up and others are partly paid up only such capitalisation may be effected by the distribution of further shares in respect of the fully paid up shares, and by crediting the partly paid up shares with the whole or part of the unpaid liability thereon but so that as between the holders of the fully paid-up shares, and the partly paid up shares the sums so applied in the payment of such further shares and in the extinguishment or diminution of the liability on the partly paid up shares shall be so applied pro rata in proportion to the amount then already paid or credited as paid on the existing fully paid up and party paid up shares respectively.

(D) When deemed requisite a proper contract shall be filed in accordance with the Act and the Board may appoint any person to sign such contract on behalf of the holders of the shares of the Company which shall have been issued prior to such capitalisation and such appointment shall be effective

ACCOUNTS

176. Accounts.—The Board shall cause true accounts to be kept of (a) all sums of money received, expended by the Company and the matters in respect of which such receipt and expenditure take place (b) all sales and purchases of goods by the Company and (c) the assets, credits and liabilities of the Company, and generally of all its commercial, financial and other affairs, transaction and engagement and of all other matters, necessary for showing the true financial state and condition of the Company, and the accounts shall be kept in English and in the manner provided in Section 209(3) of the Act and the books of accounts shall be kept at the Registered Office or such other place or places in India subject to compliance of the provisions of Companies Act, 1956 as the Board think fit, and shall be open to inspection by the Directors during business hours.

177. Inspection by Members of accounts and books of the Company.—The Board shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations the accounts and books of the Company or any of them shall be open to the inspection of Members not being Directors and no Member (not being a Director) shall have any right to inspecting and Account or book or document of the Company except as conferred by law or authorised by the Directors or by the Company in the General Meeting.

178. Statement of Accounts and Report to be furnished to General Meeting Balance Sheet to be served on every member.—Once at least in every calendar year the Board shall place before the Company in the Annual General Meeting a Profit and Loss Account for the period since the proceeding account and a Balance Sheet containing a summary of the property and liabilities of the Company made up to date not more than 6 months before the meeting or in case where an extension has been granted for holding the meeting up to such extended time and every uch Balance Sheet shall as required by Section 217 of the Act, be accompanied by a Report (to be attached hereto) of the Directors as to the state and condition of the Company, and as to the amount (if any) set aside by them for the Reserve Fund, General Reserve or Reserve Account shown specifically in the Balance sheet or to be shown specifically in a subsequent Balance Sheet.

179. Form and contentions of Balance Sheet and Profit and Loss Account—Every Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company shall give a true and fair view if the state of affairs of the Company and shall, subject to the provisions of Section 211 of the Act, be in the Forms set out in Parts I and II respectively of Schedule VI of the Act, or as near thereto as circumstances admit.

180. Authentication of Balance Sheet and other documents; Copies thereof to be sent to Members—(i) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account shall be signed by the Manager of Secretary if any, and by not less than two Directors of the Company one of whom shall be the Managing Director if appointed or when only one Director is for the time being in India, by such Director and Manager or Secretary. But in the latter case the Director concerned shall attached to the Balance Sheet a statement signed by him explaining the reasons therefor. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account shall be approved by the Board before they are singed on behalf of the Board in accordance with the provisions to this Article and before they are submitted to the Auditor for their report thereon. The Auditors' Report shall be attached to the Balance Sheet and the Profit and Loss Acctunt or there shall be inserted at the foot of the Balance Sheet and Profit and Loss Account a reference to the Report.

(ii) A copy of such Balance Sheet and the Profit and Loss Account of audited together with a copy of the Auditors' Report shall, at least twenty one days before the meeting at which the same are to be laid before the Members of the Company, subject to the provisions of Section 219 of the Act, be sent to every Member of the Company, to every trustee for the holders of any debentures issued by the Company whether such member or trustee is or is not entitled to notices of General Meeting of the Company to be sent to him, and to all other persons other than such members or trustees, being persons so entitled and a copy of the same shall be made available at the Office for inspection by the Members of the Company during a period of at least twenty one days before that meeting.

181. Copies of Balance Sheet and Profit and Loss Account and Auditors' Report to be filed—After the Balance Sheet and Profit and Loss Account have been laid before the Company at a General Meeting, three copies thereof signed by the Manager or Secretary or as required by Section 220 of the Act shall together with the requisite Returns in accordance with the requirements of Section 159 and 161 of the Act be filed with the Registrar of Companies within the time specified in Section 220 of the Act.

AUDIT

182. Accounts to be audited—Once at least in every year the accounts of the Company shall be balanced and audited and the correctness of the Profit and Loss Account and Balance Sheet ascertained by one or more Auditor or Auditors.

183. Appointment and qualification of Auditors.—The Company shall at each Annual General Meeting appoint an Auditor or Auditors being Chartered Accountant or Accountants to hold from conclusion of the meeting until the next

Annual General meeting and shall within seven days of the appointment thereof give intimation thereof to every auditor so appointed and the following provisions shall have effect, that is to say :

(1) If an appointment or re-appointment of an Auditor or Auditors is not made at an Annual General Meeting the Company shall, within seven days thereof, give notice of the fact to the Central Government who may appoint an Auditor of the Company for the current year, and fix the remuneration to be paid to him by the Company for his services.

(2) The Directors may fill up any casual vacancy that may occur in the office of Auditor by the appointment of a person being a Chartered Accountant who shall hold such office until the conclusion of the next Annual Genearl Meeting but while any such vacancy continues, the surviving or continuing Auditor or Auditors (if any) may act.

Provided that where such vacancy is caused by the resignation of the Auditor, the vacancy shall only be filled by the Company in General Meeting.

(3) A body corporate, a Director, officer or employee of the Company, or a partner of or person in the employment of such Director, or officer/employee any person, indebted to the Company for an amount exceeding One Thousand Rupees or who has given any guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the Company for an amount exceeding One Thousand Rupees shall not be appointed Auditor of the Company.

(4) If any person after being appointed Auditor becomes disqualified under clause (3), he shall be deemed to have vacated his office .

(5) Retiring Auditors shall subject to the provisions of sub-section (2) of Section 224 of the Act be reappointed.

(6) No person other than a retiring Auditor shall be capable of being appointed to the office of Auditor at any Annual General Meeting unless Special Notice of a resolution for appointment of that person to the office of Auditor has been given by a Member to the Company not less than fourteen days before the Meeting in accordance with Section 190 of the Act, and the Company shall send a copy of any such notice to the retiring Auditor and shall give notice thereof to the Members in accordance with Section 190 of the Act and all the other provisions of Section 225 of the Act shall be complied with. The provisions of this sub-article shall also apply to a resolution that a retiring Auditor shall not be reappointment.

184. Remuneration of Auditors—The remuneration of the Auditors of the Company shall be fixed by the Company in General meeting except that the remuneration of Auditors appointed to fill any casual vacancy, may be fixed by the Directors and where his appointment has been made by the Central Government pursuant to clause (1) of the last preceding Article 186 it may be fixed by the Central Government

185. Auditors : their powers and duties—(1) Every Auditor of the Company shall have a right of access at all the times to the books and accounts and vouchers of the Company and shall be entitled to require from the Directors and officers of the Company, such information and explanations as may be necessary for the performance of the duties of the Auditors and the Auditors shall make report to the Shareholders on the accounts examined by them, and on every Balance Sheet and Profit and Loss Account and every other document declared by the Act to be part of or annexed to the Balance sheet of Profit and Loss Account, which are laid before the Company in General Meeting during their tenure of office, and the report shall state whether, in their opinion and to best of their information and according to the explanations given to them, the said Accounts give the information required by the Act in the manner to required by the Act in the manner so requqired and give a true and fair view : (i) in the case of the Balance Sheet, of the state of the Company's affairs as the end of its financial year and (ii) in the case of the Profit and Loss Account, of the profit or loss for its financial year.

(2) The Auditors' Report shall also state: (a) whether they had obtained all the information and explanations which to the best of their knowledge and blief were necessary for the purpose of their audit : (b) whether, in their opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company for far as appears from the examination of those books and proper returns adequate for the purpose of their audit have been received from the examination of those books and proper returns adequate for the purpose of their audit have been received from the branches not visited by them; and (c) whether the Company's Balance Sheet and the Profit and Loss Account dealt with by the Report are in agreement with the books of account and Returns, where any of the matters referred to in items (i) and (ii) or (a), (b) and (c) aforesaid is answered in the negative or with a qualification the Auditors' Report shall state the reason for the same.

(3) The Auditors' Report shall be attached to the Balance Sheet and Profit and Loss Account or set out at the foot thereof and such Report shall be read before the Company in General Meeting and shall be open to inspection by any Member of the Company

186. Auditors' rights to attend Meetings.—All notices of and other communications relating to, any General Meeting of the Company which any Member of the Company is entitled to have sent to him shall also be forwarded to the Auditors of the Company, and the Auditors shall be entitled to attend and to be heard at any General Meeting which they attend or any part of the business which concerns them as Auditors.

187. Accounts when audited and approved to be conclusive except as to errors discovered within 3 months—Every account when audited and approved by a General Meeting shall be conclusive except with regards to any error discovered therein within three months after the approval thereof. Whenever any such error is discovered within that period, the account shall forth with be corrected and thereforth shall be conclusive

NOTICE

188. Notice—(1)A notice which expression for the purposes of these presents shall be deemed to include any summons, notice, process, order, Judgement or any other document in relation to or in the winding up of the Company) may be given by the Company to any Member either personally or by sending it by post to him to his registered address or if he has no registered address in India to the address if any within India supplied by him to the Company for the giving of notices to him.

(2) Where a document (which shall for this purpose be deemed to include any summons, requisition, process, order, judgement or any other documents in relation to the winding up of the Company or a notice is sent by post, the service of such notice shall be deemed to be effected by properly addressing, pre-paying and posting a letter containing the notice provided that where a Member has intimated to the Company in advance that documents should be sent to him under a certificate of posting or by registered post, with or without acknowledgement due, and has deposited with the Company a sum sufficient to defray the expenses of doing so, service of the document or notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the Member, and unless the contrary is proved, such service shall be deemed to have been effected in the case of a notice of a Meeting at the expiry of forty eight hours after the letter containing the same is posted, and in any other case, at the time at which the letter would have been delivered in the ordinary course of post.

189. Notice of Members having no registered Address.—If a Member has no registered address in India and has not supplied to the Company an address within India for the giving of notices to him, a notice advertised in a newspaper circulating in the neighbourhood of the office shall be deemed to be fully given to him on the day on which the advertisement appears.

190. Persons entitled to notice of General Meetings.—Notice of every General Meeting shall be given in same manner hereinbefore authorised to (a) every member of the Company (including bearers of share warrants), (b) every person entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a Member who but for his death or insolvency would be entitled to receive notice of the meeting and also to (c) the Auditor or Auditors of the Company.

191. Notice by Company and signature thereto.—Any notice to be given by the Company shall be signed by the Secretary (if any) or by such officer as the Directors may appoint. Such signature may be written, printed or lithographed.

192. Transfers etc. bound by prior notice.—Every person who, by operation of law, transfer or other means whatsoever, shall become entitled to any share, shall be bound by every notice in respect of such share, which previously to his name and address and title to the share being notified to the Company, shall have been duly given to the person from whome he derives his title to such share.

193. Notice valid though Member deceased.—Subject to the provisions of the Act, any notice given in purstiance of these presents or documents delivered or sent by post to or left at the registered address of any Member or at the address given by him under Article 190 in pursuance of these presents, shall notwithstanding such Member be then deceased and whether or not the Company have notice of his decease be deemed to have been duly served in respect of any registered share, whether held solely or jointly with other persons by such Member until some other persons be registered in his stead as the holder or the joint holder thereof, and such services shall for all purposes of these presents be deemed a sufficient service of such notice or document on his or her heir executors or administrators and all persons, if any jointly interested with him or her in any such share.

Secrecy Clause

194. Secrecy Clause.—No member shall be entitled to require discovery of or any information respecting any detail of the Companys trading (or of the exchange) or any matter which may be in the nature of a trade secret, mystery of trade or secret process which may relate to the conduct of the business of the Company and which in the opinion of the Directors, will be inexpedient in the interest of the Members of the Company to communicate to the public.

Indemnity and Responsibility

195. Directors and others' right to indemnity.—1. Subject to the provisions of Section 201 of the Act, Board of Director, Managing Director, Managers, Secretary, and other officers or other employees for the time being of the Company, Auditor and the Trustees, if any, for the time being acting in relation to any of the affairs of the Company and every one of them and every one of their heirs, executors and administrators shall be indemnified and secured harmless out of the assets and profits of the Company from and against all actions, costs, charges, losses, damages and expenses which they or any of them, their heirs, executors or administrators shall or may incur or sustain by or reason of any act done, concurred in or omitted in o about the execution of their duty, or supposed duty in their respective offices or trusts except such, if any, as they shall incur or sustain through or by their own wilful neglect or default respectively.

(2) Save and except so far as the provisions of this Article shall be avoided by Section 201 of the Act, none of them shall be answerable for the acts, receipts, neglects or defaults of the other or other of them, or for joining in any receipt for the sake of conformity, or for insolvency of any bankers or other persons with whom any moneys or effects belonging to the Company shall or may be lodged or deposited for safe custody or for the insufficiency or deficiency of any security upon which any moneys belonging to the Company shall be placed out or invested or for any other loss, misfortune or demage which may happen in the execution of their respective officers or trusts or in relation thereto, except when the same shall happen by or through their own wilful neglect or default respectively.

(3) Subject to the provisions of Section 201 of the Act, no Director or other officer of the Company shall be liable for the acts, receipts, neglect or default of any other Director or officer of the Company or for joining in any receipt or other act for conformity for any loss or expnses happening to the Company through the insufficiency or deficiency to title to any property acquired by the order of the Director for or on behalf of the Company or for the insufficient or deficiency of any security in or upon which any of the moneys of the Company shall be invested or for any loss or demage arising from the bankruptcy, insolvency or tortuous act or any person with whom any moneys, securities or effects shall be deposited or for any loss occasioned by any error of judgement or oversight on his part, or for any other loss, or damage whatsoever, which shall happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto unless the same happens through his own negligence or dishonesty.

Winding up

196. Distribution of assets on winding up.—(1) If the Company shall be wound up and assests available for distribution among the Members as such shall be insufficient to repay the whole of the paid-up capital, such assets shall be distributed so that as nearly may be, the losses shall be borne by the Members in propottion to the capital paid-up or which ought to have been paid up at the commencement of the winding up on the shares held by them respectively and if in a winding up the assets available for distribution among the Members shall be more than sufficient to repay the whole of the capital paid-up at the commencement of the winding up, the excess shall be distributed among the Members in proportion to the capital at the commencement of the winding up paid up or which ought to have been paid up on the shares held by them respectively.

(2) Manner of distribution of assets.—If the Company shall be wound up, whether voluntarily or otherwise, the Liquidator may with the sanction of special resolution divide among the contributors, in specie or in kind the whole or any part of the assets of the Company and may, with like sanction, vest any part of the assets of the Company in trustees upon such trusts for the benefit of the contributors or any of them, as the Liquidator, with the like sanction shall think fit, but so that no contributor shall be compelled to accept any shares or other securities whereon there is any liability.

We, the several persons whose names addresses, descriptions and occupations are hereunto subscribed, are desirous of being formed into a company in pursuance of this Articles of Association and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the Company set opposite our respective names

	Name, Address and Description of the Subscriber	Number of Shares taken by each Subscriber	Signature(s)	Witness
		Equity Shares		
1.	INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA IDBI Tower, Cuffe Parade, Bombay–400 005 Represented by its Executive Director DR RAMCHANDRA HANMANT PATIL. (S/o H.R. Patil)	ONE	sd/–	sd/– V. NARAYANA MURTHY (S/o V. Dakshina Murthy), C/o INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA, IDBI Tower, Cuffe Parade, Bombay–400 005
2.	THE INDUSTRIAL CREDIT AND INVESTMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED 163, Backbay Reclamation, Bombay–400 020 Represented by its Managing Director SHRI BHUPENDRA NATH VIDYANATH BHARGAVA (S/o Vidyanath Bhargava)	ONE	sd/–	
3.	GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA Suraksha Building, 170 Jamshedji Tata Road, Churchgate Bombay–400 020 Represented by its Chairman SHRI SANKARA VENKITASUBRA MONY (S/o V. Sankara Iyer)	ONE	sd/–	
4.	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA Yogakshema Bombay–400 020 Represented by its Chief Investments SHRI BALDEV RAI GUPTA (S/o Hans Raj Gupta)	ONE	sd/–	
5.	SHRI G. SREERAMA MURTY S/o Late Shri Tataiah C/o Industrial Development Bank of India IDBI Tower, Cuffe Parade Bombay–400 005 Occupation Service	ONE	sd/	
6.	SHRI ARINDRAJIT LAHIRI S/o Late Shri M.L. Lahiri C/o Industrial Development Bank of India IDBI Tower, Cuffe Parade Bombay–400 005 Occupation: Service	ONE	sd/–	
7.	SHRI RAVI NARAIN S/o Late Shri Dharam Narain C/o Industrial Development Bank of India IDBI Tower, Cuffe Parade Bombay–400 005 Occupation: Service	ONE	sd/–	

For National Stock Exchange of India Ltd.
J. Ravichandran
Company Secretary &
Asst. Vice President (Legal)

NATIONAL STOCK EXCHANGE

BYELAWS

Definitions

(1) "Board" means Board of Directors of NSEIL

(2) "EXCHANGE Securities" means securities which have been admitted to the Official List(s) of NSE Securities.

(3) "EXCHANGE" means the stock Exchange(s) operated by NSEIL.

(4) "Executive Committee" or "EC" means the Committee of the EXCHANGE formed in accordance with Chapter III.

(5) "Issuer" includes a Government, a body eorporate or other entity-whether incorporated or not, which issues any security or other instrument, or draws or accepts a negotiable instrument which is admitted to dealings on the NSE.

(6) "Market-Maker" means a trading member registered under Chapter IX.

(7) "NSEIL" means the National Stock Exchange of India Limited.

(8) "Official List of USE securities" means the list of securities which are listed or permitted to trade on the EXCHANGE.

(9) "Participant" means a constituent who is registered by the relevant authority from time to time under Chapter VI of the Bye Laws.

(10) "Regulations" unless the context indicates otherwise, includes business rules, code of conduct and such other regulations prescribed by the relevant authority from time to time for the operations of the Exchange and these shall be subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulations) Act, 1956 snd Rules and SEBI Act.

(11) "Relevant Authority" means the Board or such authority as specified by the Board from time to time as relevant for a specified purpose.

(12) "Relevant SE Securities" or "Relevant Securities" means those NSE securities pertaining to the relevant trading segment.

(13) "Rules", unless the context indicates otherwise, means rules as mentioned hereunder for regulating the activities and responsibilities of trading members of NSE and as prescribed by the relevant authority from time to time for the constitutions, organisation and functioning of the Exchange and these rules shall be subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Rules and SEBI Act.

(14) 'SEBI" means the Securities and Exchange Board of India.

(15) "Security" shall have the meaning assigned to it in the Seeurities Contracts (Regulations) Act, 1956 and shall also include such other class of monetary transactions or instruments, scripless or otherwise, as may be admitted to dealings on EXCHANGE.

(16) "Security admitted to dealings" includes a security which is listed or permitted to trade on EXCHANGE.

(17) "Trading Member" means a stock broker and the member of the NSE registered in accordance with Chapter V of the Bye-Laws.

(18) "Trading Segments" or "Segments" means the different segments or divisions comprising of NSE securities as may be classified and specified by the Board or relevant authority from time to time

(19) "Trading system of the NSE" means a system which makes available to trading members and the investing public, by whatever method, quotations in NSE securities and disseminates tion regarding trades effected, volumes etc. and such other notification as may be placed thereon by the

CHAPTER I : TRADING SEGMENTS

(1) There may be more than one trading segment as may be specified by the relevant authority from time to time.

(2) The securities which will be eligible for admission to the different trading segment will be specified by the relevant authority from time to time.

Wholesale Debt Market Segment

(3) Instruments used for Wholesale debt market transactions may be admitted to dealings on the Wholesale Debt Market Trading Segment subject to trading regulations which the relevant authority may prescribe from time to time.

Capital Market Trading Segment

(4) Securities eligible under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, may be admitted to dealings on the Capital Market Trading Segment.

(5) Further trading segments such as for debt instruments or equity instruments or any other segment may be specified by the relevant authority from time to time.

CHAPTER II : EXECUTIVE COMMITTEE

(1) Executive Committee(s) shall be appointed by the Board for the purposes of managing the day to day affairs of the different trading segment(s) in such manner as laid down in the Rules.

(2) The Executive Committee of each trading segment shall have such responsibilities and powers as may be delegated to it by the Board as provided for in the Rules.

CHAPTER III : REGULATIONS

(1) The Board or relevant authority may prescribe Regulations from time to time for the functioning and operations of the Exchange and to regulate the functioning and operations of the trading members of the Excange.

(2) Without prejudice to the generality of (1) above, the Board or relevant authority may prescribe regulations from time to time, inter alia, with respect to :

(a) norms, procedures, terms and conditions to be complied with for inclusion of securities in the Official list of NSE Securities;

(b) fees payable by an Issuer for inclusion and continued inclusion in the Official List of NSE Securities;

(c) norms and procedures for admission of trading members in acordance with Chapter VI;

(d) norms and procedures for approval of market-makers to act as such;

(e) norms and conditions of contracts to be entered into, and the time, mode and manner for performance of contracts between trading members inter-se or betwen trading members and their constituents;

(f) determination from time to time, of fees, system usage charges, deposits, margins and other monies payable to the Exchange by trading members, participants and by Issuers whose securities are admitted/to be admitted to dealings on the Exchange and the scale of brokerage chargeable by trading members.

(g) prescription, from time to time, of capital adequacy and other norms which shall be required to maintained by trading members;

(h) supervision of the market and promulgation of such Business, Rules and Codes of Conduct as it may deem fit;

(i) maintenance of records and books of accounts by trading members as it may deem fit and records as required under the Securities Contracts (Regulations) Act and Rules and SEBI Act;

(j) inspection and audit of records and books of accounts;

(k) prescription, from time to time, and administration of penalties, fines and other consequences, including suspension/expulsion for defaults or violation of any requirements of the Bye Laws and Regulations and the Rules and Codes of Conduct and criteria for readmission, if any promulgated thereunder;

(l) disciplinary action/procedures against any trading member;

(m) settlement of disputes, complaints, claims arising between trading members inter-se as well as between trading members and persons who are not trading members relating to any transaction in securities made on the Exchange including settlement by arbitration;

(n) norms and procedures for arbitration;

(o) administration, maintenance and investment of the corpus of the Fund(s) set up by the Exchange including Compensation Fund;

(p) norms and procedures for settlement and clearing of deals, including establishment and functioning of clearing house or other arrangements for clearing and settlement;

(q) norms, procedures, terms and conditions for registration and continuance of registration of Participants;

(r) norms and procedures in respect of, incidental or consequential to closing out of contracts, deals or transactions.

(s) dissemination of information, announcements to be placed on the trading system;

(t) any other matter as may be decided by the Board.

CHAPTER IV : DEALINGS IN SECURITIES

Dealings Allowed

(1) Dealings in securities shall be permitted on the Exchange as provided in these Bye Laws and Regulations and save as so provided, no other dealings are permitted.

Admission of Securities to Dealings

(2) (a) Dealings are permitted on the Exchange in accordance with the provisions prescribed in these Bye Laws and Regulations in that behalf, in securities which are, from time to time, listed or permitted to trade on the trading segments by the relevant authority.

(b) Admission of securities to listing on the Exchange shall be in accordance with the provisions prescribed in these Bye Laws and Regulations in that behalf.

(c) The relevant authority may admit from time to time securities which are permitted to trade on the Exchange.

Government Securities

(3)(a) Notwithstanding anything contained in clause (2) above, dealings shall be deemed to have been permitted in Government securities, which term for the purpose of these

Rules, Bye Laws and the Regulations made thereunder shall denote securities issued by the Government of India, State Governmnets, Port Trusts, Municipalities, local authorities, statutory bodies and similar other bodies or authorities and include treasury bills issued by the Government of India.

(b) Government securities, shall be deemed to have been admitted to dealing on such market segment of the Exchange as may be prescribed by the relevant authority as from the date of their inclusion on the Official List(s) of NSE Securities.

Dealings in Securities Dealt on other Stock Exchanges

(4) Without prejudice to the generality of clause (2) above, the relevant authority may in its discretion and subject to such conditions as it may deem proper, permit dealings in any securities admitted to dealings on any other Stock Exchange or which are regularly dealt in on such Stock Exchange.

Application for Admission to Listing

(5) Applications for admission of securities to listing on the Exchange shall be made to the relevant authority in such form as the relevant authority may from time to time prescribe.

Conditions and Requirements of Dealings

(6) The relevant authority may not grant admission to dealings to the securities of an Issuer unless it complies with the conditions and requirements prescribed in these Bye Laws and Regulations and such other conditions and requirements as the relevant authority may from time to time prescribe.

Refusal of Admission to Listing

(7) The relevant authority may, in its discretion, approve subject to such terms as it deems proper, or defer, or reject any application for admission of a security to listing on the Exchange.

Fees

(8) Issuers whose securities are granted admission to dealings on the Exchange shall pay such listing and such other fees and such other deposits the relevant authority may from time to time determine.

Dealings in Provisional Documents

(9) The relevant authority may, in its discretion, permit dealings in Provisional Documents. Provisional Documents for purposes of these Bye Laws and Regulations denotes Coupons, Fractional Certificates, Letters of Renunciation or transferable Letters of Allotment, Acceptance or Application or options or other rights or interests in securities, warrants issued or to be issued by an issuer or other similar documents in respect of an issuer whose securities are sought to be admitted/admitted to dealings on the Exchange.

Issuers Registered Outside India

(10) Admission to dealings on the Exchange shall not be granted to securities issued by a body corporate, fund or other entity registered or formed outside India unless :

(a) there is adequate public interest in such securities in India;

(b) the body corporate, fund or other entity agrees to maintain a register of members or other similar record in India and agrees to abide by such other criteria as prescribed by the relevant authority are satisfied.

Specific Deals

(11) The relevant authority may permit specific deals to to be made in the case of securities of Issuers not admitted to dealings on the Exchange, which for the time being are prohibited or suspended for dealings.

Prohibited Dealings

(12) The relevant authority may prohibit dealings on the Exchange in any security or securities for any cause.

Suspension of Admission to Dealings on the Exchange

(13) The relevant authority may suspend at any time the admission to dealings on the Exchange granted to any security for such period as it may determine. At the expiration of the period of suspension the relevant authority may reinstate such security subject to such conditions at it deems fit.

Withdrawal of Admission to Dealings on Redemption or Conversion

(14) The relevant authority may, if necessary, withdraw admission to dealings granted to securities which are about to be exchanged or converted into other securities as a result of any scheme of reorganisation or reconstruction or which being redeemable or convertible securities are about to fall due for redemption or conversion.

Withdrawal of Admission to Dealings on Liquidation or Merger

(15) If any issuer be placed in final or provisional liquidation or is about to be merged into or amalgamated with another entity the relevant authority may withdraw the admission to dealings on the Exchange granted to its securities. The relevant authority may accept such evidence as it deems sufficient on such liquidation, merger or amalgamation. Should the merger or amalgamation fail to take place or should an issuer placed in provisional liquidation be reinstated and an application be made for readmission of its securities to dealings on the Exchange, the relevant authority shall have the right of approving, refusing or deferring such application.

Withdrawal of Admission to Dealing on the Exchange

(16) The relevant authority may where deemed necessary, after giving an opportunity to the issuer to explain, withdraw the admission to dealings on the Exchange granted to its securities either for breach of or non-compliance with any of the conditions or requirements of admission to dealings, or for any other reason whatsoever.

Readmission to Dealings on the Exchange

(17) The relevant authority in its discretion may, readmit to dealings on the Exchange the securities of an Issue whose admission to dealings has been previously withdrawn.

CHAPTER V : TRADING MEMBERS

Appointment and Fees

(1)(a) The relevant authority is empowered to admit trading members in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations it may frame from time to time in accordance with the Securities Contracts (Regulations Act and Rules and the SEBI Act.

(b) The relevant authority may specify prerequisites, conditions, formats and procedures for application for admission, termination, re-admission etc. of trading members to each trading segment. The relevant authority may, at its absolute discretion, refuse permission to any applicant to be appointed as trading member.

(c) Such fees, security deposit and other monies as are specified by the Board or relevant authority would be payable on appointment as trading member and for continued appointment thereof.

(d) Trading member of any trading segment may trade on the Exchange in the NSE securities applicable to that segment.

(e) Trading members may trade in relevant securities either on their own account as principals or on behalf of their clients unless otherwise specified by the relevant authority and subject to such conditions which the relevant authority may prescribe from time to time. They may also act as market-makers in such securities if they are so authorised and subject to such conditions as under Chapter IX.

Conditions

(2) (a) Trading members shall adhere to the Bye Laws, Rules and Regulations of the EXCHANGE and shall comply with such operaitonal parameters, rulings, notices, guidelines and instructions of the relevant authority as may be applicable,

(b) All contracts issued for deals on the Exchange shall be in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange.

(c) Trading members shall comply with such Exchange requirements as may be prescribed by the relevant authority from time to time with regard to advertisements and issue of circulars in connection with their activities as Trading members.

(d) Trading members shall furnish declarations relating to such matters and in such forms as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

(e) Trading members shall furnish to the Exchange an annual Auditors' Certificate certifying that specified Exchange requirements as may prescribed from time to time by the relevant authority pertaining to their operations have been complied with.

(f) Trading members shall furnish such information and periodic returns pertaining to their operations as may be required by the relevant authority from time to time.

(g) Trading Members shall furnish to the Exchange such audited and/or unaudited financial or quantitative information and statements as may be required by the relevant authority from time to time.

(h) Trading members shall extend full co-operation and furnish such information and explanation as may be required for the purpose of any inspection or audit authorised by the relevant authority or other authorised official of the Exchange into or in regard to any trades dealings, their settlement, accounting and/or other related matters.

CHAPTER VI : PARTICIPANTS

Registration of Participants or application

(1) The relevant authority may register as a "Participant" those from amongst the constituents as are desirous of registering themselves as such in accordance with these Bye Laws and Regulations framed from time to time, for such purpose and subject to such terms and conditions as may be prescribed by the relevant authority.

Suo Moto Registration of Participant

(2) Notwithstanding anything contained in clause (1) above the relevant authority may suo moto register as a 'Participant' those from amongst the constituents as, in the opinion of the relevant authority for reasons to be recorded, should be so registered subject to such terms and conditions as may be prescribed by the relevant authority.

Rights and Liabilities of Participants

3(a) Notwithstanding any provisions to the contrary as may be continued in any other part of the Bye-Laws especially VII (3) (a), the Exchange may recognise a Participant as a party to the deal or trade made, firmed up or contracted by the Participant through a Trading Member on any segment of the Exchange for such purposes (including for clearing and settlement) subject to such terms, conditions and requirements and in such circumstances as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

(b) Save as otherwise provided in these Bye Laws and Regulations, recognition of the Participant by the Exchange as a party to the deal or trade made, firmed up or contracted by the Participant through the Trading Member, shall not in any way affect the jurisdiction of the Exchange on the concerned Trading Member in regard thereto; and such Trading Member shall continue to remain responsible, accountable and liable to the Exchange in this behalf.

(4) The relevant authority may prescribe from time to time such guidelines governing the functioning and operation of the Participants on the Exchange and conditions for continuance of their registration or recognition. Without prejudice to the generality of the foregoing, such norms, requirements and conditions may include prescription of inter alia, deposits, margins, fees, system usage charges, system maintenance/ propriety etc.

(5) Rights and liabilities of the Participants as mentioned in this clause are in addition to their rights and liabilities under these Bye Laws as Constituents, save where a specific provision of these Bye Laws or Regulations prescribed from time to time regarding any right or liability of a Participant is at variance with that applicable to a Constituent. In the event of such a variance, the specific provision by virtue of the terms and conditions of their registration with the Exchange, regarding any right or liability of a Participant shall prevail.

(6) Rights and liabilities of the Participants shall be subject to these Bye Laws and Regulations as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

(7) Subject to the regulations prescribed from time to time the relevant authority shall at any time be entitled to cancel the registration or recognition of a Participant on such terms and conditions as the relevant authority may specify. Save as otherwise expressly provided in the regulation or in the decision of the relevant authority, all rights and privileges available to the Participant shall accordingly stand terminated on such cancellation.

(8) At the discretion of the Exchange, and subject to such regulations as may be prescribed or other terms and conditions as may be stipulated by the relevant authority, the Participant may be permitted conditional and/or limited access to the trading system or any part hereof as may be decided by the relevant authority from time to time.

CHAPTER VII : DEALINGS BY TRADING MEMBERS

Jurisdiction

(1)(a) Any deal entered into through automated trading system of the Exchange or any proposal for buying or selling or any acceptance of any such proposal for buying and selling shall be deemed to have been entered at the computerised processing unit of the Exchange at Bombay and the place of contracting as between the trading members shall be at Bombay. The trading members of the Exchange shall expressly record on their contract note that they have excluded the jurisdiction of all other Courts save and except, Civil Courts in Bombay in relation to any dispute arising out of or in connection with or in relation to the contract notes and that only the Civil Courts at Bombay have exclusive jurisdiction in claims arising out of such dispute. The provisions of this section shall not object the jurisdiction of any court deciding any dispute as between trading members and their constituents to which the Exchange is not a party.

(b) The record of the Exchange as maintained by a central processing unit or a cluster of processing units or computer processing units, whether maintained in any register, magnetic storage units, electronic storage units, optical storage units or computer storage units or in any other manner shall constitute the agreed and authentic record in relation to any transaction entered into through automated trading system. For the purposes of any dispute the record as maintained by the computer processing units by the Exchange shall constitute valid evidence in any dispute or claim between the constituents and the trading member of the Exchange or between the trading members of the Exchange inter-se.

Indemnity

(2) The Exchange shall not be liable for any unauthorised dealings on the Exchange by any person acting in the name of trading member(s).

Trading Members Only Parties to Traders

(3) (a) The Exchange does not recognise as parties to any deal any persons other than its own trading members, and

(b) Every trading member is directly and wholly liable, in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange, to every other trading member with whom such trading member effects any deal on the Exchange for due fulfilment of the deal, whether such deal be for account of the trading member effecting it or for account of a constituent.

All Dealings Subject to Bye Laws, Rules and Regulations

(4) All dealings in securities on the Exchange shall be deemed made subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange and this shall be a part of the terms and conditions of all such deals and the deals shall be subject to the exercise by the relevant authority of the powers with respect thereto vested in it by the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange.

Inviolability of Trade

(5) (a) An application to annual a trade on the Exchange shall not be entertained by the relevant authority except under a specific allegation of fraud or willful misrepresentation or upon prima facie evidence of such material mistake in the trade as in the discretion of the relevant authority renders the case fit for its decision.

(b) The annulment of a trade under sub-clause (a) above shall be only by a decision of the relevant authority and a decision to that effect shall be final and shall come into force forthwith.

Deals by Representative Trading members

(6) (a) A trading member may authorise another trading member to act as a representative for a specified period with the prior permission of the relevant authority.

(b) When a trading member employs another trading member as a representative to put through the transaction of a constituent such representative shall report the transaction to the employing trading member at the same price as dealt in the market and the employing trading member shall report the same price to the constituent in respect of such transaction.

CHAPTER VIII

TRADING SYSTEM AND MARKET MAKERS

(1) Securities which will be eligible for market making, if at all, will be specified by the relevant authority from time to time.

Registration of Market Makers

(2) (a) Trading members may apply to be market makers in any security eligible for market making.

(b) No trading member shall act as a market maker unless such Member is approved in accordance with this Bye Law and the approval has not been suspended or cancelled. Application for registration shall be in such forms and with such particulars as may be prescribed from time to time.

(c) A market maker shall apply to be registered to the relevant authority before commencing market making operations in each relevant security. If the relevant authority is satisfied, it shall within fifteen business days of receipt of such notification, designate the market maker as a registered market maker for that security. A registered market maker shall not commence to make a market in any relevant security until one business day after notice of its registration has been disseminated through the quotation system.

(d) A registered market maker in any Exchange security must :

(i) Undertake to make bid and offer quotations in the trading system with respect to that security and to effect transactions in a minimum quantity of such other number of securities as may be prescribed from time to time at its quoted price per business day ;

(ii) Undertake to make market for the security for as long as prescribed from time to time from the date the security becomes available for trading by public in the case of a registered market makers approved under sub-section 2(b) above.

(iii) Undertake to execute orders for the purchase or sale of relevant securities at its quoted prices with trading members of clients.

(e) A registered market maker may cease making a market in a particular Exchange security any time after a minimum period as prescribed from time to time from commencement of making market in that security, after having given the required notice of intention to the relevant authority. The required period of notice in this case shall be fifteen business days or such other period as may be prescribed from time to time.

(f) A registered market maker may cease making a market in that security provided formal approval has been obtained from the relevant authority. Such approval will normally be granted in situations where, in the opinion of the relevant authority, it is either impractical or undesirable for the registered market maker to continue to operate on account of events beyond its control.

(3) An obligation may be imposed on a trading member taking up market making operations in certain securities to take up additional market making operations in certain other securities as determined by the relevant authority from time to time.

Suspension and Prohibition of Market Makers

(4) (a) The relevant authority may limit or prohibit the authority of a registered market maker to display on or enter quotations into the trading system or deal in the securities in which he is registered as a market maker if :

(i) such market maker has been or is expelled or suspended from membership of the Exchange, or is unable to comply with the Exchange's Bye Laws, Rules and Regulations or whose registration is cancelled by the Securities and Exchange Board of India ;

(ii) such market maker has defaulted on an transaction effected in respect of Exchange securities ;

(iii) such market maker is in such financial or operating difficulty that the relevant authority determines that such market maker cannot be permitted to display on or enter quotation into the trading system with safety to investors, creditors, other Trading members of the Exchange ;

(iv) where such market maker in the view of the relevant authority, ceases to meet qualification requirements for registration as market maker.

(b) Any market maker which the relevant authority takes action against pursuant to sub-section 4(a) above shall be notified in writing of such action. Such a market maker shall forthwith cease to make market.

(c) Any market maker against which the relevant authority takes action may request an opportunity for a hearing within ten days of the date of notification pursuant to sub-section 4(b) above. A request for hearing shall not operate as a stay of action.

(d) A written decision shall be issued within one week of the date of hearing and a copy shall be sent to the market maker .

(e) On revocation of suspension or prohibition, the market maker can display on or enter quotations into the trading system.

Operational Parameters or Market Makers

(5) The relevant authority may determine and announce from time to time operational parameters for market makers which registered market makers shall adhere to.

(6) The operational parameters may, inter alia, include :

(a) limit of spread between bid and offer rates for different securities, if found necessary ;

(b) fixation of market lots, odd lots and/or minimum number of securities to be offered to be bought or sold ;

(c) limit of variation within a day or between days in bid and offer prices ;

(d) the minimum stock of scrips which the trading member must maintain, below which he must intimate the relevant authority ;

(e) in the event of stock of scrips with a market maker being sold out, allowing the market maker to quote only purchase price offers till such time as marketable lot of securities is built up to re-commence selling operations, and

(f) other matters which may affect smooth operation of trading in securities in which he acts as a market maker, keeping in view larger interest of the public.

CHAPTER IX

Transactions and Settlements Transactions

Business Hours

(1) The business hours for dealing in the Exchange securities in different segments on the Exchange shall be during such time as may be decided by the relevant authority from time to time. The relevant authority may, from time to time, specify business hours for different types of deals such as for spot, ready and odd lots.

(2) The relevant authority may declare a list of holidays in a calendar year. The relevant authority may from time to time alter or cancel any of the Exchange holidays fixed in accordance with these provisions. It may, for reasons to be recorded, close the market on days other than or in addition to holidays.

Trading System

(3) (a) Deals may be effected through order driven, quote driven (market makers) or such other system as the Exchange may put in place for the trading segments from time to time.

(b) Deals between Trading members may be effected by electronic media or computer network or such other media as specified by the relevant authority from time to time.

(c) Deals may be effected on spot, ready or on such other basis as may be specified by the relevant authority from time to time, subject to the Securities Contrac's (Regulations) Act and Rules and the SEBI Act.

Transaction at Best Quotation

(4) In transaction with or on behalf of clients trading members must indicate to the clients the current best quotation as reflected in the trading system.

Operational Parameters for Trading

(5) The relevant authority may determine and announce from time to time operational parameters regarding dealing of securities on EXCHANGE which trading members shall adhere to.

(6) The operational parameters may, inter alia, include :

(a) trading limits allowed which may include trading limits with reference to net worth and capital adequacy norms;

(b) trading volumes and limits at which it will be incumbent for trading members to intimate the Exchange;

(c) limit of spread between bid and offer rates for different securities, if found necessary;

(d) fixation of market lots, odd lots and/or minimum number of securities to be offered to be bought or sold;

(e) limit of variation within a day or between days in bid and offer prices;

(f) other matters which may affect smooth operation of trading in securities keeping in view larger interest of the public;

(g) determine the types of trades permitted for a member and a security ;

(h) determining functional details of the trading system including the system design, users intrastructure, system operation.

Suspension on Failure to meet Trading Limits

(7) A trading member failing to restrict dealing on the Exchange to his trading limits as provided in these Bye Laws and Regulations shall be required by the relevant authority to reduce dealings to within trading limits forthwith. The relevant authority at its discretion may suspend a trading members for violation of trading limits and the suspension shall continue until relevant authority withdraw such suspension.

Contract Notes

(8) Contract Notes shall be issued within such period as may be specified by the relevant authority from time to time for deals effected with clients or on behalf of clients, and will contain such details as the relevant authority may specify from time to time. The contract notes shall specify that the deals is subject to the Bye Laws, Rules and regulations of the Exchange and subject to arbitration as provided therein and subject to the jurisdiction of the Civil Courts of Bombay.

(9) Details of all deals effected, as may be specified, shall be communicated to the offices of the Exchange on the day of the transaction.

(10) Unless otherwise provided in these Bye Laws, all dealings carried out in respect of Exchange securities shall be subject to the Bye Laws, Regulations and Rules of the Exchange.

Delivery of securities

(11) Delivery of all securities, documents and papers and payment in respect of all deals shall be in such manner and such place(s) as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

(12) The relevant authority shall specify from time to time, the securities, documents and papers which, when delivered in prescribed manner, shall constitute good delivery Where circumstances so warrant, the relevant authority may determine, for reasons to be recorded whether or not a delivery constitutes a good delivery, and such finding shall be binding on the parties concerned. Where the relevant authority determines that a delivery does not constitute a good delivery, the delivering party shall be required to substitute good delivery instead within such time period as may be specified.

(13) The norms and procedures for delvery with respect to market lot, odd lot, minimum lot, part delivery, delivery of partly paid securities, etc. shall be as prescribed by the relevant authority from time to time.

(14) The requirements and procedures for determining disputed deliveries or defective deliveries, and measures, procedures and system of resolving the dispute or defect in deliveries or of co-Exchangequences of such deliveries or their resolution shall, subject to these Bye Laws, be as prescribed by the relevant authority from time to time.

Clearing and Settlement

(15) Clearing and settlement of deals shall be effected by the parties concerned by adopting and using such arrangements, systems, agencies or procedures as may be prescribed or specified by the relevant authority from time to time. Without prejudice to the generality of the foregoing, the relevant authority may prescribe or specify, for adoption and use by the Trading Members, participants, and other specified constituents, such custodial and depository services from

time to time to facilitate smooth operation of the clearing and settlement arrangement or system.

(16) The function of the clearing house may be performed by the Exchange or any agency identified by the relevant authority for this purpose. The role of the clearing house shall be to act as a facilitator for processing of deliveries and payments between Trading Members/Participants for trades effected by them on the Exchange. Settlement in each market segment of the Exchange shall be either on netted basis, gross basis, trade-for-trade basis or any other basis as may be specified by the relevant authority from time to time. Save as otherwise expressly provided in the regulations, when funds and securities are, under a prescribed arrangement, routed through the clearing house, the settlement responsibility shall rest wholly and solely upon the counter parties to the trade and/or the concerned Trading Members as the case may be; and the clearing house shall act as the common agent of the Trading Members/Participants for receiving or giving delivery of securities and for receiving and paying funds, without incurring any liability or obligation as a principal.

Closing out

(17) Subject to the regulations prescribed by the relevant authority from time to time, any dealing in securities made on the Exchange may be closed out by buying in or selling out on the Exchange against a Trading Member and/or Participant as follows :—

in case of the selling Trading Member/Participant, on failure to complete delivery on the due date; and

in case of the buying Trading Member/Participant, on failure to pay the amount due on the due date, and any loss, damage or shortfall sustained or suffered as result of such closing out shall be payable by the Trading Member or participant who failed to give due delivery or to pay amount due.

(18) Closing out of contracts or dealings in securities and settlement of claims arising therefrom shall be in such manner within such time frame, and subject to such conditions and procedures as may be prescribed from time to time by the relevant authority.

MARGINS

Margin Requirements

(19) Dealings in any security or securities shall be subject to such margin requirements as the relevant authority may from time to time prescribe.

Form of Margin Deposit

(20) The margin to be furnished by a trading member under these Bye Laws and Regulations shall be provided by a deposit of cash or it may be provided in the form of a Deposit Receipt of a Bank approved by the relevant authority or in securities approved by it subject to such terms and conditions as it may from time to time impose. Deposits of cash shall not carry interest and the securities deposited by a trading member valued at the ruling market price shall exceed the margin amount for the time being covered by such percentage as relevant authority may from time to time prescribe.

Value of Margin Deposit to be Maintained

(21) The trading member depositing margin in the form of securities shall always maintain the value thereof at not less than the margin amount for the time being covered by them by providing further security to the satisfaction of the relevant authority which shall always determine the said value and whose valuation shall conclusively fix the amount of any deficiency to be made up from time to time.

Margin Deposit to be Held by the Exchange

(22) The margin deposits shall be held by the Exchange and when they are in the form of Bank Deposit Receipts and such Receipts and securities may at the discretion of the relevant authority be transferred to such persons or to the name of a Bank approved by the Exchange. All margin deposits shall be held by the Exchange and or by the approved persons and/or by the approved Bank solely for and on account of the Exchange without any right whatsoever on the depositing trading member or those in its right to call in question the exercise of such discretion.

Letter of Declaration

(23) A trading member depositing margin under the provisions of these Bye Laws and Regulations shall when required to do so sign a Letter of Declaration in respect of such matters and in such form or forms as the relevant authority may from time to time prescribe.

Lien on Margins

(24) The monies, Bank Deposit Receipts and other securities and assets deposited by a trading member by way of margin under the proisions of these Bye Laws and Regulations shall be subject to a first and paramount lien for any sum due to the Exchange. Subject to the above, the margin shall be available in preference to all other claims of the trading member for the due fulfilment of its engagements, obligations and liabilities arising out of or incidental to any bargains, dealings, transactons and contracts made subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange or anything done in pursuance thereof.

Evason of Margin Requirements Forbidden

(25) A trading member shall not directly or indirectly enter into any arrangement or adopt any procedure for the purpose of evading or assisting in the evasion of the margin requirements prescribed under these Bye Laws and Regulations.

Suspension on Failure to Deposit Margin

(26) A trading member failing to deposit margin as provided in these Bye Laws and Regulations shall be required by the relevant authority to suspend its business forthwith. A notice of such suspension shall be immediately placed on the trading system and the suspension shall continue until the margin required is duly deposited.

Interest, Dividends, Rights and Calls

(27) The buying constituent shall be entitled to receive all vouchers, coupons, dividends, cash bonus, bonus issues, rights and other privileges which may relate to securities bought cum voucher, cum coupons, cum dividends, cum cash bonus, cum bonus issues, cum rights etc. The selling constituent shall be entitled to receive all vouchers, coupons, dividends, cash bonus, bonus issues, rights and other privileges which may relate to securities sold ex-vouchers, ex coupons, ex dividends, ex cash bonus issues, ex rights etc.

(28) The manner, mode, information requirements, alternation, date and timing etc., of adjustments with respect to vouchers, coupons, dividends, cash bonus, bonus issues, rights and other privileges between buying trading member and selling trading member shall be as prescribed by the relevant authority from time to time. The trading members shall be responsible between themselves and to their constituents for effecting such adjustments.

(29) In respect of a contract in securities which shall become or are Exchangeable for new or other securities under a scheme of reconstruction or reorganisation, the selling constituent shall deliver to the buyer, as he relevant authority directs, either the securities contracted for or the equivalent in securities and/or cash and/or other property receivable under such scheme of reconstruction or reorganisation.

Brokerage on Dealings

Brokerage

(30) Trading members are entitled to charge brokerage upon the execution of all orders in respect of purchase or sale of securities at rates not exceeding the official scale prescribed by the relevant authority from time to time.

Brokerage on Calls

(31) A trading member buying securities on which calls have been prepaid by the seller may charge brokerage on the purchase price with the amount of such calls added.

Underwriting Commission and Brokerage

(32) Unless, otherwise determined and restricted by the relevant authority, a trading member may, in its discretion, charge such brokerage or commission for underwriting or placing or acting as a broker or entering into any preliminary arrangement in respect of any flotation or new issues or Offer for Sale of any security as it may agree upon with the issuer or offerer or with the principal underwriters or brokers engaged by such issuer or offerer, subject to limits stipulated under the relevant statutory provisions as may be applicable from time to time.

Sharing of Brokerage

(33)(a) A trading member may not share brokerage with a person who :—

(i) is one for or with whom trading membres are forbidden to do business under the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange;

(ii) is a trading member or employee in the employment of another trading member;

(b) Irrespective of any arrangement for the sharing of brokerage with any person, the trading member shall be directly and wholly liable to every other member with whom such trading member effects any deal on the Exchange.

CHAPTER X : RIGHTS AND LIABILITIES OF MEMBERS AND CONSTITUENTS

All Contracts subject to Bye Laws, Rules and Regulations

(1) All contracts relating to dealings permitted on the Exchange made by a trading member shall in all cases be deemed made subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange. This shall be a part of the terms and conditions of all such contracts and shall be subject to the exercise by the relevant authority of the powers with respect thereto vested in it by the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange.

Trading members not bound to accept Instructions and Orders

(2) A trading member shall not be bound to accept all or any of the instructions or orders of constituents for purchase, sale, etc., of securities. It may in its absolute discretion decline to accept any such instructions or orders for execution, wholly or in part and shall not be bound to assign any reason therefor.

Provided that when a trading member is not prepared to carry out such instructions or orders either wholly or in part it shall immediately inform its constituent to that effect.

Margin

(3) A trading member shall have the right to demand from its constituent the margin deposit he has to provide under these Bye Laws, Rules and Regulations in respect of the business done by it for such constituent. A trading member shall also have the right to demand an initial margin in cash and/or securities from its constituent before executing an order and/or to stipulate that the constituent shall make a margin deposit or furnish additional margin according to changes in market prices. The constituent shall when from time to time called upon to do so forthwith provide a margin deposit and/or furnish additional margin as required under these Bye Laws, Rules and Regulations in respect of the business done for him by and/or as agreed upon by him with the trading member concerned.

Constituent in Default

(4)(a) A trading member shall not transact business directly or indirectly or execute an order for a constituent who to his knowledge is in default to another trading member unless such constituent shall have made a satisfactory arrangement with the trading member who is his creditor.

(b) On the application of a creditor trading member who refers or has referred to arbitration its claim against the defaulting constituent as provided in these Bye Laws, Rules and Regulations, the relevant authority shall issue orders against any trading members restraining them from paying or delivering to the defaulting constituent any monies or securities up to an amount or value not exceeding the creditor member's claim payable or deliverable by him to the defaulting constituent in respect of transactions entered into subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange, which monies and securities shall be deposited with the Exchange. The monies and securities deposited shall be disposed of in terms of the award in arbitration and pending a decree shall be deposited with the concerned Court when filing the award unless the creditor member and the defaulting constituent mutually agree otherwise.

Closing-out of Constituent's Account

(5) (a) When closing-out the account of a constituent a trading member may assume or take over such transactions to his own account as a principal at prices which are fair and justifid by the condition of the market or he may close-out in the open market and any expense incurred or any loss arising therefrom shall be borne by the constituent. The contract note in respect of such closing-out shall disclose whether the trading member is acting as a principal or on account of another constituent.

(b) Notwithstanding anything contained in (a) above closing out of Participants' account shall be in such manner and subject to such stipulations as may be prescribed from time to time.

Trading member not Liable to attend to Registration of Transfer

(6) A trading member shall not be deemed to be under any obligation to attend to the transfer of securities and the registration thereof in the name of the constituent. If it attends to such work in the ordinary course or at the request or desire or by the consent of the constituent it shall be deemed to be the agent of the constituent in the mater and shall not be responsible for loss in transit or for the issuer's refusal to transfer nor be under any other liability or obligation other than that specifically imposed by these Bye Laws, Rules and Regulations. The stamp duty, the transfer fees and other charges payable to the issuer, the fee for attending to the registration of securities and all incidental expenses such as postage incurred by the trading member shall be borne by the constituent.

Registration of Securities when in Name of Trading member or Nominee

(7)(a) When the time available to the constituents of a trading member is less than thirty days to complete transfers and lodge the securities for registration before the closing of the transfer books and where the security is purchased cum interest, dividend, bonus or rights which the issuer may have announced or declared the trading member may register the securities in its or its nominee's name and recover the transfer fee, stamp duty and other charges from the buying constituent.

(b) The trading member shall give immediate intimation to the Exchange of the names of such constituents and details of the transactions as may be specified by the relevant authority from time to time. The trading member shall also give immediate intimation thereof to the buying constituent and shall stand indemnified for the consequences of any delay in delivery caused by such action.

(c) The trading member shall be obliged to retransfer the security in the name of the original constituent as soon as it has become ex interest, dividend, bonus or rights.

Closing-out by Constituent on Failure to Perform a Contract

(8) If a trading member fails to complete the performance of a contract by delivery or payment in accordance with the provisions of these Bye Laws, Rules and Regulations the constituent shall, after giving notice in writing to the trading member, close-out such contract through any other trading member of the Exchange as soon as possible and any loss or demages sustained as a result of such closing-out shall be immediately payable by the defaulting trading member to the constituent. If closing-out be not effected as provided

herein, the damages between the parties shall be determined on such basis as prescribed by the relevant authority from time to time and the constituent and the trading member shall forfeit all further right of recourse against each other.

No Lien on Constituent's Securities

(9) If a trading member is declared a defaulter after delivering securities on account of his constituent, the constituent shall be entitled to claim and on offering proof considered satisfactory by the relevant authority, and in the absolute discretion of the relevant authority, receive from the Exchange according as the relevant authority directs either such securities or the value thereof subject to payment or deduction of the amount if any due by him to the defaulter.

Complaint by Constituent

(10) When a complaint has been lodged by a constituent with the relevant authority that any trading member has failed to implement his dealings the relevant authority shall investigate the complaint and if it is satisfied that the complaint is justified it may take such disciplinary action as it deems fit.

Relationship between Trading Member and Constituents

(11) Without prejudice to any other law for the time being in force and subject to these Bye Laws, the mutual rights and obligations inter se between the Trading Member and his/its constituent shall be such as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

CHAPTER XI : ARBITRATION

(A) ARBITRATION BETWEEN TRADING MEMBERS AND CONSTITUENTS

Reference to Arbitration

(1)(a) All differences and disputes between a trading member and constituent arising out of or in relation to dealings on the Exchange made subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange or with reference to anything incidental thereto or in pursuance thereof or relating to their construction, fulfilment or validity or rights, obligations and liabilities shall be referred to and decided by arbitration as provided in the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange.

(b) An acceptance, whether express or implied, of a contract subject to arbitration as provided in sub-clause (a) and with this provision for arbitration incorporated therein shall constitute and shall be deemed to constitute an agreement between the trading member and constituent concerned that all claims, differences and disputes of the nature referred to in sub-clause (a) in respect of all dealings, transactions and contracts of a date prior or subsequent to the date of the contract shall be submitted to and decided by arbitration as provided in the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange and that in respect thereof any question of whether such dealings, transactions and contracts have been entered into or not shall also be submitted to and decided by arbitration as provided in the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange.

Operation of Contracts

(2) All dealings, transactions and contracts which are subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange and every arbitration agreement to which the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange apply shall be deemed in all respects to be subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange and the parties to such dealings, transactions, contracts and agreements shall be deemed to have submitted to the jurisdiction of the Courts in Bombay for the purpose of giving effect to the provisions of the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange.

Application for Arbitration

(3) Whenever a claim, complaint, difference or dispute which under these Bye Laws, Rules and Regulations arises between a trading member and constituent which must be referred to arbitration, the trading member or constituent who is a party to such claim, complaint, difference or dispute may apply to the relevant authority to inquire into and arbitrate in the dispute.

Relevant Authority to prescribe Arbitration Fees, Forms and Procedure

(4) The fees to be paid, the forms to be used and the procedure to be followed in connection wih a reference to arbitration under these Bye Laws, Rules and Regulations shall be such as are prescribed by the relevant authority from time to time.

Appointment of Arbitrators

(5) (a) All claims, differences and disputes required to be referred to arbitration under these Bye Laws, Rules and Regulations shall be referred to the arbitration of a person agreeable to both parties selected from a Panel of Arbitrators set up for the purpose.

(b) On failure of both parties to come to agreement on appointment of an arbitrator within a period specified by the relevant authority from time to time, the relevant authority may appoint an arbitrator for this purpose.

Reference to Court of Law

(6) No reference shall be made by the arbitrator to any court of law on any matter arising out of or relating to any reference without first obtaining permission of the relevant authority.

Remedies at Law

(7) The arbitrator may decline to hear a reference or an appeal or may dismiss any reference or appeal at any time during the proceedings and refer the parties to their remedis at law and it shall so refer them upon the joint request of the parties.

Desision on Written Statements or by Hearing

(8) A reference may be decided by the arbitrator on the written statements of the parties. However, any party may require of the arbitrator that he be given a hearing. In that event he shall be so heard and the other party or parties shall have a similar privilege.

Proceedings

(9) The arbitrator may proceed with the reference notwithstanding any failure to file a written statement within due time and may also proceed with the reference in the absence of any or all the parties who after due notice fail or neglect or refuse to attend at the appointed time and place.

Both Parties Present

(10) If a party to the arbitration reference is not present at the appointed time and place set by the arbitrator, the arbitrator may hear and decide the reference ex-part and if both parties to the reference are not present the arbitrator may dismiss the reference summarily.

Adjournment of Hearings

(11) The arbitrator may adjourn the hearings from time to time upon the application of any party to the reference or at their or his own instance: provided however that when the adjournment is granted at the request of one of the parties to the reference the arbitrator may if deemed fit require such party to pay the fees and costs in respect of the adjourned hearing borne by the other party and in the event of such party failing to do so may refuse to hear him further or dismiss his case or otherwise deal with the matter in any way the arbitrator may think fit.

Legal Advisers and Evidence

(12) During a hearing the paries to the reference may with the permission of the arbitrator appear by counsel attorney, advocate or a duly authorised representative and where one party is so permitted a similar privilege shall be afforded to the other party or parties. But no party shall be so entitled without the permission of the arbitrator nor shall he be entitled to insist on or require the arbitrator to hear or examine witnesses or receive oral or documentary evidence other than what is deemed necessary by the arbitrator.

Award by Arbitrator

(13) The arbitrator shall make an award within one month or such time as may be specified by the relevant authority after entering on the reference.

Appointment of Alternate Arbitrator

(14) The relevant authority shall appoint an alternate arbitrator if from any cause the arbitrator appointed fails within the time prescribed to make an award.

Award by Alternate Arbitrator

(15) The alternate arbitrator shall make his award within one month or such time as may be specified by the relevant authority after entering on the reference.

Publication of Award

(16) After making the award the arbitrator shall sign such award and a notice shall be given to concerned parties of the making and signing thereof.

Award binding on Parties and their Representatives

(17) The parties to the arbitration reference shall in all things abide by and forthwith carry into effect the award of the arbitrator which shall be final and binding on the parties and their respective representatives notwithstanding the death of or legal disability occurring to any party before or after the making of the award and such death or legal disability shall not operate as a revocation of the reference or award.

Further Award

(18) Whenever an award made under these Bye Laws Rules and Regulations directs that a certain act or thing be done by one party to the reference and such party fails to comply with the award the other party may make a fresh reference to arbitration for a further award for the amount of damages or compensation payable by reason of such failure and the award therein may be filed separately or together with the original award.

Filing of Award

(19) The arbitrator shall at the request of any party to the reference or any person claiming under such party or if so directed by a Court and upon payment of fees and charges due in respect of the reference and award and of the costs and charges of filing the award cause the award or a signed copy of it together with any depositions and documents which may have been taken and proved before the arbitrators or umpire to be filed in the concerned Court.

Extension of Time for Making the Award

(20) The relevant authority may, if deemed fit whether the time for making the award has expired or not and whether the award has been made or not, extend from time to time, the time for making the award by a period not exceeding one month at a time from the due date or extended due date of the award.

Consideration of Recorded Proceedings and Evidence

(21) If the time prescribed in these Bye Laws, Rules and Regulations for making an award has been allowed by the arbitrator to expire without making an award or if an arbitrator dies or fails or neglects or refuses to act or becomes incapable of acting as an arbitrator the substitue arbitrator appointed by the relevant authority and the other arbitrator or the alternate arbitrator appointed by the relevant authority shall be at liberty to act upon the record of the proceedings as then existing and on the evidence if any then taken in the reference or to commence the reference de nouveau.

Set-off and Counter-claim

(22) On a reference to arbitration by one party the other party or parties shall be entitled to claim a set-off or make a counter-claim against the first party provided such set-off or counter-claim arises out of or relates to dealings transactions and contracts made subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange and subject to arbitration as provided therein and provided further such set-off or counter-claim is presented together with full particulars at or before the first hearing of the reference but not afterwards unless permitted by the arbitrator.

Award to adjudge Interest

(23) Where and in so far as an award is for the payment of money the arbitrator may adjudge in the award the interest to be paid on the principal sum adjudged for any period prior to the institution of the arbitration proceedings and may also adjudge the additional interest on such principal sum as is deemed reasonable for the period from the date of the institution of the arbitration proceedings to the date of the award and further interest on the aggregate sum so adjudged at such rate as is deemed reasonable from the date of the award to the date of payment or the date of the decree.

Costs

(24) The costs of reference and award including costs, charges, fees and other expenses shall be in the discretion of the arbitrator who may decide and direct in the award to any by who, in what manner and in what proportion such costs, charges, fees and other expenses or any part thereof shall be borne and paid by the parties and may tax and settle the amount to be so paid or any part thereof. Failing any direction in the award the costs, the charges, fees and other expenses shall be borne by the parties to the reference in equal proportion. A party refusing to carry out an award shall pay the costs between attorney and client in connection with the filing of the award in the Court and its enforcement unless the Court otherwise directs.

Notices and Communications

(25) Notice and communications to a trading member or a constituent shall be served in any one or more or all the following ways and any such notice or communication under (a) to (f) below shall be served at its ordinary business address and/or at its ordinary place of residence and/or at its last known address.

(a) by delivering it by hand,

(b) by sending it by registered post.

(c) by sending it under certificate of posting.

(d) by sending it by express delivery post.

(e) by sending it by telegram.

(f) by affixing it on the door at the last known business or residential address.

(g) by its oral communication to the party in the presence of a third person.

(h) by advertising it at least once in any prominent daily newspaper.

(i) by a notice placed on the trading system of the Exchange if no address be known.

(j) by a notice placed on the trading system of the Exchange.

Service by Hand Delivery

(26) A notice or communication served by hand shall be deemed to have been received by the party on the production of a certificate to that effect signed by the person delivering the notice or communication.

Service by Post or Telegram

(27) A notice or communication served by post or telegram shall be deemed to have been received by the party at the time when the same would in the ordinary course of post or telegram have been delivered. The production of a letter of confirmation from the post office or of the post office receipt for the registered letter or telegram or of a certificate of posting shall in all cases be conclusive proof of the posting or despatch of such notice or communication and shall constitute due and proper service of notice.

Refusal to accept delivery

(28) In no case shall any refusal to take delivery of the notice or communication affect the validity of its service.

Service by Advertisement or by Notice on Notice Board

(29) A notice or communication published in a newspaper or placed on the trading system of the Exchange shall be deemed to have been served on the party on the day on which it is published or placed.

Ministrial Duties

(30) The Exchange shall :

(a) maintain a register of references;

(b) receive all application for arbitration, references and communications addressed by the parties before or during the course of arbitration or otherwise in relation thereto;

(c) receive payment of all costs, charges, fees and other expenses;

(d) give notices of hearing and all other notices to be given to the parties before or during the course of the arbitration or otherwise in relation thereto:

(e) communicate to parties all orders and directions of the arbitrator;

(f) receive and record all documents and papers relating to the reference and keep in custody all such documents and papers except such as the parties are allowed to retain;

(g) publish the award on behalf of the arbitrator;

(h) cause the award to be filed on behalf of the arbitrator; and

(i) generally do all such things and take all such steps as may be necessary to assist the arbitrators in the execution of their function.

(B) ARBITRATION BETWEEN TRADING MEMBERS

Reference to Arbitration

(31) All claims, complaints, differences and disputes between trading members arising but of or in relation to any bargains, dealings, transactions or contracts made subject to By Laws, Rules and Regulations of the Exchange or with reference to anything incidental thereto or anything to be done in pursuance thereof and any question or dispute whether such bargains, dealings, transactions or contracts have been entered into or not shall be subject to arbitration and referred to arbitration as provided in these Bye Laws, Rules and Regulations.

Permission for Legal Proceedings

(32) In respect of any claim, complaint, difference or dispute required to be referred to arbitration under these Bye Laws, Rules and Regulations no trading member shall commence legal proceedings against another without the permission of the relevant authority. If a trading member institute such proceedings without permission, and recovers any money or other relief it shall hold the same in trust for the Exchange and shall pay the same to the Exchange to be dealt with in the manner directed by the relevant authority.

Application for Arbitration

(33) Whenever a claim, complaint, difference or dispute which under these Bye Laws, Rules and Regulations arises between trading members which must be referred to arbitration, any trading member who is a party to such claim, complaint, difference or dispute may apply to the relevant authority to inquire into and arbitrate in the dispute.

Relevant Authority to prescribe Arbitration Fees, Forms and Procedure

(34) The fees to be paid, the forms to be used and the procedure to be followed in connection with a reference to arbitration under these Bye Laws Rules and Regulations shall be such as are prescribed by the relevant authority from time to time.

Appointment of Arbitrators

(35) (a) All claims, differences and disputes required to be referred to arbitration under these Bye Laws, Rules and Regulations shall be referred to arbitration of a person agreeable to both parties selected from a Panel of Arbitrators set Both parties Present

(b) On failure of both parties to come to agreement on appointment of an arbitrator within a period specified by the relevant authority from time to time, the relevant authority may appoint an arbitrator for this purpose.

Both Parties Present

(36) If the party against whom the reference is filed is not present at the appointed time and place the arbitrator may hear and decide the reference ex parte and if the party filing the reference is not present the arbitrato may dismiss the reference summarily

Award by Arbitrator

(37) The arbitrator shall make an award within one month or such time as may be specified by the relevant authority after entering on the reference.

Appointment of Alternate Arbitrator

(38) The relevant authority shall appoint an alternate arbitrator if from any cause the arbitrator appointed fails within the time prescribed to make an award.

Award by Alternate Arbitrator

(39) The alternate arbitrator shall make his award within one month or such time as may be specified by the relevant authority after entering on the reference.

Publication of Award

(40) After making the award the arbitrator shall sign such award and a notice shall be given to concerned parties of the making and signing thereof.

Award of Arbitrators

(41) The award of the arbitrator in a reference shall be final and shall be deemed binding on the parties to the reference if the sum involved in dispute is less than such amount as prescribed from time to time by the relevant authority.

Appeal to the Relevant Authority

(42) If the sum involved in dispute is more than the amount specified under section 7, the party dissatisfied with the award of the arbitrator may appeal to the relevant authority against such award within seven days of the receipt by him of such award.

Written Objections and Certificate

(43) (a) The party appealing to the relevant authority may state in writing the objections to the award of the arbitrator and shall unless exempted in whole or in part by the relevant authority deposit with the Exchange in cash the full amount ordered to be paid or the securities or the value at the ruling market price of the securities ordered to be delivered in the award. The party placing the deposit shall be deemed to have agreed that such deposit be handed over by the Exchange to the other party in accordance with the terms of the decision in appeal.

(b) A certificate from the Exchange showing that the deposit if any required by sub-clause (a) has been lodged shall be attached to the appeal and the relevant authority shall not entertain an appeal to which such certificate is not annexed.

Decision of the Relevant Authority Final

(44) When the deposit certificate is annexed to the appeal the relevant authority shall proceed to hear the appeal and its award shall be deemed final and binding on the parties to the appeal

Signing of Award

(45) An award made by the arbitrator or the relevant authority shall be in writing and shall be signed by the arbitrators or by Chief Executive of the Exchange on behalf of the relevant authority and by no other member and may be countersigned by an official of the Exchange.

Adjourned Meetings

(46) It shall be no objection to an award of the arbitrator or of the relevant authority that the meeting at which a reference or appeal was inquired into or a reference or appeal was heard was adjourned from time to time or that the inquiry was not completed or that the reference or appeal was not finally heard at one meeting.

Change in Composition

(47) It shall be no objection to an award of the relevant authority that the composition of the relevant authority changed during the inquiry or reference or appeal.

Provided however that no member of the relevant authority who shall not have been present at every meeting at which inquiry into the reference or appeal was made or the reference or appeal was heard shall participate in giving the final decision.

Summary Dismissal

(48) If a party to a reference who has appealed to the relevant authority against an award be not present at the time fixed for hearing the appeal, the relevant authority, as the case may be, may dismiss the appeal summarily.

Appeal Ex Parte

(49) If a party to a reference in whose favour an award has been made be not present at the time fixed by the relevant authority for hearing the appeal against such award, the relevant authority may proceed to hear the appeal ex parte.

Rehearing Ex Parte Award

(50) On sufficient cause being shown the relevant authority may set aside any ex parte award and in any such case the relevant authority may direct that the reference or the appeal be again enquired into or heard

Remission of Award

(51) The relevant authority in its discretion may within fifteen days of an award remit the award or any matter referred to arbitration to the arbitrator upon such terms as it thinks fit and thereupon the arbitrator shall reconsider the matter and either confirm or revise the previous decision.

Fresh Reference on Non-compliance with Award when allowed

(52) Whenever an award directs that certain acts or things be done by the parties to the reference and a party fails to comply with such direction the other party may make a fresh reference for a further award for determining the dispute outstanding or the amount of damages or compensation payable by reason of such failure.

Late Claims Barred

(53) The arbitrators shall not take cognisance of any claim, complaint, difference or dispute which shall not be referred to it within three months of the date when it arose.

Extension of Time

(54) The relevant authority may extend the time within which a reference to arbitration or an appeal against any award of the arbitrator may be made whether the time for making the same has expired or not.

Extension of Time for making an Award

(55) The relevant authority may if deemed fit, whether the time for making the award has expired or not, and whether the award has been made or not, extend from time to time the time for making award.

Remedies at Law

(56) The arbitrator or the relevant authority may decline to hear a reference or an appeal or may dismiss any reference or appeal at any time during the proceedings and refer the parties to their remedies at law and it shall so refer them upon the joint request of the parties.

Penalty on failure to abide by Award in Arbitration

(57) A trading member who fails or refuses to submit to or abide by or carry out any award in arbitration between trading members as provided in these Bye Laws Rules and Regulations shall be expelled by the relevant authority and thereupon the other party shall be entitled to institute any suit or legal proceedings to enforce the award or otherwise assert his rights.

Arbitration Fees

(58) The parties desiring to make a reference to arbitration or proceed in appeal shall pay in advance such fees as the relevant authority may from time to time prescribe

Payment of Fees

(59) Unless otherwise directed in the award the party against whom the award is finally made shall pay all fees paid by the other party to the reference in connection with the arbitration proceedings.

Legal Advisers

(60) During a hearing the parties to the reference may with the permission of the arbitrator or the relevant authority appear by counsel, attorney, advocate or a duly authorised representative. Where one party is so permitted a similar privilege shall be afforded to the other party or parties.

Complaints by Constituent

(61) (a) Notwithstanding anything to the contrary contained in these Bye Laws, Rules and Regulations in special cases when the permission of the relevant authority has been previously obtained a complaint by constituent against a trading member or any claim, difference or dispute between a constituent and a trading member may be referred, at the instance of the constituent to arbitration in accordance with the Bye Laws and Regulations relating to arbitration between trading members, and thereupon the trading member concerned shall submit to such arbitration.

(b) The relevant authority may in its sole discretion grant or refuse permission applied for as provided in sub-clause (a) and an application for this purpose shall not be considered unless the constituent first signs and submits such form of reference as prescribed by the relevant authority from time to time.

CHAPTER XII - DEFAULT

Declaration of Default

(1) A trading member may be declared a defaulter by direction/circular/notification of the relevant authority of the trading segment if :

(a) he is unable to fulfil his obligations; or

(b) he admits or discloses his inability to fulfil or discharge his duties, obligations and liabilities; or

(c) he fails or is unable to pay within the specified time the damages and the money difference due on a closing-out effected against him under these bye Laws, Rules and Regulations; or

(d) he fails to pay any sum due to the Exchange or to submit or deliver to the Exchange on the due date delivery and receive orders, statement of differences and securities, balance sheet and such other clearing forms and other statements as the relevant authority may from time to time prescribe; or

(e) if he fails to pay or deliver to the Defaulters' Committee all monies, secuirties and other assets due to a trading member who has been declared a defaulter within such time of the declaration of default of such trading member as the relevant authority may direct: or

(f) if he fails to abide by the arbitration proceedings as laid down under the Bye Laws, Rules and Regulations.

Failure to fulfil Obligations

(2) The relevant authority may order a trading member to be declared a defaulter if he fails to meet an obligation to a trading member or constituent arising out of an Exchange transaction .

Insolvent a Defaulter

(3) A trading member who has been adjudicated an insolvent shall be ipso facto declared a defaulter although he may not be at the same time a defaulter on the Exchange.

Trading member's Duty to inform

(4) A trading member shal be bound to notify the Exchange immediately if there be a failure be any trading member to discharge his liabilities in full.

Compromise Forbidden

(5) A trading member guilty of accepting from any trading member anything less than a full and bona fide money payment in settlement of a debt arising out of a transaction in securities shall be suspended for such period as the relevant authority may determine.

Notice of Declaration of Default

(6) On a trading member being declared a defaulter a notice to that effect shall be placed forthwith on the trading system of the relevant trading segment.

Defaulter's Book and Documents

(7) When a trading member has been declared a defaulter the Defaulters' Committee shall take charge of all his books of accounts, documents, papers and vouchers to ascertain the state of his affairs and the defaulter shall hand over such books, documents, papers and vouchers to the Defaulters' Committee.

List of Debtors and Creditors

(8) The defaulter shall file with the Defaulters' Committee within such time of the declaration of his defaul, as the relevant authority may direct a written statement containing a complete list of is debtors and creditors and the sum owing by and to each.

Defaulter to give Information

(9) The defaulter shall submit to the Defaulters' Committee such statement of accounts, information and particulars of his affairs as the Defaulters' Committee may from time to time require and if so desired shall appear before the Committee at its meetings held in connection with its default.

Inquiry

(10) The Defaulters' Committee shall enter into a strict inquiry into the accounts and dealings of the defaulter in the market and shall report to the relevant authority anything improper, unbusinesslike or unbecoming a trading member in connection therewith which may come to its knowledge.

Defaulter's Assets

(11) The Defaulters' Committee can call in and realise the security and margin money and securities deposited by the defaulter and recover all monies, securities and other assets due, payable or deliverable to the defaulter by any trading other member in respect of any transaction or dealing made subject to the Bye Laws, Rules and Regulations the Exchange and such assets shall vest in he Defaulters Committee for the benefit and on account of the creditor members.

Payment to Defaulters' Committee

(12) (a) All monies, securities and other assets due, payable or deliverable to the defaulter must be paid or delivered to the Defaulters' Committee within such time of the declartion of default as the relevant authority may direct. A trading member violating this provision shall be declared a defaulter.

(b) A tarding member who shall have received a difference on account or shall have received any consideration in any transaction prior to the date fixed for settling such account or transaction shall, in the event of the trading member from who he received such difference or consideration being declared a defaulter, refund the same to the Defaulters' Committee for the benefit and on account of the creditor member. Any trading member who shall have paid or given such difference or consideramittee for the benefit and on account of the creditor member in the event of the default of such other member.

(c) A tarding member who receives from another trading during any clearing a claim note or credit note representing a sum other than a difference due to him or due to his constituent which amount is to be received by him on behalf and for the account of that constituent shall refund such sum if such other trading member be decared a defaulter within such number of days as prescribed by the relevant authority after the settling day. Such refunds shall be made to the Defaultrs' Committee for the benefit and on account of the creditor members and i. shall be applied in liquidation of the claims of such creditor members whose claims are admitted in accordance with these Bye Laws, Rules and Regulations.

Distribution

(13) The Defaulters' Committee shall at the risk and cost of the creditor members pay all assets received in the course of realisation into such bank and/or keep them with the Exchange in such names as the relevant authority may from time to time direct and shall distribute the same as soon as possible pro rata but without interest among the credit member whose claims are admitted in accordance with these Bye Laws Rules and Regulations.

Closing-out

14(a) Trading Members having open transactions with the defaulter shall close out such transactions on the Exchange after declaration of default. Such closing out shall be in such manner as may be prescribed by the relevant authority from time to time. Subject to the regulations in this regard prescribed by the relevant authority, when in the opinion of the relevant authority, circumstances so warrant, such closing out shall be deemed to have taken place in such manner as may be determined by the relevant authority or other authorised persons of the Exchange.

(b) Differences arising from the above adjustments of closing out shall be claimed from the defaulter or paid to the Defaulters Committee for the benefit of Creditor Trading Members of the defaulter.

Claims against Defaulter

(15) Within such time of the declartion of defualt as the relevant authority may direct every trading member carrying on business on the Exchange shall as it may be required to do, either compare with the Defaulters' Committee his accounts with the defaulter duly adjusted and made up as provided in these Bye Laws, Rules and Regulations or furnish a statement of such accounts with the defaulter in such form or forms as the relevant authority may prescribe or render a certificate that he has no such account.

Delay in comparison or submission of Accounts

(16) Any trading member failing to compare his accounts or send a statement or certificate relating to a defaulter within the time prescribed shall be called upon to compare his accounts or send such statement or certificate within such further time as may be specified.

Penalty for Failure to compare or submit Accounts

(17) The relevant authority may fine, suspend or expel any trading member who fails to compare his accounts or submit a statement of its account with the defaulter or a certificate that he has no such account within the time.

Misleading Statement

(18) The relevant authority may fine, suspend or expel a member if it is satisfied that any comparison statement or certificate relating to a defaulter sent by such trading member was false or misleading.

Accounts of Defaulters' Committee

(19) The Defaulters' Committee shall keep a separate account in respect of all monies, securities and other assets payable to a defaulter which are received by him and shall defray therefrom all costs, charges and expenses incurred in or about the collection of such assets or in or about any proceedings it takes in connection with the default.

Report

(20) The Defaulters' Committee shall every six months present a report to the relevant authority relating to the affairs of a defaulter and shall show the assets realised, the liabilities discharged and dividents given.

Inspection of Accounts

(21) All accounts kept by the Defaulters' Committee in accoradnce with these Bye Laws, Rules and Regulations shall be open to inspection by any creditors trading member.

Scale of Charges

(22) The charges to be paid to the Exchange on the assets collected shall be such sum as the relevant authority may from time to time prescribe.

Application of Assets

(23) The Defaulters' Committee shall apply the net assets remaining in its hands after defraying all such costs, charges and expenses as are allowed under these Bye Laws, Rules and Regulations in satisfying first the claim of the Exchange and then such admitted claims of trading members on a pro rata basis against the defaulter arising out of deals entered into on the Exchange on behalf of the constituents and thereafter on deals entered into on their own account, in accordance with the provisions of Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange.

Certain claims not to be entertained

(24) The Defaulters' Committee shall not entertain any claim against a defaulter :

(a) Which arises out of a contract in securities dealings in which are not permitted or which are not made subject to Bye Laws, Rules and Regulation of the Exchange or in which the claimant has either not paid himself or colluded with the defaulter in evasion of margin payable on bargaining in any security,

(b) which arises out of a contract in respect of which comparison of accounts has not been made in the manner prescribed in these Bye Laws, Rules and Regulations or when there has been no comparison if a contract note in respect of such contract has not been rendered as provided in these Bye Laws, Rules and Regulations;

(c) which arises from any arrangement for settlement of claims in lieu of bona fide money payment in full on the day when such claims become due;

(d) which is in respect of a loan with or without security;

(e) which is not filed with the Defaulters' Committee within such time of the date of declaration of default as may be prescribed by the relevant authority.

Claims against Defaulting Representative Trading member

(25) The Defaulters' Committee shall entertain the claim of a trading member against a defaulter in respect of loss incurred by it by reason of the failure of the constituents introduced by such defaulter to fulfil their obligations arising out of dealings which are permitted on the Exchange and made subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange provided the defaulter was duly registered as a representative trading member working with such creditor member.

Claims of Defaulters' Committee

(26) A claim of a defaulter whose estate is represented by the Defaulters' Committee against another defaulter shall not have any priority over the claims of other creditor members but shall rank with other claims.

Assignment of Claims on Defaulters' Estate

(27) A trading member being a creditor of a defaulter shall not sell, assign or pledge its claim on the estate of such defaulter without the consent of the relevant authority

Proceedings in Name of Defaulter

(28) The Defaulters' Committee with the consent of the trading members who are creditors of a defaulter shall be entitled to take any proceedings in a court of law either in its own name or in the name of the defaulter as it may be advised for recovering any assets of the defaulter.

Payment of Defaulters' Committee

(29) If any trading member takes any proceedings in a court of law against a defaulter whether during the period of its default or subsequent to its readmission to enforce any claim against the defaulter's estate arising out of any transaction or dealing in the market made subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange before it was declared a defaulter and obtains a decree and recovers any sum of money thereon it shall pay such amount or any portion thereof as may be fixed by the relevant authority to the Defaulters' Committee for the benefit and on account of the creditor members having claims against such defaulter.

CHAPTER XIII : PROTECTION FUND

(1) In respect of such market segment of the Exchange as may be prescribed by the relevant authority, an Investor Protection Fund shall be maintained, to which each trading member shall contribute the amounts required by this Part, to make good claims for compensation which may be submitted by any person including a Trading Member or constituent who suffers loss arising from any trading member being declared as a defaulter by the Exchange under Chapter XII.

(2) Subject to this Part, the amount which any claimant shall be entitled to claim as compensation shall be the amount of the actual loss suffered by him (including the reasonable costs of and disbursements incidental to the making and proof of his claim) less the amount or value of all monies or other benefits received or receivable by him from any source in reduction of the loss.

(3) The amount that may be paid under this Part to each person who suffers loss on account of a trading member being declared as a defaulter shall not exceed such amount as may be decided by the relevant authority from time to time.

(4)(a) The relevant authority shall cause to be published in a daily newspaper published and circulating widely, a notice specifying a date not being less than 3 months after the said publication, on or before which claims for compensation in relation to the person specified in the notice, may be made.

(b) A claim for compensation in respect of a default shall be made in writing to the relevant authority on or before the date specified in the said notice and any claim which is not so made shall be barred unless the relevant authority otherwise determines.

(5) Any person wishing to make a claim under this Part must sign an undertaking to be bound by the decision of the relevant authority which decision shall be final and binding.

(6) The relevant authority in disallowing (whether wholly or artly) a claim for compensation shall serve notice of such disallowance on the claimant.

(7) The relevant authority, if satisfied that the default on which the claim is founded was actually committed, may allow the claim and act accordingly.

(8) The relevant authority may at any time and from time to time require any person to produce and deliver any securities, documents or statements of evidence necessary to support any claim made or necessary for the purpose of establishing his claims and in default of delivery of any such securities, documents or statements of evidence by such first mentioned person, the relevant authority may disallow any claim by him under this Part.

(9) The contribution of each trading member to the Investor Protection Fund shall be such an amount as may be determined by the relevant authority from time to time.

(10) If any disbursement is to be made out of the Investor Protection Fund towards claims made pursuant to this Part, such disbursement shall be applied to the defaulting trading member's contribution. If the amount to be disbursed exceeds the defaulting trading member's contribution, the shortfall will be pro-rated amongst the contribution of the rest of the trading members.

(11) Whenever an amount is paid out of the contribution of a trading member, whether by pro-rata charge or otherwise, such trading member will be liable to promptly make good the deficiency in its contribution resulting from such payment.

(12) In respect of disbursements made out of the Investor Protection Fund which are charged pro rata against trading members' contribution the maximum liability of each trading member at any time shall be the contribution requirement in force then.

(13) The Fundwill also entertain claims of clients against defaulting trading members, upto a limit as may be determined by the relevant authority from time to time.

(14) The Investor Protection Fund to be held in trust as aforesaid, shall vest in the Exchange or any other entity or authority as may be prescribed or specified by the relevant authority from time to time.

CHAPTER XIV : MISCELLANEOUS

(1) The relevant authority shall be empowered to impose such restrictions on transactions in one or more EXCHANGE securities as the relevant authority in its judgement deems advisable in the interest of maintaining a fair and orderly market in the securities or if it otherwise deems advisable in the public interest or for the protection of investors. During the effectiveness of such restrictions no trading member shall, for any account in which it has an interest or for the account of any client, engage in any transaction in contravention of such restrictions.

(2) Any failure to observe or comply with any requirement of this Bye Law, or any Bye Laws, Rules or Regulations, where applicable, may be dealt with by the relevant authority as a violation of such Bye Laws, Rules or Regulations.

(3) Trading members have an obligation as the trading members of the Exchange to inform the relevant authority of the Exchange and the Securities Exchange Board of India Act about insider trading, information on takeover and other such information/practices as may be construed as being detrimental to the efficient operations of the Exchange and as may be required under SEBI Act and rules and regulations.

(4) Save as otherwise specifically provided in the regulations prescribed by the relevant authority regarding clearing and settlement arrangement, in promoting, facilitating, assisting, regulating managing and operating the Exchange, the Exchange should not be deemed to have incurred any liability, and accordingly no claim or recourse, in respect of, or in relation to, any dealing in securities or any matter connected therewith shall lie against the Exchange or any authorised person(s) acting for the Exchange.

(5) No claim, suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Exchange or any authorised person(s) acting for the Exchange, in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any order or other binding directive issued to the Exchange under any law or delegated legislation for the time being in force.

For National Stock Exchange of India Ltd.
J. RAVICHANDRAN
Company Secretary &
Asstt. Vice President (Legal)

RULES OF NSE

Section	Contents	Page No.
I.	Board	1
II.	Executive Committee	4
III.	Trading Membership	10
IV.	Disciplinary Proceeding, Penalties, Suspension and Expulsion	25

Section I. BOARD

(1) The Board of Directors (herein referred to as Board) of the National Stock Exchange of India Limited, constituted in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company, may organise, maintain, control, manage, regulate and facilitate the operations of the Exchange and of securities transactions by trading members of the Exchange, subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Rules thereunder and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and any directives thereunder and to trading regulations which RBI may prescribe from time to time for money market instruments.

(2) Directors of the National Stock Exchange of India Limited shall be appointed in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company as amended from time to time and in particular, provisions of Articles 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 and 116 thereof. Any such appointment of Directors shall be considered as one being made under the provisions of these rules.

(3) Subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act 1956 and Rules thereunder and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and any directives thereunder and to trading regulations which RBI may prescribe from time to time for money market instruments, the Board is empowered to make Bye Laws, Rules and regulations from time to time, for all or any matters relating to the conduct of business of the Exchange, the business and transactions of trading members between trading members inter-se as well as the business and transactions between trading members and persons who are not trading members, and to control, define and regulate all such transactions and dealings and to do such acts and things which are necessary for the purposes of the Exchange.

(4) Without prejudice to the generality of the foregoing, the Board is empowered to make Regulations, subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Rules thereunder and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and any directive thereunder and to trading regulations which RBI may prescribe from time to time for money market instruments, for all or any of the following matters :—

(a) Conditions for admission to membership of the Exchange;

(b) Conduct of business of the Exchange;

(c) Conduct of trading members with regard to the business of the Exchange;

(d) Penalties for disobedience or contravention of the Rules, Bye Laws and Regulations of the Exchange or of general discipline of the Exchange, including expulsion or suspension of the trading members;

(e) Declaration of any trading member as a defaulter or suspension or resignation or exclusion from trading membership of the Exchange and consequences thereof;

(f) Conditions, levy for admission or subscription for admission or continuance of trading membership of the Exchange;

(g) Charges payable by trading members for transactions in such scrips as may be laid down from time to time.

(h) Investigation of the financial condition, business conduct and dealings of the trading members;

(i) Appointment of Committee or Committees for any purpose of the Exchange;

(j) Such other matters in relation to the Exchange as may be prescribed under the provisions of the Articles of Association, Bye-Laws or these Rules or as may be necessary or expedient for the organisation, maintenance, control, management, regulation and facilitation of the operations of the Exchange.

(5) The Board is empowered to delegate, from time to time, to the Executive Committee(s) or to the Managing Director or to any person, such of the powers vested in them and upon such terms as they may think fit, to manage all or any of the affairs of the Exchange and from time to time, to revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.

(6) The Board may, from time to time, constitute one or more Committees comprising of members of the Board or such others as the Board may in its discretion deem fit or necessary and delegate to such Committees such powers as the Board may deem fit and the Board may from time to time revoke such delegation. The Committees constituted by the Board may inter alia include :—

(a) Admissions Committee for admission of trading members of the Exchange;

(b) Infrastructure Committee to recommend appropriate infrastructure and implement the same;

(c) Systems Committee to recommend setting up of systems for carrying on the functioning of the Exchange and to implement and monitor the same;

(d) Any other matter which the Board may think fit.

(7) The Board shall have the authority to issue directives from time to time to the Executive Committee or any other Committees or any other person or persons to whom any powers have been delegated by the Board. Such directives issued in exercise of this power which may be of policy nature or may include directives to dispose off a particular matter or issue, shall binding on the concerned Committee(s) or person(s).

(8) Subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Rules thereunder and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and any directives thereunder and to trading regulations which RBI may prescribe from time to time for money market instruments, the Board is empowered to vary, amend, repeal or add to Bye-Laws, Rules and Regulations framed by it.

SECTION II EXECUTIVE COMMITTEE

Constitution

(1) One or more Executive Committee(s) shall be appointed by the Board for the purposes of managing the day to day affairs of the different trading segment(s).

(2) Executive Committee(s) appointed by the Board shall consist of :—

(a) Managing Director of the Company,

(b) Not more than two persons who shall be nominated by the Central Government/Securities and Exchange Board of India,

(c) Not more than four trading members as may be nominated by the Board as per Rules laid down in this regard,

(d) Such individual persons of eminence in the field of finance, accounting, law or other discipline and to be known as 'public representatives' as may be nominated by the Board,

(e) Four persons nominated in that behalf by the Board to be known as 'other nominees', which may include two ex-officio senior officers of the Company.

The maximum strength of the Executive Committee shall be 15.

(3) The Managing Director of the Company shall be the Chief Executive of the Exchange.

Powers of Executive Committee

(4) The Board may delegate from time to time to the Executive Committee(s) such of the powers vested in them and upon such terms as they may think fit, to manage all or any of the affairs of the Exchange and from time to time, revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.

(5) The Executive Committee of each trading segment shall have such responsibilities and powers as may be delegated to it by the Board from time to time which may, inter alia, include the following responsibilities and powers to be discharged in accordance with the provisions of the Bye-Laws and Rules :—

(a) approving securities for admission to the relevant Official List for NSE securities;

(b) admitting trading members;

(c) approving, in the case of capital market trading segment, market-makers to act as such;

(d) supervising the market and promulgating such Business Rules and Codes of Conduct as it may deem fit;

(e) determining from time to time, fees, deposits, margins and other monies payable to the NSE by Trading members and Companies whose securities are admitted/to be admitted to the Official List and the scale of brokerage chargeable by Trading members;

(f) prescribing, from time to time, capital adequacy and other norms which shall be required to maintained by trading members;

(g) prescribing, from time to time, and administering and effecting penalties, fines and other consequences, including suspension/expulsion for defaults or violation of any requirements of the Bye-laws and Regulations and the Rules and Codes of Conduct and criteria for readmission, if any promulgated thereunder;

(h) administering, maintaining and investment of the corpus of the Fund(s) set up by the Exchange including Compensation Fund;

(i) norms, procedures and other matters relating to arbitration;

(j) power to take disciplinary action/proceed legally against any trading member;

(k) dissemination of information, announcements to be placed on the quotation system,

(l) listing requirements and conditions to be complied with;

(m) listing fees payable by the company whose securities are admitted to dealings on the Exchange;

(n) continuance of listed status of the company whose securities are admitted to dealings on the Exchange;

(o) any other matter delegated by the Board.

(6) The Executive Committee may from time to time constitute such sub-committees to carry on business complying with all regulations and guidelines laid down by the Executive Committee. The constitution, quorum and responsibilities of such sub-committees will be determined by Executive Committee.

(7) The Executive Committee may from time to time, authorise the Managing Director or such other person(s) to carry out such acts, deeds and functions in accordance with such provisions as may be laid down in this regard for fulfilling the responsibilities and discharging the powers delegated to it by the Board.

(8) The Executive Committee(s) shall be bound and obliged to carry out and implement any directives issued by the Board from time to time and shall be bound to comply with all conditions of delegation and limitations on the powers of the Executive Committee(s) as may be prescribed.

Government/SEBI Representative

(9) The Government and SEBI shall nominate on the Executive Committee from time to time, not more than one person each to be referred to as "Government Nominee".

(10) Any vacancy caused by resignation, withdrawal of nomination, death or otherwise of such a nominated Government Representative shall be filled in by a similarly nominated person.

Trading Members

(11) Subject to provisions of Section 18 and 19 herein, the Board shall nominate on the Executive Committee from time to time not more than four trading members. The persons so nominated shall hold office for a period of one year and shall be eligible for renomination.

(12) Any vacancy caused by resignation, removal, death or otherwise of such a nominated person shall be filled in by a similarly nominated person.

Public Representatives

(13) The Board shall nominate on the Executive Committee from time to time not more than four persons referred to as 'Public Representatives' who are individual persons of eminence in the field of finance, accounting, law or other discipline. The persons so nominated shall hold office for a period of one year and shall be eligible for renomination.

(14) Any vacancy caused by resignation, removal, death or otherwise of such a nominated Public Representative shall be filled in by a similarly nominated person.

Other Nominees

(15) The Board shall nominate on the Executive Committee from time to time not more than four persons referred to as 'Other nominees'. These may include two senior officers of the Company. The persons so nominated shall hold office for a period of one year and shall be eligible for renomination.

(16) Any vacancy caused by resignation, removal, death or otherwise of such a nominated person shall be filled in by a similarly nominated person.

Vacation of Office of Nominees of the Board

(17) The office of nominees of the Board including that of the public representatives, trading members and other nominees on the Executive Committee shall ipso facto be vacated if :—

(a) he is adjudicated insolvent;

(b) he applied to be adjudicated insolvent;

(c) he is convicted by any Court in India of any offense and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than 30 days;

(d) he absents himself from three consecutive meetings of the Executive Committee or for a continuous period of three months whichever is longer without obtaining leave of absence from the Committee meeting;

(e) in the case of a trading member, if he ceases to be a trading member of the Exchange or if he, by notice in writing addressed to the Excutive Committee, resigns his office or if he is suspended or expelled or if or his membership is terminated;

Provided however that if at any time the Board is satisfied that circumstances exist which render it necessary in public interest to do so, the Board may revoke the nomination of any such person.

Eligibility of Trading Member to become Executive Committee member

(18) No trading member shall be eligible to be nominated as a member of an Executive Committee :—

(a) Unless he satisfies the requirement, if any, prescribed in that behalf by the Rules framed under the Securities Contracts (Regulation) Act 1956 and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992;

(b) Unless he is a trading member of the relevant trading segment for such period as may be decided by the Board from time to time;

(c) if he is a partner with a trading member who is already a member of that Executive Committee;

(d) If he has at any time been declared as defaulter or failed to meet his liabilities in ordinary course or compounded with his creditors;

(e) If he had been expelled or suspended by an Executive Committee;

(19) A trading member nominated for two consecutive years as a member on an Executive Committee shall not be eligible to be nominated to the Executive Committee unless a period of two years has elapsed since his last nomination.

Office Bearers of Executive Committee

(20) The Executive Committee shall from time to time have the following office-bearers namely, the Chairman and Vice-Chairman.

(21) The Managing Director of the Company shall be the Chairman of Executive Committee(s).

(22) The Executive Committee shall elect one among themselves as the Vice Chairman.

(23) The Vice Chairman so elected shall hold office for a period of one year and shall be eligible for re-election.

(24) In the event of any casual vacancy arising in the office of the Vice-Chairman due to death, resignation or any other cause the Executive Committee shall nominate a successor from among the members of the Executive Committee.

(25) The persons nominated/elected as above in any casual vacancy shall hold office for the same period for which the office-bearer in whose place he was appointed would have held office if it had not been vacated as aforesaid.

Meetings of the Executive Committee

(26) The Executive Committee may meet at least once in every calendar month for the despatch of business, adojourn and otherwise regulate its meetings and proceedings as it thinks fit, and may determine the quorum necessary for the transaction of business.

(27) The quorum for a meeting of the Executive Committee, shall be one-third of the total strength of the Executive Committee, any fraction being rounded off as one, or five members whichever is higher. Provided that where at any time the number of interested members exceeds two-thirds of the total strength, then the number of remaining members, i.e., the number of members not interested shall be the quorum for the meeting.

(28) The Chairman or Vice-Chairman or any two members of the Executive Committee may at any time convene a meeting of the Executive Committee.

(29) Questions arising at any meeting of the Executive Committee shall be decided by a majority of the votes cast excepting in cases where a larger majority is required by any provision of the Bye-Laws, Rules and Regulations of the Exchange. In the case of equality of votes on matters which can be decided by a majority of votes, the Chairman presiding over the meeting shall have a second or casting vote.

(30) At all meetings of the Executive Committee the Chairman shall ordinarily preside and in his absence the Vice-Chairman shall preside. If the Vice-Chairman also be not present at the meeting, the members of the Executive Committee present shall choose one from among themselves to be Chairman of such meeting.

(31) Subject to the conditions stated elsewhere every member of the Executive Committee shall have only one vote whether on a show of hands or on a poll except that in the case of a poll resulting in equal votes, the Chairman who presides over the meeting shall have a costing vote.

(32) No vote by proxy shall be allowed either on a show of hands or on a poll in respect of any matters.

(33) No member who has been suspended, expelled or declared defaulter shall be entitled to be present at a meeting or to take part in any proceedings or to vote thereat.

Chairman and Vice Chairman

(34) The Chairman may assume and exercise all such powers and perform all such duties as may be delegated to him by the Executive Committee from time to time as provided in the Rules, Bye Laws and Regulations of the Exchange.

(35) In the absence of the Chairman or on his inability to act the Vice-Chairman, and in his absence or inability to act, his functions and powers shall be exercised by the senior available officer of the Company under the directions of the Executive Committee.

(36) The Chairman, and in his absence the Vice-Chairman, shall be entitled to exercise any or all of the powers exercisable by the Executive Committee whenever he be of the opinion that immediate action is necessary, subject to such action being confirmed by the Executive Committee within twenty four hours.

(37) The Chairman and/or delegated authority shall represent the Exchange officially in all public matters.

Provided that the Executive Committee may direct that on any matters or occasion the Chairman and/or other member or members of the Executive Committee shall represent the Exchange.

(38) A meeting of the Executive Committee for the time being, at which a quorum is present shall be competent to exercise all or any of the authorities, powers and discretion for the time being vested in or exercisable by the Executive Committee generally.

III. TRADING MEMBERSHIP

(1) The rights and privileges of a trading member shall be subject to the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange.

(2) All trading members of the Exchange shall have to register themselves prior to commencing operations on the Exchange, with the Securities and Exchange Board of India.

Eligibility

(3) The following persons shall be eligible to become trading members of the Exchange :

(a) individuals

(b) registered Firms

(c) bodies corporate

(d) companies as defined in the Companies Act, 1956 and

(e) such other persons or entities as may be permitted under the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 as amended from time to time.

(4) No person shall be admitted as a trading member of the Exchange if such proposed member :—

(a) is an individual who has not completed 21 years of age;

(b) is an individual who is engaged as a principal or employer in any business other than that of securities except as a broker or agent not involving any personal financial liability unless he undertakes on admission to severe his connection with such business;

(c) is a body corporate who has committed any act which renders the person liable to be wound up under the provisions of the law;

(d) is a body corporate who has had a provisional liquidator or receiver or official liquidator appointed to the person;

(e) has been adjudged bankrupt or a receiving order in bankruptcy has been made against the person or the person has been proved to be insolvent even though he has obtained his final discharge;

(f) has been convicted of an offense involving a fraud or dishonesty;

(g) has compounded with his creditors for less than full discharge of debts;

(h) has been at any time expelled or declared a defaulter by any other Stock Exchange;

(i) has been previously refused admission to membership unless the period of one year has elapsed since the date of rejection;

(j) incurs such disqualification under the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or Rules made thereunder as disentitles such person from seeking membership of a stock exchange.

(5) No individual person shall be eligible for admission to trading membership of the Exchange unless :

(a) he has worked for not less than two years as a Partner with, or as an authorised assistant or authorised clerk or apprentice to a member of any recognised stock exchange and is duly registered with that exchange, or;

(b) he agrees to work for a minimum period of two years as a partner or representative member with another member of the Exchange and to enter into transactions on the Exchange not in his own name but in the name of that member under whom he is working; or

(c) he succeeds to the established business of a deceased or retiring member of the Exchange who is his father, uncle, brother or any other person who is in the opinion of the relevant authority, a close relative;

Provided that the relevant authority may waive compliance with any or all of the foregoing conditions contained in this sub-clause and at their discretion waive the requirements set out above, if they are of the opinion that the person seeking is considered by the relevant authority to be otherwise qualified to be admitted as a member by reason of his means, position, integrity, knowledge and exprience of business in securities.

(6) No person shall be eligible to be admitted to the trading membership of the Exchange unless the person satisfies :

(a) the requirements prescribed in that behalf under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, and the Rules framed thereunder and under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, and

(b) such additional eligibility creteria as the Board or relevant authority may prescribe for the different Classes of trading members and trading segments from time to time.

(7) Unless otherwise specified by the relevant authority, membership for any person shall be restricted to only one trading segment.

(8) Trading member of any trading segment may trade in NSE securities applicable to that segment.

Admission

(9) Any person desirous of becoming a trading member shall apply to the Exchange for admission to the trading membership of the relevant trading segment of the Exchange. Every applicant shall be dealt with by the relevant authority who shall be entitled to admit or reject such applications at its discretion.

(10) The application shall be made in such formats as may be specified by the relevant authority from time to time for application for admission of trading members to each trading segment.

(11) The application shall have to be submitted along with such fees, security deposit and other monies in such form and in such manner as may be specified by the relevant authority from time to time.

(12) The applicant shall have to furnish such declarations as may be specified from time to time by the relevant authority.

(13) The relevant authority shall have the right to call upon the applicant to pay such fees or deposit such additional security in cash or kind, to furnish any additional guarantee or to require the deposit of any building fund, computerisation fund, training fund or fee as the relevant authority may prescribe from time to time.

(14) The relevant authority may admit the applicant to the trading membership of the Exchange provided that the person satisfies the eligibility conditions and other procedures and requirements of application. The relevant authority may at its absolute discretion reject any application for admission without communicating the reason thereof.

(15) If for any reason the application is rejected, the admission fee shall be refunded to the applicant without any interest.

(16) The relevant authority may at any time from the date of admission to the trading membership of the Exchange cancel the admission and expel a trading member if he has in or at the time of his application for admission to membership or during the course of the inquiry made by the relevant authority preceding his admission :

(a) Made any wilful misrepresentation; or

(b) Suppressed any material information required of him as to his character and antecedents; or

(c) Has directly or indirectly given false particulars or information or made a false declaration.

(17) When a person is admitted to the trading membership of the Exchange, intimation of the person's admission shall be sent to the person and to the Securities and Exchange Board of India. If the person admitted to the membership of the Exchange an after intimation of his admission is duly sent, does not become a member by complying with acts and procedures for exercising the privileges of membership as may be prescribed by the relevent authority within a specified time period from the date of despatch of the intimation of admission, the admission fee paid by him shall be forfeited by the Exchange.

(18) Every trading member of the Exchange shall, upon being admitted as a Trading Member of the Exchange be issue a certificate or entitlement slip as proof of having been admitted to the benefits and privileges of the trading membership of the Exchange. Such a certificate or entitlement shall not be transferable or transmittable.

(19) The entitlement slip does not confer any ownership right as a member of the Company. The original of the entitlement slip shall stand deposited with the relevant authority. An authenticated photocopy or duplicate of such entitlement slip shall remain in the possession of the trading member as a proof of the trading membership of the Exchange.

(20) A trading member shall not assign, mortgage, pledge, hypothecate or charge his right of membership or any rights or privileges attached thereto and no such attempted assignment mortgage, pledge, hypothecation or charge shall be effective as against the Exchange for any purpose, nor shall any right or interest in any trading membership other than the personal right or interest of the trading member therein be recognised by the Exchange. The relevant authority shall expel any trading member of the Exchange who acts or attempts to act in violation of the provisions of this Rule.

Partnership

(21) No trading member shall form a partnership or admit a new partner to an existing partnership or make any change in the name of an existing partnership without intimation and prior approval of the relevant authority in such form and manner and subject to such requirements as the relevant authority may specify from time to time ; these requirements may, inter alia, include deposits, declarations, guarantees and other conditions to be met by and which may be binding on partners of the firm who are not trading members.

(22) No trading member shall, at the same time, be a partner in more than one partnership firm which is a trading member of the Exchange.

16—140 GI/96

(23) No trading member who is a partner in any partnership firm shall assign or in any way encumber his interest in such partnership firm.

(24) The partnership firm shall register with the Income Tax authorities and with the Registrar of Firms and shall produce a proof of such registration to the Exchange.

(25) The partners of the firm shall do business only on account of the firm and jointly in the name of the partnership firm.

(26) The members of the partnership firm must communicate to the Exchange in writing under the signatures of all the partners or surviving partners any change in such partnership either by dissolution or retirement or death of any partner or partners.

(27) Any notice of the Exchange intimating dissolution of a partnership shall contain a statement as to who undertakes the responsibility of settling all outstanding contracts and liabilities of the dissolved partnership firm but that shall not be deemed to absolve the other partner or partners of his or their responsibility for such outstanding contracts and liabilities.

Termination of Membership

(28) Any trading member may cease to be member, if one or more apply :

(a) By resignation;

(b) By Death;

(c) By expulsion in accordance with the provisions contained in the Bye Laws, Rules and regulations;

(d) By being declared a defaulter in accordance with the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange;

(e) By dissolution in case of partnership firm;

(f) By winding up or dissolution of such company in case of a limited company.

Resignation

(29) (a) A trading member who intends to resign from the trading membership of the Exchange shall intimate to the Exchange a written notice to that effect which shall be displayed on the quotation system.

(b) Any member of the Exchange objecting to any such resignation shall communicate the grounds of his objection to the relevant authority by letter within such period as may be specified by the relevant authority from time to time.

(c) The relevant authority may accept the resignation of a member either unconditionally or on such conditions as it may think fit or may refuse to accept such resignation and in particular may refuse to accept such resignation until it is satisfied that all outstanding transactions with such member have been settled.

Death

(30) On the death of a member, his legal representatives and authorised representatives, if any, shall communicate due intimation thereof to the relevant authority in writing.

Failure to pay Charges

(31) Save as otherwise provided in the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange if a member fails to pay his annual subscription, fees, charges or other monies which may be due by him to the Exchange or to the Clearing House within such time as the relevant authority may prescribe from time to time after notice in writing has been served upon him by the Exchange, he may be suspended by the relevant authority until he makes payment and if within a further period of fifteen days he fails to make such payment, he may be expelled by the relevant authority.

Continued Admittance

(32) The relevant authority shall from time to time prescribe conditions and requirements for continued admittance to trading membership which may, inter alia, include maintenance of minimum network and capital adequacy. The trading membership of any person who fails to meet these requirements shall be liable to be terminated.

Readmission of Defaulters

(33) A trading member's right of membership shall lapse and vest with the Exchange immediately he is declared a defaulter. The member who is declared a defaulter shall forfeit all his rights and privileges as a member of the Exchange, including any right to use of or any claim upon or any interest in any property or funds of the Exchange, if any.

(34) The relevant authority may readmit a defaulter as a trading member subject to the provisions as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

(35) The relevant authority may readmit only such defaulter who in its opinion :

(a) Has paid up all dues to the Exchange, other trading members and constituents;

(b) Has no insolvency proceedings against him in a Court or has not been declared insolvent by any Court;

(c) Has defaulted owing to the default of principlals whom he might have reasonably expected to be good for their commitments;

(d) Has not been guilty of bad faith or breach of the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange;

(e) Has been irreproachable in his general conduct.

SECTION IV—DISCIPLINARY PROCEEDINGS, PENALTIES, SUSPENSION AND EXPULSION

Disciplinary Jurisdiction—(1) The relevant authority may expel or suspend and/or find under censure and/or warn and/or withdraw any of the membership rights of a trading member if it be guilty of contravention, non-compliance, disobedience, disregard or evasion of any of the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange or of any resolutions, orders, notices, directions or decisions or rulings of the Exchange or the relevant authority or of any other committee or officer of the Exchange authorised in that behalf or of any conduct, proceeding or method of business which the relevant authority in its absolute discretion deems dishonourable, disgraceful or unbecoming a trading member of the Exchange of inconsistent with just and equitable principles of trade or detrimental to the interests, good name or welfare of the Exchange or prejudicial or subversive to its objects and purposes.

Penalty for Misconduct, Unbusiness like Conduct and Unprofessional, Conduct—(2) In particular and without in any way limiting or prejudicing the generality of the provisions in clause (1) a trading member shall be liable to expulson or suspension or withdrawal of all or any of its membership rights and/or to payment of a fine and/or to be censured, reprimanded or warned for any misconduct, unbusinesslike conduct or unprofessional conduct in the sense of the provision in that behalf contained herein.

Misconduct—(3) A trading member shall, be deemed guilty of misconduct for any of the following or similar acts or omissions namely :

(a) Fraud : If it is convicted of a criminal offense or commits fraud or a fraudulent act which in the opinion of the relevant authority renders it unfit to be a trading member;

(b) Violation : If it has violated provisions of any statute governing the activities business and operations of the Exchange, trading members and securities business in general;

(c) Improper Conduct : If in the opinion of the relevant authority it is guilty of dishonourable or disorderly or improper conduct on the Exchange or o wilfully obstructing the business of the Exchange;

(d) Breach of Rules, Bye Laws and Regulations : If it shields or assists or omits to report any trading member whom it has known to have committed a breach or evasion of any Rule, Bye-law and Regulation of the Exchange or of any resolution, order, notice or direction thereunder of the relevant authority or of any Committee or officer or the Exchange authorised in that behalf;

(e) Failure to comply with Resolutions : If it contravenes or refuses or fails to comply with or abide by any resolution, order, notice, direction, decision or ruling of the relevant authority or of any Committee or officer of the Exchange or other person authorised in that behalf under the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange;

(f) Failure to submit to or abide by Arbitration : If it neglects or fails or refuses to submit to arbitration or to abide by or carry out any award, decision or order of the relevant authority or the Arbitration Committee or the arbitrators made in connection with a reference under the Bye Laws, Rules and Regulations of the Exchange;

(g) Failure to testify or give information : If it neglects or fails or refuses to submit to the relevant authority or to a Committee or an officer of the Exchange authorised in that behalf, such books, correspondence, documents and papers or any part thereof as may be required to be produced or to appeal and testify before or cause any of its partners, attorneys, agents, authorised representatives or employees to appear and testify before the relevant authority or such Committee or officer of the Exchange or other person authorised in that benalf;

(h) Failure to submit Special Returns : If it neglects or fails or refuses to submit to the relevant authority within the time notified in that benalf special returns in such form as the relevant authority may from time to time prescribe together with such other information as the relevant authority may require whenever circumstances arise which in the opinion of the relevant authority make it desirable that such special returns or information should be furnished by any or all the trading members;

(i) Failure to submit Audited Accounts : If it neglects or fails or refuses to submit its audited accounts to the Exchange within such time as may be presbed by the relevant authority from time to time.

(j) Failure to compare or submit accounts with Defaulter : If it neglects or fails to compare its accounts with the Defaulters' Committee or to submit to it a statement of its accounts with a defaulter or a certificate that it has no such account or if it makes a false or misleading statement therein;

(k) False or misleading Returns : If it neglects or fails or refuses to submit or makes any false or misleading statement in its clearing forms or returns required to be submitted to the Exchange under the Bye Laws, Rules and Regulations;

(l) Vexatious complaints : If it or its agent brings before the relevant authority or a Committee or an officer of the Exchange or other person authorised in that behalf a charge, complaint or suit which in the opinion of the relevant authority is frivolous, vexatious or malicious;

(m) Failure to pay dues and fees : If it fails to pay its subscription, fees, arbitration charges or any other money which may be due by it or any fine or penalty imposed on it

Unbusinesslike Conduct—(4) A trading member shall be deemed guilty of unbusinesslike conduct for any of the following or similar acts or omissions namely :

(a) Fictitious Names : If it transacts its own business or the business of its constituent in fictitious names or if he carries on business in more than one trading segment of the Exchange under fictitious names;

(b) Fictitious Dealings : If it makes a fictitious transaction or gives an order for the purchase or sale of securities the execution of which would involve no change of ownership or executes such an order with knowledge of its character;

(c) Circulation of rumours : If it, in any manner, circulates or causes to be circulated, any rumours;

(d) Prejudicial Business : If it makes or assists in making or with such knowledge is a party to or assists in carrying out any plan or scheme for the making of any purchases or sales or offers of purchase or sale of securities for the purpose of upsetting the equilibrium of the market or bringing about a condition in which prices will not fairreflect market values;

(e) Market Manipulation and Rigging : If it, directly or indirectly, alone or with other persons, effects series of transactions in any security to create actual or apparent active trading in such security or raising or depressing the prices of such security for the purpose of inducing purchase or sale of such security by others;

(f) Unwarrantable Business : If it engages in reckless or unwarrantable or unbusinesslike dealings in the market or effects purchases or sales for its constituent's account or for any account in which it is directly or indirectly interested, which purchases or sales are excessive in view of its constituent's or his own means and financial resources or in view of the market for such security;

(g) Compromise : If it connives at a private failure of a trading member or accepts less than a full and bona fide money payment in settlement of a a debt due by a trading member arising out of a transaction in securities;

(h) Dishonoured Cheque : If it isues to any other trading member or to its constituents a cheque which dishonoured on presentation for whatever reasons;

(i) Failure to carry out transactions with Constituents : If it fails in the opinion of the relevant authority to carry out its committed transactions with its constituents;

Unprofessional Conduct—(5) A trading member shall be deemed guilty of unprofessional conduct for any of the following or similar acts or omissions namely :

(a) Business in Securities in which dealings not permitted : If it enters into dealings in securities in which dealings are not permitted;

(b) Business for Defaulting Constituent : If it deals or transacts business directly or indirectly or executes an order for a constituent who has within its knowledge failed to carry out engagements relating to securities and is in default to another trading member unless such constituent shall have made a satisfactory arrangement with the trading member who is its creditor;

(c) Business for Insolvent : If without first obtaining the consent of the relevant authority it directly or indirectly is interested in or associated in business with or transacts any business with or for any individual who has been bankrupt or insolvent even though such individual shall have obtained his final discharge from an Insolvency Court;

(d) Business without permission when under suspension : If without the permission of the relevant authority it does business on its own account or on account of a principal with or through a trading member during the period it is required by the relevant authority to suspend business on the Exchange:

(e) Business for or with suspended, expelled and defaulter trading members : If without the special permission of the relevant authority it shares brokerage with or carries on business or makes any deal for or with any trading member who has been suspended, expelled or declared a defaulter;

(f) Business for Employees of other trading members : If it transacts business directly or indirectly for or with or executes an order for a authorised representative or employee of another trading member without the written consent of such employing trading member;

(g) Business for Exchange Employees : If it makes a specualtive transaction in which an employee of the Exchange is directly or indirectly interested;

(h) Advertisement : If it advertises for business purposes or issue regularly circular or other business communications to persons other than its own constituents, trading members of the Exchange, Banks and Joint Stock Companies or published pamphlets, circular or any other literature or report or information relating to the stock markets with its name attached,

(i) Evasion of Margin Requirements : If it willfully evades or attempts to evade or assists in evading the margin requirements prescribed in these Bye Laws and Regulations;

(j) Brokerage Charge : If it willfully deviates from or evades or attempts to evade the Bye Laws and Regulations relating to charging and sharing of brokerage.

Trading member's responsibility for Partners, Agents and Employees

(6) A trading member shall be fully responsible for the acts and ommissions of its authorsed officials, attorneys, agents, authorised representatives and employees and if any such act or omission be held by the relevant authority to be one which if committed or omitted by the trading member would subject it to any of the penalties as provided in the Bye Laws Rules and Regulations of the Exchange then such trading member shall be liable therefor to the same penalty to the same extent as if such act or omission had been done or omitted by itself.

Suspension on failure to provide margin deposit and/or Capital Adequacy requirements

(7) The relevant authority shall require a trading member to suspend its business when it fails to provide the margin deposit and/or meet capital adequancy norms as provided in these Bye Laws, Rules and Regulations and the suspension of business shall continue until it furnishes the necessary margin deposit or meet capital adequacy requirement. The relevant authority may exnel a trading member acting in contravention of this provision.

Suspension of Business :

(8) The relevant authority may require a trading member to suspend its business in part or in whole :

(a) Prejudicial Business : When in the opinion of the relevant authority, the trading member conducts business in a manner prejudicial to the Exchange by making purchases or sales of securities or offers to purchase or sell securities for the purpose of upsetting equilibrium of the market or bringing about a condition of demoralisation in which prices will not fairly reflect market values, or

(b) Unwarrantable Business : When in the opinion of the relevant authority it engages in unwarrantable business or effects purchases or sales for its constituent's account or for any account in which it is directly or indirectly interested which purchases or sales are excessive in view of its constituent's or it's own means and financial resources or in view of the market for such security, or

(c) Unsatisfactory Financial Condition : When in the opinion of the relevant authority it is in such financial condition that it cannot be permitted to do business with safety to its creditors or the Exchange.

Removal of Suspension

(9) The suspension of business under clause (8) above shall continue until the trading member has been allowed by the relevant authority to resume business on its paying such deposit or on its doing such act or providing such thing as the relevant authority may require.

Penalty for Contravention

(10) A trading member who is required to suspend its business shall be expelled by the relevant authority if he acts in contravention of this provision.

Trading member and others to testify and give information

(11) A trading member shall appear and testify before and cause its partners, attorneys, agents, authorised representatives and employees to appear and testify before the relevant authority or before other Committee(s) or an officer of the Exchange authorised in that behalf and shall produce before the relevant authority or before other Committee(s) or an officer of the Exchange authorised in that behalf, such books, correspondence, documents, papers and records or any part thereof which may be in its possession and which may be deemed relevant or material to any matter under inquiry or investigation.

Permission necessary for Legal Representation

(12) No person shall have the right to be represented by professional counsel, attorney, advocate or other representative in any investigation or hearing before the relevant authority or any other Committee unless the relevant authority or other Committee so permits.

Explanation before suspension or expulsion

(13) A trading member shall be entitled to be summoned before the relevant authority and afforded an opportunity for explanation before being suspended or expelled but in all cases the findings of the relevant authority shall be final and conclusive.

Imposition of Penalties

(14) The penalty of suspension, withdrawal of all or any of the membership rights, fine, censure or warning may be inflicted singly or conjointly by the relevant authority. The penalty of explusion may be inflicted by relevant authority.

Pre-determination of Penalties

(15) The relevant authority shall have the power to predetermine the penalties the period of any suspension, the withdrawal of particular membership rights and the amount of any fine that would be imposed on contravention, noncompliance, disobedience, disregard or evasion of any Bye Law, Rules or Regulation of the Exchange or of any resolution, order, notice, direction, decision or ruling thereunder of the Exchange, the relevant authority or of any other Committee or officer of the Exchange authorised in that behalf.

Commutation

(16) Subject to the provision of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 the relevant authority in its discretion may in any case suspend a trading member in lieu of the penalty of expulsion or may withdraw all or any of the membership rights or impose a fine in lieu of the penalty of suspension or expulsion and may direct that the guilty trading member be censured or warned or may reduce or remit any such penalty on such terms and conditions as it deems fair and equitable.

Reconsideration/Review

(17) Subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 the relevant authority may of its own motion or on appeal by the trading member concerned reconsider and may rescind, revoke or modify its resolution withdrawing all or any of the membership rights or fining, censuring or warning any trading member. In a like manner the relevant authority may rescind, revoke or modify its resolution expelling or suspending any trading member.

Failure to pay fines and penalties

(18) If a trading member fails to pay any fine or penalty imposed on it within such period as prescribed from time to time by the relevant authority after notice in writing has been served on it by the Exchange it may be suspended by the relevant authority until it makes payment and if within a further period as prescribed from time to time it fails to make such payment it may be expelled by the relevant authority.

Consequence of Suspension

(19) The suspension of a trading member shall have the following consequences namely :

(a) *Suspension Membership Rights.*—The suspended trading member shall during the terms of its suspension be deprived of and excluded from all the rights and privileges of membership including the right to attend or vote at any meeting of the general body of trading members of the relevant segment, but it may be proceeded against by the relevant authority for any offence committed by it either before or after its suspension and the relevant authority shall not be debarred from taking cognizance of and adjudicating on or dealing with any claim made against it by other trading members ;

(b) *Rights of creditors unimpaired.*—The suspension shall not affect the rights of the trading members who are creditors of the suspended trading member ;

(c) *Fulfilment of Contracts.*—The suspended trading member shall be bound to fulfill contracts outstanding at the time of its suspension ;

(d) *Further business prohibited.*—The suspended trading trading member shall not during the terms of its suspension make any trade or transact any business with or through a trading member provided that it may with the permission of the relevant authority close with or through a trading member the transactions outstanding at the time of its suspension ;

(e) *Trading members not to deal.*—No trading member shall transact business for or with or share brokerage with a suspended trading member during the terms of its suspension except with the previous permission of the relevant authority.

Consequences of Expulsion

(20) The expulsion of a trading member shall have the following consequences namely :

(a) *Trading membership Rights forfeited.*—The expelled trading member shall forfeit to the Exchange its right of trading membership and all rights and privileges as a trading member of the Exchange including any right to the use of or any claim upon or any interest in any property or funds of the Exchange but any liability of any such trading member to the Exchange or to any trading member of the Exchange shall continue and remain unaffected by its expulsion ;

(b) *Office vacated.*—The expulsion shall create a vacancy in any office or position held by the expelled trading member;

(c) *Rights of Creditors unimpaired.*—The expulsion shall not effect the rights of the trading members who are creditors of the expelled trading member ;

(d) *Fulfillment of Contracts.*—The expelled trading member shall be bound to fulfill transactions outstanding at the time of his expulsion and it may with the permission of the relevant authority close such outstanding transactions with or through a trading member ;

(e) *Trading members not to deal.*—No trading member shall transact business for or with or share brokerage with the expelled trading member except with the previous permission of the relevant authority.

Expulsion Rules to Apply

(21) When a trading member ceases to be such under the provisions of these Bye Laws otherwise than by death, default or resignation it shall be as if such trading member has been expelled by the relevant authority and in that event all the provisions relating to expulsion contained in these Rules shall apply to such trading member in all respects.

Suspension of Business

(22) (a) The relevant authority shall require a trading member to suspend its business when it fails to maintain or provide further security as prescribed in these Bye Laws and Regulations and the suspension shall continue until it pays the necessary amount by way of security.

(b) *Penalty for Contravention.*—A trading member who is required to suspend its business under sub-clause (a) shall be expelled by the relevant authority if it acts in contravention of the provisions of these Bye Laws.

Notice of Penalty and suspension of Business

(23) Notice shall be given to the trading member concerned and to the trading members in general by a notice on the quotation system of the Exchange of the expulsion or suspension or default of or of the suspension of business by a trading member or of any other penalty imposed on it or on its partners, attorneys, agents, authorised representatives or other employees. The relevant authority may in its absolute discretion and in such manner as it thinks fit notify or cause to be notified to the trading members of the Exchange or to the public that any person who is named in such notification has been expelled, suspended, penalised or declared a defaulter or has suspended its business or ceased to be a trading member. No action or other proceedings shall in any circumstances be maintainable by such person against the Exchange or the relevant authority or any officer or employee of the Exchange for the publication or circulation of such notification and the application for trading membership or the application for registration as the constituted attorney or authorised representative or by the person concerned shall operate as license and this Bye Laws, Rules and Regulations shall operate as leave to print, publish or circulate such advertisement or notification and be pleadable accordingly.

J. RAVI CHANDRAN
Company Secy. &
Asstt. Vice President (Legal)
for National Stock Exchange of India Ltd.

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1996
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and
Published by the Controller of Publications, Delhi, 1996.